सत्यमेव जयते

आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल

(राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए)
और अन्य संबंधित दिशा-निर्देश

मार्च, 2019

दस्तावेज 21 - संस्करण 1

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"कोई भी मतदाता न छूटे"

दस्तावेज 21 - संस्करण 1

आदर्श आचार संहिता
पर
मैनुअल

(राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए)
और अन्य संबंधित दिशा-निर्देश

मार्च, 2019

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सुनील अरोड़ा
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
SUNIL ARORA
Chief Election Commissioner of India

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

<u>संदेश</u>

निर्वाचन आयोग पिछले सात दशकों से निर्वाचनों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सशक्त रूप से संचालन कर रहा है। ये निर्वाचन काफी बड़े पैमाने पर संचालित किए जाते हैं। इस कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने में लगभग नब्बे करोड़ मतदाता, निर्वाचन लड़ने वाले हजारों अभ्यर्थी और राजनीतिक दल, और आयोग के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के तहत दस मिलियन कार्मिक अपना योगदान देते हैं। अनेक नये-नये उपायों के लिए भारतीय निर्वाचनों की प्रशंसा की जाती है, जिनसे निर्वाचन में सफल और सार्थक भागीदारी होती है। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) भारतीय निर्वाचनों में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और सफल योगदान है।

वर्ष 1968 से, निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन के समान अवसर प्रदान करने और व्यवहार में नैतिकता बनाए रखने के लिए सभी राजनैतिक दलों में सहमति बनने से आदर्श आचार संहिता सभी पर लागू एक नैतिक संहिता बन गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। यह संहिता हमारी सफल निर्वाचन प्रक्रिया का नैतिक आधार है।

मुझे खुशी है कि मैं राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया, नागरिक समाज और सबसे महत्वपूर्ण हमारे निर्वाचकों सहित सभी हितधारकों के साथ आदर्श आचार संहिता पर इस मैनुअल को ऐसे अवसर पर साझा कर रहा हूं जब देश के 17वें साधारण निर्वाचन करवाए जा रहे हैं। इस मैनुअल में निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी सभी प्रावधान, निर्देश और स्पष्टीकरण शामिल किए गए हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की सूची उनके उत्तरों के साथ इस पुस्तक के अंत में दी गई है।

मैं यह महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने के लिए डॉ. संदीप सक्सेना, उप निर्वाचन आयुक्त, आचार संहिता प्रभाग के प्रभारी प्रधान सचिव, श्री नरेंद्र एन. बुटोलिया और उनकी टीम को बधाई देता हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह मैनुअल सभी हितधारकों, सामान्य पाठकों और हमारी निर्वाचन मशीनरी के लिए उपयोगी गाइड सिद्ध होगा।

(सुनील अरोड़ा)

अशोक लवासा
भारत के निर्वाचन आयुक्त
ASHOK LAVASA
Election Commissioner of India

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

संदेश

आदर्श आचार संहिता की मूल भावना का सभी पालन करते हैं, इसलिए यह निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के समान अवसर प्रदान करने का प्रभावी साधन बन गया है। हालांकि मूल आचार संहिता निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के बीच आपसी समझ का परिणाम है, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के दौरान जहां कहीं अपेक्षित हो, सकारात्मक सुझाव देने के लिए उत्तरोत्तर किंतु व्यवस्थित प्रयासों से व्यापक और ठोस प्रणाली स्थापित की है।

मुझे खुशी है कि आयोग, समय-समय पर जारी आदर्श आचार संहिता संबंधी सभी निर्देशों का सुव्यवस्थित संकलन, मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर रहा है, जिसे सभी निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता उस आशय से तत्काल देख सकेंगे जब उन्हें निर्वाचन अपराधों और कदाचारों के बारे में किसी शंका का समाधान करना हो। इस मैनुअल में आदर्श आचार संहिता के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

मुझे पूरी आशा है कि यह मैनुअल निर्वाचन से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए सहायक होगा, और यह कि सभी हितधारकों में आत्म-संयम की भावना और स्वैच्छिक संहिता का पालन करने, जो किसी भी सभ्य समाज की पहचान है, की भावना आने से इस मैनुअल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लोगों के सामने आदर्श आचरण के अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण पेश करना उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है जो उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके मूल्यों का पता चलता है।

Lavasa

(अशोक लवासा)

सुशील चन्द्रा
भारत के निर्वाचन आयुक्त
Sushil Chandra
Election Commissioner of India

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

संदेश

मुझे खुशी है कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल प्रकाशित कर रहा है। यह न केवल सभी निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक संदर्भ पुस्तक के रूप में काम करेगा, बल्कि यह सामान्य निर्वाचकों के लिए आचार संहिता की कार्य-पद्धति को भी काफी सरल तरीके से प्रस्तुत करेगा।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखने पर किसी को भी यह ज्ञात हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग के पास आदर्श आचार संहिता एक ऐसा प्रभावी साधन है, जो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना संभव बनाता है। यह निर्वाचकों को इस बात की जानकारी देता है कि वे निर्वाचनों में खड़े अभ्यर्थियों में से जागरूक एवं तर्कसंगत चुनाव करे। सभी राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल, आदर्श आचार संहिता की भावना की सराहना करते हैं, क्योंकि यह उन्हें निर्वाचन के दौरान अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

निर्वाचनों के प्रबंधन को लेकर हमेशा जिज्ञासा का भाव बना रहता है। निर्वाचन आयोग देश में निर्वाचन प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से सूचना का उपयोग करने की दिशा में निरंतर उद्देश्यपूर्ण कदम उठाता रहा है। आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल का प्रकाशन निर्वाचन के संचालन से संबंधित मुद्दों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से इस दिशा में किया गया एक और प्रयास है।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मैनुअल को निर्वाचनों में कदाचार को नियंत्रित करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा उपयोगी पाया जाएगा।

(सुशील चन्द्रा)

डॉ. संदीप सक्सेना
उप निर्वाचन आयुक्त
DR. SANDEEP SAXENA
Deputy Election Commissioner

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

प्राक्कथन

निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का माहौल बनाकर, देश में लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति लोगों के दृढ़ विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। आयोग ने इसे प्रदत्त संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया में सभी हितधारकों की नैतिक भागीदारी के लिए व्यापक उपाय किए हैं।

आयोग ने राजनीतिक दलों को जोड़ कर निर्वाचकीय प्रतिद्वंद्विता को नियंत्रित करने और ऐसे सभी कदाचारों पर रोक लगाने के लिए एक आचार संहिता तैयार की है, जिनके लिए संविधियों में कोई सुव्यक्त विधिक प्रावधान नहीं किए गए हैं।

आदर्श आचार संहिता ने काफी लम्बा सफर तय किया है, साठ के दशक में राजनैतिक दलों से नैतिक आचरण के लिए मात्र अपील की जाती थी, जबकि वर्तमान निर्वाचन प्रचार अभियान में निर्वाचन आयोग द्वारा इसके प्रत्येक पहलू में अग्र-सक्रिय और कार्यनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है।

इस मैनुअल का प्रकाशन आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्वाचन आयोग के प्रमुख दिशानिर्देशों को समेकित करने का एक प्रयास है।

मैं प्रधान सचिव श्री नरेंद्र एन. बुटोलिया, और आचार संहिता प्रभाग की उनकी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी सुस्पष्टता के साथ आदर्श आचार संहिता मैनुअल के प्रलेखन कार्य का बीड़ा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता इस दस्तावेज़ से लाभान्वित होंगे, और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाएंगे।

Sandeep

(डॉ संदीप सक्सेना)

"कोई भी मतदाता न छूटे"

नरेन्द्र ना. बुटोलिया
प्रधान सचिव
NARENDRA N. BUTOLIA
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

भूमिका

इस मैनुअल में आदर्श आचार संहिता और समर्थकारी सांविधिक प्रावधानों, अनुदेशों, उदाहरणों, प्रथाओं, और उससे संबंधित चुनिंदा न्यायालयीन मामलों के बारे में सूचना और जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

यह विषय राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराता है और ऐसे परिवेश का निर्माण करता है जिसमें निर्वाचक बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

मैनुअल में आदर्श आचार संहिता पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देश शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक अध्याय में व्यापक विषयों के तहत व्यवस्थित किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए अध्यायों में दिए गए निर्देशों के महत्वपूर्ण अंशों को कलर में उजागर/मार्जिनल बॉक्सों में सूचीबद्ध किया गया है। अनुलग्नकों में कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के उद्धरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची और उनके उत्तर भी शामिल हैं, जिन्हें इस मैनुअल के अंत में जोड़ा गया है।

मुझे उम्मीद है कि यह मैनुअल निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों, हितधारकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जिनकी इस विषय में अभिरुचि है, यह लाभपद, सहायक और उपयोगी होगा।

मैं आचार संहिता प्रभाग की पूरी टीम, विशेष रूप से श्री अश्विनी मोहाल, अवर सचिव, श्रीमती अनुराधा सिंह, अनुभाग अधिकारी, श्री सौरभ राणा, सहायक अनुभाग अधिकारी और मेरे निजी सहायक श्री सुभम दुहन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मैनुअल के संकलन, विकास और मुद्रण में सहयोग किया है। मैं आयोग में निर्वाचन योजना प्रभाग, मीडिया प्रभाग और एसडीआर प्रभाग का भी आभारी हूं, जिन्होंने उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की है।

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

संशोधन और शुद्धिपत्र

संशोधन

क्र.सं.	तिथि	विषय

शुद्धिपत्र

क्र.सं.	तिथि	विषय

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
शब्दावली		17
अध्याय 1: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि		23
अध्याय 2. आदर्श संहिता की स्थिति और प्रभाव क्षेत्र		27
2.1	प्रस्तावना	27
2.2	आदर्श संहिता की स्थिति	27
2.3	विधि को सक्षम बनाने का प्रावधान	28
2.4	पूरक अनुदेशों का प्रभाव क्षेत्र	30
अध्याय 3. आदर्श संहिता का प्रवर्तन		32
3.1	प्रस्तावना	32
3.2	प्रवर्तन की तिथि	32
3.3	लागू होने की अवधि	33
3.4	लागू होने की सीमा	33
3.5	आदर्श संहिता के अंतर्गत कौन-कौन शामिल हैं	33
3.6	क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले आचार संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है	34
3.7	आदर्श आचार संहिता का विधान सभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग होने पर सत्तासीन सरकार के कार्यवाहक की भूमिका निभाने से लेकर पुन: निर्वाचन के बाद नई सरकार के गठन तक लागू होना	34
3.8	क्या राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यकलाप आदर्श आचार सहिता के अंतर्गत आते हैं (परिशिष्ट- III)	35
अध्याय 4. निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू करने हेतु किए गए विशेष उपाय		**37**
4.1	प्रस्तावना	37
4.2	संघ सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त आदर्श आचार संहिता के मामलों में कार्रवाई करने का मानकीकरण	37
	• निर्वाचन से संबंधित सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती	37
	• निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श संहिता लागू करना	37
	• केंद्र सरकार को निदेश	38
	• राज्य सरकारों को निदेश	38
4.3	राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी	39

4.4	राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन अभियान में पालन किए जाने हेतु 'क्या करें' और 'क्या न करें'	41
अध्याय 5. नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध		45
5.1	प्रस्तावना	45
5.2	समेकित दिशानिर्देश	46
5.3	वार्षिक बजट की प्रस्तुति	50
5.4	वित्तीय अनुदान/रियायतें/राहत/सब्सिडी की घोषणा	51
5.5	विवेकाधीन निधि और सांसद/विधायक के एलएडीएस से भुगतान	53
5.6	सांविधिक अपेक्षा के नियमित वित्तीय मामलों हेतु अनुमति	54
5.7	राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूलियों और डूबे कर्जों को माफ करना	55
5.8	तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध	55
5.9	अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर प्रतिबंध के उदाहरण	56
अध्याय 6. सरकारी राजकोष की लागत से विज्ञापनों का प्रकाशन		57
6.1	प्रस्तावना	57
6.2	उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश	58
6.3	समेकित दिशानिर्देश	60
6.4	सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापनों और होर्डिंग का प्रदर्शन	61
6.5	ऐसे राज्यों में विज्ञापनों का प्रकाशन, जहाँ मतदान का आयोजन नहीं हो रहा हो	62
6.6	विशेष अवसरों/दिवसों के संबंध में विज्ञापनों का प्रकाशन	62
6.7	विभिन्न राज्यों में आधार से संबंधित प्रचार जारी रखा जाना	63
अध्याय 7. मंत्रियों/अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्राएं/दौरे		64
7.1	प्रस्तावना	64
7.2	समेकित अनुदेश	65
	• सरकारी दौरे को राजनीतिक/निजी दौरे के साथ न मिलाया जाए	65
	• सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध	66
	• सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करना	67
	• सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक	67
	• सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	68
	• वैयक्तिक स्टाफ का निजी दौरों/प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री/मंत्रियों के साथ जाना	68
	• सरकारी अतिथि गृहों में आवास व्यवस्था	69

7.3	पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/गृहमंत्री को ब्रीफिंग देना	69
अध्याय 8. मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंध		70
8.1	प्रस्तावना	70
8.2	पिछले 48 घंटों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध	71
	• जांच के उपाय	71
	• प्रतिबंध से छूट	71
8.3	अंतिम 48 घंटों के दौरान निर्वाचन मामलों का प्रसारण	72
8.4	क्या रेडियो पर निर्वाचन संबंधी मामलों का प्रसारण अंतिम 48 घंटों के दौरान किया जा सकता है	73
8.5	प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	74
8.6	निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फीचर फिल्मों (अन्य वाणिज्यिक विज्ञापन से इतर) का प्रसारण	75
अध्याय 9. सरकारी वेबसाइट/सरकारी भवनों/विज्ञापनों पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन		76
9.1	प्रस्तावना	76
9.2	सरकारी वेबसाइट पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन	76
9.3	सरकारी भवनों में फोटो/संदेश का प्रदर्शन	77
9.4	सरकारी विज्ञापन/होर्डिंग्स पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन	77
9.5	क्या सासंद/विधायक एलएडी के अंतर्गत, वित्त पोषित सचल वस्तुओं पर नाम/फोटो प्रदर्शित किए जा सकते हैं?	77
9.6	लाभार्थी कार्ड/इलेक्ट्रिक बिल/निर्माण स्थल की साइट पर नाम-पट्ट आदि पर फोटो का प्रदर्शन	78
9.7	क्या भूतपूर्व राष्ट्रीय नेताओं/कवियों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों की फोटो (छवियो) को प्रदर्शित किया जा सकता है?	78
9.8	रक्षा कार्मिकों की फोटो के उपयोग पर प्रतिबंध	79
अध्याय 10. वाहनों का उपयोग/अधिग्रहण		80
10.1	प्रस्तावना	80
10.2	वाहनों के अधिग्रहण पर कानूनी प्रावधान	80
10.3	वाहनों के अधिग्रहण से छूट	80
10.4	अधिग्रहण किए गए वाहनों के लिए प्रतिपूर्ति	81
10.5	समेकित निर्देश	81
	• सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध	81

	• वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध	83
	• नाम-निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग	84
	• निर्वाचन उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग	84
	• मतदान दिवस पर वाहनों का उपयोग	87
	• वीडियो-वैन	89
	• निर्वाचन प्रचार के लिए बाइकों का उपयोग	91
	• निर्वाचन के दौरान रोड शो को नियमित करना	92
	• स्टार प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन का उपयोग	92
10.6	राज्य विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा विभिन्न बोर्डों/आयोगों/ सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग	93
10.7	सुरक्षा कारणों से उपलब्ध कराए गए बुलेट प्रूफ वाहन	94
अध्याय 11.	**हेलिकॉप्टरों/विमानों का उपयोग/की मांग**	96
11.1	प्रस्तावना	96
11.2	विमानों और हेलीकाप्टरों को किराए पर लेना	96
11.3	गैर-निर्धारित उड़ानों का रिकॉर्ड रखना	96
11.4	जिला प्रशासन द्वारा उचित रिकॉर्ड का रखरखाव	97
11.5	मतदान/मतगणना के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण	97
अध्याय 12.	**स्कूल के मैदानों/सरकारी संपत्तियों का उपयोग**	99
12.1	प्रस्तावना	99
12.2	स्कूल/कॉलेज परिसर/मैदान का उपयोग	99
12.3	राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध	100
12.4	राजनीतिक विज्ञापनों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के तहत बसों के उपयोग पर प्रतिबंध	101
अध्याय 13.	**राष्ट्रीय ध्वज/दल के ध्वज/दल के बैनर का उपयोग**	102
13.1	राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग	102
13.2	दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निवासों पर दल के ध्वज/ बैनर का उपयोग	103
	• प्रदर्शित किए जाने वाले दल ध्वज की संख्या	103
13.3	वाहनों पर प्रदर्शित किए जाने वाले बैनर/ध्वज की संख्या और आकार	103
13.4	प्रचार से संबंधित मदें	104
अध्याय 14.	**लाउडस्पीकरों का उपयोग**	105
14.1	प्रस्तावना	105
14.2	समेकित अनुदेश	105

	• निर्वाचन के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग की अवधि	106
	• लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति अनिवार्य है	106
	• अंतिम 48 घंटों के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध	107
	• आवाज अनुमेय सीमा के भीतर होनी चाहिए	107
अध्याय 15. पैम्फलेट/पोस्टरों का मुद्रण		**108**
15.1	प्रस्तावना	108
15.2	सरोगेट विज्ञापन	109
15.3	सरोगेट विज्ञापन जारी	109
15.4	उन मामलों में कार्रवाई, जिनमें विज्ञापन के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है	109
15.5	'पोस्टर' के आशय के भीतर आने वाले होर्डिंग्स/ फ्लैक्स बोर्ड	110
अध्याय 16. सार्वजनिक/निजी संपत्ति का विरूपण		**111**
16.1	प्रस्तावना	111
16.2	समेकित अनुदेश	112
	• सार्वजनिक स्थानों का विरूपण	112
	• निजी स्थानों की विरूपण	113
	• हॉल, ऑडिटोरियम और अन्य सरकारी स्वामित्व वाले संपत्तियों का विरूपण	115
	• वाहनों का विरूपण	115
16.3	अनधिकृत विरूपण हटाने की समयसीमा	116
अध्याय 17. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध		**118**
17.1	प्रस्तावना	118
17.2	सांविधिक प्रतिबंध	118
17.3	निर्वाचन आयोग के अनुदेश	119
	• अंतिम 48 घंटों के दौरान और मतदान/पुनः मतदान पर प्रतिबंध	119
	• मतगणना के दिन प्रतिबंध	119
17.4	मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए शराब के उपयोग की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय	119
अध्याय 18. निर्वाचन घोषणापत्र		**121**
18.1	प्रस्तावना	121
18.2	निर्वाचन घोषणापत्र पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश	121
18.3	घोषणापत्र पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश	122
18.4	निर्वाचन घोषणापत्र कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता	124

अध्याय 19. आदर्श संहिता और सरकारी अधिकारीगण		125
19.1	प्रस्तावना	125
19.2	स्थानान्तरण/तैनाती पर नीति	126
	• स्थानांतरण की शर्तें	126
	• नीति की प्रयोज्यता	127
	• ढील/छूट	128
	• मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श	129
	• निर्वाचक नामावली की तैयारी में सम्मिलित अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती	130
19.3	पुलिस उप-निरीक्षक के स्थानांतरण पर स्पष्टीकरण	130
19.4	निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध	130
19.5	पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/ गृहमंत्री के लिए संक्षिप्त विवरण (ब्रीफिंग्स)	131
19.6	मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	131
19.7	ऐसे अधिकारियों, जिनके पति/पत्नियाँ राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, के दौरों/अवकाशों पर प्रतिबंध	132
अध्याय 20. उप-निर्वाचनों के दौरान आदर्श संहिता		134
20.1	प्रस्तावना	134
20.2	आदर्श संहिता की प्रयोज्यता	134
20.3	मंत्रियों के दौरे	135
20.4	नई योजनाओं/परियोजनाओं की घोषणा	136
20.5	महंगाई भत्ते की घोषणा	137
20.6	विज्ञापनों का प्रकाशन	137
20.7	आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों के संदर्भ को हटाना	137
20.8	धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर वादों/बयानों पर प्रतिबंध	138
20.9	सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती	138
	• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन	138
	• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन	140
अध्याय 21. द्विवार्षिक निर्वाचनों के दौरान आदर्श संहिता		143
21.1	प्रस्तावना	143
21.2	समेकित अनुदेश	143
	• मंत्रियों के आगमन और नई योजनाओं आदि की घोषणाओं पर प्रतिबंध	143

- वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध 144
- मंत्री के दौरे की रिकॉर्डिंग 145
- सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक 145
- सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध 146
- मैदान/हेलीपैडों आदि का उपयोग 146
- सरकारी डाक बंगलों में आवास 146
- विगत 48 घंटों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध 146
- शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 146
- एमसीएमसी की नियुक्ति 147
- निर्वाचन अभियान के दौरान भारी संख्या में एसएमएस/वाणी संदेश (वॉयस मैसेज) 147

अध्याय 22. विविध		148
22.1	अतिथि गृहों का उपयोग	148
22.2	महत्वपूर्ण दिनों के समारोह में राजनीतिक पदाधिकारियों की भागीदारी	149
22.3	निर्वाचनों के दौरान धार्मिक अवसरों पर दावत/समारोह का आयोजन	150
22.4	अस्थायी प्रचार-अभियान कार्यालय	150
22.5	निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं का उपयोग	151
22.6	शराब विक्रेताओं/तेंदू पत्तों आदि के संबंध में प्रमुख निविदाएं और नीलामी	151
22.7	रक्षा बलों से संबंधित मामलों पर आदर्श संहिता की प्रयोज्यता	152
22.8	निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बाल श्रम का नियोजन	152
22.9	निर्वाचन-प्रचार के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध	152
अध्याय 23. आदर्श आचार संहिता पर उल्लेखनीय निर्णय		153
	परिशिष्ट (I-XXI)	165
	परिशिष्ट - I	166
	परिशिष्ट - II	174
	परिशिष्ट - III	175
	परिशिष्ट - IV	177
	परिशिष्ट - V	178
	परिशिष्ट - VI	187
	परिशिष्ट - VII	191
	परिशिष्ट - VIII	192
	परिशिष्ट - IX	194

परिशिष्ट - X 195
परिशिष्ट - XI 209
परिशिष्ट - XII 215
परिशिष्ट - XIII 217
परिशिष्ट - XIV 226
परिशिष्ट - XV 229
परिशिष्ट - XVI 232
परिशिष्ट - XVII 259
परिशिष्ट - XVIII 260
परिशिष्ट - XIX 263
परिशिष्ट - XX 264
परिशिष्ट - XXI 269
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 270

पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग

1. **सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी:** निर्वाचन आयोग एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए एकाधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, ताकि वह अपने प्रभार के तहत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार कर सके। प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होगा और उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होना चाहिए।

2. **सहायक रिटर्निंग अधिकारी:** निर्वाचन आयोग अपने प्रभार के तहत निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी क़ानून में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम होगा।

3. **बूथ पर कब्जा:** बूथ कैप्चरिंग अथवा मतदान केंद्र पर बलात कब्जा का अर्थ है-वास्तविक मतदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वोटों के अनधिकृत तरीके से डालने के लिए या तो मतदान अधिकारियों को मत पत्रों को सुपुर्द करने या मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने के लिए धमकाना या भयभीत करना।

4. **बूथ लेवल अधिकारी:** बूथ लेवल अधिकारी स्थानीय सरकारी/अर्द्ध सरकारी पदाधिकारी होता है जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होता है और सामान्यत:, उसी मतदान केन्द्र में मतदाता होता है, जो अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग करते हुए निर्वाचक नामावली में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। वह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समग्र देखरेख में, क्षेत्र सत्यापन के लिए, मतदाताओं के संबंध में जानकारी/डेटा का संग्रह करने और मतदान क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक नामावली के एक भाग की तैयारी, जो उसे सौंपी गई है, के लिए जिम्मेदार है।

5. **रिश्वत:** रिश्वत किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला वह प्रलोभन है, जो गलत तरीकों से, किसी ऐसे काम को करने अथवा न करने के लिए कहता है, जिसे उसने अन्यथा ना किया हो अथवा किया हो। निर्वाचन के संदर्भ में, रिश्वत, भ्रष्ट आचरण का सबसे आम और उग्र रूप है। यह किसी अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी अथवा उसके किसी अभिकर्ता की सहमति से, किसी व्यक्ति को प्रलोभन देने के उद्देश्य से दिया गया उपहार, तोहफा या उनसे लिया गया वचन है ताकि वे उसे अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन में खड़े होने अथवा नहीं होने अथवा नाम वापस लेने अथवा नाम वापस नहीं लेने, अथवा निर्वाचन में किसी निर्वाचक को मत देने या मतदान करने से रोक सकें।

6. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी:** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य सरकार के एक अधिकारी हैं, जो निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और संसद और राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन करते हैं।

7. **निर्वाचन क्षेत्र:** जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, परिसीमन आदेश प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा को परिभाषित करता है। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। सभी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक हैं, अर्थात उनकी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हैं। सिक्किम में संघ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक अपवाद है, जिसमें सिक्किम के राज्य भर में मान्यता प्राप्त मठों में रहने वाले भिक्षु शामिल हैं।

8. **भ्रष्ट आचरण:** भ्रष्ट आचरण एक अभ्यर्थी द्वारा या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह पूरे निर्वाचन को प्रभावित कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में निर्दिष्ट हैं।

9. **जिला निर्वाचन अधिकारी:** निर्वाचन आयोग संबंधित जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला प्रशासन के प्रमुखों को नामित करता है, जैसे कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में अथवा अपने अधिकार-क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण, तथा जिले के भीतर सभी संसदीय विधानसभा और परिषद निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन संबंधी सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्र और मतदान केंद्रों की सूची के प्रकाशन के लिए और निर्वाचनों में मतदान कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

10. **निर्वाचन घोषणापत्र:** निर्वाचन घोषणा पत्र राजनीतिक दल की विचारधारा, इरादों, विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा का प्रकाशित दस्तावेज है, विशेष रूप से, आने वाले

निर्वाचनों पर दृष्टि रखते हुए और निर्वाचनों की पूर्व संध्या पर प्रकाशित और प्रचारित किया जाता है।

11. **निर्वाचन अपराध:** भारतीय दंड संहिता के तहत निर्वाचन अपराध किसी निर्वाचन से संबंधित एक आपराधिक कृत्य है। निर्वाचन अपराध का संज्ञान, इसके किए जाने अथवा होने के तुरंत बाद लिया जा सकता है, और यह उसी तरीके से किया जा सकेगा जिस तरह से किसी अन्य आपराधिक गतिविधि की जांच और विवेचना की जाती है।

12. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी:** किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में संबंधित राज्य सरकार के एक अधिकारी को पदनामित/नामित करता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वैधानिक प्राधिकारी है, जो अपने प्रभार के तहत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करता है।

13. **निर्वाचक नामावली:** आमतौर पर निर्वाचक नामावली को 'मतदाता सूची' के रूप में जाना जाता है, निर्वाचक नामावली निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की एक सूची है। उचित प्रबंधन के लिए, निर्वाचक नामावली को निर्वाचन क्षेत्र के कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें संबंधित मतदान क्षेत्रों के निर्वाचकों का विवरण होता है।

14. **ईपीआईसीः** निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान के समय संबंधित निर्वाचक की पहचान प्रमाणित करने के लिए उसके अधीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाता है

15. **झूठा विवरणः** झूठा विवरण किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं का पूर्वाग्रह करते हुए उसके व्यक्तिगत चरित्र या किसी भी अभ्यर्थी के आचरण के संबंध में, किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से, गलत बयान अथवा किसी भी तथ्य के मिथ्या (गलत) विवरण का प्रकाशन करना है।

16. **मुफ्त उपहार:** फ्रीबी, बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाने वाली वस्तु अथवा कुछ सामग्री है'। आम बोलचाल में फ्रीबी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी जैसी कुछ वास्तविक सामग्री देने

का वादा है, अथवा मामूली कीमत पर अथवा बिना किसी शुल्क के बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन या खाद्यान्न जैसी सुविधाएं निर्वाचक मंडल लोगों के लक्षित समूह को प्रदान करना है, जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, महिलाएं, छात्र, दिव्यांग आदि।

17. **परितोषण:** परितोषण का अर्थ है, सभी प्रकार के धन-संबंधी लाभ, मनोरंजन और रोजगार सहित कुछ मूल्यवान लाभ, जिसकी गणना किसी व्यक्ति के उद्देश्य, ध्येय या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। यह किसी वस्तु से बने उपहार को संदर्भित करता है, जो इसके प्राप्तकर्ता को भौतिक लाभ प्रदान करता है।

18. **प्रतिरूपण:** यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति चाहे जीवित या मृत, या एक काल्पनिक नाम, पर मत देता है, या एक बार मतदान होने पर, अपने ही नाम पर वोट देता है तो वह उस निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। प्रतिरूपण एक निर्वाचन अपराध है।

19. **प्रलोभन:** प्रलोभन किसी मतदाता को मतदान करने के लिए अथवा मतदान से रोकने करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रोत्साहन, वायदा और परितोषण प्रदान करना है। मतदाता अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता और तीसरे व्यक्ति के बीच सौदेबाजी में प्रत्यक्ष दल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी दिखाई गई हो।

20. **आदर्श आचार संहिता:** आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों की आम सहमति द्वारा विकसित, निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए मानकों का एक संग्रह है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अवधि के दौरान, सत्ताधारी दलों और अभ्यर्थियों सहित राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन सुनिश्चित करता है, ताकि किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी राजनीतिक दलों को एक समान निर्वाचन प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान किया जा सके।

21. **सत्तारूढ़ दल:** सत्तारूढ़ दल वह राजनैतिक दल है जिसकी सरकार केंद्र या राज्य में है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य यह है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख के करीब होने पर, सत्तारूढ होने का कोई फायदा न उठाया जा सके।

22. **फोटो मतदाता पर्चियाँ:** मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन द्वारा सभी नामांकित मतदाताओं को पूर्व-मुद्रित आधिकारिक मतदाता पर्ची, जिसमें

मतदाता की तस्वीर और फोटो रोल में उपलब्ध विवरण जैसे निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम, भाग संख्या, नाम, लिंग, ईपीआईसी संख्या, रिश्तेदार का नाम, क्रमांक, मतदान केंद्र संख्या और नाम और दिनांक, मतदान का दिन और समय शामिल है, वितरित की जाती है। फोटो मतदाता पर्ची विधिवत रूप से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार वितरण के कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाती है और बूथ स्तर के अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। अवितरित फोटो मतदाता पर्ची बूथ स्तर के अधिकारी द्वारा रखी जाएगी। वितरण उद्देश्य के लिए फोटो मतदाता पर्ची की कोई फोटोकॉपी की अनुमति नहीं है। फोटो मतदाता पर्ची का कोई भी अनधिकृत वितरण/अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

23. **मतदान केंद्र:** मतदान केंद्र मतदान के लिए निर्धारित कमरा/कक्ष होता है जहाँ संबंधित मतदान क्षेत्र के मतदाता, मतदान के दिन अपना मत डालते हैं। इसे 'पोलिंग बूथ' के रूप में भी जाना जाता है।

24. **रिटर्निंग अधिकारी:** निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विधानमंडल या संसद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में संबंधित राज्य सरकार के एक अधिकारी को पदनामित/नामित करता है।

25. **जांच समिति:** राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आदर्श आचार संहिता के संदर्भों की जाँच करने के लिए, निर्वाचन के दौरान हर राज्य में एक जाँच समिति का गठन किया जाता है। जाँच समिति मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित होती है और इसमें दो अन्य सदस्य होते हैं। जाँच समिति से मंजूरी के बाद, उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए आदर्श संहिता के संदर्भ भेजे जाते हैं।

26. **स्वीप:** सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल दलसीपेशन (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी) एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना और मतदाता पंजीकरण के माध्यम से निर्वाचन भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा युवाओं, महिलाओं, आदिवासी और समाज के अन्य उपांत वर्गों को निर्वाचन की ओर उन्मुख करना है।

27. **दैवीय प्रकोप/आध्यात्मिक विपत्ति का भय:** मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन अथवा प्रयास कि वे ईश्वरीय नाराजगी/दैवीय प्रकोप का

शिकार हो जाएंगे, यदि वे किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मत डालते हैं अथवा मत डालने से परहेज करते हैं।

28. **चोट का खतरा:** यह अनुचित प्रभाव का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या न करने, या किसी भी निर्वाचन में मत न करने के लिए मजबूर किया जाता है और शारीरिक तौर पर चोट पहुँचाने का भय दिया जाता है। शारीरिक चोट का ऐसा खतरा केवल संबंधित मतदाता तक ही सीमित नहीं हो सकता, बल्कि तीसरे व्यक्ति के विरूद्ध भी निर्देशित किया जा सकता है जैसे मतदाता के परिवार के सदस्य अथवा कोई रिश्तेदार अथवा कोई मित्र आदि।

29. **अनुचित प्रभाव:** अनुचित प्रभाव, एक प्रमुख भ्रष्ट आचरण है जो किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र निर्वहन को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के लिए किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की ओर से किए जाने/डालने का प्रयास/कृत्य है। यह किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी निर्वाचक या किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा खतरा है, जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचक की मंशा किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाना है, जिसमें सामाजिक अस्थिरता और बहिष्कार, या किसी भी जाति या समुदाय से निष्कासन भी शामिल है।

30. **वाहन:** इसका तात्पर्य सड़क परिवहन के उद्देश्य से किसी भी वाहन का उपयोग या उपयोग करने में सक्षम होने वाले वाहन से है जो यांत्रिक शक्ति अथवा अन्यथा द्वारा संचालित होता हो। एक 'कार्यालय वाहन' से अभिप्राय ऐसे सभी वाहनों से है, जो (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (iii) केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (iv) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, (v) स्थानीय निकाय, (vi) नगर निगम, (vii) नगर पालिका, (viii) विपणन बोर्ड (जिस नाम से भी जाना जाता हो), (ix) सहकारी समितियाँ, (x) स्वायत्त जिला परिषद अथवा किसी अन्य निकाय का हो, जिसमें सार्वजनिक निधि के कुल में से कोई लघु हिस्सा निवेश किया गया हो, और इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के तहत रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों से संबंधित निवेश भी शामिल हैं।

****

अध्याय 1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 लोकतांत्रिक सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए अपनाया, में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश को आजादी मिलने से पहले से ही, राजनीतिक दल स्वतंत्रता आंदोलन में निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और उस समय विद्यमान निर्वाचन प्रणाली में भाग ले रहे थे। लेकिन, हमारे संविधान में वर्ष 1985 तक, राजनीतिक दलों के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं था, तब पहली बार उनके अस्तित्व को संविधान द्वारा मान्यता दी गई, जब इसमें संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची सम्मिलित की गई और राजनीतिक दलबदल को संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता का आधार बनाया गया। शायद इसीलिए, आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए कानून में कोई स्थान नहीं मिला।

1.2 ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता का सुझाव देने का श्रेय केरल राज्य को जाना चाहिए, जिसने पहली बार, फरवरी 1960 में राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों के अनुपालन हेतु आचार संहिता को अपनाया। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में स्वेच्छा से संहिता का प्रारूप अनुमोदित किया। इस संहिता में, सभाओं और जुलूसों, भाषणों और नारों, पोस्टरों और तख्तियों आदि जैसे निर्वाचनों प्रचार के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से शामिल किया गया।

1.3 वर्ष 1962 में लोकसभा के साधारण निर्वाचन और एक साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने उस संहिता को सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को परिचालित किया और यह देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में निर्वाचन अभियान चलाने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने, इस संहिता का अनुपालन किया है।

1.4 अगला साधारण निर्वाचन वर्ष 1967 में हुआ। दिसंबर 1966 में आयोजित राजनीतिक दलों के सम्मेलन में केरल में पुनः उपरोक्त संहिता को अपनाया गया। इस बार, कुछ और राज्य आगे आए और उन्होंने भी इस संहिता का पालन किया। अगस्त 1966 में, पुलिस आयुक्त, मद्रास द्वारा राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें आगामी साधारण निर्वाचनों के दौरान आचार संहिता के पालन पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद दिसंबर 1966 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक दलों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए एक दस सूत्रीय संहिता तैयार की गई।

संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्यों की स्थायी समिति भी गठित की गई। जनवरी 1967 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में संहिता का ऐसा ही प्रारूप तैयार किया गया और उस पर विचार-विमर्श किया गया। हालाँकि, उक्त दलों में कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि उनके निर्वाचन अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों और अधिकारियों को एक सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सहायता की जाए। वर्ष 1967 की शुरुआत में, व्यावहारिक रूप से मद्रास संहिता की तर्ज़ पर ही संहिता तैयार की गयी, जिसे आंध्र प्रदेश में भी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया।

1.5 वर्ष 1968 और 1969 में कई राज्यों में मध्यावधि साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने *"निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियां: निर्वाचन प्रचार और अभियान के दौरान न्यूनतम आचार संहिता के अनुपालन हेतु राजनीतिक दलों से अपील"* शीर्षक से आचरण और व्यवहार के न्यूनतम मानक पर एक दस्तावेज तैयार किया, और इसे प्रत्येक राज्य में आयोजित बैठकों में राजनीतिक दलों के समक्ष रखा।

1.6 निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1971-72 में लोक सभा और कुछ राज्य विधानसभाओं साधारण निर्वाचनों के अगले दौर के समय राजनीतिक दलों को इसी तरह की अपील की गई।

1.7 निर्वाचन आयोग ने दिनाँक 1 जनवरी, 1974 को संशोधित आदर्श आचार संहिता जारी की। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संहिता के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय स्थायी समितियों का गठन करें।

1.8 वर्ष 1977 में भी साधारण निर्वाचन के समय आचार संहिता परिचालित की गई।

1.9 12 सितंबर 1979 को निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दायरे में सत्तापक्ष की भूमिका को लाने के लिए ओर अधिक व्यापक करने हेतु राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया, ताकि वे निर्वाचन में अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग न कर सकें। इस बैठक में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आचार संहिता को संशोधित करने के विचार का समर्थन किया ताकि सतासीन दल की सीमा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। तदनुसार, अक्तूबर 1979 में लोकसभा के साधारण निर्वाचन के समय, निर्वाचन आयोग ने पूर्णतः संशोधित आचार संहिता जारी की, और इसे और अधिक व्यापक बनाते हुए इसे सात भागों में विभाजित किया, और पूरा एक भाग (भाग VII) केंद्र में और राज्यों में सत्तारूढ दल की भूमिका को समर्पित किया।

1.10 हालांकि इस समय तक, आदर्श आचार संहिता दो दशकों से अधिक समय से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में थी, फिर भी यह अपील केवल अनुरोध के रूप में बनी रही और इसका पालन मुख्य रूप से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की भावना पर छोड़ दिया गया। आचार संहिता का कोई उल्लंघन पाये जाने पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा कदाचित ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई हो। 1980 के दशक में, निर्वाचन आयोग में एक विशेष विचार बन रहा था कि सत्तारूढ़ दलों से संबंधित आचार संहिता इसके के भाग-VII के प्रावधानों को कानूनों में शामिल करके उन्हें वैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने इस आशय के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। लेकिन, इस संबंध में सकारात्मक चर्चा के बावजूद संसद में कोई कानून पारित नहीं किया गया।

1.11 वर्ष 1991 का साधारण निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के विकास की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी ऐतिहासिक घटना थी। उस वर्ष, आदर्श आचार संहिता का और आगे विस्तार किया गया और इसे पुनः जारी किया गया। अभी भी इसका 1979 के दस्तावेज़ का स्वरूप बना रहा, हालांकि इसकी विषय-वस्तु, विशेष रूप से इसके भाग-VII में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस निर्वाचन से, निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सक्रिय हो गया। निर्वाचन आयोग ने यह रूख अपनाया कि आदर्श आचार संहिता ठीक उसी दिन से लागू हो, जिस दिन उसके द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जाए। लेकिन इस बात पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बीच असहमति थी। सरकारों का यह विचार था कि आदर्श संहिता तभी लागू हो, जब निर्वाचन की औपचारिक अधिसूचना जारी की जाए।

1.12 वर्ष 1994 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने आदर्श संहिता लागू करने की तारीख के बारे में पहले, कुर्नूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन के दौरान और फिर राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग के रूख को चुनौती दी। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया।

1.13 इस मुद्दे पर एक स्पष्ट मत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में आया। इस मामले में दिसंबर 1996 में, आदर्श आचार संहिता को पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू करने के निर्वाचन आयोग के निदेश के विरूद्ध एक रिट याचिका दायर की गई। निर्वाचन आयोग के निदेश को सही ठहराते हुए, दिनांक 27 मई, 1997 को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा कि निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने की तिथि से पहले अर्थात निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। केंद्र सरकार, जो इस मामले में एक पक्ष थी, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के

फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर की, लेकिन एक बार फिर शीर्ष अदालत द्वारा इस पर कोई ठोस मत नहीं दिया गया।

1.14 इस मुद्दे को हल करने के लिए निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के बीच कई बैठकों के बाद, आखिरकार 16 अप्रैल 2001 को यह सहमति बनी कि आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू होगी, जिस दिन निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा करें, हालांकि इसमें एक शर्त जोड़ी गयी कि आमतौर पर ऐसी घोषणा उस निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 3 सप्ताह से ज्यादा पहले नहीं की जाएगी। यह भी सहमति व्यक्त की गई कि किसी भी पूर्ण परियोजना का उद्घाटन या नई परियोजनाओं का शिलान्यास मंत्रियों/ राजनीतिक पदाधिकारियों के बजाय सिविल अधिकारियों द्वारा किया जाए, ताकि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सार्वजनिक हित को नुकसान न हो। (कृपया अध्याय-23 के मुकदमा नंबर 2 में - भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल और अन्य' में आदर्श आचार संहिता पर ऐतिहासिक निर्णय देखें) तदनुसार, उपरोक्त दोनों आशयों से विशेष रूप से "भाग-VII - सत्ताधारी दल" में प्रावधान करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता में उपयुक्त संशोधन किया गया।

1.15 फरवरी 2014 में, उच्चतम न्यायालय के *एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्यों* के मामले में 5 जुलाई 2013 के फैसले के अनुसरण में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन घोषणापत्र जारी करने को विनियमित करने के लिए आदर्श आचार संहिता में एक अतिरिक्त भाग-VIII जोड़ा गया। (कृपया अध्याय-23 का मुकदमा नंबर 4 देखें- आदर्श आचार संहिता पर ऐतिहासिक निर्णय)

1.16 उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि 1960 के दशक में इसे अपनाए जाने के बाद से आदर्श आचार संहिता का स्वरूप काफी बदला है। एक नाममात्र दस्तावेज़ होने से लेकर, आज यह निर्वाचन आयोग के हाथों में एक प्रभावी और शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हुआ है। अब, न केवल राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बल्कि, सरकारी अधिकारियों को भी आदर्श संहिता के दायरे में लाया गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी हितधारकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर कड़ा रूख अपनाया है। यहां तक कि न्यायपालिका ने भी इस तथ्य को माना है कि आदर्श संहिता के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग सच्ची लोकतांत्रिक भावना से निर्वाचन के दौरान सार्वजनिक नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार उपाय करता रहा है।

****

अध्याय 2

आदर्श आचार संहिता की स्थिति और प्रभाव क्षेत्र

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-</u>

- आदर्श संहिता की स्थिति
- विधि को सक्षम बनाने का प्रावधान
- पूरक अनुदेशों का कार्य-क्षेत्र

2.1 प्रस्तावना

राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता एक लघु किन्तु विशिष्ट दस्तावेज है **(अनुलग्नक-I)**। इसके निम्नलिखित 8 भाग हैं:-

(i) आदर्श आचार संहिता के भाग-I में निर्वाचन अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्तम व्यवहार और आचरण के कतिपय न्यूनतम मानकों पर जोर दिया गया है;

(ii) भाग II और III राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं के आयोजन और जुलूस निकालने से संबंधित हैं;

(iii) भाग IV और V में इस बात का वर्णन है कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को मतदान के दिन और मतदान केंद्रों पर कैसे आचरण करना चाहिए।;

(iv) भाग-VI में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी शिकायतें निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के ध्यान में लाएं, ताकि उन पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके;

(v) भाग-VII सत्ताधारी दलों से संबंधित है। यह भाग, मूलत: आदर्श संहिता की आत्मा है, जो सरकार और उसके मंत्रियों से जुड़े कई मुद्दों से संबंधित है, जैसे कि मंत्रियों का दौरा, सरकारी परिवहन और सरकारी आवास का उपयोग, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं आदि की घोषणाएं।

(vi) नवीन रूप से समाविष्ट भाग-VIII यह में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन घोषणा- पत्र में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा जो संविधान में स्थापित आदर्शों और सिद्धांतों के विरूद्ध हो और यह भी कि यह घोषणा पत्र पूर्णत: आदर्श संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

2.2 आदर्श संहिता की स्थिति

2.2.1 आदर्श संहिता कोई सांविधिक दस्तावेज नहीं है। इसके कई प्रावधान ऐसे है जिसका उल्लंघन करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी कारण से पहले निर्वाचन आयोग का यह मत था कि आदर्श संहिता के प्रावधानों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ दलों से संबंधित प्रावधानों को वाले भाग-VII, को विधि का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

तदनुसार, 1980 के दशक में, निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसे निर्वाचन सुधारों से संबंधित गोस्वामी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया और समिति की सिफारिश पर, सरकार ने दो नई धाराएं नामत: 124 और 126क समाविष्ट करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव लाया, जिससे कि आदर्श संहिता के कुछ प्रावधानों को गैर कानूनी आचरण बनाया जा सके जिसके लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सके, या जुर्माना लगाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि को, न कि निर्वाचन की घोषणा की तारीख को आदर्श संहिता लागू होने की तिथि करना भी था। लेकिन संसद में उन विधेयकों को प्रस्तुत किया गया परन्तु उन्हें पारित नहीं किया गया।

2.2.2 इस बीच, स्थिति बदल गई। विभिन्न परिदृश्यों में निर्वाचन कराने के अपने अनुभव के आधार पर, अब निर्वाचन आयोग का यह तर्क है कि आदर्श संहिता को कानूनी मान्यता देना आयोग का अपना उद्देश्य विफल करना होगा, क्योंकि निर्वाचनों के दौरान, आदर्श संहिता के किसी भी उल्लंघन पर एक त्वरित निर्णय लेना होगा और उपचारात्मक उपाय करना होगा, जो तब तक संभव नहीं हो सकता है जब मामलों को अदालतों में ले जाया जाएगा, और वह मामला एक नियमित न्यायिक प्रक्रिया में जांच का विषय बन जाएगा। यह महसूस किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी न्यायिक घोषणा की प्रासंगिकता नहीं रहेगी, और इसलिए निर्वाचन आयोग ने आदर्श संहिता को वैधानिक मान्यता देने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग बार-बार अपने इस मत को दोहरा रहा है कि यदि सभी प्रावधानों को निर्वाचन अपराधों, या भ्रष्ट आचरण बढ़ा दिया जाता है तो आदर्श संहिता की अपनी पूरी प्रभावकारिता समाप्त हो जाएगी।

2.3 विधि को सक्षम बनाने का प्रावधान

2.3.1 हालांकि आदर्श संहिता की कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विहित इसके कई प्रावधानों में सक्षमकारी कानून हैं। आदर्श संहिता में उल्लिखित निम्नलिखित कदाचारों को भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 'भ्रष्ट आचरण' और 'निर्वाचन अपराध' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है:-

(i) किसी भी गतिविधि में संलिप्तता, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपस में घृणा पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों, के बीच तनाव पैदा करे, लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123(3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

(ii) मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का मंच निर्वाचन प्रचार-प्रसार के रूप में इस्तेमाल करना और मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील करना और दोनों ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) और धारा 125 के अधीन क्रमशः भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध है।

(iii) मतदाताओं को रिश्वत देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अधीन क्रमशः भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है।

(iv) मतदाताओं को डराना-धमकाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135क (ग) के अधीन निर्वाचन अपराध है।

(v) किसी अन्य के नाम से मत डालना मतदाता भारतीय दंड संहिता की धारा 171घ के अधीन निर्वाचन अपराध है।

(vi) मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अधीन निर्वाचन अपराध है।

(vii) मतदान समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त हो रहे 48 घंटों की अवधि के दौरान जन सभाओं का आयोजन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अधीन निर्वाचन अपराध है।

(viii) मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और लाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) और धारा 133 के अधीन क्रमशः भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है।

(ix) किसी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राजनीतिक दल की सभाओं अथवा जुलूसों में बाधा या गड़बड़ी पैदा करना, अथवा दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की अथवा समर्थकों द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या उनमें अपने दल की पर्चियाँ बांटकर अन्य किसी राजनीतिक दलों की सार्वजनिक सभाओं में व्यवधान पैदा करना, अथवा किसी दल द्वारा उन स्थानों से सटे स्थानों पर जुलूस निकालना जिन पर किसी अन्य दल द्वारा सभाएं आयोजित की जा रही हों, अथवा किसी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य किसी दल के पोस्टर को हटाना आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अधीन निर्वाचन अपराध है।

(x) मतदान के दिन और उसके 48 घंटों पहले के दौरान शराब पिलाना या वितरित करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के अधीन निर्वाचन अपराध है।

2.3.2 किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल को उपरोक्त किसी भी कदाचार के संबंध में शिकायत होने पर, वह ऊपर उल्लिखित संगत कानूनों के अंतर्गत कानून का सहारा ले सकता है। चूंकि ये प्रावधान पहले से ही क़ानून में मौजूद हैं, अतः आदर्श संहिता को कानूनी दर्जा दिए जाने के बाद भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

2.4 पूरक अनुदेशों का प्रभाव क्षेत्र

2.4.1 आदर्श संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी की गई है, और इसमें निहित अधिकांश सिद्धांतों को कानूनी मान्यता नहीं है और चूंकि राजनीतिक दलों ने खुद उनका पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए वे इसका सम्मान और अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, जनमत के समर्थन से आदर्श संहिता का पालन सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का नैतिक कर्तव्य है।

2.4.2 इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 324 ने निर्वाचन आयोग को अत्यधिक जिम्मेदारियाँ और अधिकार दिए हैं। जहाँ अधिनियमित कानून में निर्वाचन के संचालन के दौरान किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने का कोई उल्लेख नहीं है या इसके लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, वहाँ निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत समग्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश जारी करने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संचालित हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने *एस. सुब्रमण्यिम बालाजी* मामले में यह टिप्पणी की कि निर्वाचन आयोग निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन के समान अवसर सुनिश्चित कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता भंग न हो, आदर्श आचार संहिता के तहत अनुदेश जारी कर रहा है। निर्वाचन आयोग जिन शक्तियों के तहत इन आदेशों को जारी करता है उनका मूल स्रोत संविधान का अनुच्छेद 324 है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने का अनिवार्य दायित्व सौंपा गया है। (कृपया अध्याय-23 आदर्श आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय का मामला सं. 4 देखें)।

2.4.3 निर्वाचन आयोग ने, जहाँ भी आवश्यक हुआ, उन राजनीतिक दलों या व्यक्तियों के विरूद्ध, कई अनुदेश जारी किए हैं और कार्रवाई की है, जो इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालयों ने समय-समय पर निर्वाचन आयोग के ऐसे निदेशों/कार्रवाईयों को सही ठहराया है। उदाहरण के लिए जून 1993 में, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में कालका विधानसभा क्षेत्र से उप-निर्वाचन को आदर्श संहिता के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसने निर्वाचन आयोग के निर्वाचन को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की और उच्चतम

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इसी प्रकार, वर्ष 2015 में तमिलनाडु विधानसभा के उप निर्वाचन के समय, मिनी बसों पर सत्तारूढ़ दल के प्रतीक जैसे दिखने वाला पत्तियों के चित्रों को ढकने के निर्वाचन आयोग के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने यह माना कि निर्वाचन आयोग का उक्त आदेश अनुच्छेद 324 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

****

अध्याय 3

आदर्श संहिता का प्रवर्तन

अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-

- प्रवर्तन की तिथि
- लागू होने की अवधि
- लागू होने की सीमा
- आदर्श संहिता के अंतर्गत कौन-कौन शामिल है
- क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले आचार संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है
- आदर्श आचार संहिता का विधान सभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग होने पर सत्तासीन सरकार के कार्यवाहक की भूमिका निभाने से पुन: निर्वाचन के बाद नई सरकार के गठन तक लागू होना
- क्या राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यकलाप आदर्श आचार सहिता के अंतर्गत आते हैं

3.1 प्रस्तावना

भारत में राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता, लोकतंत्र के प्रति एकमात्र योगदान है। इससे निर्वाचन के क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने के समान अवसर सुनिश्चित होते हैं, जहाँ सत्तारूढ दल तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब निर्वाचन की घोषणा होने वाली हो। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है, आदर्श संहिता का उद्देश्य यह है कि सत्तारूढ दल द्वारा अच्छा कार्य करने की शक्ति का उपयोग निर्वाचन से ठीक पहले नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि निर्वाचन के दौरान उसे किसी भी प्रकार का लाभ मिले।

3.2 प्रवर्तन की तिथि

आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा के समय और दिन से लागू हो जाती है। आदर्श संहिता लागू होने की तारीख के मुद्दे का अंतिमरूप से समाधान निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के बीच 16 अप्रैल 2001 को हुई सहमति से हो गया है (कृपया अध्याय-23 आदर्श संहिता पर ऐतिहासिक निर्णय का मामला संख्या 2 'भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल' से जुड़ा कार्यालय ज्ञापन देखें)। यह आदर्श संहिता के भाग VII के खंड (vi) से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि जिस समय से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा की जाती है तब से मंत्री और अन्य अधिकारी कतिपय कार्य नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसका *एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले* में दिनांक 05 जुलाई 2013 के निर्णय में समर्थन किया गया जिसमें न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से ही आदर्श संहिता लागू हो जाती है (कृपया अध्याय-23 आदर्श संहिता पर ऐतिहासिक निर्णय का मामला संख्या 4 देखें)। वास्तव में, घोषणापत्र से संबंधित आदर्श संहिता का भाग VIII का संबंध निर्वाचन की घोषणा की तारीख से पहले भी लागू हो सकता है, यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसी घोषणा से पहले घोषणा

पत्र जारी कर दिया जाता है।

3.3 लागू होने की अवधि

लोक सभा साधारण निर्वाचन अथवा राज्य विधान सभा निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार, आदर्श संहिता, निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। उप निर्वाचन के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उप निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद तुरन्त ही आदर्श संहिता हट जाएगी।

3.4 लागू होने की सीमा

3.4.1 आदर्श संहिता, लोक सभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचनों में लागू होती है। यह स्थानीय निकाय, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषदों के निर्वाचन के मामले में भी लागू होती है।

3.4.2 लोक सभा साधारण निर्वाचन या राज्य विधान सभा निर्वाचन के समय, आदर्श संहिता पूरे भारत में या संबंधित राज्य जैसा भी हो, में लागू होती है। उप निर्वाचन के संदर्भ में, यह उस जिले या उन जिलों में ही लागू होती है, जिनके विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हों। कतिपय राज्य सरकारों ने निर्वाचन आयोग से अनुदेशों में समुचित संशोधन करने का अनुरोध किया है क्योंकि उप निर्वाचन के दौरान पूरे जिले में आदर्श संहिता लागू किए जाने से पूरे जिले के विकास कार्य प्रभावित होते हैं जबकि कई बार उस जिले का केवल एक हिस्सा ही निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होता है। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया और आंशिक संशोधन करते हुए यह निदेश दिया कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन होने हैं, उसमें राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगम आते हैं, तो आदर्श संहिता केवल उस विधानसभा क्षेत्र के खण्ड विशेष में ही लागू होगी, न कि पूरे जिले में। अन्य सभी मामलों में, आदर्श संहिता, उस पूरे जिले (उन सभी जिलों) में लागू होगी जिनमें वह निर्वाचन क्षेत्र आता/आते हैं जहाँ उपनिर्वाचन होने वाला है/वाले हैं।

3.5 आदर्श संहिता के अंतर्गत कौन-कौन शामिल है

आचार संहिता के प्रावधान केन्द्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी संगठनों/समितियों, निगमों/आयोगों, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत नियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, अन्य किसी विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। अपनी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए अपने विज्ञापनों के किसी प्रकाशन या नई सब्सिडी, टैरिफों या योजनाओं की घोषणा करने सहित, आचार संहिता में विहित प्रावधानों के उल्लंघन में

थोड़े भी कार्य करने पर आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे और उसे आचार सहिता का उल्लघंन माना जाएगा। **(अनुलग्नक -II)**

3.6 क्या निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा से पहले आचार संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है

निर्वाचन आयोग, आमतौर पर निर्वाचन की घोषणा से पहले आदर्श संहिता के उल्लंघन का संज्ञान नहीं लेता है। इस संबंध में, 2010 में निर्वाचन आयोग के सामने यह मुद्दा आया कि बहुजन समाज दल, जो एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल है, ने सरकारी धन का प्रयोग करके अपने आरक्षित निर्वाचन चिह्न 'हाथी' की प्रतिमाएं बनवाकर आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह निर्वाचन अवधि से इतर अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकारी शक्ति और तंत्र के कथित दुरुपयोग का संज्ञान नहीं ले सकता। निर्वाचन आयोग के रूख को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कॉमन कॉज बनाम बहुजन समाज दल के मामले में चुनौती दी गई। निर्वाचन चिह्न के संबंधी आदेशों के संगत प्रावधानों की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त दल के निर्वाचन चिह्न को अमान्य घोषित किया जा सकता जैसा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सत्तारूढ दलों को गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान भी अपने निर्वाचन चिह्नों अथवा अपने नेताओं की स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसीलिए, निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह कुछ दिशा-निर्देश बनाए।

3.7 आदर्श आचार संहिता का विधान सभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग होने पर सत्तासीन सरकार के कार्यवाहक की भूमिका निभाने से लेकर पुन: निर्वाचन के बाद नई सरकार के गठन तक लागू होना

निर्वाचन आयोग ने विधान सभा के समय से पहले भंग किए जाने के मामलों में, जब किसी कार्यवाहक सरकार को उस राज्य/केंद्र संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए कहा गया हो, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन के प्रयोजन और स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रिया के उद्देश्य से आचार संहिता लागू किए जाने के मामले पर विचार किया है। इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर एस.आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1994) की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, कि कार्यवाहक सरकार को केवल दैनिक शासन के कार्य ही करने चाहिए और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

(i) उपरोक्त स्थिति पैदा होने पर, संबंधित राज्य में आदर्श संहिता के भाग-VII (सत्तारूढ दल) के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ये नई विधान सभा गठित करने के

लिए निर्वाचन पूरा होने तक लागू रहेंगे;

(ii) जहाँ तक उस राज्य से संबंधित मामलों का संबंध हैं, आदर्श संहिता के उपरोक्त भाग-VII के प्रावधान कार्यवाहक राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लागू होंगे;

(iii) परिणामस्वरूप, न तो कार्यवाहक राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार उस राज्य के संबंध में, किसी भी नई योजना, परियोजना आदि की घोषणा करेगी और न ही आदर्श संहिता के उपरोक्त भाग-VII के तहत निषिद्ध कोई भी कार्यकलाप करेगी;

(iv) भाग-VII के तहत अन्य सभी निषिद्ध कार्य, जैसे कि सरकारी संसाधनों का किसी गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग, सरकारी दौरे में निर्वाचन प्रचार कार्य करना आदि, कार्यवाहक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के सभी मंत्रियों एवं अन्य प्राधिकारियों पर लागू होंगे।

3.8 क्या राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यकलाप आदर्श आचार सहिता के अंतर्गत आते हैं

3.8.1 निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक संगठनों, एसोसिएशनों, संगठनों आदि के विरूद्ध इस आशय की शिकायतें मिलती हैं कि वे धार्मिक संगतों, योग शिविरों, सम्मेलनों, सभाओं, जुलूसों आदि का इस्तेमाल प्रचार अभियान के रूप में करके या धर्म का सहारा लेकर या निर्वाचकों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर कतिपय राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के पक्ष में या उनके विरूद्ध निर्वाचकों से अपील करते हैं, जिन पर ऐसी अपील का प्रभाव पड़ता है।

3.8.2 निर्वाचन आयोग ने आदर्श संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान, राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा इस तरह के अभियानों के मामले में अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। (**अनुलग्नक-III**):-

(i) किसी भी व्यक्ति को अपने निर्वाचन अभियान में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने की संभावना हो। ऐसी गतिविधियां/वक्तव्य निषिद्ध है और इन्हें विधि के विभिन्न प्रावधानों, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क, 153ख, 171ग, 295क, और 505(2) तथा धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध माना गया है।

(ii) किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के समान हो

या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण हो या जिससे शालीनता एवं नैतिकता का हनन होता हो।

(iii) जब विभिन्न व्यक्ति और संगठन सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो उनको उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक घोषणा/वचन देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(iv) ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी द्वारा निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उचित कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राज्य और जिला अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में शीघ्र उपयुक्त उपचारात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने अपने वचन का उल्लंघन किया है, को उस निर्वाचन की अवधि के दौरान आगे कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति न दी जाए।

(v) यदि कार्यक्रमों में व्यय किया जाता है और इनका उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों विशेष की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में स्थिति मजबूत करना हो तो व्यय के लिए सम्बंधित प्रत्याशी से पहले ही लिखित में विशेष अनुमति लेनी होगी, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ज के अंतर्गत अपेक्षित है और यह अनुमति 48 घंटों के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को दण्डित करने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए।

****

अध्याय 4

निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू करने हेतु किए गए विशेष उपाय

अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-

- संघ सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त आदर्श आचार संहिता के मामलों में कार्रवाई करने का मानकीकरण
  - ✓ निर्वाचन से संबंधित सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती
  - ✓ निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श संहिता लागू करना
  - ✓ केंद्र सरकार को निदेश
  - ✓ राज्य सरकारों को निदेश
- राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी
- राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में पालन किए जाने हेतु क्या करें और क्या न करें।

4.1 प्रस्तावना

प्रत्येक साधारण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को 'निदेश' जारी करता है, कि वे ऐसी किसी भी बड़ी वित्तीय पहल की घोषणा करने या कोई नई विकास योजना/परियोजना शुरू करने से बचे जिसे सभी राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन के समान अवसर प्रदान करने के विरूद्ध माना जा सके।

4.2 संघ सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त आदर्श आचार संहिता के मामलों में कार्रवाई करने का मानकीकरण

4.2.1 निर्वाचन से संबंधित सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती:- किसी राज्य में साधारण निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, निर्वाचन आयोग ऐसे सभी सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरणों/तैनाती के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन से जुड़े होते हैं, जिनमें राज्य सरकार से पुलिस अधिकारियों सहित ऐसे सभी अधिकारियों को जो अपने गृह जिले में तैनात हैं, के साथ-साथ ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों की अवधि में उस जिले में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, को स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है। (कृपया विस्तृत अनुदेशों के लिए, अध्याय- 19 आदर्श संहिता और सरकारी अधिकारी देखें)

4.2.2 निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श संहिता लागू करना:- निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के मुद्दों पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के बीच बातचीत का सुस्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किया है। जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम का प्रेस-नोट जारी किया जाता है, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनुपालन के लिए अनुदेशों का प्रसार करने और आदर्श संहिता लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने हेतु अनुदेश भेजे जाते हैं।

4.2.3 निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि-

(i) आदर्श आचार संहिता से संबंधित निदेश केवल आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे।

(ii) आरबीआई मौद्रिक नीति के मुद्दों पर निर्बाध रूप से निर्णय लेना जारी रखे।

(iii) वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को किसी भी नीतिगत घोषणाओं, वित्तीय उपायों, कराधान से संबंधित मुद्दों और इस तरह की अन्य वित्तीय राहत के संबंध में निर्वाचन आयोग का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

4.2.4 केंद्र सरकार को निदेश: बेहतर समन्वय के लिए, निर्वाचन आयोग ने मंत्रिमंडल सचिव को निदेश दिये हैं कि:-

(i) भारत सरकार के सभी मामलों जिन्हें मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित हो, को मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, अर्थात मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मामला सीधे निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा जाना चाहिए।

(ii) विभाग, अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, मंत्रालय/विभाग के स्वायत्त निकाय निर्वाचन आयोग को, संबंधित मंत्रालय के माध्यम से मामले प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन आयोग को इन मामलों में कार्रवाई करने हेतु कम से कम 48 घंटे की आवश्यकता होगी, इसलिए मंत्रालयों/विभाग को अनापत्ति हेतु ये मामले पर्याप्त समय रहते भेजने चाहिए।

(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जिसके साथ निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों पर किसी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सके।

4.2.5 वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभा के लिए आयोजित साधारण निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया कि कतिपय मामलों में मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को मामला भेजे बिना ऐसे कुछ निर्णय लिए, जिनमें निर्वाचन वाले राज्यों में निर्वाचन के समान अवसर प्रदान करने पर विपरीत प्रभाव पड़ा। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त की और मंत्रिमंडल सचिव को निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक निदेश जारी करने के लिए कहा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि, जहाँ भी आवश्यक हो, समय रहते निर्वाचन आयोग से सहमति ली जाए।

4.2.6 राज्य सरकारों को निदेश:- इसी प्रकार, निर्वाचन की घोषणा के साथ निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह निदेश देता है कि वे जांच समिति का गठन करें और उसमें समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव और विभाग के सचिव/प्रधान सचिव हों तथा इसका प्रस्ताव अनुमोदन के लिए

निर्वाचन आयोग को भेजें संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग को अपनी विशिष्ट टिप्पणियों के साथ केवल ऐसे प्रस्ताव को अग्रेषित करेंगे, जिसे जांच समिति ने मंजूरी दे दी है। संबंधित विभाग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मूल फाइल को नहीं भेजेगा, बल्कि जांच समिति के माध्यम से केवल एक स्वतः स्पष्ट मामला भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग को ऐसा कोई मामला नहीं भेजेंगे, जिससे निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश विद्‌यमान हैं।

4.3 राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी

4.3.1 आदर्श आचार संहिता में यह प्रावधान है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे, जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा है। इस में यह भी प्रावधान है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी घृणा पैदा करे, या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों के बीच तनाव पैदा करे, और वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक आधार पर कोई अपील नहीं करेगा।

4.3.2 निर्वाचन अभियान के उच्च स्तर बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों को सामान्य एडवाइजरी भी जारी करता रहा है। जब कभी उल्लंघन का कोई मामला निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया, तो उसने इस तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया और संबंधित प्राधिकारियों को चूककर्ता राजनीतिक पदाधिकारियों के विरूद्‌ध आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने का निदेश दिया:-

(i) वर्ष 2004 के साधारण निर्वाचन के समय, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक भाजपा नेता के विरूद्‌ध कथित रूप से साड़ी बांटने के लिए कड़ी नाराजगी व्यक्त की और राज्य प्राधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के तहत उक्त कार्य में शामिल व्यक्तियों के विरूद्‌ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश दिये। इसी तरह, वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा निर्वाचनों में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री के विरूद्‌ध कार्रवाई की गई, जिन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ निर्वाचकों को पैसे बांटते देखा गया।

(ii) वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर पर गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए, राजनीतिक दलों को नोटिस दिया कि आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्‌ध कार्रवाई की जा सकती है। वर्ष 2013 में कर्नाटक विधानसभा के साधारण निर्वाचन में, बेलगाम में एक निजी समारोह में दिए गए एक आपत्तिजनक बयान पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को निर्वाचन

आयोग की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

(iii) वर्ष 2014 के साधारण निर्वाचन के समय, निर्वाचन आयोग ने पाया कि भारतीय जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के समाजवादी दल के एक कैबिनेट मंत्री ने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया है, जिससे शत्रुता व नफरत और द्वेष की भावना बढ़ सकती थी, और इसमें धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा हो सकता था। इसे गंभीरता से लेते हुए, निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दोनों नेताओं के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने और साथ ही उन्हें कोई भी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियाँ, रोड शो आदि करने की अनुमति नहीं देने के निदेश दिए। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोनों की भर्त्सना की। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने बिना शर्त माफी मांगी। इसलिए, निर्वाचन आयोग ने उन्हें दूसरा मौका दिया और राज्य सरकार के प्राधिकारियों को उन्हें सार्वजनिक बैठकें आदि आयोजित करने की अनुमति देने के लिए कहा। चूंकि उक्त राज्य मंत्री ने औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी, अत: उन पर उस साधारण निर्वाचन की पूरी अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक आदि करने पर प्रतिबंध जारी रहा।

(iv) उसी साधारण निर्वाचन में, झारखंड विकास मोर्चा के एक नेता और अभ्यर्थी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चेतावनी जारी की गई, क्योंकि उन्होंने उस निर्वाचन में झारखंड के दुमका में सभी चर्चों को उसे समर्थन देने हेतु लिखित अपील की थी।

(v) इसी तरह, वर्ष 2015 में बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान, जनता दल (यू) के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा के एक स्टार प्रचारक को निर्वाचन प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी गई।

(vi) वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के दौरान, भाजपा के एक वर्तमान सांसद को धर्म के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ बयान देते हुए पाया गया, और निर्वाचन आयोग ने उनकी भर्त्सना की।

4.3.3 वर्ष 2017 में, निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जारी एक परिपत्र में कहा कि यह मूक दर्शक नहीं बना रहेगा और किसी भी उल्लंघन के लिए यह अपनी शक्तियों (**अनुलग्नक-IV**) के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं कि वे राजनीतिक दलों की सभाओं पर पूरी नजर रखें और यह देखने के लिए कार्यक्रमों की वीडियो-ग्राफी करवाए कि क्या राजनीतिक/निर्वाचन उद्देश्य के लिए 'जाति' का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के उपबंध के तहत राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के अभियानों पर भी नजर रखने के निदेश दिये हैं।

4.4 राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन अभियान में पालन किए जाने हेतु 'क्या करें' और 'क्या न करें'

4.4.1 आयोग ने राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के बाद से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची तैयार की है। आयोग ने निदेश दिया है कि इसका राज्य की राजभाषा में यथासंभव व्यापक प्रचार किया जाए और सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को उक्त सूची की जानकारी कराई जाए। **(अनुलग्नक V)**

4.4.2 राजनीतिक दलों को यह अवश्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची केवल उदाहरण के लिए है, (सम्पूर्ण नहीं है) और इसका उद्देश्य संबंधित विषयों पर अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश/अनुदेश की जगह लेना या इनमें संशोधन करना नहीं है और इसका सख्ती से पालन और अनुपालन किया जाना चाहिए।

(क) क्या करें

(i) सभी दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन के समान अवसर सुनिश्चित करना तथा इन्हें सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(ii) निर्वाचनों के दौरान, अन्य राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए।

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और व्यवधानमुक्त घरेलू जीवन का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

(iv) स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रस्तावित सभाओं के आयोजन के स्थल और समय की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सभी आवश्यक अनुमति पर्याप्त समय पहले ले ली जाए।

(v) प्रस्तावित सभा के स्थान पर लागू प्रतिबंध या निषेध आदेश यदि कोई हो, तो उनका पूर्णत: सम्मान किया जाएगा। छूट, यदि आवश्यक हो, के लिए, समय रहते आवेदन किया जाना चाहिए और इसे समय रहते प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) प्रस्तावित सभाओं के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(vii) सभाओं में गड़बड़ी करने वाले या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए।

(viii) किसी भी जुलूस की शुरुआत और समाप्ति का समय और स्थान और इस

जुलूस के मार्ग को पहले ही तय किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से अग्रिम अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(ix) उन स्थानों, जहाँ से जुलूस गुजरना है, में लागू यातायात विनियमों और प्रतिबंध आदेशों का पता लगाना चाहिए और उनका पूर्णत: पालन किया जाना चाहिए।

(x) जुलूस निकलने से यातायात को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

(xi) शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग दिया जाना चाहिए।

(xii) निर्वाचन अभियान में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र लगाना चाहिए।

(xiii) मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और इसमें कोई प्रतीक, अभ्यर्थी या दल का नाम नहीं होगा।

(xiv) अभियान अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों के चलन पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

(xv) निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत या समस्या निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक/रिटर्निंग आफिसर/ जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाई जाएगी।

(xvi) निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निदेशों/आदेशों/अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(xvii) यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता नहीं हैं, तो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

(xviii) राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति/कंपनी/संस्था को एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान नकद में न किया जाए, सिवाय उन स्थानों के जहां:

(क) भुगतान ऐसे गाँव या कस्बे में किया जाता है, जहाँ कोई बैंक सुविधा नहीं है।

(ख) भुगतान किसी भी कर्मचारी या दल के पदधारी को वेतन, पेंशन या उसके व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है;

(ग) किसी भी कानून के तहत नकद भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(ख) क्या न करें

(i) किसी भी सरकारी कामकाज में प्रचार अभियान/निर्वाचन अभियान नहीं किया जाना चाहिए।

मतदाता को कोई प्रलोभन, वित्तीय लाभ या अन्यथा कुछ नहीं दिया जाएगा।

(ii) निर्वाचकों की जाति/सम्प्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।

(iii) ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी, जिससे विभिन्न जातियों/समुदायों/धार्मिक/ भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों अथवा उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो सकते हों।

(iv) दूसरे दल के किसी भी नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू पर, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं, के बारे में अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं को आलोचना नहीं करने दी जाएगी।

(v) असत्यापित आरोपों के आधार पर या बयान को तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।

(vi) मंदिरों/मस्जिदों/चर्चों/गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का भाषण, पोस्टर, संगीत आदि या निर्वाचन संबंधी कार्यों सहित निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(vii) मतदान में ऐसी गतिविधियां निषिद्ध है जिन्हें भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना गया है जैसे रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना मतदाताओं को धमकाना, किसी अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय को समाप्त 48 घन्टे की अवधि के दौरान जनसभा करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र ले जाना और लाना।

(viii) किसी व्यक्ति के मत के विरोध स्वरूप उसके घर के समक्ष प्रदर्शन या धरना या कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

(ix) निर्वाचन के दौरान निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने और निर्वाचन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि वे नकद लेनदेन से बचें और अपने पदाधिकारियों, अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों को भारी मात्रा में नकदी न ले जाने का निर्देश दें।

(x) अन्य राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी।

(xi) जहाँ अन्य दल सभाएं कर रहे हों उस स्थान पर जुलूस नहीं निकाले जाएंगे।

(xii) जुलूस में शामिल व्यक्तियों को ऐसी कोई भी वस्तु साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिनका मिसाइल या हथियार के रूप में दुरुपयोग हो सकता है।

(xiii) अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाया या खराब नहीं किया जाएगा।

(xiv) मतदान के दिन, मतदान स्थल पर या मतदान केंद्रों के पास पहचान पर्ची

वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

(xv) लाउडस्पीकर, चाहे स्थिर हों या चलते वाहनों पर हों, का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जाएगा।

(xvi) संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों में लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आम तौर पर, ऐसी सभाओं/जुलूसों को रात में 10.00 बजे के बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये स्थानीय कानूनों, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय अपेक्षाओं और मौसम, त्योहारों, परीक्षा अवधि आदि जैसे अन्य प्रासंगिक बातों के अधीन होगी।

(xvii) निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए।

****

अध्याय 5

नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषयः</u>

- समेकित दिशानिर्देश
- वार्षिक बजट की प्रस्तुति
- विवेकाधीन निधि और सांसद/विधायक के एलएडीएस से वित्तीय अनुदान/रियायतें /राहत/ सब्सिडी के भुगतान की घोषणा
- सांविधिक अपेक्षा के नियमित वित्तीय मामलों हेतु अनुमति
- राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूलियों और डूबे कर्जों को माफ करना
- तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध
- अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर प्रतिबंध के मामलें

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 निर्वाचनों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के तहत नई योजनाओं/परियोजनाओं की घोषणा पर तथा साथ ही नई राहत देने पर भी रोक है। निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि मंत्री और अन्य प्राधिकारी

✓ किसी भी रूप में, किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे, या,

✓ उनके वायदे नहीं करेंगे, या,

✓ किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला आदि नहीं रखेंगे; या,

✓ सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधा आदि का कोई वायदा नहीं करेंगे,

जिनका उद्देश्य सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना हो।

5.1.2 वर्ष 1993 में, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा राज्य में कालका विधानसभा क्षेत्र में हुए एक उप-निर्वाचन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कुछ नई विकास योजनाओं की घोषणा कर दी गई। लगभग इसी समय, निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु राज्य के रानीपेट विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन को भी रद्द कर दिया, जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री ने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा कर दी।

5.1.3 निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता की शिकायतों के सत्यापन के मामले में अवलोकन हेतु निर्वाचनों की घोषणा होने के 72 घंटे के भीतर उन कार्यों की सूची प्राप्त कर ली जाए, जो पहले ही आरंभ किए जा चुके हों और ऐसे नए कार्य जो अभी तक शुरु नहीं किए गए हों।

5.1.4 ये आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध नई योजनाओं और साथ ही चल रही योजनाओं पर भी लागू होते हैं। किंतु जनोपयोगी योजनाओं, जो पूरी होने की अवस्था में हैं, को चालू न करने के लिए या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिए जाने के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने का बहाना नहीं दिया जा सकता है। सिविल प्राधिकारियों द्वारा किसी धूमधाम

अथवा समारोह के बिना तथा राजनीतिक लोगों को बुलाए बिना ऐसी स्कीमों का चालू किया जा सकता है, यद्यपि राजनीतिक लोग साधारण प्रतिभागियों के तौर पर समारोहों में भाग ले सकते हैं। मार्च-अप्रैल 1994 में केरल में एक उप-निर्वाचन में, निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों पर, केरल में त्रिशूर और गुरुवयूर के बीच एक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया जाना था, किंतु उसे रेलवे अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2018 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचनों में रक्षा मंत्रालय से एक मामला प्राप्त हुआ कि रक्षा मंत्री बेंगलुरु प्लान्ट के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे तथा मेट्रो ट्रेन का पहला सैट अध्यक्ष, कोलकाता मेट्रो रेल निगम को सौंपेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंत्रालय को निर्देश दिए कि उक्त समारोह में किसी सरकारी अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए और अन्य मानक शर्तों के साथ यह समारोह आयोजित किया जाए।

5.1.5 जहाँ पूर्ण हो चुके कार्य का भुगतान करने के लिए निधि की आवश्यकता हो, वहाँ उक्त निधि जारी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2013 में कर्नाटक विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों के दौरान, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री को प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप कर्नाटक सरकार को 26 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी दिए जाने की अनुमति दी गई, किंतु यह निधि जारी करने के लिए किसी प्रकार के प्रचार की मनाही की गई थी। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 'वार्षिक योजना 2012-13 के लिए एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' के तहत किसी प्रचार के बिना 15 करोड़ रु. का शेष अनुदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।

5.2 समेकित दिशानिर्देश

5.2.1 वर्ष 2009 में लोक सभा और कुछ राज्यों की विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों के दौरान, मानवीय आधार पर अनुदेशों में छूट दिए जाने के लिए कुछ राज्य सरकारों के आग्रह पर, निर्वाचन आयोग ने अपने वर्तमान अनुदेशों पर पुनर्विचार किया और जहाँ आवश्यक हुआ, 5 मार्च 2009 को आशोधनों अथवा स्पष्टीकरणों के साथ समेकित दिशानिर्देश जारी किए **(अनुलग्नक-VI)**। ये दिशानिर्देश विस्तृत रूप में नीचे दिए गए हैं :

<u>वित्तीय मामले</u>

(i) आदर्श आचार संहिता से संबंधित निदेश केवल आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे।

(ii) मंत्रिमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी को निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों को अनुपालनार्थ दोहराना चाहिए तथा इनका प्रसार करना चाहिए।

(iii) निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले सभी सरकारी मामले जहां तक हो सके मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(iv) जहाँ तक राज्य सरकारों से मामलों का संबंध है, उन्हें जांच समिति की अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक, की मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों पर निर्बाध रूप से निर्णय लेना जारी रख सकता है।

(vi) वित्त मंत्रालय को किन्हीं नीतिगत घोषणाओं, वित्तीय उपायों, कराधान संबंधी मुद्दों और ऐसी अन्य वित्तीय राहत के लिए निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी किसी राहत अथवा लाभ की घोषणा से पूर्व निर्वाचन आयोग का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

(vii) **निर्वाचन आयोग को मामला भेजे बिना** सरकारी एजेंसियों द्वारा निम्न प्रकार के विद्यमान कार्य जारी रखे जा सकते हैं :

(क) वे निर्माण-परियोजनाएं, जो समस्त आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद वास्तव में आरंभ की जा चुकी हों;

(ख) वे लाभार्थी-परियोजनाएं, जहाँ आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले विशिष्ट लाभार्थियों की उनके नाम से पहचान की गई हो;

(ग) मनरेगा के पंजीकृत लाभार्थी विद्यमान परियोजनाओं में शामिल किए जा सकते हैं। 'मनरेगा' के अंतर्गत नई परियोजनाएं जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपा जा सकता है, को तभी शुरु किया जाएगा, जब यह पहले से ही पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हो और परियोजना को पहले ही उन परियोजनाओं की अनुमोदित और स्वीकृत सूची में रखा गया हो, जिनके लिए पहले ही निधि का निर्धारण भी किया जा चुका हो।

(घ) किसी कार्य के पूर्ण हो चुके हिस्से के लिए निधि जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हो और वित्त विभाग की मंजूरी ली जाती हो;

(ङ) निर्वाचन आयोग को मामला भेजे बिना व्यक्तिगत रोगियों (लाभार्थियों) को सीधे नकद भुगतान के बदले अस्पतालों को मुख्य मंत्री राहत कोष/प्रधान मंत्री राहत कोष से सीधे भुगतान करने की अनुमति होगी;

(viii) निम्नलिखित प्रकार के नए कार्यों (चाहे लाभार्थी से जुड़े हों या कार्य से) को

निर्वाचन आयोग की सूचना के तहत केवल इस परिस्थिति में शुरू किया जा सकता है, जब वे आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले विशेष शर्तों को पूरा करते हैं (किसी भी शर्त के पूरा नहीं होने की स्थिति में, निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा)।

(क) पूरे वित्त पोषण की व्यवस्था हो गई हो;

(ख) प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंजूरी प्राप्त की गई हो;

(ग) निविदा आमंत्रित की गई है कि मूल्यांकन किया जा चुका है, और कार्य सौंपा जा चुका है;

(घ) यदि अनुबंध के तहत किसी निश्चित समय सीमा के भीतर काम शुरू करने और समाप्त करने का दायित्व हो और ऐसा न होने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाने की बाध्यता हो; और

(ङ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सीधे और पूरी तरह से आकस्मिक राहत कार्य और उपाय, उनके कष्टों को कम करने के उद्देश्य से किए जाने हो तो इन्हें निर्वाचन आयोग को सूचना देकर किया जा सकता है;

(ix) निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों के लिए **निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति** अपेक्षित होगी:

(क) नए कार्यों और परियोजनाओं को किसी भी तरह की विवेकाधीन निधि से नहीं कराया जा सकता है। (इस संदर्भ में, विवेकाधीन विधि में वे निधियाँ शामिल हैं, जिनका बजट में मूल रूप से प्रावधान किया जाता है और जिसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कोई चिन्हित और स्वीकृत परियोजना मौजूद न हो);

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में चल रहे उपक्रमों का पुनरूद्वार करने, सरकार द्वारा उद्यमों का अधिग्रहण करने आदि के प्रस्ताव (या इसी तरह का कोई भी नीतिगत निर्णय) नहीं लाए जा सकते हैं;

(ग) शराब के ठेकों की नई नीलामी भी नहीं की जा सकती है, भले ही वार्षिक नीलामी का समय आदर्श आचार संहिता की अवधि के ही भीतर हो। जहाँ आवश्यक हो, सरकार को अपने संबंधित कानूनों में प्रावधान किए अनुसार अंतरिम व्यवस्था करनी चाहिए;

(घ) किसी भी मौजूदा परियोजना/योजना/कार्यक्रम के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है;

(ङ) सरकार द्वारा किसी भी निकाय उद्यमी, चाहे वह व्यक्ति हो अथवा उपक्रम, को कोई भूमि आवंटित नहीं की जाएगी; और

(च) समझौता ज्ञापन अथवा किसी करार पर हस्ताक्षर के लिए जहाँ सरकार

एक पक्षकार हो भी निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(छ) वैश्विक निविदाओं को छोड़कर वे निविदाएं, जो पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हों, का मूल्यांकन किया जा सकता है किंतु उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। यदि ये आमंत्रित नहीं की गई हों, तो इन्हें निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

(ज) जहाँ कार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किए जाने हैं या समारोह आयोजित किए जाने हैं, वहाँ निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति ली जाएगी।

(झ) आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए अनुग्रह-राशि, कल्याण स्वरूप राहत, जो वर्तमान में लागू दरों अथवा सहायता के मानकों के अनुसार हो, निर्वाचन आयोग को सूचना देते हुए प्रभावित व्यक्तियों को सीधे दी जा सकती है। लेकिन भुगतानों के मौजूदा और निर्धारित मानकों में कोई बदलाव, निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा;

(ञ) हालाँकि, प्राकृतिक आपदाओं के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए, निवारक उपायों के माध्यम से आवश्यक समझे जाने वाले नए कार्यों जैसे कि तटबंधों, जल प्रवाह आदि की मरम्मत को निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से ही कराया जा सकता है;

(ट) साथ ही, निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी क्षेत्र को सूखा या बाढ़ प्रभावित या ऐसी किसी आपदा से प्रभावित घोषित नहीं किया जाएगा। पहले से ही घोषित आपदा प्रभावित क्षेत्र की सीमा का विस्तार निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता है; और

(ठ) इसी तरह, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से व्यक्तियों के समूह को चुनकर कोई भी सहायता देने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(x) वैश्विक निविदाएं जो पहले से ही आमंत्रित की गई हैं, और जिनमें इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा तय हो, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। वैश्विक निविदाओं को छोड़कर अन्य निविदाएं, जो पहले से आमंत्रित की गई हैं, का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा

सकता। यदि उन्हें पहले से ही आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

(xi) कोई भी कार्य (किसी भी राहत कार्य सहित) या विकास गतिविधि शुरू करते समय किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को शामिल करके भी औपचारिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। स्वस्थ परम्परा के रूप में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में भी सामान्य समारोह कम से कम किया जाना चाहिए।

(xii) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती अथवा नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

5.2.2 आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए, इन दिशानिर्देशों को दोहराया जा रहा है और इन्हें आवश्यक अतिरिक्त प्रावधानों/स्पष्टीकरणों के साथ जारी किया जा रहा है।

5.3 वार्षिक बजट की प्रस्तुति

5.3.1 देश में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार का बजट संसद में फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की विधान सभाओं के सम्मान में और परंपरा तथा औचित्य के दृष्टिगत वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं अथवा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, यद्यपि वर्ष 2009 के साधारण निर्वाचनों के समय सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई थी। **(अनुलग्नक VII)**।

5.3.2 इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट और विशिष्ट दिशानिर्देश न होने से, विभिन्न निर्वाचनों के दौरान भिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। विगत में विभिन्न अवसरों पर, वार्षिक बजट की प्रस्तुति आस्थगित कर दी गई। जनवरी 2000 में, निर्वाचन आयोग ने बिहार और ओडिशा विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व बिहार विधान सभा का सत्र पहले ही आहूत था और यह सत्र 10 जनवरी, 2000 से शुरू होना था। उस सत्र के दौरान, राज्य का बजट पेश किया जाना था। हालांकि, राज्य सरकार ने रात में ही उक्त सत्र में बजट पेश या लेखानुदान प्रस्तुत न करने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि सत्र के उद्घाटन के दिन राज्य के राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण को काफी छोटा कर दिया गया ताकि पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों अथवा आगामी वर्ष में किसी भी नई योजना अथवा कल्याणकारी उपायों की घोषणा के जिक्र से बचा जा सके।

5.3.3 कुछ मामलों में, राज्य सरकारों और यहाँ तक कि संसद द्वारा भी पूर्ण बजट पेश करने के बजाय, 3-4 माह के लिए केवल लेखानुदान पेश किया गया।

5.3.4 जनवरी-मार्च 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने इस निदेश के साथ केन्द्र सरकार को बजट पेश करने की अनुमति प्रदान की कि राष्ट्रीय बजट में किसी राज्य विशिष्ट योजना की घोषणा नहीं की जाएगी जिससे कि उन पांच निर्वाचनरत राज्यों में निर्वाचक, सत्ताधारी दलों के पक्ष में प्रभावित न हो सके और बजट अभिभाषण में किसी भी रूप में उक्त पांच राज्यों की सरकारों की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। सरकार से यह भी आशा की गई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मार्च, 2009 के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2009-सीसीएंडबीई में दिए गए परामर्श को सरकार द्वारा बजट पेश करते समय पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा (**अनुलग्नक VII**)। वर्ष 2018 में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने और तत्संबंधी कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान की।

5.4 वित्तीय अनुदान/रियायतों/राहत/सब्सिडी की घोषणा

5.4.1 निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे कार्यों के संबंध में सर्वदा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है जो मानव सृजित तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक हो जाते हैं। आयोग आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने अथवा सूखे, बाढ़, महामारियों, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने अथवा वृद्धों, अशक्त व्यक्तियों इत्यादि के लिए कल्याणकारी उपायों की स्कीमों के अनुमोदन से मना नहीं करता है। तथापि, इन मामलों में, निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए और किसी भी आडम्बरपूर्ण समारोह से पूर्णतया बचा जाना चाहिए तथा यह नहीं दिखाया जाना चाहिए अथवा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे कल्याणकारी उपाय अथवा राहत और पुनर्वास कार्य सत्ताधारी सरकार द्वारा अपने दल के पक्ष में निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं।

5.4.2 निर्वाचन आयोग ने निदेश (**अनुलग्नक VI**) दिए हैं कि:

(i) आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए अनुग्रह-राशि, कल्याण स्वरूप राहत, जो वर्तमान में लागू दरों अथवा सहायता के मानकों के अनुसार हो, निर्वाचन आयोग को सूचना देते हुए प्रभावित व्यक्तियों को सीधे दी जा सकती है। लेकिन भुगतानों के मौजूदा और निर्धारित मानकों में कोई बदलाव, निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा;

(ii) निर्वाचन आयोग को चिकित्सा उपचारों के लिए प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री राहत कोष से धनराशि जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि उसके

लाभार्थियों/रोगियों का चयन संबंधित सरकारी अधिकारियों/संबंधित निजी अस्पतालों के प्रमुखों द्वारा किया जाता हो। मुख्य मंत्री/प्रधान मंत्री राहत कोष से, व्यक्तिगत रोगियों (लाभार्थियों) के लिए सीधे नकद भुगतान के बजाय अस्पतालों को सीधा भुगतान निर्वाचन आयोग को मामला भेजे बिना अनुमत्य होगा।

(iii) आपदा में प्रभावित व्यक्तियों को आकस्मिक राहत कार्य और उपाय, जो सीधे और पूरी तरह से, उनके कष्टों को कम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग को सूचना देकर किए जा सकते हैं।

(iv) हालाँकि, प्राकृतिक आपदाओं के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए, निवारक उपायों के माध्यम से आवश्यक समझे जाने वाले नए कार्यों जैसे कि तटबंधों, जल प्रवाह आदि की मरम्मत को निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से ही कराया जा सकता है;

(v) साथ ही, निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी क्षेत्र को सूखा या बाढ़ प्रभावित या ऐसी किसी आपदा से प्रभावित घोषित नहीं किया जाएगा। पहले से ही घोषित आपदा प्रभावित क्षेत्र की सीमा का विस्तार निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता है; और

(vi) इसी तरह, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से व्यक्तियों के समूह को चुनकर कोई भी सहायता देने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(vii) मंत्री तथा अन्य प्राधिकारी अपनी विवेकाधीन निधि से अनुदान/भुगतान स्वीकृत नहीं करेंगे।

5.4.3 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य का क्रियान्वयन: वर्ष 2004 के साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग द्वारा उन क्षेत्रों में राहत कार्यों के क्रियान्वयन के निम्नलिखित तौर-तरीके को अनुमोदित किया गया, जो “सूखा प्रभावित” घोषित किए गए थे (**अनुलग्नक VIII**):-

(i) तत्काल राहत उपायों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा सूखा राहत कार्य केवल उन क्षेत्रों के लिए किए जाएंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आपदा राहत निधि के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मापदण्डों के भीतर "सूखा प्रभावित" घोषित किया गया हो। निर्वाचनों की घोषणा के बाद ऐसे "सूखा प्रभावित" क्षेत्रों की सूची में किसी अतिरिक्त क्षेत्र/गाँव को शामिल किया जाना भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय राहत कोष के तहत ऐसी निधियों के प्रचालन के लिए सहायता मांगने की उचित प्रक्रिया का

अनुपालन करने के बाद निर्वाचन आयोग की पूर्व सम्मति प्राप्त किए जाने के ही अध्यधीन होगा।

(ii) सूखा प्रभावित घोषित क्षेत्रों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, निर्वाचन आयोग ने अनंतिम रूप से निम्नलिखित उपायों का अनुमोदन किया:-

(क) पानी के टैंकरों द्‌वारा पेयजल की व्यवस्था।

(ख) अभावग्रस्त क्षेत्रों में मौजूदा बोर-वेल/डग-वेल के सूख जाने के कारण उनमें बोर-वेल और डग-वेल की खुदाई करना।

(ग) आपदा राहत कोष योजना में पहले से विहित तंत्र के अनुसार सहायताहीन निराश्रितों तथा कार्य पर न जा सकने वाले लोगों के बीच वितरण के लिए निर्धारित दरों पर चावल/गेहूं की व्यवस्था।

(घ) मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था।

(ङ) मजदूर रोजगार संबंधी नए कार्य (कार्य के लिए भोजन आदि) जहाँ इस तरह के मौजूदा कार्य पूरे हो गए हैं।

(iii) सरकार के किसी भी मंत्री या राजनीतिक पदधारी को किसी भी क्षमता में चाहे पर्यवेक्षीय हो या अन्यथा, सूखा राहत कार्यों के प्रबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) पूरे राहत कार्य किसी भी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों और/या गैर सरकारी-अधिकारियों को शामिल किए बगैर, मण्डल, जिला और तालुक/उप-जिला प्रशासन द्‌वारा किया जाएगा।

5.5 विवेकाधीन निधि और सांसद/विधायक के एलएडीएस से भुगतान

5.5.1 संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) की संवैधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय में *भीम सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य* मामले में प्रश्न उठाया गया था। यह दलील दी गई थी कि मौजूदा संसद सदस्यों को स्कीम से इस हद तक अनुचित लाभ मिलते हैं कि वे अपने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए उन्हें उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकते हैं। तथापि उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और यह टिप्पणी की कि संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधि का खर्च किया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों तथा निर्वाचन आयोग के विनियमों के अध्यधीन है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने निदेश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी। जहाँ कहीं स्कीम के अंतर्गत कोई स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी हो, किंतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने के समय जमीन पर कार्य की शुरुआत नहीं की गई हो, तो निर्वाचन

के पूरा होने तक उक्त कार्य शुरू नहीं किया जाएगा और उसे निष्पादित नहीं किया जाएगा।

5.5.2 संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के तहत धनराशि जारी करना निम्नलिखित प्रतिबंधों (**अनुलग्नक IX**) के अध्यधीन होगा:-

(i) संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत (राज्य सभा के सदस्यों सहित) देश के किसी भी हिस्से में, जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया जारी हो, कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत, यदि कोई ऐसी स्कीम चल रही हो, तो निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

(ii) आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि से पूर्व ऐसा कोई कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा, जिसके लिए कार्य आदेश जारी हो चुके हों किंतु फील्ड कार्य वास्तव में शुरु नहीं हुआ हो। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही शुरु किए जा सकते हैं। तथापि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरु हो चुका हो, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

(iii) पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए भुगतान राशि जारी करने पर कोई रोक नही होगी, बशर्ते संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों में पूर्णतया संतुष्ट होते हों।

(iv) जहाँ योजनाओं को मंजूर कर दिया गया है और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है अथवा जारी कर दी गयी है और सामग्रियों का प्रापण किया जा चुका है और ये स्थल तक पहुँच गई हैं, तो इसे कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

5.6 सांविधिक अपेक्षा के नियमित वित्तीय मामलों हेतु अनुमति

निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक राज्य विधान सभा, 2018 के साधारण निर्वाचनों के दौरान मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत मानक शर्तों के अध्यधीन मजदूरी दरों में संशोधन की अनुमति दी, क्योंकि यह एक वार्षिक व्यवस्था है और इसमें कोई नई नीति शामिल नहीं है। इसी प्रकार, जीएसटी परिषद् संबंधी समिति की बैठक में की गई सिफारिश पर अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी गई क्योंकि उक्त वित्तीय मामला पूरे भारतवर्ष से संबंधित होने के साथ ही सांविधिक अपेक्षा का था। इसी प्रकार, निर्वाचन आयोग ने ईपीएफ की क्रेडिट दर को बढ़ाने तथा ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा संदेय प्रशासनिक प्रभारों की दरें कम करने की अनुमति भी प्रदान की।

5.7 राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूलियों और डूबे कर्जों को माफ करना

निर्वाचन आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य सरकारों द्वारा जो वित्तीय संस्थान आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं, उन्हें किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म इत्यादि को निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति के बिना आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान ऋण माफी नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार, इन वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देते समय उनका जिन वित्तीय सीमाओं का पालन किया जाना होता है, उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान लाभार्थियों को बेहिसाब ढंग से ऋण जारी करते हुए बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

प्रशासनिक मामले

5.8 तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध

5.8.1 आदर्श आचार संहिता में यह कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि के दौरान सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं, जिससे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावित हों सकते हैं।

5.8.2 निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियों/नियमित भर्ती/पदोन्नतियों अथवा विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर नियमित पदोन्नतियों पर कोई आपत्ति नहीं होती है। किंतु कतिपय मामलों में, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत चयन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से की गई नियमित नियुक्तियों को भी निर्वाचनों के पूरे होने के बाद तक टाला गया है।

5.8.3 गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से पहले अनापत्ति लेना आवश्यक होगा। सामान्यतः, जब कभी आयोग को यह लगता है कि मामला अति तात्कालिकता का नहीं है और उसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है, तो आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है कि फिलहाल ऐसी नियुक्तियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए नियुक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्षों में आयोजित निर्वाचनों के दौरान स्थगित किए गए वे इस प्रकार थे:-

(i) दिल्ली शहरी कला आयोग का पुनर्गठन,

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड वन्यजीवन का पुनर्गठन,

(iii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड का ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन प्राधिकरण में पुनर्गठन,

(iv) निजी व्यक्तियों का चार नए राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थानों की शासी परिषदों के

अध्यक्ष के रूप में नामांकन,

(v) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य की नियुक्ति,

(vi) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति,

(vii) सीबीएफसी के क्षेत्रीय केंद्रों में सलाहकार पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और

(ix) केंद्रीय रेशम बोर्ड के तीन गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन।

5.9 अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर प्रतिबंध के उदाहरण

5.9.1 निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1998 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय कुछ राज्य सरकारों द्वारा 'अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी)' और लोगों की ऐसी अन्य विशेष श्रेणियों की सूचियों में आशोधन किए जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इससे यह समझा जाता है कि ऐसा मतदाताओं के कतिपय वर्गों को प्रभावित करने और सत्ताधारी दलों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

5.9.2 इसी प्रकार, अक्तूबर, 2004 में जब कुछ राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन चल रहे थे केन्द्र सरकार द्वारा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

5.9.3 इसी तरह, निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 और 2005 में क्रमशः मध्य प्रदेश और हरियाणा उक्त राज्य सरकारों में राज्यों की विधान सभाओं के लिए होने वाले साधारण निर्वाचनों से ठीक पहले सरकारों के कुछ नए जिलों के सृजन के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया।

****

अध्याय 6

सरकारी राजकोष की लागत से विज्ञापनों का प्रकाशन

अध्याय में चर्चित मुख्य विषय:-

- उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश
- समेकित दिशानिर्देश
- सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापनों और होर्डिंग का प्रदर्शन
- ऐसे राज्यों में विज्ञापनों का प्रकाशन, जहाँ मतदान न हो रहा हो
- विशेष अवसरों/दिवसों के संबंध में विज्ञापनों का प्रकाशन
- विभिन्न राज्यों में आधार से संबंधित प्रचार जारी रखे जाना

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 निर्वाचनों के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर सरकारी धनराशि का इस्तेमाल निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। सरकारी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य सरकारी धनराशि का उपयोग जनता को उनके अधिकारों, दायित्वों और पात्रताओं की जानकारी देने के साथ-साथ सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं और पहलों को स्पष्ट करना है। किंतु सामान्य परिपाटी यह है कि सरकारी खर्च पर सड़कों के किनारे बड़े-बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगाए जाते हैं, जिनमें सांसदों और विधायकों की स्थानीय विकास निधि से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में उनके फोटोग्राफ के साथ जानकारी दी जाती है।

6.1.2 आदर्श संहिता सरकारी राजकोष के व्यय पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में विज्ञापन जारी करने और निर्वाचनों में सत्ताधारी दल की जीत की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उस दल की उपलब्धियों के संबंध में राजनैतिक खबरों और प्रचार-प्रसार के पक्षपात पूर्व कवरेज के लिए सरकारी मीडिया के दुरूपयोग पर रोक लगाती है।

6.1.3 वर्ष 2004 के दौरान संसदीय निर्वाचनों में, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या ऐसे सभी बोर्डों और होर्डिंग को हटाया जाना चाहिए। उन्हीं निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अनुदेश दिए थे कि राज्य सरकारों द्वारा निर्वाचन के ठीक पहले लगाए गए सभी प्रचार संबंधी होर्डिंग जिनमें उनकी उपलब्धियों को उजागर किया गया है, हटा दिए जाएं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के फोटोग्राफ को उपयुक्त तरीके से ढक दिया जाए। यही अनुदेश प्रधानमंत्री की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नई आधारशिला रखे गए या सुधारे गए मुख्य राजमार्गों पर प्रचार बोर्डों पर प्रदर्शित प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ के मामले में लागू किया गया था।

6.1.4 निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि जिन राज्यों में मतदान होने हैं, वहाँ के समाचार पत्रों में प्रकाशित केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले विज्ञापनों को निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

6.1.5 वर्ष 2009 के साधारण निर्वाचनों में, निर्वाचन आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा केनरा बैंक द्वारा कुछ समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर विचार किया और पाया कि उनमें बताई गई उनकी उपलब्धियां आदर्श संहिता का उल्लंघन थीं, अतः बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई।

6.1.6 वर्ष 2013 में कर्नाटक विधानसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित विश्व व्यापार सम्मेलन से संबंधित कुछ टेलीविजन स्पॉट्स और विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। सरकार को आंध्र प्रदेश में टेलीविजन चैनलों पर प्रस्तावित टेलीविजन स्पॉट्स का प्रसारण करने तथा साथ ही विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि इसमें राजनीतिक नेताओं के फोटो वाली स्लाइडों को हटा दिया जाए और विज्ञापनों के साथ प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूनाइटेड प्रोगेसिव अलायंस) के अध्यक्ष के फोटोग्राफ उन समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएं, जो कर्नाटक राज्य में प्रकाशित/ परिचालित होते हैं।

6.1.7 वर्ष 2015 में तमिलनाडु विधान सभा के एक उप-निर्वाचन के समय, निर्वाचन आयोग ने राज्य में चलने वाली मिनी बसों पर प्रदर्शित सत्ताधारी दल के प्रतीक से मिलती-जुलती पत्तियों की पेंटिंग्स को कवर करने का आदेश जारी किया था। मद्रास उच्च न्यायालय, जिसके समक्ष निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी, ने निर्णय दिया कि संदर्भित आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के हित में जारी किया गया था और यह कि इसमें किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित नीतिगत निर्णय का निषेध नहीं किया गया था और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह आदेश निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में था।

6.2 उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

6.2.1 निर्वाचनों के दौरान सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए समुचित दिशानिर्देश देने हेतु उच्चतम न्यायालय ने 'सामान्य हित' की एक याचिका पर विचार करने हेतु वर्ष 2014 में एक समिति का गठन किया। समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर, संसद/सरकार द्वारा समुचित नीति बनाए जाने तक, उच्चतम न्यायालय ने 13 मई 2015 को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का सार इस प्रकार है:

(i) प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को अवश्य ही वस्तुनिष्ठ भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह राजनीतिक विवादों अथवा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से मुक्त हो।

(ii) सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक तटस्थता बनाए रखी जानी चाहिए और राजनीतिक व्यक्तियों के गुणगान तथा सत्ताधारी दल की सकारात्मक छवि का महिमामंडन करने अथवा सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाले दलों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जाना चाहिए।

(iii) विज्ञापन की सामग्री में निम्नलिखित नहीं होना चाहिए -

(क) सरकार में दल का नाम से उल्लेख करना;

(ख) विपक्ष में दूसरों के विचारों या कार्यों पर सीधे हमला करना;

(ग) किसी भी दलीय/राजनैतिक प्रतीक या लोगो या ध्वज को शामिल करना;

(घ) निर्वाचन के लिए किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी के पक्ष में जन समर्थन को प्रभावित करना;

अथवा

(ङ) राजनीतिक दलों या राजनेताओं की वेबसाइटों के लिंक का संदर्भ देना;

(iv) सरकारी विज्ञापन सामग्री में राजनीतिक नेताओं के फोटोग्राफ नहीं डाले जाने चाहिए और यदि सरकारी संदेश में ऐसा करना अनिवार्य समझा जाए, तो केवल राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ ही उपयोग में लाए जाने चाहिए;

(v) मीडिया हाउसों के संरक्षण हेतु सरकारी विज्ञापनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए अथवा ये सत्ताधारी दल अथवा व्यक्ति के लिए पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग प्राप्त किए जाने पर लक्षित नहीं होने चाहिए।

(vi) ऐसे सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के फोटोग्राफ ही प्रकाशित किए जाने चाहिए और इस बारे में भी उपर्युक्त सांविधिक पदाधिकारियों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना चाहिए।

6.2.2 तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिकाओं (रिव्यू पेटिशन) पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने 18 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों को आशोधित किया और सरकारी विज्ञापनों में राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के फोटोग्राफ के प्रकाशन की भी अनुमति प्रदान की। साथ ही, न्यायालय ने प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ के स्थान पर संबंधित मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री/प्रभारी मंत्री के फोटोग्राफ के प्रकाशन की अनुमति प्रदान की, इसी प्रकार, यदि आवश्यक हुआ, तो मुख्य मंत्री के फोटोग्राफ के स्थान पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री/प्रभारी मंत्री के फोटोग्राफ के प्रकाशन की अनुमति भी प्रदान की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 मई 2015, के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में श्री बी. बी. टंडन, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की

अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की ताकि सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के विनियमन से संबंधित मुद्दों का निपटारा किया जा सके।

6.3 समेकित दिशानिर्देश

6.3.1 वर्ष 2004 में, निर्वाचन आयोग ने सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन पर विस्तृत अनुदेश (अनुलग्नक X) जारी किए। बाद में और अधिक अनुदेश जारी किए गए, जिनका सार इस प्रकार है:

(i) सरकारी खजाने की लागत पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि प्रिंट मीडिया में टेलीकास्ट/प्रसारण या प्रकाशन के लिए कोई विज्ञापन पहले ही जारी किया गया है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह के विज्ञापनों का प्रदर्शन/प्रसारण तत्काल रोक दिया जाए, और घोषणा की तारीख से ऐसा कोई भी विज्ञापन किसी भी समाचार-पत्र, पत्रिकाओं अर्थात प्रिंट मीडिया आदि में प्रकाशित नहीं किया जाए और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

(ii) किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा या किसी भी समूह या संगठन/संघ, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो, द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का पूर्वावलोकन, संवीक्षा और प्रमाणित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली जैसा कि आदेश में निर्देशित है, समिति का गठन करेंगे। इसी प्रकार, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदेश में दिए गए अनुसार अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यालय वाले राजनीतिक दलों और अन्य संघों/समूहों द्वारा आवेदनों के निपटान के लिए समितियों का गठन करेंगे। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के विज्ञापनों के पूर्वावलोकन, जांच और प्रमाणित करने के लिए नामित अधिकारी घोषित किया गया है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन पर नामित अधिकारियों की समितियों के निर्णय के संबंध में शिकायतों/परिवेदनाओं के लिए एक समिति का गठन करने की भी आवश्यकता है।

(iv) प्रमाणन के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित समिति या संबंधित अधिकारी के समक्ष आदेश में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी विज्ञापन के लिए टेलीकास्ट (प्रसारण) करने का प्रमाण पत्र, समिति/नामित अधिकारी द्वारा, विहित प्रारूप में दिया जाना है। आवेदकों को प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक अनुप्रमाणित प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

(v) प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का एक रजिस्टर में उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन को क्रमवार रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों पर भी इंगित किया जाना चाहिए और अभिग्राही अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, टेलीकास्ट के लिए यथा प्रमाणित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, समिति/नामित अधिकारी द्वारा रखी जानी चाहिए।

(vi) सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी टेलीविज़न वीसीआर, वीसीडी, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों/बुनियादी ढांचे को किराए पर या खरीदकर, प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, जो समितियों और नामित अधिकारी द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञापनों के पूर्वावलोकन और संवीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं। उपकरण की खरीद, यदि कोई हो राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित दरों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जानी चाहिए।

6.4 सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापनों और होर्डिंग का प्रदर्शन

6.4.1. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा लगाए गए ऐसे होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि, जो आम जनता को सामान्य जानकारी देने अथवा परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण की योजनाओं इत्यादि की जानकारी देने के लिए अभिप्रेत है, के प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, सरकारी राजकोष की लागत पर सभी होर्डिंग और विज्ञापन इत्यादि जिसमें किसी मौजूदा राजनीतिक पदाधिकारी अथवा राजनीतिक दल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है और जिसमें उसकी फोटो अथवा नाम अथवा दल का प्रतीक दिया गया हो, को तत्काल हटा देना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी अथवा राजनीतिक दल सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपनी एवं स्वयं की प्रशंसा करने अथवा राजनीतिक नेता के रूप में अपनी छवि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए सरकारी राजकोष से व्यय नहीं कर सकता अथवा व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। निःसंदेह, इस प्रकार के होर्डिंग इत्यादि लगाने के कारण सरकारी व्यय पर इनके व्यक्तिगत/दल के निर्वाचन प्रचार में सहायता मिलेगी।

6.4.2. निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्वाचनों की अवधि के दौरान सरकारी राजकोष की लागत पर समाचारपत्रों और अन्य मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए और निर्वाचनों की अवधि के दौरान सत्ताधारी दल की जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्धियों से संबंधित राजनीतिक खबरों और प्रचार-प्रसार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए सार्वजनिक मीडिया के दुरुपयोग से निष्ठापूर्वक बचा जाना चाहिए।

6.5 ऐसे राज्यों में विज्ञापनों का प्रकाशन, जहाँ मतदान का आयोजन नहीं हो रहा हो

6.5.1 यह देखा गया है कि कई बार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए राज्यों के उन समाचारपत्रों के संस्करणों में प्रकाशित करने, जहां मतदान हो रहे हों, के साथ ही उन राज्यों में भी विज्ञापनों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहाँ निर्वाचनों का आयोजन नहीं हो रहा होता है। निर्वाचन आयोग इसे आदर्श संहिता का उल्लंघन मानता है।

6.5.2 निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन राज्यों में मतदान का आयोजन नहीं हो रहा हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे सभी विज्ञापन और आदर्श संहिता की अवधि के दौरान उन राज्यों, जहाँ निर्वाचन हो रहे हों, के समाचारपत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रस्तावित विज्ञापनों को निर्वाचन राज्यों में समाचार पत्रों में संस्करणों अथवा प्रसारण हेतु भेजे जाने से पूर्व निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी चाहिए।

6.5.3 निर्वाचन आयोग ने पाया है कि उपर्युक्त अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद, बिना मतदान वाले राज्यों के ऐसे समाचारपत्रों में निर्वाचन आयोग की मंजूरी लिए बिना विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं जिसका संस्करण अथवा प्रसारण निर्वाचन वाले राज्यों में भी है। निर्वाचन आयोग ने अपने अनुदेशों के ऐसे उल्लंघनों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। निर्वाचन आयोग ने यह भी सलाह दी है कि भविष्य में, यदि अनुदेशों के ऐसे उल्लंघन सामने लाए जाते हैं/ध्यान में आते हैं, तो संबंधित सरकार के सचिव/सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक उक्त चूक के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

6.6 विशेष अवसरों/दिवसों के संबंध में विज्ञापनों का प्रकाशन

6.6.1 निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्ट निर्णय लिया है कि विशेष अवसरों/दिवसों जैसे विश्व पर्यावास दिवस/पल्स पोलियो/एचआईवी जागरुकता अभियानों और विभिन्न 'दिवस' के आयोजन जैसे स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/गांधी जयंती/राज्य स्थापना दिवस इत्यादि के संबंध विज्ञापन जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि उनमें कोई फोटोग्राफ/राजनीतिक संदेश/किसी मंत्री का कोई संदर्भ/राजनीतिक व्यक्ति/राजनीतिक दल का हवाला नहीं होना चाहिए। उक्त विज्ञापनों में सत्ताधारी दल की उपलब्धियों का ऐसा कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए, जिससे मतदाता प्रभावित हों और उन्हें उनके पक्ष में मत देने के लिए उकसाएं।

6.6.2 यह देखा गया है कि विभिन्न ऐतिहासिक दिवस जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिवाजी जयंती अथवा राज्य स्थापना दिवस, जो निर्वाचनों की अवधि के दौरान आ जाते हैं, अधिक धूमधाम से मनाए जाते हैं तथा उसमें उपस्थित होने वाले केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्री सत्ताधारी दल अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अपने राजनैतिक

पदाधिकारियों की उपलब्धियों को उजागर करके राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे एक मंच बना लेते है। निर्वाचन आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और निर्णय लिया है कि हालांकि ऐसे समारोहों में मंत्री भाग ले सकते हैं तथापि उनके भाषणों का विषय केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कार्यों और ऐतिहासिक व्यक्तियों की उपलब्धियों तक सीमित रहना चाहिए और वे अत्यधिक सावधानी बरतें कि ऐसा कोई राजनीतिक भाषण न दिया जाए जिससे वह समारोह राजनीतिक अभियान के प्लेटफार्म के रूप में बदल जाए।

6.6.3 समान कारणों के लिए, इस अवधि के दौरान, जब ऐसे अवसरों का उपयोग वास्तव में सत्ताधारी दल की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, तो “सत्ता के xxx...वर्ष/दिन” जैसे समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

6.7 विभिन्न राज्यों में आधार से संबंधित प्रचार जारी रखा जाना

यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन अवधि के दौरान केवल आधार संबंधी वही प्रचार किया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य आम जनता को आधार कार्ड के बारे में जानकारी देना हो। स्कीम की अथवा प्राधिकरण अथवा सरकार की किन्हीं भी उपलब्धियों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

****

अध्याय 7

मंत्रियों/अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्राएं/दौरे

<u>अध्याय में चर्चित मुख्य विषय:-</u>

- ✓ समेकित अनुदेश
- ✓ अधिकारिक दौरे को राजनीतिक/निजी दौरे के साथ न मिलाना
- ✓ सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध
- ✓ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करना
- ✓ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक
- ✓ सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- ✓ दौरों के दौरान मंत्रियों के साथ वैयक्तिक स्टाफ
- ✓ सरकारी अतिथि गृहों में आवास व्यवस्था
- ✓ **पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/गृहमंत्री को ब्रीफिंग**

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 निर्वाचनों के दौरान, मंत्री उन राज्यों का दौरा कर सकते हैं जहाँ आदर्श संहिता लागू हो। सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों के दौरों पर कतिपय रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने 31 दिसंबर 1993 को इस आशय के कतिपय दिशानिर्देश जारी किए कि निर्वाचनों की घोषणा होने के बाद किसी जिले अथवा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने वाले मंत्री, अध्यक्ष और सरकारी निकायों के निदेशकों के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए अथवा उन्हें राज्य का अतिथि घोषित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें जिला स्तर पर अधिकारियों की कोई बैठक नहीं बुलानी चाहिए, न ही उन्हें किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए अथवा न ही अपने ऐसे दौरे पर किसी वैयक्तिक स्टाफ को अपने साथ ले जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों से केवल भारत के प्रधान मंत्री को छूट प्राप्त है, जिन्हें सरकारी अनुदेशों के अनुसार अलग से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है।

7.1.2 वर्ष 1996 में लोक सभा और कुछ विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की पूर्व संध्या पर, निर्वाचन आयोग ने अपने 17 जनवरी 1996 को बनाए गए आदेशों द्वारा, निर्वाचनों की घोषणा के समय से लेकर उनके पूरा होने तक केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों के सभी अधिकारिक दौरों पर लगभग पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारियों पर भी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नाम पर दौरे पर आने वाले मंत्रियों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रियों को सरकारी वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्य के लिए अपने मुख्यालय में अपने निवास स्थान से अपने कार्यालय तक किए जाने की अनुमति दी गई। यद्यपि इसका विरोध हुआ तथापि इन अनुदेशों की खुलेआम शायद ही अवहेलना हुई थी।

7.1.3 वर्ष 1999 के साधारण निर्वाचनों के दौरान, छूट देने के संबंध में केन्द्र सरकार के अनुरोध पर, निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व अनुदेश में संशोधन किया था।

7.2 समेकित अनुदेश

7.2.1 निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले दौरों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों **(अनुलग्नक XI)** को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित पैराग्राफों में समेकित किया गया है:

(i) राज्य सरकार का कोई भी मंत्री निर्वाचनों की घोषणा के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करेगा, जहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा की जा चुकी हो।

(ii) यदि कोई केन्द्रीय मंत्री अपने मुख्यालय से निर्वाचन वाले राज्य/जिले का पूर्णतया सरकारी कार्य से दौरा कर रहा हो, जिसे जनहित में टाला नहीं जा सकता हो, तो इस आशय को प्रमाणित करने वाला एक पत्र भारत सरकार के संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव द्वारा उस राज्य के मुख्य सचिव को भेजा जाएगा, जिस राज्य में उक्त मंत्री द्वारा दौरा किया जाना हो तथा उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी। सचिव से ऐसी जानकारी मिलने कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा पूर्णतया सरकारी दौरा करने का प्रस्ताव है, और उक्त दौरे के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, तो मुख्य सचिव, केन्द्रीय मंत्री के लिए सरकारी वाहन और आवास की व्यवस्था कर सकेंगे तथा सरकारी दौरे के लिए अन्य सामान्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे। ऐसा करते समय, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्हें राज्य में निर्वाचन गतिविधियों पर नज़र रखे जाने के कार्य सहित आदर्श संहिता के क्रियान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है, को भी सचिव द्वारा पहले से ही सचेत किया जाएगा। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करके ऐसी व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए रखेगा। केन्द्रीय मंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने गृह राज्यों और विशेषकर उस निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी दौरे करने से बचें जहाँ से वे निर्वाचन लड़ रहे हों, हालाँकि वहाँ वे अपने निजी दौरों पर जा सकते हैं।

(iii) **सरकारी दौरे को राजनीतिक/निजी दौरे के साथ न मिलाया जाए**:- मंत्री निर्वाचन कार्यों के साथ-साथ अपने सरकारी दौरे नहीं करेंगे और प्रचार अभियान के दौरान सरकारी अथवा निजी तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस संबंध में, केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2004 में एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि यदि रेल मंत्री राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए पटना में हों तो क्या वे सरकारी तौर पर रेलवे बजट से संबंधित बैठकों अथवा मंत्रिमंडल की बैठकों में

भाग लेने के लिए पटना से नई दिल्ली आ सकते हैं। इस मुद्दे पर मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या रेल मंत्री पटना के व्यक्तिगत/राजनीतिक दौरे के समय कोलकाता में सरकारी दौरे पर जा सकते हैं। यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि मंत्री अपने राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत दौरे को सरकारी दौरे से जोड़कर कोलकाता अथवा कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते, भले ही इस संपूर्ण यात्रा के लिए धन का भुगतान उन्होंने स्वयं किया हो। यह भी सूचना दी गई थी कि मंत्री महोदय सांसदों के लिए उपलब्ध मुफ्त (फ्री) रेलवे/हवाई यात्रा पास की सामान्य सुविधा का उपयोग कर सकेंगे, किंतु वे केन्द्रीय रेल मंत्री के रूप में पटना जाने तथा दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय वापस आने के लिए रेल/हवाई यात्रा का केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में विशेष अधिकारों का लाभ उठाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इससे पूर्व, मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने चंडीगढ़ से इंदौर के लिए अपनी सरकारी यात्रा हेतु राज्य के हवाई जहाज का उपयोग किया था। वहाँ से, वे निर्वाचन दौरे पर भोपाल गए। उन्हें चंडीगढ़ से भोपाल और वापसी यात्रा के लिए पूरा किराया देना पड़ा। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2003 के साधारण निर्वाचन में, राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री को हवाई यात्रा के लिए राज्य सरकार को किराये की प्रतिपूर्ति करनी पड़ी थी, जो उन्होंने दल के कार्य हेतु राज्य सरकार के हवाई जहाज का इस्तेमाल करके रायपुर से दिल्ली तक की थी। तथापि, वर्ष 2015 के निर्वाचन में, प्रधान मंत्री के मामले में एक विशेष छूट प्रदान की गई, जब उन्हें अपने सरकारी दौरे को निजी निर्वाचन अभियान यात्रा के साथ मिलाए जाने की इस निदेश के साथ अनुमति दी गई थी कि प्रधान मंत्री के गैर-सरकारी दौरे पर होने वाला खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) **सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध:-** यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रीगण अपने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने मुख्यालय से अपने निवास स्थान तक सरकारी कार्य हेतु आने-जाने के लिए करने के पात्र हैं, बशर्ते इस प्रकार दैनिक रूप से आने-जाने को किसी निर्वाचन कार्य अथवा राजनीतिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जाए, जिसमें दल (दल) कार्यालय का दौरा करना भी शामिल है, भले ही यह उनके मार्ग में पड़ता हो। मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन दौरे के समय उसकी उपस्थिति को स्पष्टतापूर्वक दर्शाने वाली कोई भी पायलट कार अथवा किसी भी रंग की किसी भी सायरनयुक्त किसी भी मॉडल की बीकॉन लाइट वाली कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, भले ही राज्य सरकार प्रशासन द्वारा एक सुरक्षा कवर दिया गया हो, जिसके अंतर्गत उस दौरे के समय मंत्री के साथ सशस्त्र

सुरक्षाकर्मी भी हों। निर्वाचन आयोग के संज्ञान में एक मामला लाया गया था कि केन्द्रीय रेल मंत्री और केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री द्वारा निर्वाचन कार्य के संबंध में निर्वाचन आयोग कार्यालय के दौरे के लिए सरकारी कारों का इस्तेमाल किया गया था। दोनों मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए थे। फलस्वरूप, दोनों मंत्रियों ने अपने निजी दौरे के लिए उक्त कारों के उपयोग के लिए सरकार को भुगतान किया। इसी प्रकार, वर्ष 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था कि पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री रामा मंडी में प्रचार कार्य कर रहे थे, जहाँ से वह 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण के लिए फिरोज़पुर जाना चाह रहे थे। मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव ने अनुरोध किया कि रामा मंडी से फिरोज़पुर और वापसी के लिए मुख्य मंत्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि जो गणमान्य व्यक्ति गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, वे निर्वाचन अभियान के स्थान, यदि कोई हो, से ध्वजारोहण स्थल तक की सीधे यात्रा कर सकेंगे। इस उद्देश्य से होने वाला यात्रा व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्हें इन स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

(v) **सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करना:-** राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्वाचन दौरे पर राज्य अथवा जिले में आने वाले केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों की प्रोटोकॉल के तहत अगुवाई नहीं करेंगे, उन्हें विदा करने नहीं जाएंगे अथवा उनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी। तथापि, प्रधान मंत्री के निर्वाचन दौरों के मामले में यह अपवाद किया गया है और सभी रैंक के अधिकारियों, जिनमें पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे, और जिलाधीशों को सुरक्षा संबंधी इंतज़ाम देखने के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है।

(vi) **सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक:-** मंत्रीगण उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा उस राज्य, जहाँ निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, के किसी संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों की घोषणा की शुरुआत से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि के दौरान किसी स्थान अथवा कार्यालय अथवा गेस्ट हाउस के भीतर अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी सरकारी वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे। इन अनुदेशों में केवल यही अपवाद रहेगा कि जब कोई मंत्री, किसी संबंधित विभाग के प्रभारी होने अथवा मुख्य मंत्री होने के नाते किसी निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी दौरे पर जाते हैं, अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित किसी अधिकारी को कानून-व्यवस्था के विफल होने

अथवा किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अथवा ऐसी किसी आपात स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर, अथवा ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य ऐसी आपात स्थिति में बुला सकता है, जिसमें उक्त मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों का पर्यवेक्षण समीक्षा/निस्तारण कार्यों/अन्य समान उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना आवश्यक होता है।

(vii) **सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:-** आदर्श संहिता लागू होने की अवधि में राज्य के मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना निषेध होता है। कोई अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है जहाँ पर निर्वाचनों का आयोजन किया जा रहा है, सम्बंधित सेवा नियमों के अंतर्गत, कदाचार का दोषी होगा; और यदि वह *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1)* में उल्लिखित कोई अधिकारी हो, तो उसे उस धारा के सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी अतिरिक्त रूप से दोषी माना जायेगा और वह उसके अंतर्गत उपबंधित दंडनीय कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा।

(viii) **वैयक्तिक स्टाफ का निजी दौरों/प्रचार के दौरान प्रधान मंत्री/मंत्रियों के साथ जाना:-** पहले, मुख्य मंत्रियों अथवा अन्य मंत्रियों को आदर्श संहिता की अवधि के दौरान अपने निजी दौरों के दौरान वैयक्तिक स्टाफ को साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। इस पर पुनर्विचार करके, निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि आदर्श संहिता अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों को अपने वैयक्तिक स्टाफ में से एक अराजपत्रित सदस्य को अपनी व्यक्तिगत/निजी दौरे पर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, उक्त वैयक्तिक स्टाफ किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा अथवा मुख्य मंत्री के राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता नहीं करेगा। प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ के सदस्यों के मामले में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जो उनके व्यक्तिगत/निजी दौरे में उनके साथ जा सकते हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव के अनुरोध पर, आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर दूरदर्शन के सरकारी स्टाफ को इस शर्त के अध्यधीन प्रधानमंत्री को उस निर्वाचन और बाद के निर्वाचन अभियानों के दौरान निर्वाचन संबंधी भाषण देने में सहायता देने के लिए टेलीप्रमोटर उपकरण को लगाने और परिवहन की अनुमति प्रदान की थी, बशर्ते कि दूरदर्शन द्वारा उक्त सेवाएं उन निबंधन एवं शर्तों पर उपलब्ध कराई

जानी चाहिए जैसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की हैं।

(ix) **सरकारी अतिथि गृहों में आवास व्यवस्था:-** निर्वाचन दौरों के समय मंत्रियों के लिए सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिथि गृहों (गेस्ट हाउस) अथवा विश्राम गृहों में ठहरने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि अतिथि गृह निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों के ठहरने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। संसद सदस्यों और विधायकों अथवा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के लिए भी समान प्रतिबंध लागू होंगे। तथापि, मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी, जिन्हें सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के तहत 'जेड' अथवा 'जेड प्लस' श्रेणी अथवा उसके समकक्ष स्तर की सुरक्षा कवर प्रदान की गई हो, को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दी जाएगी और यदि उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐसा करना जरूरी हो तो वे सरकारी अतिथि गृहों में ठहर सकेंगे। अपरिहार्य सरकारी दौरों पर जाने वाले मंत्रियों के लिए भी सरकारी अतिथि गृहों में ठहरने की व्यवस्था हो सकेगी बशर्ते वे अपना काम पूरा हो जाने के बाद तत्काल अपने मुख्यालय लौट जाएं और वे ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हों जिससे आदर्श संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

7.3 पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/गृहमंत्री को ब्रीफिंग देना

निर्वाचन आयोग ने इस आशय हेतु अनुदेश जारी किए हैं कि जब अनिवार्य समझा जाए मुख्यमंत्री या गृहमंत्री की सुरक्षा ब्रीफिंग, को गृह सचिव या मुख्य सचिव द्वारा अपने अधीन ले लेना चाहिए जिन्हें आगे पुलिस अभिकरणों द्वारा सूचित किया जायेगा। इन निर्देशों में आगे यह भी बताया गया है कि जहाँ पुलिस एजेंसी/पदाधिकारियों की उपस्थिति को आवश्यक समझा जाए, वहां मुख्य सचिव/गृह सचिव ऐसी ब्रीफिंग में पुलिस एजेंसी/पदाधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहेंगे।

****

अध्याय 8

मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंध

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-</u>

- पिछले 48 घंटों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध
    - ✓ जाँच करने के उपाय
    - ✓ प्रतिबंध से छूट
- अंतिम 48 घंटों के दौरान निर्वाचन मामलों का प्रसारण
- क्या रेडियो पर निर्वाचन संबंधी मामलों का प्रसारण अंतिम 48 घंटों के दौरान किया जा सकता है
- प्रिंट मीडिया में विज्ञापन
- निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फीचर फिल्मों (अन्य वाणिज्यिक विज्ञापन से इतर) का प्रसारण

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने, जहाँ मतदाता किसी भी तरीके से भयभीत न हो, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों, जिन्हें सुरक्षा मिली हुई हो, को जैसे ही प्रचार अवधि समाप्त होती हो, अर्थात् मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना चाहिए।

8.1.2 *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126* मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, जब निर्वाचन प्रचार समाप्त हो जाता है, किसी आम सभा के आयोजन पर निषेध लगाता है (*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 को नीचे उद्धृत किया गया है*):-

"अनुच्छेद - 126 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध - (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान-

(क) *निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, और न उसे संबोधित करेगा; या*

(ख) *चलचित्र, टेलीविज़न या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या*

(ग) *कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से,*

आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) *कोई भी व्यक्ति, जो उप-खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।*

(3) *इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।*

8.2 पिछले 48 घंटों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध

8.2.1 किसी निर्वाचन में प्रचार अभियान के दौरान, राजनीतिक दल अपने समर्थकों को लाते-ले जाते हैं जिनमें प्रचार अभियान को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के भी समर्थक होते हैं। प्रचार अवधि की समाप्ति के मद्देनज़र निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार अभियान नहीं चल सकता, ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी और दल कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहने चाहिए, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया था, क्योंकि प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद उनके वहां बने रहने से निर्बाध और न्यायसंगत मतदान के माहौल पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिला निर्वाचन प्रशासन/पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे सभी पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से तत्काल चले जाएं।

8.2.2 जांच के उपाय: निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया जाए, निर्वाचन प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा समस्त आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो:

(i) कल्याण मंडपम/सामुदायिक हॉलों इत्यादि की जांच करना ताकि पता लगाया जा सके कि इन परिसरों में कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं ठहरे हैं।

(ii) लॉज और गेस्ट हाउसों का सत्यापन करना ताकि वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची पर नजर रखी जा सके।

(iii) निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर चैक-पोस्ट स्थापित करना और निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही का पता लगाना।

(iv) व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह की पहचान सत्यापित करना ताकि उनकी पहचान साबित करने के लिए यह पता लगाया जा सके कि वे मतदाता हैं अथवा नहीं।

8.2.3 प्रतिबंध से छूट: वर्ष 2017 के एक उप-निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के संज्ञान में एक

मामला आया कि प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद भी, एक प्रमुख राजनेता ने कुछ चिकित्सीय कारणों का हवाला देते हुए निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा था। निर्वाचन आयोग ने इस मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

(i) संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामले में छूट चाहने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। मेडिकल बोर्ड रोगी तथा उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा कि क्या रोगी (राजनेता) की हालत ऐसी है कि वह हिल-डुल नहीं सकता अथवा उसे डॉक्टरी देख-रेख में किसी एम्बुलेंस अथवा वाहन में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।

(ii) निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्राप्त मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही छूट देने पर विचार किया जाएगा।

(iii) ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसे छूट प्रदान की गई हो, को इस शर्त पर निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति दी जा सकती है कि इस छूट का उपयोग किसी भी तरह से किसी राजनीतिक/निर्वाचन संबंधी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, जब तक मतदान पूर्ण न हो जाए, उनके आवास स्थल के हर एक प्रवेश द्वार पर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक निगरानी दल, जिसके साथ पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होंगे, तैनात किया जाना चाहिए। उक्त ठहराव पर होने वाले व्यय को उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाना चाहिए।

8.3 अंतिम 48 घंटों के दौरान निर्वाचन मामलों का प्रसारण

8.3.1 इससे पूर्व, अनुच्छेद 126 द्वारा केवल, किसी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी बैठकों/जुलूसों में प्रचार करने/आयोजन अथवा उनमें हिस्सा लेने, शामिल करने अथवा भाषण देने के लिए निषेध होता था। तथापि, उक्त अनुच्छेद में निषेधात्मकता का निहित कार्यक्षेत्र, सीमा और परिमाप का वर्ष 1996 में विस्तार किया गया था, जब उप-अनुच्छेद (1)(ख) के द्वारा इस निषिद्धता की शर्त को किसी निर्वाचन के दौरान 48 घंटे की निषिद्ध अवधि के समय किसी निर्वाचन संबंधी मामले में सिनेमाटोग्राफ, टेलिविज़न अथवा किसी अन्य समान उपकरण के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए लागू किया गया था।

8.3.2 किंतु देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यापक पहुंच वाले इस युग में, किसी विशिष्ट क्षेत्र, राज्य अथवा निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कवर किए जा रहे किसी मुद्दे को ब्लॉक किया जाना असंभव होता है।

8.3.3 वर्ष 2014 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को कुछ टेलिविजन चैनलों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई थीं

कि उन्होंने 7 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में भारतीय जनता दल के निर्वाचन घोषणा पत्र जारी होने के समय सीधा प्रसारण किया था, जबकि उसी दिन असम और त्रिपुरा के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा था। यह आरोप लगाया गया कि इससे अनुच्छेद 126(1)(ख) और आदर्श आचार संहिता और साथ ही एनबीएसए के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन हुआ था। शिकायतों पर विस्तार से सुनवाई के बाद, एनबीएसए ने निर्णय लिया कि विविध चरणों वाले निर्वाचन के परिदृश्य में राज्य 'एक्स' के किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन मामले के सार्वजनिक प्रदर्शन पर उस स्थिति में वस्तुतः रोक नहीं लगाई जा सकती, जब राज्य 'वाई' में उसी दल के प्रत्याशी के बारे में निर्वाचन प्रसारण किया जा रहा हो, जिसका अभ्यर्थी राज्य 'एक्स' के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहा हो। मीडिया इस तथ्य के बावजूद कि प्रसारण को अन्य राज्यों में भी देखा जाएगा। किसी राज्य में एक दल विशेष के निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के बारे में निर्वाचन मामलों के प्रसारण का पात्र होगा आगे यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक राज्य 'वाई' में निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम राज्य 'एक्स' में किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को बढ़ावा देने अथवा उसे लक्षित करने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाएंगे, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। केवल कोई विज्ञापन अथवा प्रायोजित कार्यक्रम अथवा किसी अभ्यर्थी का समर्थन अथवा आलोचना करने वाली कोई रिपोर्ट ही निषिद्ध की जाती है, जिनका आशय किसी निर्वाचन परिणाम को प्रभावित करना होता है। किसी राजनीतिक दल के सामान्य कार्यक्रम की अपेक्षित कवरेज, जो पूरे देश में अथवा राज्य के आम हित में होती है, और जो जनता द्वारा किसी अभ्यर्थी के समर्थन के लिए प्रशंसा नहीं करती अथवा जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचनों में किसी प्रत्याशी की आलोचना नहीं करती, किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन करना नहीं है।

8.4 क्या रेडियो पर निर्वाचन संबंधी मामलों का प्रसारण अंतिम 48 घंटों के दौरान किया जा सकता है

धारा 126 की उप-धारा (1) का खंड (ख) ऐसे किसी उपकरण या दूरदर्शनके माध्यम से निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध करता है। रेडियो के बारे में, निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि इस उद्देश्य से इसे 'अन्य समान उपकरण' माना जाएगा और रेडियो के माध्यम से किसी निर्वाचन मुद्दे का प्रसारण/प्रचार खंड (ख) के अंतर्गत कवर होगा और उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित 48 घंटे की अवधि के दौरान अनुमत नहीं होगा।

8.5 प्रिंट मीडिया में विज्ञापन

8.5.1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों की भांति, जो किसी वैधानिक कानून द्वारा विनियमित नहीं होते किंतु उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं, प्रिंट

मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन कानून द्वारा लागू कुछ प्रतिबंधों की शर्त पर लागू होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं कर सकता अथवा उसके मुद्रण अथवा प्रकाशन का कारण नहीं बन सकता, जिस पर उसके मुद्रकों तथा प्रकाशक का नाम अथवा पते मुद्रित न हों। साथ ही, कोई व्यक्ति निर्वाचन पेम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं कर सकता, जब तक मुद्रक द्वारा प्रकाशक की पहचान के संबंध में उसके द्वारा हस्ताक्षरित, दो प्रतियों में एक शपथपत्र नहीं ले लिया जाता, जिस पर उसे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापन भी किया गया हो।

8.5.2 इसके अलावा, यदि ऐसा कोई दस्तावेज राज्य की राजधानी में मुद्रित किया गया हो, तो मुद्रक को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों-सहित मुद्रित प्रतियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण तथा प्रकाशक से वसूले गए प्रभारों के विवरण के साथ उक्त शपथपत्र की एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अथवा किसी अन्य मामले में, जिस जिले में दस्तावेज मुद्रित किया गया हो, उसके जिलाधीश को भेजी जानी अपेक्षित होती है। उपरोक्त प्रावधान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के मामले में भी लागू होंगे।

8.5.3 यदि कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त वैधानिक प्रतिबंधों के विपरीत कोई निर्वाचन पेम्फलेट अथवा पोस्टर मुद्रित अथवा प्रकाशित करता है, तो उसे अधिकतम 6 माह तक की जेल की सजा अथवा दो हजार रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

8.5.4 कानून के अनुसार, उक्त निर्वाचन पेम्फलेट अथवा पोस्टर के विवरण के लिए किसी प्राधिकरण से पूर्व-सत्यापन अपक्षित नहीं होता, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के मामलों में होता है जिनके लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिला तथा राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा गठित मीडिया प्रमाणन और मॉनिटरिंग समितियों का पूर्व-सत्यापन अपेक्षित होता है। तथापि, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा समाचारपत्रों के ई-संस्करणों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होती है। साथ ही, निर्वाचन की समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंधों को राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

8.5.5 वर्ष 2015 में बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, बिहार में मतदान की तारीख से पिछले दिन समाचारपत्रों में आपराधिक प्रकृति के कुछ विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान वाले दिन ऐसी किसी घटना की

पुनरावृत्ति न हो और किसी भड़काऊ अथवा द्वेषपूर्ण विज्ञापन के कारण कोई अप्रिय घटना घटित न हो, निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के अनुपालन में निर्देश दिया कि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी अथवा कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति मतदान वाले दिन अथवा मतदान से एक दिन पहले किसी समाचारपत्र में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि प्रकाशित किए जाने वाला प्रस्तावित विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा जिला अथवा राज्य के स्तर पर, जैसा भी मामला हो, पूर्व-सत्यापित न किया गया हो। बिहार राज्य में सभी समाचारपत्रों के लिए समान दिशानिर्देश जारी किए गए थे कि उन्हें मतदान वाले दिन अथवा मतदान से एक दिन पहले समाचारपत्रों में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो एमसीएमसी द्वारा पूर्व सत्यापित न किया गया हो। निर्वाचन आयोग के उपरोक्त दिशानिर्देश बिहार राज्य में समस्त राजनीतिक दलों के संज्ञान में लाए गए तथा उसे आम जानकारी और कड़े अनुपालन के लिए जनसंपर्क माध्यमों के समस्त मीडिया में उनका व्यापक प्रचार किया गया।

8.5.6 उसके बाद से, समस्त साधारण निर्वाचनों में, निर्वाचन आयोग ने आशोधन के साथ समान दिशानिर्देश जारी किए हैं कि मतदान वाले दिन अथवा मतदान से एक दिन पहले समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के संबंध में उनका पूर्व-सत्यापन होना आवश्यक है।

8.6 निर्वाचन लड़ने वाले अभिनेताओं की फीचर फिल्मों (अन्य वाणिज्यिक विज्ञापन से इतर) का प्रसारण

यह प्रश्न निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया गया कि क्या उन अभिनेताओं की फिल्मों का प्रसारण टेलीविजन चैनलों पर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो निर्वाचन लड़ रहे हों। इस पर विचार-विमर्श करने के बाद निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि निर्वाचन लड़ रहे अभिनेताओं की फिल्मों सहित उनके वाणिज्यिक विज्ञापनों को टेलिविज़न चैनलों अथवा सिनेमा थिएटरों पर दिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की अवधि के दौरान **दूरदर्शन पर ऐसी फीचर फिल्मों (वाणिज्यिक विज्ञापनों के अलावा) के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी,** यह देखते हुए कि दूरदर्शन को सार्वजनिक धन पर चलाया जाता है।

****

अध्याय 9

सरकारी वेबसाइट/सरकारी भवनों/विज्ञापनों पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-</u>

- आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो / संदेश का प्रदर्शन
- सरकारी भवनों में फोटो / संदेश का प्रदर्शन
- सरकारी विज्ञापन / होर्डिंग्स पर फोटो / संदेश का प्रदर्शन
- क्या एमपी/एमएलए एलएडी के अंतर्गत, वित्त-पोषित सचल वस्तुओं पर नाम/फोटो प्रदर्शित किया जा सकते हैं?
- लाभार्थी कार्ड/इलेक्ट्रिक बिल/ निर्माण स्थल साइट पर लगे बोर्डों आदि पर फोटों का प्रदर्शन
- क्या भूतपूर्व राष्ट्रीय नेताओं / कवियों / प्रतिष्ठित व्यक्तियों की फोटो को प्रदर्शित किया जा सकता है?
- रक्षा कार्मिकों की फोटो के उपयोग पर प्रतिबंध

9.1 प्रस्तावना

निर्वाचन आयोग के देखने में आया है कि मंत्रियों और उनके कार्यालयों/संगठनों की आधिकारिक वेबसाइट जिसमें राजनीतिक/ सार्वजनिक जीवन में मंत्रियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों पर सामग्री होती है, निर्वाचन के दौरान भी उसे प्रदर्शित करना जारी रखते हैं। यह आदर्श संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

9.2 सरकारी वेबसाइट पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन

9.2.1 निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सत्ताधारी दल की संभावनों को आगे बढ़ाने हेतु, सरकारी विभागों और सोशल मीडिया की विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले और मंत्रियों का गुणगान करने वाले पक्षपातपूर्ण कवरेज से आदर्श आचार संहिता की लागू क्रियान्वन अवधि के दौरान बचा जाना चाहिए।

9.2.2 इसी प्रकार से, केंद्रीय/राज्य सरकार की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को निकाल लिया जायेगा/परिष्कृत किया जायेगा/ढक दिया जायेगा/छिपा/हटा दिया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य विभाग की वेबसाइटों से किसी राजनीतिक पदाधिकारी के छायाचित्रों को हटाने/छिपाने के लिए तुरंत कदम उठाएँगे **(परिशिष्ट-XII)**। उप-निर्वाचन के दौरान, ये अनुदेश केवल उन राजनेताओं/मंत्रियों आदि तक सीमित होंगे जो ऐसे उप-निर्वाचनों में स्वंय अभ्यर्थी बने हों।

9.2.3 वर्ष 2017 में, निर्वाचन आयोग को शिकायत मिली थी कि प्रधानमंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री

आवास योजना की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया और प्रधानमंत्री और मंत्रियों की तस्वीरों के प्रदर्शन को, जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, आचार संहिता का उल्लंघन माना और इसलिए ऐसी तस्वीरों को “pmaymis.gov.in” की सरकारी वेबसाइट से तुरंत हटाने के लिए कहा गया है।

9.3 सरकारी भवनों में फोटो/संदेश का प्रदर्शन

निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि आदर्श संहिता की अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों; जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक जीवन में हैं और निर्वाचन लड़ सकते हैं, के छायाचित्रों को सरकारी भवनों/परिसरों में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अन्य दलों और अभ्यर्थियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निर्वाचन तैयारियों में विघ्न डालने वाला प्रभाव पड़ेगा।

9.4 सरकारी विज्ञापन/होर्डिंग्स पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन

निर्वाचन आयोग के अनुदेश हैं कि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि, जो सामान्य जानकारी देने अथवा आम जनता को परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण की योजनाओं इत्यादि की जानकारी देने का काम करते हैं, के प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, सरकारी राजकोष की लागत पर सभी होर्डिंग और विज्ञापन इत्यादि जिसमें किसी मौजूदा राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक दल की उपलब्धियां प्रदर्शित होती हों और जिसमें उनकी फोटो अथवा नाम अथवा दल का प्रतीक हो उन को तत्काल हटा देना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक दल सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता और अपनी एवं स्वयं की प्रशंसा करने अथवा राजनीतिक नेता के रूप में अपनी छवि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए सरकारी राजकोष से व्यय नहीं कर सकता अथवा व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। निःसंदेह, इस प्रकार के होर्डिंग इत्यादि के कारण सरकारी व्यय पर इनके व्यक्तिगत/दल के निर्वाचन प्रचार में सहायता मिलेगी।

9.5 क्या सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत, वित्त-पोषित सचल वस्तुओं पर नाम/फोटो प्रदर्शित किए जा सकते हैं?

निर्वाचन आयोग को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जिन राज्यों में निर्वाचन हो रहे हैं वहां सांसदों/विधायकों की एलएडी योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित पानी की टंकियों, एम्बुलेंसों आदि सचल वाहनों पर इनके नाम लिखे गए हैं, जो राज्यों के विभिन्न स्थानों पर घूम रही हैं। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और निर्देश दिया है कि ऐसे सचल वाहनों आदि पर प्रदर्शित एमपी/एमएलए आदि के नामों को

निर्वाचन की अवधि के दौरान उचित रूप से ढका जाना चाहिए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले वाहनों को सम्बंधित एमपी/एमएलए के पक्ष में निर्वाचन अभियान का स्वरुप माना जा सकता है।

9.6 लाभार्थी कार्ड/इलेक्ट्रिक बिल/निर्माण स्थल साइट पर नाम-पट्ट आदि पर फोटो का प्रदर्शन-

9.6.1 निर्वाचन आयोग ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है जो इस प्रकार है: -

(i) लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले लाभार्थी कार्ड, निर्माण स्थल पट्टिका आदि, जो आचार संहिता के प्रवर्तन के दौरान लगाए गए हैं, उनमें मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के फोटो/संदेश नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे लाभार्थी कार्ड, निर्माण स्थल पट्टिका आदि पर राजनीतिक पदाधिकारियों के फोटो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जो निर्वाचन की घोषणा से पहले वितरित/निर्मित किए गए हैं।

(ii) इसी प्रकार, आदर्श संहिता के लागू होने के बाद जारी होने वाले बिजली के बिल, पानी के बिल आदि में किसी भी फोटो या संदेश/राजनैतिक पदाधिकारियों/दलों के प्रतीक नहीं होने चाहिए।

9.6.2 गोवा राज्य विधानसभा के लिए 2017 के साधारण निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन आयोग को शिकायत मिली कि पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स प्रदर्शित किए गए थे। निर्वाचन आयोग ने तस्वीरों को हटाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया। इसी तरह, प्रिंट मीडिया में छपी एक खबर के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने 2017 में राज्य विधानसभा साधारण निर्वाचन के लिए उत्तराखंड में गैस सब्सिडी देने वाले एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले प्रमाणपत्र का वितरण बंद करने का आदेश दिया।

9.7 क्या भूतपूर्व राष्ट्रीय नेताओं/कवियों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों की फोटो/चित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है?

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि हालाँकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चित्रों को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, तथापि, यह निर्देश भूतपूर्व राष्ट्रीय नेताओं, कवियों और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के चित्रों या भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा और इनको प्रदर्शित करना जारी रखा जा सकता है। 2013 में डीएवीपी से एक पत्र प्राप्त हुआ था - क्या पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के

अवसर पर, उनके छायाचित्रों और संदेशों को विज्ञापनों में प्रकाशित किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि दिवंगत राजनीतिक नेताओं और हाल ही में दिवंगत नेताओं को छोड़कर इनके चित्रों के प्रकाशन पर संभवतः कोई आपत्ति नहीं होगी।

9.8 रक्षा कार्मिकों की फोटो के उपयोग पर प्रतिबंध

9.8.1 रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि रक्षा कर्मियों की तस्वीरें कुछ राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्वाचन प्रचार के भाग के रूप में विज्ञापनों में इस्तेमाल की जा रही थीं, और उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

9.8.2 निर्वाचन आयोग ने कहा कि सेनाध्यक्ष या किसी अन्य रक्षा कर्मी की तस्वीरें, या रक्षा बलों के कार्यों की तस्वीरें, विज्ञापन/प्रचार/अभियान अथवा निर्वाचन के सिलसिले में किसी अन्य तरीके से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वे अपने अभ्यर्थियों/नेताओं को सलाह दें कि वे रक्षा कर्मियों या कार्यों की तस्वीरों को विज्ञापनों में शामिल करने अथवा अन्यथा उनके निर्वाचन प्रचार/ निर्वाचन कार्य के भाग के रूप में प्रदर्शित करने से रोकें।

****

अध्याय 10

वाहनों का उपयोग/अधिग्रहण

अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-

- वाहनों के अधिग्रहण पर कानूनी प्रावधान
- वाहनों के अधिग्रहण से छूट
- अधिग्रहण किए वाहनों के लिए प्रतिपूर्ति
- समेकित निर्देश
  - ✓सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध
  - ✓वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध
  - ✓नाम-निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग
  - ✓निर्वाचन कार्य उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग
  - ✓मतदान के दिन वाहनों का उपयोग
  - ✓वीडियो-वैन
  - ✓निर्वाचन प्रचार के लिए बाइकों का उपयोग
  - ✓निर्वाचन के दौरान रोड शो को नियमित करना
  - ✓स्टार प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन का उपयोग
  - राज्य विधान सभा के स्पीकर/ उपसभापति अथवा विभिन्न बोर्डों/ आयोगों/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यपालकों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग
- सुरक्षा कारणों से उपलब्ध कराए गए बुलेट प्रूफ वाहन

10.1 प्रस्तावना

निर्वाचन के दौरान वाहन परिवहन का सबसे कारगर साधन होते हैं, और इसलिए इनकी न केवल राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के द्वारा बल्कि निर्वाचन मशीनरी तथा अपना आधिकारिक निर्वाचन कार्य कर रहे प्राधिकारियों के द्वारा भी भारी मांग होती है ताकि मतदान दलों, मतदान सामग्री और सुरक्षा कर्मचारियों को संबन्धित स्थान तक लाया और ले जाया जा सके।

10.2 वाहनों के अधिग्रहण पर कानूनी प्रावधान

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160(1) राज्य सरकारों को अधिकृत करती है, कि किसी भी वाहन, पोत या पशु, यदि आवश्यक हो या, किसी भी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए आवश्यकता हो तो उनका अधिग्रहण किया जा सकता है।

10.3 वाहनों के अधिग्रहण से छूट:-

निम्नलिखित श्रेणियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों को अधिग्रहण से छूट दी गई है-

(i) निर्वाचन से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा विधिवत् उपयोग किए जाने वाले वाहन।

(ii) वन्य जीवन अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय खेल पार्कों से संबंधित वाहन।

(iii) इसी प्रकार वाहनों की तरह, भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।

(iv) आकाशवाणी और दूरदर्शन के वाहनों को भी आवश्यक रूप से छूट दी गई है, क्योंकि वे भी

निर्वाचन-अवधि के दौरान निर्वाचन-संबंधी कार्यों में शामिल होते हैं।

(v) निर्वाचन आयोग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूएनओ के अन्य विभागों के वाहनों जैसे कि पोलियो परियोजनाओं आदि को भी निर्वाचन कर्तव्यों के लिए अधिग्रहण से छूट दी है।

10.4 अधिगृहीत किए गए वाहनों के लिए प्रतिपूर्ति

सरकार, उस अवधि के लिए वाहनों, पोतों या पशुओं के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए उन्हें अधिगृहीत किया गया है। संबंधित इलाके में प्रचलित किराए या दरों के आधार पर मालिक को प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। यदि मालिक प्रतिपूर्ति की राशि से असहमत है, तो वह प्रतिपूर्ति की राशि के निर्धारण की तारीख से लेकर 14 दिनों के भीतर मामले को किसी मध्यस्थ को सौंपने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है।

10.5 समेकित निर्देश

10.5.1 कानून किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जा सकने वाले वाहनों की संख्या पर कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। इस तरह के कानूनी प्रतिबंध के अभाव में, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रचार के दौरान, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों की संख्या पर उचित अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर कई उपाय करता रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी हितधारकों की स्पष्टता और सुलभ संदर्भ के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों को 10 अप्रैल, 2014 को समेकित और जारी किया गया है (**अनुबंध XIII**)। तदोपरांत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण सहित विस्तृत निर्देश इस प्रकार हैं:

10.5.1 सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

(i) यहाँ उल्लेखित छूट की शर्त के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर, निर्वाचन से जुड़े कार्यों (निर्वाचन संबंधी सरकारी ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को छोड़कर), निर्वाचन प्रचार के दौरान निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर कुल और पूर्ण प्रतिबंध होगा जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आरंभ, और निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के साथ समाप्त माना जाएगा।

(सरकारी वाहन में संबंधित सभी वाहन शामिल होंगे (क) केंद्र सरकार, (ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (ग) केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रम, (घ) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम (ङ) स्थानीय निकाय, (च) नगर निगम, (छ) नगर पालिका, (ज) मार्केटिंग बोर्ड (जो भी नाम ज्ञात हो), (झ) सहकारी समितियाँ, (ञ) स्वायत्त जिला परिषदों अथवा कोई अन्य निकाय, जिसमें सार्वजनिक निधियां जो कुल का कितना भी कम भाग क्यों न हो, निवेश किया जाता है और इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के अधीन रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों से संबंधित लोग भी शामिल होते हैं)।

(ii) जिला प्रशासन यह देखने के लिए कड़ी निगरानी करेगा कि क्या पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी के सरकारी वाहन का उपयोग निर्वाचन कार्यों के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट औपचारिक प्रक्रिया के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत निर्वाचन कार्य के लिए ऐसे वाहनों को अधिगृहित करेगा अथवा अधिगृहित किए जाने की घोषणा करेगा। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे अधिगृहित किए गए वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा।

[**स्पष्टीकरण:** *(क) स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, राज्य में उन वाहनों पर समान रूप से लागू होगा, जहाँ निर्वाचन हो रहे हैं, या अन्य राज्यों में भी, जहाँ कोई निर्वाचन नहीं हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/संबंधित विभाग में भारत सरकार के सचिव को, जैसा भी मामला हो, किसी भी मंत्रालय/विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र से संबन्धित मंत्रालय/विभाग आदि के अंतर्गत उपक्रम/स्वायत्त निकाय/संलग्न कार्यालय के ऐसे वाहनों के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। जिन कार्यालयों के प्रभार में ऐसे वाहन सौंपे गए हैं, उन्हें भी किसी भी उल्लंघन के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।*

(ख) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी के द्वारा इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे वाहनों का उपयोग, यहाँ तक कि भुगतान आधार पर, जिनमें राज्य सरकार अथवा केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, अथवा मंत्रियों के रूप में उनकी क्षमता में सरकारी निर्वाचन प्रचार से जुड़े या कथित और बोगस तौर पर प्रमाणित उद्देश्य के साथ निर्वाचनों के लिए उपयोग पूरी तरह से निषिद्ध है।

[**अपवाद:** *(क) उपरोक्त प्रतिबंध का एकमात्र अपवाद प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व होंगे, जो चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनके जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं और जिन्हें उच्च सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है और जिनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को इस संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।*

(ख) उपरोक्त प्रतिबंध भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति और ऐसे अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जो अन्य राज्यों से राज्य का दौरा कर रहे हैं, के मामले में भी लागू नहीं होंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के मामले में ये प्रतिबंध लोकसभा के साधारण निर्वाचन के समय लागू होंगे, जैसा कि संघ के अथवा राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या किसी अन्य के संबंध में है।]

(iii) ऐसे किसी भी व्यक्तित्व के संबंध में प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन के संबंध में निर्वाचन आयोग को जानकारी संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(iv) यदि निर्वाचन आयोग को संदेह है, कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988, अथवा सरकार के किसी अन्य विशेष अधिनियम/निर्देश के तहत प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन, किसी विशेष दल या अभ्यर्थी के निर्वाचन हितों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के इरादे से प्रकट या विस्तारित किया गया है तो संबंधित सरकार को इस संबंध में तत्काल और उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा जाएगा।

(v) यदि किसी व्यक्ति की सुरक्षा आवश्यकता, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलन किया जाता है, और उसे बुलेट प्रूफ वाहन में यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहन के उपयोग की लागत के भुगतान पर सरकार द्वारा केवल एक वाहन प्रदान किया जा सकता है। ऐसे बुलेट प्रूफ वाहन में, किसी अन्य राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता (अपने व्यक्तिगत/चिकित्सा परिचर को छोड़कर) को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.5.2 **वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध:** (i) वाहनों को किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, दस से अधिक वाहनों के काफिले में एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी

जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार के एक मंत्री को ले जाने वाले दस वाहनों से अधिक के काफिले को विभाजित कर दिया जाएगा और उनमें 100 मीटर की दूरी बनाई रखी जाएगी। हालांकि, यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के अधीन होगा।

(ii) यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक काफिले में वाहनों को निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।

10.5.3 **नामांकन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग:** वाहनों के जुलूस या काफिले के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अनुमति प्राप्त वाहनों की अधिकतम संख्या, तीन तक सीमित होगी। रिटर्निंग अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी और उसके साथ चार अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिए कार्यालय का केवल एक दरवाजा खुला रखा जाएगा, और अन्य सभी दरवाजे बंद रखे जाने चाहिए। प्रवेश के वास्तविक समय को दर्ज करने के लिए, प्रवेश द्वार पर एक सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया जाना चाहिए।

10.5.4 **निर्वाचन उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग:** (i) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। लेकिन निर्वाचन प्रचार शुरू होने से पहले, अभ्यर्थी को ऐसे सभी वाहनों के विवरण और उन क्षेत्रों का जिसमें वह निर्वाचन उद्देश्यों के लिए इन वाहनों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, विवरण प्रस्तुत करना होगा, जैसाकि जिला निर्वाचन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो। आवश्यक जांच के बाद, अधिकारी ऐसे प्रत्येक वाहन के संबंध में अभ्यर्थी को परमिट जारी करेगा। परमिट में वाहन की संख्या, परमिट जारी करने की तारीख, अभ्यर्थी का नाम और क्षेत्र (जहाँ यह प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा) जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। परमिट की मूल प्रति (फोटो कॉपी नहीं), ऐसे आकार में जिसे आसानी से दूर से देखा जा सकता है, वाहन की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ii) अतिरिक्त वाहनों का उपयोग केवल अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा प्राधिकारियों को उचित सूचना देने के बाद और इस हेतु परमिट प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों का विवरण, जिला निर्वाचन

अधिकारी और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे यह जांच सकें कि वाहनों का खर्च सही तरीके से अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में शामिल किया जा रहा है अथवा नहीं।

(iv) यदि कोई वाहन, जिसके लिए किसी विशेष अभ्यर्थी को अनुमति दी जाती है, का उपयोग किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए किया जा रहा है, तो अनुमति वापस ले ली जाएगी और ऐसे वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार के तहत जब्त कर लिया जाएगा।

(v) यदि कोई अभ्यर्थी, अनुमति प्राप्त करने के बाद, प्रचार वाहन(नों) का दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है, तो वह इस तरह के वाहन (नों) के लिए अनुमति वापस लेने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने प्रचार के उद्देश्य हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों का उपयोग किया है और इस तरह के वाहनों के उपयोग पर अधिसूचित दरों के अनुसार व्यय को उसके निर्वाचन खर्चों के खाते में जोड़ा जाएगा।

(vi) बिना किसी प्राधिकार/परमिट के प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को अभ्यर्थी के लिए अनधिकृत रूप से प्रचार किया माना जाएगा, और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX-क के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन इस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसे तुरंत प्रचार अभ्यास से बाहर कर दिया जाएगा। *[भारतीय दंड संहिता का अध्याय- IX-क निर्वाचन से जुड़े अपराधों और सजा के प्रावधान से संबंधित है]*

(vii) अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार के लिए तैनात किए गए वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिगृहित नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) राजनीतिक दलों के नेताओं अर्थात स्टार प्रचारकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण (1) के खंड (क) का लाभ उठाने के लिए, सड़क परिवहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से जारी की जाएगी और इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि ऐसे दल नेताओं द्वारा पूरे राज्य में एक ही वाहन का उपयोग किया जाना है अथवा विभिन्न वाहनों का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाना है। स्टार प्रचारक के नाम पर परमिट जारी किया जाएगा, और इसे वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए अभ्यर्थियों के अन्य प्रचार वाहनों के परमिट से अलग-अलग रंग के होंगे।

(ix) किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अनुरोध पर, जिला निर्वाचन अधिकारी एक वाहन के लिए परमिट जारी करेगा, जिसका उपयोग दल के जिला स्तर के पदाधिकारी (स्टार प्रचारक के अलावा) अपने निर्वाचन के लिए, जिले के भीतर कई विधान सभा क्षेत्रों में करेंगे। परमिट में वाहन की संख्या, राजनेता का नाम, और उस अवधि के लिए विवरण होना चाहिए, जिसके लिए परमिट जारी किया गया है। यह अलग रंग का होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसकी एक सत्यापित प्रति विंड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी, और मूल प्रति को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए चालक के पास रखा जाएगा। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के। यदि इस तरह के वाहनों का उपयोग किसी विशेष/अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार के लिए किया जाता है तो व्यय को उचित रूप से उस अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ा जाना चाहिए।

(x) केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकता है जो पूरे राज्य में परिचालित हो सकते हैं। 100 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकतम पाँच वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकते हैं, और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति एक मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल को दी जा सकती है। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के। यदि इस तरह के वाहनों का उपयोग किसी विशेष/अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार के लिए किया जाता है, तो व्यय को उचित रूप से उस अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में प्रविष्ट करना चाहिए।

(xi) प्रचार सामग्री के परिवहन के लिए वाहनों का उपयोग - यदि किसी मान्यता प्राप्त (राष्ट्रीय/राज्य) राजनीतिक दल से राज्य भर में उनके विभिन्न दल कार्यालयों को प्रचार सामग्री के वितरण के लिए वाहन(नों) की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस तरह की अनुमति दे सकते हैं जिसमें प्रत्येक 25 (पच्चीस) विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रति दल एक वाहन की अनुमति होगी। आवेदक राजनीतिक दल वाहन का विवरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक का नाम और वाहन की तारीख-वार गतिविधि योजना को निर्दिष्ट करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों को भी सामान्य जांच के अधीन लाया जाए, और उनका उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के वाहनों के खर्च का वहन राजनीतिक

दल द्वारा किया जाएगा, न कि अभ्यर्थी द्वारा।

(xii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160(4)(ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार, साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार में साइकिल रिक्शा का उपयोग कर रहा है, तो उसे निर्वाचन खर्च के अपने खाते में उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी रिक्शाओं का विवरण देकर उसके खर्च का हिसाब देना होगा। यदि रिक्शा की पहचान के लिए कोई नगरपालिका पंजीकरण/परमिट नहीं दिया गया है, तो रिक्शा चालक के नाम पर एक परमिट जारी किया जा सकता है, जिसे उसे प्रचार के प्रयोजनों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय व्यक्तिगत रूप से साथ रखना चाहिए। सामान्य दिनचर्या आदि में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिक्शों को उपरोक्त शर्त से छूट दी जा सकती है, यदि वे किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का चिह्न दिखाते हुए केवल एक पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हैं, यह मानते हुए कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं।

(xiii) अभ्यर्थियों/दल नेताओं/दल कार्यकर्ताओं द्वारा निजी वाहनों के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए और असामाजिक तत्वों को लाने-ले जाने के लिए या अवैध हथियारों तथा गोला-बारूद आदि की तस्करी करने के लिए, जिससे निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी पैदा किए जाने की आशंका हो, उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों पर जिला प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। यदि कोई वाहन ऐसी किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन उक्त वाहन को जब्त कर लेगा और निर्वाचन पूरा होने तक उसे नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा, इसका उपयोग करने वाले मालिक के खिलाफ और वाहन रखने वाले और इसका उपयोग करने वाले अभ्यर्थी/राजनीतिक दल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

[प्रचार वाहन पर ध्वज/बैनर/स्टीकर/लाइट के लिए, कृपया राष्ट्रीय ध्वज/दल के ध्वज/दल बैनर के उपयोग पर, अध्याय 13 का पैरा 13.3 देखें]

10.5.5 मतदान दिवस पर वाहनों का उपयोग

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) में यह प्रावधान है कि मतदान केंद्र से मतदाताओं को निःशुल्क रूप से लाने या ले जाने हेतु अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से वाहनों को किराए पर लेना या खरीदना या इस्तेमाल करना एक 'भ्रष्ट आचरण' होगा। यह धारा 133 के तहत निर्वाचन अपराध तथा दंडनीय अपराध भी है, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(ii) इस भ्रष्ट आचरण पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने की दृष्टि से निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

(क) लोक सभा के किसी निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के दिन निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निम्नलिखित के हकदार होंगे:

(क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;

(ख) इसके अलावा, संसदीय क्षेत्र में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन;

(ग) इसके अलावा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनके निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता या दल कार्यकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, जैसा भी मामला हो, हो सकता है,

(ख) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि पर, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित का हकदार होगा:

(क) अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;

(ख) उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन;

(ग) इसके अतिरिक्त, उनके कार्यकर्ताओं अथवा दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।

[**स्पष्टीकरण:** *अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता को केवल चार/तीन/दो पहिया वाहनों, अर्थात कार (सभी प्रकार के), टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दो पहिया वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। मतदान के दिन चार पहिया वाहन में चालक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन, अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ड्राइवर सहित कुल 5 व्यक्तियों की सीमा के अधीन अन्य व्यक्तियों के साथ सवार हो सकता है।]*

(ग) जैसा कि ऊपर 10.5.4 में उल्लिखित है, अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों के परमिट जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। वे जारी किए गए परमिट को वाहनों की विंड-स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं (मंत्रियों सहित) द्वारा किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चाहे अभ्यर्थी किसी भी पद पर आसीन हो।

(घ) प्रतिबंध उन सभी वाहनों पर लागू होगा, जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाए जाते हैं या अन्यथा, जिनमें कार, निजी कार, ट्रक, ट्रेलर के साथ या इसके बिना ट्रैक्टर,

ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, मिनी बस, स्टेशन वैगन आदि शामिल हैं, जो कि मतदान आरंभ होने और मतदान पूरा होने तक निर्धारित समय से 24 घंटे पहले की अवधि तक के लिए होगा।

(ङ) मोटर वाहन अधिनियम के अतिरिक्त, उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX-क के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को जब्त किया जाएगा।

(च) निर्वाचन आयोग का इरादा मतदान के दिन वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है, जिससे आम जनता के लिए समस्या पैदा हो या लोगों को परेशानी हो। निर्वाचन के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु वास्तविक लाभार्थी के उपयोग के लिए निम्न प्रकार के वाहनों को मतदान के दिन चलाने की अनुमति होगी और इसमें कोई अपवाद नहीं होगा:

(क) निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा उनके निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है, जो निर्वाचन से जुड़े नहीं हैं;

(ख) निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए, मतदान केंद्र पर जाने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ये मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में उपयोग नहीं किए जा रहे हों;

(ग) आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दुग्ध वैन, पानी के टैंकर, बिजली, आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर पुलिस कर्मी, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी आदि;

(घ) सार्वजनिक परिवहन गाड़ियां जैसे कि निर्धारित रूटों पर निर्धारित टर्मिनलों के बीच चलने वाली बसें;

(ङ) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, अंतर-राज्यीय बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, तीन पहिया स्कूटर, रिक्शा आदि को रोका नहीं जा सकता;

(च) निजी वाहन जिनका उपयोग बीमार या विकलांग व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए करते हैं;

(छ) सरकार के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन।

10.5.6 **वीडियो-वैन**

(i) राज्य भर में प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल को वीडियो-वैन का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा

कि वाहन का ऐसा उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो। इस संदर्भ में आपका ध्यान 23 जून 2006 और 14 फरवरी 2007 की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 3648 (एमबी) में दिए गए निर्णयों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों के मामलों को देखने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जब तक कि राज्य विधानमंडल/संसद, दोषियों को कड़ा दंड देने के लिए कानून नहीं बना लेती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों पर किए गए व्यय को आनुपातिक रूप से दल के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के खर्चों के बीच उन क्षेत्रों/निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित किया जाए, जहाँ इन वैन/वाहनों का उपयोग किया गया है।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) प्रचार के उद्देश्य के लिए वीडियो-वैन का उपयोग करने की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर दी जा सकती है। परिवहन, नोडल अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वीडियो-वैन मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप है।

(ख) जो भी दल/अभ्यर्थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से वीडियो-वैन का उपयोग करने की अनुमति चाहते हैं, उन्हें पहले मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह प्रमाण-पत्र मोटर वाहन अधिनियम/कानून के प्रासंगिक प्रावधान, और न्यायालय के आदेश, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(ग) वीडियो-वैन पर निर्वाचन प्रचार सामग्री की विषय-वस्तु मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों द्वारा पूर्व प्रमाणित होना चाहिए। राजनीतिक दल के वीडियो-वैन का उपयोग केवल दल के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जाना चाहिए। यदि इसका उपयोग किसी विशेष अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों के लिए वोट/समर्थन मांगने के लिए किया जाता है, तो ऐसे वीडियो-वैन का खर्च अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों के खाते में लिखा जाएगा। व्यय प्रेक्षक इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

(घ) हालांकि वीडियो-वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका उपयोग किसी निर्वाचन प्रचार में किया जा सकता है, लेकिन इसके व्यय को संबंधित राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय खाते में विधिवत

शामिल किया जाएगा, जिसे निर्वाचन के बाद निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा और उपर्युक्त उप-पैरा (ग) में उल्लिखित खर्च को संबंधित अभ्यर्थियों के बीच उचित प्रकार से विभाजित किया जाएगा।

(ङ) प्रचार/अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले वीडियो-वैन का मार्ग पहले से ही स्थानीय प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित नोटिस देने के बाद, वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है।

10.5.7 निर्वाचन प्रचार के लिए बाइकों का उपयोग

(i) एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या निर्वाचन आयोग के आदेश में निहित वाहनों पर प्रतिबंध, दो-पहिया वाहन, जैसे कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पर भी लागू हैं, और यदि हां, तो किस अवधि तक के लिए? यह स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में, ये निर्देश सभी दो-पहिया वाहनों पर भी लागू होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर (साइकिल को छोड़कर), जो मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले तक, और मतदान पूरा होने तक लागू रहेंगे। हालांकि, ये प्रतिबंध किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए ड्यूटी पर जाने या ऐसे दोपहिया वाहन पर लागू नहीं होंगे, जिसका उपयोग किसी रोगी या बूढ़े/अशक्त व्यक्ति को ले जाने के लिए किया जा रहा हो।

(ii) बाइक एक दोपहिया वाहन है, और इसका उपयोग भी प्रचार के उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित रहेगा। दस वाहनों के काफिले से संबंधित प्रावधानों के अनुसार बाइक की संख्या को प्रतिबंधित किया जा सकता है (जैसा कि ऊपर 10.5.2 में दिया गया है), किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, दस से अधिक बाइक के काफिले को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दस बाइक से अधिक के काफिले के बाद अंतराल रखा जाना चाहिए, भले ही इसमें केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाया जा रहा हो। हालांकि, यह ऐसे किसी भी व्यक्ति के संबंध में जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के अधीन होगा। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के काफिले में कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक न हो, भले ही काफिले के बीच फासला रखा गया हो।

(iii) निर्वाचन प्रचार उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई बाइकों के अलावा, अन्य बाइकों के प्रयोग को निषेधात्मक आदेश अर्थात् आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विनियमित किया जाएगा।

(iv) निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान, किसी बाइक पर केवल एक झण्डा (अधिकतम 2 X 1 फुट) लगाने की अनुमति दी जाएगी। ध्वज लगाने के लिए डंडे की लंबाई 3 फुट से अधिक नहीं होगी।

10.5.8 निर्वाचन के दौरान रोड शो को नियमित करना

निर्वाचन आयोग ने रोड शो के दौरान आम जनता/यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-

(i) रोड शो के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाएगी।

(ii) जहाँ तक संभव हो, रोड शो, की अनुमति अदालत के आदेशों और स्थानीय कानूनों के अधीन, केवल अवकाश के दिन और कम भीड़ वाली अवधि के दौरान दी जानी चाहिए और इसके मार्ग को बड़े अस्पतालों, ट्रामा-केंद्रों, ब्लड बैंकों और भारी भीड़ वाले बाज़ारों से गुज़रने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) रोड शो में शामिल होने के लिए वाहनों और व्यक्तियों की संख्या पहले से सूचित की जाएगी।

(iv) रोड शो से सड़क की आधे से अधिक चौड़ाई को नहीं घेरा जाएगा ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सड़क के दूसरे हिस्से में यातायात की सुगम आवाजाही हो सके।

(v) इसके अलावा ई-रिक्शा सहित सड़क पर वाहनों की संख्या 10 तक सीमित होगी। यदि यह संख्या 10 वाहनों की सीमा से अधिक है तो प्रत्येक 10 वाहनों के बाद काफिले में 100 मीटर का फासला रखा जाएगा।

(vi) सार्वजनिक रोड शो में आम जनता तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पटाखे फोड़ना और हथियार ले जाने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में **नहीं** दी जाएगी।

(vii) निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देश के अनुसार और स्थानीय कानूनों और अदालती आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है।

(viii) रोड शो में जानवरों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बच्चों, विशेष रूप से स्कूली बच्चों को स्कूल की वर्दी में रोड शो में भाग नहीं लेना चाहिए।

(ix) हाथ से पकड़े जाने वाला बैनर अधिकतम 6 X 4 फुट का होगा।

(x) रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से 1 फुट X 1/2 फुट के केवल एक ध्वज को रोड शो में प्रचार वाहनों पर लगाने की अनुमति दी जाएगी।

(xi) किसी भी प्रचार वाहन पर कोई स्पॉट/फोकस/फ्लेशिंग/सर्च लाइट और हूटर नहीं लगाया जाएगा।

10.5.9 स्टार प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन का उपयोग

(i) यदि कोई राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (क) का लाभ उठाने के लिए, सड़क परिवहन का उपयोग करता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केन्द्रीय रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी और ऐसा करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में एक ही वाहन का उपयोग किया जाना है अथवा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे दल नेताओं द्वारा भिन्न वाहनों का उपयोग किया जाना है।

(ii) परमिट संबंधित व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाएगा, इस परमिट को उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को जारी किए गए अन्य प्रचार वाहनों के परमिट से भिन्न रंग के होंगे। यदि अनुमति प्रदत्त वाहन का किसी अन्य व्यक्ति (ऊपर उल्लिखित नेता के अलावा) द्वारा भी उपयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में, उसका 50% खर्च, उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित दल के अभ्यर्थी के खर्च में दर्ज किया जाएगा।

10.6 राज्य विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा विभिन्न बोर्डों/आयोगों/ सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग -

10.6.1 जैसा कि अध्याय 7 “मंत्रियों/अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरे/प्रवास” में उल्लिखित है, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इस निर्देश का दायरा बढ़ाते हुए, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रचार, निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग संबंधी प्रतिबंध राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामलों में भी समान रूप से लागू होंगे भले ही राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े हैं या नहीं।

10.6.2 जैसा कि इस अध्याय के पैरा 10.5.1 (ii) के अपवाद (ख) में उल्लिखित है, उपरोक्त प्रतिबंध लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष (उप राष्ट्रपति)/उप सभापति के मामले में लागू नहीं होगा जो अन्य राज्यों से उस राज्य में यात्रा कर रहे हों। हालाँकि, लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन के समय, यह प्रतिबंध लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के मामले में लागू होगा।

10.6.3 इसी प्रकार, आदर्श संहिता की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी पदाधिकारी अर्थात

सभापति/उप सभापति/विभिन्न स्वायत्त बोर्डों/संगठन/सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/आयुक्त केवल कार्यालय और निवास के बीच आवागमन और मुख्यालय के भीतर अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए ही सरकारी वाहनों का उपयोग करेंगे। जिला प्रशासन ऐसे वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेगा और जो भी वाहन प्रावधानों का दुरुपयोग करते पाए जाएंगे, उन्हें जब्त किया जाएगा।

10.7 सुरक्षा कारणों से उपलब्ध कराए गए बुलेट प्रूफ वाहन

10.7.1 वर्ष 1996 में, निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया था कि 'जेड'+ (जेड प्लस) सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को एक राज्य के स्वामित्व वाले बुलेट प्रूफ वाहन की अनुमति दी जाएगी, जहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के उपयोग को आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान निर्धारित किया था। उस निर्देश में, स्टैंड-बाय के नाम पर कई कारों के उपयोग की अनुमति दी गई थी, जब तक कि इन्हें सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित न किया गया हो। ऐसे बुलेट प्रूफ वाहनों के प्रचार का खर्च उस व्यक्ति विशेष द्वारा वहन किया जाएगा, चाहे वह पद पर हो अथवा नहीं और चाहे वह अभ्यर्थी हो अथवा नहीं।

10.7.2 वर्ष 2007 में, निर्वाचन आयोग ने उपरोक्त निर्देश को इस सीमा तक संशोधित किया कि बुलेट प्रूफ वाहन के उपयोग की लागत को जेड+सुरक्षा वाले संबंधित विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

10.7.3 निर्वाचन आयोग ने उपरोक्त मुद्दे पर आगे पुनर्विचार करते हुए वर्ष 2009 में निर्णय लिया, कि सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट-प्रूफ वाहनों के साथ एसपीजी सुरक्षा प्राप्त करने वाले राजनीतिक पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान बुलेट प्रूफ वाहन का उपयोग जारी रख सकते हैं, पर इसकी लागत को इस तरह के वाहनों के उपयोग करने वाले संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा, जब इसका उपयोग गैर-आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्पष्टीकरण 1 और 2 के संदर्भ में, यदि व्यक्ति राजनीतिक दल का नेता है, तो किसी के लिए भी उक्त धारा 77(1) में उल्लिखित यात्रा हेतु, वाहन के प्रचार पर खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा और किसी भी स्थिति में सरकार ऐसे मामलों में खर्च का वहन नहीं करेगी।

10.7.4 वर्ष 2010 में, निर्वाचन आयोग ने अनुदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि यदि सुरक्षा कारणों से सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एसपीजी सुरक्षा के मामले में अतिरिक्त कई वाहनों का उपयोग निर्धारित किया गया है, तो सरकार के खर्च (एसपीजी सुरक्षा प्राप्त द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन को छोड़कर) पर उन्हें ऐसे वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्मचारियों को बी.आर.

कार में उक्त सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बुलेट प्रूफ वाहन के उपयोग की लागत का भुगतान सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति या उनके राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा, जहाँ एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) द्वारा कवर व्यक्ति है (अर्थात् संबंधित राजनीतिक दल का नेता जिसे दल के लिए स्टार प्रचारक कहा गया है)। यदि किसी अन्य राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति दी जाती है, और यदि स्थिति इतनी ही विकट है, तो दल के अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में 50% का खर्च विशेष रूप से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि ऐसा साथी भी उक्त धारा 77 (1) के तहत एक स्टार प्रचारक है, तो इस तरह के व्यय के लिए किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10.7.5 निर्वाचन आयोग को वर्ष 2011 में एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या राजनीतिक पदाधिकारियों, जिन्हें सुरक्षा कारणों से बुलेट प्रूफ वाहन प्रदान किया गया है, अगर वे निर्वाचन प्रचार के लिए भुगतान के आधार पर ऐसे वाहन का उपयोग करते हैं तो उनके साथ अन्य व्यक्तियों को भी यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि यदि कोई राजनैतिक पदाधिकारी या अभ्यर्थी ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा करता है जो जेड+श्रेणी का राजनीतिक पदाधिकारी है, जिसे बुलेट प्रूफ वाहन प्रदान किया गया है और जिसके लिए उसके द्वारा अथवा उसकी दल द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि जहाँ बुलेट प्रूफ कार के साथ यात्रा करने वाला राजनेता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) की व्याख्या के अनुसार एक 'स्टार प्रचारक' है, तो बुलेट प्रूफ कार का उपयोग करने के लिए प्रभारित व्यय को अभ्यर्थी द्वारा किया गया अथवा अधिकृत खर्च नहीं माना जाएगा। हालाँकि, यदि ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता जो स्टार प्रचारक नहीं है, तो बुलेट प्रूफ कार के उपयोग पर आने वाला खर्च, उस अभ्यर्थी के खाते (खातों) में शामिल किया जाएगा, जिसके निर्वाचन प्रचार के संबंध में ऐसी कार का उपयोग किया गया है।

****

अध्याय 11

हेलिकॉप्टरों/विमानों का उपयोग/की मांग

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-</u>

- विमानों और हेलीकाप्टरों को किराए पर लेना
- गैर-निर्धारित उड़ानों का रिकॉर्ड रखना
- जिला प्रशासन द्वारा उचित रिकॉर्ड रखना
- मतदान/मतगणना के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण

11.1 प्रस्तावना

राजनीतिक दल निर्वाचन प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों अथवा मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों जैसे उच्च गणमान्य व्यक्तियों के लिए विमान/हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेते हैं। 1994 में, निर्वाचन आयोग ने इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए न्यायसंगत बनाने हेतु सरकारी/ पीएसयू के स्वामित्व वाले विमानों/हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया हेतु न्यूनतम शर्तें जारी की थीं।

11.2 विमानों और हेलीकाप्टरों को किराए पर लेना

11.2.1 इसके बाद, निर्वाचन आयोग ने मुख्य मंत्री/मंत्रियों सहित राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए थे। केवल प्रधानमंत्री को इससे छूट दी गई थी। कुछ मुख्य मंत्रियों से सुरक्षा संबंधी कारणों के साथ-साथ अन्य विभिन्न कारणों से इन प्रतिबंधों में छूट देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध में कोई छूट नहीं दी है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के मौजूदा प्रतिबंधों में मुख्यमंत्रियों सहित ऐसे राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा निजी विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्रियों सहित ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी, यदि आवश्यक हो, अपने राजनीतिक अभियान और निर्वाचन संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए निजी विमानों की सेवाएं ले सकते हैं। इन विमानों के उपयोग पर किए गए व्यय को संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुकाया जा सकता है और उन्हें अपने खातों में इसका उपयुक्त हिसाब रखना होगा।

11.3 गैर-निर्धारित उड़ानों का रिकॉर्ड रखना

यह महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पूरे कानून और प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसी सभी गैर-निर्धारित उड़ानों का रिकॉर्ड बनाकर रखा जाए। यात्री सूची, निर्धारित स्थानों पर हवाई जहाजों के प्रस्थान और आगमन का सटीक समय जैसा विवरण रखना होगा। निर्वाचन आयोग समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को सत्यापित करने

के लिए इन विवरणों की जानकारी मांग सकता है। तदनुसार, इन विवरणों का गहन रिकॉर्ड रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।

11.4 जिला प्रशासन द्वारा उचित रिकॉर्ड का रखरखाव

इस अवधि के दौरान, निर्वाचन अभियान और अन्य उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टरों/विमानों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों से उसके यात्रा कार्यक्रम और उन व्यक्तियों, जो यात्रा करेंगे और सामग्री के विवरण की जानकारी, जो हेलीकॉप्टर/विमान में ले जाई जाएगी, तीन दिन पहले सूचित करने का अनुरोध किया जा सकता है। जिला प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक लॉग बुक बनाकर रखनी चाहिए और उन हेलीकॉप्टरों/विमानों का ब्यौरा दर्ज करना चाहिए जो जिले में उतरे और जिन्होंने जिलों से उड़ान भरी और साथ ही कथित विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले व्यक्तियों, यात्रा के प्रयोजन और यह ब्यौरा कि उतरने के लिए अनुमति ली गई थी अथवा नहीं, का विवरण दर्ज करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे हेलीकॉप्टर/विमानों के आगमन और प्रस्थान के बारे में दैनिक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी।

11.5 मतदान/मतगणना के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण

11.5.1 एक प्रश्न पूछा गया कि क्या राजनीतिक दलों के नेताओं को मतदान और मतगणना के दिनों में एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र तक आने-जाने के लिए निजी फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी करने की अनुमति दी जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया। उसका मानना है कि इन नेताओं द्वारा मतदान और मतगणना की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और निगरानी से निर्वाचन आयोग के कार्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप होगा। इसके अलावा, विभिन्न सुरक्षा ग्रेडिंग के तहत वर्गीकृत किए गए नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा सावधानी देनी होगी और यदि वे एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा कवर प्रदान किए जाएंगे। मतदान और मतगणना के दिन, पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के आस-पास मतदाताओं, मतदान दलों और मतदान सामग्री को सुरक्षा प्रदान करने और उचित कानून-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की ड्यूटी में तैनात रहते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन व्यवस्थाओं में कोई भी गड़बड़ी या लापरवाही होने का स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान और निर्वाचन के शांतिपूर्ण संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसका आशय है कि जिले और उप-मंडल स्तरों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ेगा। इसके

अलावा, उनकी आवाजाही को, विशेष रूप से मतदान के दिनों में, 48 घंटे की प्रतिबंध अवधि के दौरान निर्वाचन अभियान के रूप में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा, मतदान और मतगणना के दिनों में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने से पहले से ही बढ़ते निर्वाचन व्ययों में काफी वृद्धि होगी। समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के अलावा, निर्वाचनों पर होने वाले अत्यधिक व्यय पर अंकुश लगाने की दिशा में इसका विपरीत असर पड़ेगा क्योंकि कम संसाधनों वाले राजनैतिक दल अलाभ की स्थिति में होंगे।

11.5.2 उपरोक्त सभी विचारों के मद्देनजर, निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता, मतदान और मतगणना के दिनों में मतदान और मतगणना प्रक्रिया का जायजा लेने और निगरानी करने के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग नहीं करेगा।

11.5.3 निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि नागर विमानन महानिदेशक उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखेंगे और आपात स्थिति के मामले में निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के अलावा, मतदान और मतगणना के दिनों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ानों की अनुमति नहीं देंगे।

****

अध्याय 12

स्कूल के मैदानों/सरकारी संपत्तियों का उपयोग

अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-

- स्कूल/कॉलेज परिसर/मैदान का उपयोग
- राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध
- राजनीतिक विज्ञापनों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के तहत बसों के उपयोग पर प्रतिबंध

12.1 प्रस्तावना

राजनीतिक दलों को अपने निर्वाचन अभियानों के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने के प्रयोजन से, बड़े मैदानों, पार्कों, खेल के मैदानों आदि की आवश्यकता होती है। कई शहरों और कस्बों में, राजनीतिक दलों को अपनी सार्वजनिक सभाओं के लिए अक्सर ऐसे मैदानों की कमी का सामना करना पड़ता है और वे अपनी जनसभाओं के आयोजन के लिए स्कूल/कॉलेज के मैदान के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हैं। आदर्श आचार संहिता के भाग VII (ii) में इसका प्रावधान करने के अतिरिक्त, कि सत्ताधारी दल, अपनी निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने और हेलीकॉप्टरों/विमानों के लिए हेलीपैड के रूप में उपयोग करने के लिए इन मैदानों पर एकाधिकार नहीं करेंगे, निर्वाचन आयोग ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदानों एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें आवश्यक अनुमति जारी करते समय संबंधित अधिकारियों को ध्यान में रखना होगा।

12.2 स्कूल/कॉलेज परिसर/मैदान का उपयोग

12.2.1 निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक सभाओं के लिए स्कूल/कॉलेज के मैदान के उपयोग की अनुमति दी है बशर्ते कि:

(i) स्कूल और कॉलेज का शैक्षणिक कैलेण्डर किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो।

(ii) स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को इस प्रयोजन के लिए कोई आपत्ति न हो और इस तरह के अभियान के लिए स्कूल/कॉलेज प्रबंधन के साथ-साथ उप मंडल अधिकारी से भी पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

(iii) इस तरह की अनुमति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाए और किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे मैदानों के इस्तेमाल पर एकाधिकार करने की अनुमति न दी जाए।

(iv) न्यायालय ने इस तरह के किसी भी परिसर/मैदान के उपयोग को प्रतिबंधित

करने का कोई भी आदेश/निर्देश न दिया हो।

(v) राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/प्रचारक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी आदर्श कोड मानदंड का उल्लंघन न हो।

(vi) निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक बैठकों के लिए स्कूल/कॉलेज के मैदान के आवंटन में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में जवाबदेही उप-मंडल अधिकारी की होगी।

12.2.2 जिस राजनीतिक दल को निर्वाचन अभियान के लिए मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, वह बिना किसी क्षति के या क्षति यदि कोई हो, अपेक्षित क्षतिपूर्ति के साथ, संबंधित स्कूल/कॉलेज प्राधिकरण को मैदान वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.3 राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध

12.3.1 राजनीतिक विज्ञापनों के लिए, सार्वजनिक स्थानों/सार्वजनिक संपत्तियों जैसे रेलवे स्टेशन, सरकारी औषधालय/अस्पताल, डाकघर, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, पुल, रेलवे फ्लाईओवर, रोडवेज़, सरकारी बसें, सरकारी/सार्वजनिक भवन/परिसर, सिविल संरचनाएं, बिजली/ टेलीफोन पोल, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन, आदि में स्थान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते समय निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन अवधि के दौरान दीवारों पर लिखने, पोस्टरों/कागजों को चिपकाने या किसी अन्य रूप से विकृत कृत्य, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज लगाने/प्रदर्शित करने आदि की निर्वाचन अभियान के भाग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.3.2 यह भी निदेश दिया जाता है कि संबंधित कानून या न्यायालय के आदेश यदि कोई हो, के अध्यधीन, सरकारी विभाग (चाहे केंद्रीय विभाग हो या राज्य विभाग), स्थानीय प्राधिकरण, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम आदि, नगरपालिकाएं, नगर निगम, विपणन बोर्ड आदि प्रचार-प्रसार के लिए निजी विज्ञापन एजेंसियों के साथ अनुबंध करते समय यह प्रावधान करेंगे कि आदर्श संहिता अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए संपत्ति का उपयोग निर्वाचन आयोग के निदेशों के अध्यधीन होगा।

12.3.3 उपरोक्त प्रतिबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले भवन/परिसर के मामले में भी लागू होंगे और उन्हें उस उद्देश्य के लिए सरकारी भवनों के समान माना जाएगा।

12.3.4 यदि सार्वजनिक उपक्रमों के उप-नियमों में या विज्ञापन एजेंसियों (जिन्हें वे विज्ञापन के लिए स्थान दे सकते हैं), के साथ उनके समझौतों में राजनीतिक विज्ञापन के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को व्यावसायिक विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन हेतु पट्टे पर स्थान प्रदान करते समय अपने समझौते में इस आशय का एक पैरा जोड़ने का निर्देश दिया जा सकता है कि "आदर्श

आचार संहिता की अवधि के दौरान व्यावसायिक विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन के लिए पट्टे पर प्रदान किए गए स्थान पर कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित/चिपकाया नहीं जाएगा। यदि प्रदान किए गए स्थान पर कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित है, तो आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर उसे तत्काल हटा दिया जाएगा।"

12.4 राजनीतिक विज्ञापनों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के तहत बसों के उपयोग पर प्रतिबंध

12.4.1 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें और नगर निगम आदि के स्वामित्व वाली बसें और अन्य सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों का उपयोग, उस अवधि के दौरान, जब आदर्श संहिता लागू हो, राजनीतिक विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाएगा।

12.4.2 यदि स्थानीय कानून, भुगतान के आधार पर या अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नारा लेखन, पोस्टरों के प्रदर्शन, कट-आउट/ होर्डिंग्स इत्यादि लगाने की स्पष्ट अनुमति देता है या इसके लिए प्रावधान किया गया है, तब इस विषय पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो, के सख्त अनुपालन के अध्यधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का स्थान समान रूप से वितरित किया जाए और इन पर किसी विशेष दल/अभ्यर्थी का वर्चस्व न हो।

****

अध्याय 13

राष्ट्रीय ध्वज/दल के ध्वज/दल के बैनर का उपयोग

<u>अध्याय में चर्चा के मुख्य विषय:-</u>

- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग
- दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निवासों पर दल के ध्वज/बैनर का उपयोग
  - ✓ प्रदर्शित किए जाने वाले पार्टी ध्वज की संख्या
- वाहनों पर प्रदर्शित किए जाने वाले बैनरों/ध्वजों की संख्या और आकार
- प्रचार से संबंधित वस्तुएं

13.1 राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग

13.1.1 निर्वाचन प्रचार के दौरान, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी कभी-कभी राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को यह दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों की रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति न दी जाए। उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी, 2014 के अपने आदेश द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए यह समुक्ति की कि राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यह संबंधित अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लैग कोड तथा प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की अवमानना की रोकथाम' के प्रावधानों का सख्त अनुपालन किया जाए। **(परिशिष्ट XIV)**

13.1.2 2017 में हुए एक उप-निर्वाचन में, निर्वाचन आयोग के संज्ञान में यह लाया गया था कि निर्वाचन अभियान के दौरान, निर्वाचन लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे एक दिवंगत राजनीतिक नेता के डमी ताबूत का इस्तेमाल किया गया था। निर्वाचन आयोग ने इसे अनुचित माना। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी, राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज, (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की अवमानना की रोकथाम के प्रावधानों का सख्त अनुपालन करने के लिए बाध्य थे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त संदर्भ के संबंध में, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री, जो राम मंडी में इसके लिए प्रचार कर रहे थे, ने अनुरोध किया कि उन्हें 26 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए फिरोजपुर जाने की अनुमति दी जाए। निर्वाचन आयोग ने अनुमति देते हुए इस संबंध में यह निर्देश दिया कि मंत्रियों को न तो अपने गृह जिलों में और न ही उन जिलों में, जिनमें वे निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित हैं, जहाँ से वे निर्वाचन लड़ रहे थे, ध्वज फहराना चाहिए।

13.2 दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निवासों पर दल के ध्वज/बैनर का उपयोग

13.2.1 स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अधीन, राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक, अपनी संपत्ति पर बैनर, बंटिंग, ध्वज, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से और किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें, और यह भी कि इससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यदि बैनर, ध्वज आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मत मांगना है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के प्रावधान लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

[भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज में यह विहित है कि जो भी व्यक्ति, किसी अभ्यर्थी के लिखित में सामान्य या विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन के प्रचार-प्रसार या खरीद के लिए या अन्य किसी भी तरह से विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन के लिए या किसी भी आम बैठक के आयोजन के लिए खर्च करता है अथवा खर्च करने के लिए प्राधिकार देता है, तो उस पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है: बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति, जिसने दस रुपये से अधिक की राशि खर्च नहीं की है, उस तारीख से जब ऐसा खर्च किया गया था, दस दिनों के भीतर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने यह खर्च अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया है]।

13.2.2 **प्रदर्शित किए जाने वाले दल ध्वज की संख्या:** दल के कार्यकर्ताओं/समर्थकों के निवास और दल के कार्यालयों में उपयोग के लिए दल/अभ्यर्थी के केवल तीन ध्वज का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि, कुछ व्यक्ति एक से अधिक दल या अभ्यर्थी के ध्वज प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यह प्रत्येक दल/अभ्यर्थी के केवल एक ध्वज तक ही सीमित होगा। झंडों का प्रदर्शन स्थानीय कानून और न्यायालयों के आदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा। हालाँकि, निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यय का पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा।

13.3 वाहनों पर प्रदर्शित किए जाने वाले बैनर/ध्वज की संख्या और आकार

13.3.1 निर्वाचन आयोग ने दल के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों पर इस्तेमाल किए जाने वाले दल के ध्वज की अधिकतम संख्या और आकार के लिए, निम्नानुसार निर्देश दिए हैं:

(i) दुपहिया वाहन - बाइक सहित एक दुपहिया वाहन पर अधिकतम 1 फुट X ½ फुट का एक ध्वज लगाने की अनुमति की जाएगी। कोई भी बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक वाहन पर यथोचित आकार के 1 या 2 छोटे स्टिकर लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) तिपहिया, चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा- अधिकतम 1 फुट X, ½ फुट का एक ध्वज। कोई भी बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक वाहन पर यथोचित आकार के 1 या 2 छोटे स्टिकर लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रोड शो के लिए, अभियान वाहन पर 1 फुट X ½ फुट के आकार का केवल एक ध्वज लगाने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) ध्वज लगाने के लिए डंडे की लंबाई 3 फुट से अधिक नहीं होगी।

(v) यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी दल ने किसी अन्य दल के साथ निर्वाचन पूर्व गठबंधन/सीट बंटवारे की व्यवस्था की है, तो अभ्यर्थी/राजनीतिक दल का अभियान वाहन ऐसे दलों में से प्रत्येक का एक-एक झण्डा प्रदर्शित कर सकता है।

(vi) किसी भी रोड शो के दौरान, हाथ में पकड़ कर चलने वाले एक बैनर का अधिकतम आकार 6 फुट X 4 फुट होगा।

13.3.2 किसी भी वाहन पर ध्वज या स्टिकर का उपयोग करते समय, इस बात का उचित ध्यान रखा जाएगा कि चालक की दृष्टि (संबंधित वाहन या सड़क पर किसी अन्य वाहन), और आगे या पीछे चलने वाले किसी भी यात्री की दृष्टि किसी भी तरह से बाधित न हो।

13.3.3 किसी भी अभियान वाहन पर कोई स्पॉट/फोकस/फ्लैश/सर्च लाइट और हूटर नहीं लगाया जाएगा।

13.3.4 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना तथा विधि और अदालत के निर्देश/आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों, यदि कोई है के अधीन, कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन पर ध्वज या बैनर या बड़े आकार का स्टीकर नहीं लगाएगा।

13.3.5 मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्थानीय कानून, अदालत के निर्देश/आदेश और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान समान रूप से पूरे राज्य में लागू हों।

13.4 प्रचार से संबंधित मदें

व्यय के लेखांकन के अधीन, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित अभियान संबंधित मदों को अनुमति दी है:-

(i) जुलूस और रैलियों आदि में, ध्वज, बैनर, कटआउट आदि का उपयोग, स्थानीय कानूनों और लागू निषेधात्मक आदेशों के अधीन किया जा सकता है;

(ii) इन जुलूसों में, दल/अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष सामान जैसे टोपी, मुखौटा, दुपट्टा आदि पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, दल/अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, शर्ट इत्यादि जैसे मुख्य परिधानों की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है।

****

अध्याय 14

लाउडस्पीकरों का प्रयोग

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- ✓ निर्वाचनों के दौरान लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की अवधि
- ✓ लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति अनिवार्य है
- ✓ अंतिम 48 घंटों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
- ✓ आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर होनी चाहिए

14.1 प्रस्तावना

14.1.1 लाउडस्पीकर अपनी तेज आवाज और लाने- ले जाने में सुविधाजनक होने के कारण भारत में निर्वाचन प्रचार का सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका है। एक वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर एक राजनीतिक दल/अभ्यर्थी, किसी स्थान के कोने- कोने में एक साथ अत्यधिक निर्वाचकों तक पहुँच बना सकता है। लेकिन इसकी उच्च डेसिबल के कारण, लाउडस्पीकर पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों जैसे बीमार/कमजोर लोग/अशक्त/छात्र या घर पर रहने वाले जानवर परेशान होते हैं। एक तरफ निर्वाचन अभियान के साधन के रूप में लाउडस्पीकरों का उपयोग करने के लिए राजनीतिक दलों के अधिकार और दूसरी ओर, आम जनता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए, निर्वाचन आयोग ने 13 जनवरी, 1994 को कुछ विनियम जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक की अवधि के दौरान प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से प्रातः 8 बजे से रात्रि 7 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है।

14.1.2 मई, 1994 में तमिलनाडु में कुछ उप-निर्वाचनों के दौरान, एआईएडीएमके ने इन निर्देशों को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निर्वाचन आयोग के आदेश को संशोधित करते हुए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी।

14.2 समेकित अनुदेश

14.2.1 26 दिसंबर 2000 को, निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर अपने सभी पूर्ववर्ती अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए नए समेकित अनुदेश जारी किए। इन्हें दिनांक 26.09.2005

(परिशिष्ट-XV) के पत्र के जारी संशोधित किया गया था। निर्देशों में प्रावधान हैः

(i) **निर्वाचन के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग की अवधिः** निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक सभा के लिए प्रयुक्त किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा लाउडस्पीकर या साउंड एंप्लीफायर चाहें वे किसी तरह के वाहनों पर लगे हो अथवा स्थिर स्थिति में हों, का इस्तेमाल, रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच किया जाएगा।

(ii) लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, चाहे वह सामान्य प्रचार के लिए हो या सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों के लिए, और चाहे चलते वाहनों पर लगे हो या अन्यथा हों, ऊपर वर्णित समयावधि के दौरान निषिद्ध होंगे, उसके बाद नहीं।

(iii) ऊपर वर्णित समयावधि से परे इस्तेमाल किए जा रहे लाउडस्पीकरों को उनसे जुड़े हुए सभी उपकरणों के साथ जब्त कर लिया जाएगा।

(iv) **लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति अनिवार्य है:** राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्ति, जो चलते वाहनों पर लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ट्रक, टेम्पों, कार, टैक्सी, वैन, तीन पहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि शामिल हैं, किंतु यह दायरा इन्हीं तक ही सीमित नहीं है, लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले प्राधिकारियों को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या की सूचना देगा और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त परमिट पर वाहनों की इस पंजीकरण पहचान संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(v) कोई भी वाहन, जिस पर उक्त लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर और उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा।

(vi) सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह इसका उपयोग चलती गाड़ी में करें या किसी निश्चित स्थान पर करें, सूचना देनी होगी-

    (क) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, और

    (ख) लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को, उनके द्वारा प्राप्त परमिट की लिखित रूप में पूरी जानकारी। मोबाइल लाउडस्पीकरों के मामले में, वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या भी उनके द्वारा रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास में दर्ज करायी जाएगी।

(vii) लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के लिए परमिट प्रदान करने का दायित्व राज्य

सरकार के प्राधिकारियों का होगा और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सख्ती से लागू करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए।

14.2.2 **अंतिम 48 घंटों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध:** किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए या किसी अन्य तरीके से लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के बाद भी, परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन पूरा होने तक उचित कानून- व्यवस्था बनाए रखना अपेक्षित है। लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल सामान्य तौर पर आम लोगों के लिए परेशानी का स्रोत माना जाता है और इससे अक्सर राजनीतिक सरगर्मी वाले माहौल में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, जिला प्रशासन को, प्रत्येक आवेदन की योग्यता के आधार पर, 48 घंटे के पूर्व निषेधात्मक अवधि के बाद लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन पर गुणावगुण आधार पर और निर्वाचन पूरा होने तक उचित कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए।

14.2.3 **आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर होनी चाहिए:** निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाउडस्पीकर/एम्पलीफायरों से निकलने वाली आवाज के डेसिबल, संबंधित कानून/ दिशा-निर्देशों के तहत यथा-निर्धारित अनुमत्य सीमा से अधिक न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था कर इसकी निगरानी करेंगे।

****

अध्याय 15

पैम्फलेट/पोस्टरों का मुद्रण

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- सरोगेट विज्ञापन
- उन मामलों में कार्रवाई, जिनमें विज्ञापन के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है
- 'पोस्टर' के आशय के भीतर आने वाले होर्डिंग्स/फ्लैक्स बोर्ड

15.1 प्रस्तावना

15.1.1 निर्वाचनों के दौरान, राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या उनके समर्थक, मतदाताओं के बीच वितरण के लिए प्रिंट मीडिया या निर्वाचन पर्चों/पोस्टरों से राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन का सहारा लेते हैं। कभी-कभी, इस प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक का नाम और पहचान नहीं होती। ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्वाचन विधि में धारा 127 'क' के रूप में विधि निर्वाचन में प्रावधान किया गया है।

15.1.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क में कहा गया है कि-

(1) कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा, अथवा मुद्रित नहीं कराएगा-

   क) जब तक कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता है उनके द्वारा सत्यापित इस आशय की घोषणा की दो प्रतियां मुद्रक को प्रदान नहीं की जाती कि प्रकाशक की पहचान क्या है; और

   ख) जब तक, दस्तावेज़ के मुद्रण के बाद उपयुक्त समयावधि के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति सहित, मुद्रक द्वारा नहीं भेज दी जाती;

      (i) जहाँ इसे राज्य की राजधानी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेतु मुद्रित किया गया हो।

      (ii) किसी अन्य मामले में, सीधे उस जिले के मजिस्ट्रेट को, जिसमें इसे मुद्रित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिएः -

   (क) किसी दस्तावेज़ की प्रतियों को हाथ द्वारा फोटोकॉपी करने के अलावा किसी भी प्रक्रिया से इसकी अधिक संख्या में प्रतियां बनाने को मुद्रण समझा जाएगा और तदनुसार, "मुद्रक" शब्द का अर्थ समझा जाएगा; तथा

(ख) "निर्वाचन पेम्फलेट या पोस्टर" का अर्थ है किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन प्रचार या उसके पूर्वाग्रह के प्रयोजनार्थ वितरित मुद्रित पर्चे, हैंड-बिल या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी इश्तहार या पोस्टर है, लेकिन इसमें महज किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विवरणों की घोषणा या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को नियमित निर्देश वाला कोई भी हैंड बिल, इश्तहार या पोस्टर शामिल नहीं हैं।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे छह माह तक के कारावास अथवा दो हजार रुपए तक के जुर्माने का दण्ड या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।"

15.2 सरोगेट विज्ञापन

यह देखा गया है कि निर्वाचन अवधि के दौरान विशेष रूप से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के पक्ष में और उनके विरूद्ध प्रिंट मीडिया में, विशेष रूप से समाचार पत्रों में सरोगेट विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। कई मामलों में, ऐसे विज्ञापन किसी विशेष अभ्यर्थी के निर्वाचन की आकांक्षाओं के लिए होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन संबंधी ऐसे विज्ञापनों में शामिल होने वाले व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ना होगा, जिसका हिसाब उस धारा के तहत रखना आवश्यक है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171ज में अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थी से प्राधिकार के बिना, किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन का प्रचार-प्रसार या प्रबंधन के उद्देश्य से, किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर होने वाले व्यय पर प्रतिबंध है। सरोगेट विज्ञापन से कानून के पूर्वोक्त प्रावधानों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है।

15.3 जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। विधि के उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के हित में या उसके विरूद्ध किसी विज्ञापन/निर्वाचन के मामलों में, सामग्री/विज्ञापन के साथ प्रकाशक का नाम और पता दिया जाना चाहिए।

15.4 उन मामलों में कार्रवाई, जिनमें विज्ञापन के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है

उन मामलों में, जिनमें विज्ञापन के स्रोतों का पता लगाया जा सकता है, निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती हैः -

(i) यदि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति से है या उसकी जानकारी में है, तो उसे संबंधित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) द्वारा अधिकृत किया गया माना जाएगा और अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के निर्वाचन व्यय के खाते में उसका हिसाब रखा जाएगा;

(ii) यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, (संबंधित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) से लिखित प्राधिकार के बिना विज्ञापन पर व्यय)।

(iii) यदि विज्ञापन में प्रकाशक की पहचान निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तो संबंधित अखबार से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और उपर्युक्त उचित कार्रवाई की जा सकती है।

15.5 'पोस्टर' के आशय के भीतर आने वाले होर्डिंग्स/ फ्लैक्स बोर्ड

किसी भी निर्वाचन संबंधी विज्ञापन वाले होर्डिंग्स, फ्लैक्स बोर्ड आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून, 1951 की धारा 127क में उल्लिखित 'पोस्टर 'के आशय में अंतनिहित माना जाता है। इसीलिए, दल के नेताओं की फोटो के होर्डिंग्स सहित होर्डिंग्स, फ्लैक्स बोर्ड आदि के मामले में प्रकाशक का नाम और पता देने की आवश्यकता का पालन किया जाना चाहिए।

15.6 जहाँ तक धारा 127क की उप-धारा (2) के प्रावधानों का संबंध है, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि होर्डिंग्स, फ्लैक्स बोर्ड आदि की प्रदर्शित करने से पहले/संपत्ति के मालिक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसी सामग्री के मामले में, चाहे सार्वजनिक स्थान पर हो या निजी परिसर में, संबंधित दल/अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ऐसे होर्डिंग्स/फ्लेक्स बोर्ड की दो तस्वीरों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को जानकारी देनी होगी। **(अनुलग्नकXVI)**

****

अध्याय 16

सार्वजनिक/निजी संपत्ति का विरूपण

16.1 प्रस्तावना

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- सार्वजनिक स्थानों का विरूपण
- निजी स्थानों का विरूपण
- हॉल, ऑडिटोरियम और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों का विरूपण
- वाहनों का विरूपण
- अनधिकृत विरूपण हटाने की समय-सीमा

16.1.1 राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग I के खंड (6) में प्रावधान है किः

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, अपने समर्थकों को ध्वज-दंड खड़ा करने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की चारदीवारी आदि का उपयोग, उसकी अनुमति के बगैर, करने की अनुमति नहीं देगी/देगा।

16.1.2 लेकिन ऐसा देखा गया है कि निर्वाचनों के समय राजनीतिक दल, सरकारी और निजी भवनों पर पोस्टर चिपका कर और दीवारों पर लिखकर इसे विरूपित करने में लिप्त रहते हैं ऐसा करने के लिए वे कभी-कभी इन भवनों के मालिकों की अनुमति भी नहीं लेते हैं। निर्वाचन समाप्त होने के बाद, पोस्टर और दीवार लेखन को हटाने की लागत का वहन, सरकारी भवन के मामले में सरकारी खजाने से और निजी भवनों के मामले में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दोनों ही मामलों में, समग्र रूप से आम जनता को बिना अपनी किसी गलती के नुकसान सहना पड़ता है।

16.1.3 कुछ राज्यों में स्थानीय कानून हैं, जिनके तहत प्राधिकारियों को ऐसे विरूपण को रोकने और व्यतिक्रमियों को आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। इस बुराई से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में एक विशेष कानून बनाया गया था जिसे पश्चिम बंगाल संपत्ति के विरूपण की रोकथाम अधिनियम (जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था) कहा जाता था। निर्वाचन आयोग ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रावधानों के अधिनियमन की सिफारिश की है। कुछ राज्य सरकारों ने कानून पारित किए। वास्तव में, कुछ राज्यों नामतः असम, गुजरात, केरल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर, सभी राज्यों में अब अपने स्वयं के राज्यीय कानून हैं।

16.1.4 5 जनवरी, 1994 को, निर्वाचन आयोग ने संपत्ति के विरूपण की रोकथाम करने और इन कानूनों का उल्लंघन करने में संलिप्त लोगों पर अभियोजन करने और कार्यवाही करने से संबंधित स्थानीय कानूनों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। इस अनुदेश की मुख्य बात यह थी कि दल/संघ/निकाय/अभ्यर्थी या कोई भी अन्य व्यक्ति, जिनके/जिन्होंने भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सरकारी या निजी भवन पर नारे, प्रतीक या पोस्टर लिखे या मुद्रित या चिपकाए हैं, उनसे यह अपेक्षित करवाया जाना चाहिए कि वे अपनी स्वयं की लागत पर विरूपित दीवारों एवं भवनों पर पुताई या पेंट कराएं ताकि उन्हें मूल स्थिति में बहाल किया जा सके।

16.2 समेकित अनुदेश

16.2.1 निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त अनुदेश से सार्वजनिक और निजी संपतियों की साफ-सफाई पर हितकारी प्रभाव पड़ा है और राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के व्यय में काफी कमी हुई है। तथापि, ऐसा देखा गया है कि कई राज्यीय में राज्य कानून अधिनियमित किए जाने के बावजूद, पूरे देश में एकरूपता नहीं थी और इसलिए, राजनीतिक दलों, कानून का प्रवर्तन कराने वाले प्राधिकारियों और निर्वाचनों के दौरान तैनात निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों के मार्गदर्शन के लिए संपत्ति के विरूपण पर व्यापक दिशानिर्देशों की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर, 2008 को सभी पूर्ववर्ती अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए नए विस्तृत दिशानिर्देश **(अनुलग्नक XVII)** जारी किए। उत्तरवर्ती संशोधनों के साथ, संपत्ति विरूपण के संबंध में नवीनतम अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

(i) सार्वजनिक स्थानों का विरूपण

(क) किसी भी सरकारी परिसर पर (सिविल संरचनाओं सहित) दीवार पर किसी प्रकार के लेखन, पोस्टर/कागज चिपकाए जाने या किसी भी अन्य रूप में विरूपण, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी परिसर में ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय और कैम्पस शामिल होगा जिसमें सरकारी भवन स्थित है।

(ख) यदि स्थानीय कानून में किसी सार्वजनिक स्थान में, जैसे कि किन्हीं सरकारी परिसरों के सम्मुख भुगतान के आधार पर या अन्यथा नारे लिखने पोस्टर प्रदर्शित करने इत्यादि या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर, राजनैतिक विज्ञापन इत्यादि को लगाने के लिए सुव्यक्त रूप से अनुमति दी गई है या प्रावधान किया गया है तो उसे कड़ाई से इस विषयक कानून के संगत प्रावधानों के

अनुसार और न्यायालय के आदेशों यदि कोई हो, के अधीन, अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी स्थान पर कोई विशेष दल/दलों या अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का वर्चस्व/एकाधिकार नहीं हो। सभी दलों और अभ्यर्थियों को इस संबंध में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) यदि किसी सार्वजनिक स्थान में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित स्थान की व्यवस्था है, उदाहरण के लिए बिल बोर्ड, होर्डिंग्स आदि और यदि इस तरह की जगह पहले ही किसी एजेंसी को उसे आगे अलग-अलग ग्राहकों (क्लाइंट्स) को आबंटित करने के लिए दी गई है, तो संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण यदि कोई हो, के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान के प्रति सुलभता का न्यायसंगत अवसर मिले।

(ii) निजी स्थानों का विरूपण

(क) उन राज्यों में जहाँ इस विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है, और जहां कानून है वहां कानून के तहत प्रतिबंधों के अध्यधीन अस्थायी और आसानी से हटाई जाने योग्य विज्ञापन सामग्री जैसे कि ध्वज और बैनर को अधिभोगी की स्वैच्छिक अनुमति के साथ निजी परिसरों में लगाया जा सकता है। अनुमति एक मुक्त इच्छा का एक कार्य होना चाहिए और किसी दबाव या धमकी से हासिल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के बैनर या ध्वज से दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में लिखित रूप में प्राप्त स्वैच्छिक अनुमति की फोटो-कॉपी ध्वज और बैनर लगाने के 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) उन राज्यों में जहां राज्य/स्थानीय विरूपण कानून ध्वज, बैनर, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाता है, वहां कानून के प्रावधान सख्ती से लागू होंगे और ऐसी सामग्री निजी संपत्ति या सार्वजनिक रूप से दृश्यमान संपत्ति पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी;

(ग) यदि राज्य/स्थानीय कानून में निजी संपत्ति पर ध्वज या होर्डिंग अथवा बैनर आदि के प्रदर्शन पर विशेष रूप से इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, तो ऐसी सामग्री (ध्वज, बैनर, होर्डिंग्स) को निजी संपत्ति पर, संपत्ति के स्वामी/अधिभोगी की स्वेच्छा पर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो हालांकि उसके विपरीत कोई भी अदालती फैसले/निदेश की शर्त के अधीन होगी। दूसरों की संपत्ति पर प्रदर्शन के मामले में, संबंधित मालिक/अधिभोगी से

पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए।

(घ) यदि स्थानीय कानून में दीवार पर लेखन, पोस्टरों के चिपकाए जाने, और इसी तरह के ऐसे अन्य स्थायी/अर्ध-स्थायी विरूपण को हटाने की अनुमति सुस्पष्ट रूप से नहीं दी गई हो, जो आसानी से हटाने योग्य नहीं है, तो संपति के स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेने के बहाने भी किसी भी परिस्थिति में इसका सहारा नहीं लिया जाएगा। यह उन राज्यों में भी लागू होगा, जहाँ संपत्ति के विरूपण को रोकने के विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है।

(ङ) जहां स्थानीय कानून में निजी परिसरों पर स्वामी की अनुमति से दीवार पर लेखन और पोस्टर चिपकाए जाने, होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाए जाने की अनुमति सुस्पष्ट रूप से दी गई हो, वहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या संबंधित राजनीतिक दल संपत्ति के मालिक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे, और उसकी छायाप्रति निर्धारित प्रारूप में विवरण देते हुए एक कथन के साथ 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामोद्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में और ऊपर उप-पैरा (क) में उल्लिखित मामलों में, संपत्ति के उस मालिक के नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, जिससे ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है, और इसमें इस उद्देश्य के लिए उपगत हुआ या उपगत होने के लिए संभावित व्यय भी शामिल होना चाहिए।

(च) दीवारों पर लेखन/प्रदर्शन में कुछ भी भड़काऊ अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाला कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के ऐसे विशिष्ट अभियान (प्रचार) में किए गए व्यय को अभ्यर्थी द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। किसी राजनीतिक दल के लिए अनन्य प्रचार (किसी भी अभ्यर्थी का उल्लेख किए बिना) पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा।

(ज) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना गांव/इलाका/शहर-वार प्रस्तुत करेगा ताकि अधिकारीगण या निर्वाचन प्रेक्षक उसकी आसानी से जांच कर सकें।

(झ) किसी स्थानीय कानून या न्यायालय के प्रवृत्त आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अध्यधीन, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/उनके अभिकर्ता/कार्यकर्ता और समर्थक, अपनी स्वयं की संपत्ति पर बैनर, बंटिंग, ध्वज, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से और किसी भी दल/संगठन या/किसी व्यक्ति के दबाव के बिना करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये किसी भी व्यक्ति को किसी

भी तरह की असुविधा कारित न करें। यदि बैनर, ध्वज आदि के ऐसे प्रदर्शन किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मत मांगने के लिए है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171ज के प्रावधान लागू होंगे और उसका पालन करना होगा। [भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज में यह विहित है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी के लिखित में सामान्य या विशेष प्राधिकार के बगैर ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन को बढ़ावा देने या उपाप्त करने के लिए कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने या कोई विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन करने पर या चाहे किसी भी अन्य रीति से खर्च करता है अथवा खर्च करने के लिए प्राधिकार देता है, तो उसे जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता हैः बशर्ते यदि ऐसा व्यक्ति, जिसने बिना अधिकार के दस रूपए से अनधिक की राशि ऐसे खर्च पर उपगत की है, उस तारीख से दस दिनों के भीतर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है, जब ऐसा खर्च किया गया था, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने यह खर्च अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया है]।

(iii) हॉल, ऑडिटोरियम और सरकारी स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों का विरूपण

सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के स्वामित्व/वाले द्वारा नियंत्रित हॉल/ऑडिटोरियम/सभा स्थलों के मामले में, उनका इस्तेमाल करने में उस परिस्थिति में कोई आपत्ति नहीं है जब उनके इस्तेमाल को विनियंत्रितप्रशासित करने वाली विधि/दिशा-निर्देशों में राजनीतिक सभाओं को प्रचारित न किया गया हो। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटन साम्यापूर्ण आधार पर किया जाए, और यह कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का इस पर एकाधिकार न हो। ऐसे स्थानों में, बैठकों की अवधि के दौरान बैनर, ध्वजपट, ध्वज, कट-आउट प्रदर्शित करने की केवल अनुमति दी जा सकती है, जो प्रवृत्त विधि/दिशा-निर्देश के अधीन लागू हों। ऐसे बैनर, ध्वज, आदि उस दल/व्यक्ति द्वारा बैठक के समापन के तुरंत बाद हटाए जाएंगे जिन्होंने परिसर का उपयोग किया। ऐसे परिसरों में स्थायी/अर्ध-स्थायी विरूपण जैसे कि दीवार लेखन/पोस्टर चिपकाना आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) वाहनों का विरूपण

(क) निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन, और अदालत के लागू आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन वाहनों के मालिक द्वारा वाहन पर अपनी इच्छा से ध्वज और स्टिकर इस तरह से लगाए जा सकते हैं कि वे सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी असुविधा या परेशानी का कारण नहीं बने। यदि ध्वज और स्टिकर के इस तरह

के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी हेतु वोट मांगना है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171-ज के प्रावधानों का पालन किया जाना होगा।

(ख) वाणिज्यिक वाहनों पर, किसी भी ध्वज, स्टिकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्वाचन अभियान हेतु विधिमान्य रूप में प्रयुक्त किया जा रहा वाहन न हो और उक्त अनुमति वाहन के विंड स्क्रीन पर मूल रूप में न दर्शाई गई हो।

(ग) वाहनों पर लाउडस्पीकर की फिटिंग सहित उनका बाहरी तौर पर रूप-परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अधीन होगा। रूपांतरण वाले और विशेष अभियान वाहन, जैसे कि वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है।

16.2.2 यदि कोई भी राजनीतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति स्थानीय कानून, यदि कोई हो, या उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी संपत्ति के विरूपण में लिप्त होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को ऐसे विरूपण को तुरंत हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि राजनीतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/ व्यक्ति तुरंत प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो जिला अधिकारी ऐसे विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में होने वाले व्यय को ऐसे विरूपण के लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में भी यह राशि जोड़ी जाएगी, और संगत कानून के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की भी कार्रवाई शुरु की जानी चाहिए (विरूपण यदि कोई हो, की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत, अथवा दूसरों की संपत्ति को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने के लिए सामान्य कानून के प्रावधानों के अधीन)।

16.3 अनधिकृत विरूपण हटाने की समय-सीमा

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रचारसामग्री के अनधिकृत प्रदर्शन को हटाने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तय की हैः -

(i) सरकारी संपत्ति का विरूपण- इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में ऐसा कोई सरकारी कार्यालय और परिसर शामिल होगा जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी संपत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज आदि को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।

(ii) सरकारी संपत्ति का विरूपण और सरकारी स्थान का दुरुपयोग- निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों आदि की दीवारों पर लेखन/पोस्टर/पेपरों या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर/ध्वज के रूप में लगाए गए अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों आदि को हटा दिया जाएगा।

(iii) निजी संपत्ति का विरूपण-किसी स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अध्यधीन, निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर हटा दिए जाएंगे।

****

अध्याय 17

शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- सांविधिक प्रतिबंध
- अंतिम 48 घंटों और मतदान/पुनः मतदान के दौरान प्रतिबंध
- मतगणना के दिन प्रतिबंध
- मतदाताओं को प्रलोभन देने बहकाने के लिए शराब के उपयोग की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय

17.1 प्रस्तावना

17.1.1 आम तौर पर ऐसी धारणा है किसी भी निर्वाचन के दौरान शराब की बड़ी मांग होती है। यह एक आम धारणा है कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों को निर्वाचकों को, विशेष रूप से गरीब निर्वाचकों को प्रलोभित करने के लिए पेश किया जाता है जिससे उनके फैसले को बदला जा सके और उनका मत हासिल किया जा सके। इसके अलावा, शराब और अन्य नशीले पेय का अत्यधिक सेवन करने से अक्सर घृणित घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, और कभी-कभी हिंसा भी होती है जिससे सरकारी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है और कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए, प्रत्येक निर्वाचन के समय शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, भंडारण और इन्हें परोसने पर किसी न किसी तरीके से कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

17.2 सांविधिक प्रतिबंध

17.2.1 अगस्त 1996 से पहले, निर्वाचन अवधि के दौरान, निर्वाचन विधि में कोई विशेष प्रावधान नहीं था जिससे शराब आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया हो। हालांकि, अगस्त 1996 में, इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 द्वारा इसमें एक नई धारा 135ग अंत:स्थापित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में इस आशय का एक स्पष्ट प्रावधान किया गया था। नई धारा 135ग की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि:

किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की समयावधि के भीतर, कोई भी स्प्रिट वाली, किण्वित या नशीली शराब या इसी प्रकृति के अन्य पदार्थों को किसी होटल, भोजनालयों, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान, में इसकी बिक्री परिदान/वितरण नहीं किया जाएगा।

17.2.2 उक्त धारा की उप-धारा (2) में उपरोक्त प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को निर्वाचकीय अपराध बनाया गया है, जिसके लिए छह माह की अवधि तक के कारावास या 2,000

रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसकी उप-धारा (3) के तहत, उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में जिस व्यक्ति के पास स्प्रिट युक्त, किण्वित या नशीली शराब या एक समान प्रकृति के अन्य पदार्थ पाए जाएंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और यथाविनिर्धारित तरीके से इनका निपटान किया जाएगा। हालाँकि, इस अधिनियम के तहत जब्त की गई शराब आदि के निपटान के लिए अभी तक ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है।

17.3 निर्वाचन आयोग के अनुदेश

17.3.1 **अंतिम 48 घंटों और मतदान/पुनः मतदान के दौरान प्रतिबंधः** अगस्त, 1996 में कानून में उपरोक्त संशोधन से, निर्वाचन आयोग ने 21 सितंबर 1996 को अपने निर्देशों में संशोधन किया था जिसके माध्यम से राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग में निर्धारित 48 घंटों की अवधि और मतदान की अवधि के दौरान शराब की दुकानें और इस प्रकार के केन्द्र बंद रखना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पुनः निर्वाचन, यदि कोई हो, की तारीख को भी समान प्रतिबंध, लागू होंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) (यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों में) में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय किए जाएंगे, ताकि उन क्षेत्रों से, जहाँ प्रतिबंध लागू नहीं हैं, शराब की उन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष आवाजाही की कोई संभावना न हो।

17.3.2 **मतगणना के दिन प्रतिबंधः** हालांकि कानून में मतगणना अवधि के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि मतगणना का दिन 'शुष्क दिवस' का पालन के लिए संबंधित राज्य कानूनों के तहत उचित आदेश जारी करे।

17.4 मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए शराब के उपयोग की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय

निर्वाचन आयोग ने राज्य प्राधिकरणों को शराब बनाने वाले अवैध कारखानों और शराब की अवैध बिक्री संबंधी अन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से मतदान के दिन की अवधि के दौरान अधिकृत दुकानों द्वारा भी शराब की बिक्री पर विशेष नजर रखी जानी चाहिएः

(i) पिछले वर्ष के उत्पादन के आंकड़ों के संदर्भ में आईएमएफएल, बियर, देशी शराब के उत्पादन की कड़ी निगरानी;

(ii) किसी केंद्रीय स्टॉक से आईएमएफएल, बियर, देशी शराब की कुल बिक्री पर नजर रखना और यदि इसमें काफी अधिक परिवर्तन हैं, तो एक अनुवर्ती परीक्षण किया जाना चाहिए;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि लाइसेंसधारी स्टॉकिस्टों की स्टॉक सीमा, किसी भी स्थिति में, अनुमत सीमाओं से अधिक न हो। इसके अलावा, सभी प्रमुख स्टॉक पॉइंट्स को चौबीसों घंटे वीडियो निगरानी में रखा जाना चाहिए और इन स्थानों पर पुलिस की मदद से आबकारी शुल्क चौकियों (पिकेट्स) की तैनाती की जानी चाहिए,

(iv) खुदरा विक्रेताओं की दैनिक प्राप्ति और बिक्री पर नजर रखी जानी चाहिए। आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन शाम को इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए, जो संदेहास्पद बिक्री पर कार्रवाई करेंगे,

(v) शराब-बिक्री की दुकानों को खोलने और बंद करने के समय का सतर्कतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए,

(vi) राज्य आबकारी शुल्क विभाग के अधीन विशेष प्रवर्तन आबकारी कर्मचारियों द्वारा आरटीओ चौकियों और सीमा चौकियों पर वाहनों की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर गहन चौकसी रखनी चाहिए,

(vii) सीमा चौकियों पर वाहनों की प्रभावी जाँच के लिए, परिवहन विभाग की सहायता ली जानी चाहिए और आबकारी एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों की संयुक्त जाँच की जानी चाहिए,

(viii) आईएमएफएल, बियर और देशी शराब की अंतर-राज्यीय आवाजाही की निगरानी के लिए सीमावर्ती राज्यों के आबकारी आयुक्तों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वयन;

(ix) उपरोक्त पहलुओं की निगरानी और अवैध शराब जब्त करने के लिए छापेमारी करने हेतु आबकारी विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी की पहचान की जानी चाहिए;

(x) जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसकी प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा और तत्पश्चात् राज्य स्तरीय नोडल कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पूरे राज्य की आबकारी गतिविधि पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी प्रति निर्वाचन आयोग में व्यय निगरानी प्रकोष्ठ को भेजी जाएगी।

****

अध्याय 18

निर्वाचन घोषणापत्र

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- निर्वाचन घोषणापत्र पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- घोषणापत्र पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश
- निर्वाचन घोषणापत्र कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता

18.1 प्रस्तावना

18.1.1 राजनीतिक दल, आम तौर पर निर्वाचनों के पूर्व अपने घोषणापत्र जारी करते हैं, जिसमें आगामी निर्वाचनों के संदर्भ में सामान्यतः घोषित विचारधारा और विशेष रूप से, लोगों निर्वाचकों के लिए, उनकी नीतियां और कार्यक्रम शामिल होते हैं। निर्वाचन घोषणापत्र जनता के लिए एक संदर्भ दस्तावेज या बेंचमार्क का कार्य करता है, कि किसी राजनीतिक दल का क्या अभिमत है और यदि वह सत्ता में आता है, विशेष रूप से, निर्वाचकों को क्या देगा या देने का प्रस्ताव करता है। इस प्रकार, घोषणापत्र निर्वाचकों को दलों के सापेक्ष गुणों का आकलन एवं उनका विश्लेषण करने और यह तय करने का अवसर प्रदान करता है कि उनमें से कौन उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके समर्थन का अधिकारी है।

18.1.2 इससे पहले, राजनीतिक दल आमतौर पर घोषणापत्र जारी नहीं कर रहे थे। यह एक हालिया परिघटना है क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई राजनीतिक दल अब निर्वाचन में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रेरित करने के लिए अधिक आकर्षक प्रस्ताव बनाकर लुभाने की कोशिश करते हैं। इस प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में, वे न केवल बड़े पैमाने पर जनसामान्य के कल्याणार्थ अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करते हैं, बल्कि कतिपय मूर्त सामग्रियों का वायदा भी करते हैं, जिन्हें अब आम बोलचाल में 'फ्रीबीज' कहा जाता है।

18.2 निर्वाचन घोषणापत्र पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

18.2.1 2006 में तमिलनाडु राज्य में साधारण निर्वाचनों के दौरान, कुछ सिविल सोसायटी संगठनों और निजी तौर पर व्यक्तियों ने, प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में कुछ उपहार वस्तुओं के वायदों पर सवाल उठाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने इसमें कोई मैरिट नहीं देखी और रिट याचिका (2006 की सं. 9013- *एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य*)

खारिज कर दी। याचिकाकर्ता, इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले गये। उच्चतम न्यायालय ने 5 जुलाई 2013 के अपने आदेश में यह कहा कि यद्यपि यह कानून स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत निर्वाचन घोषणापत्र में वायदे को 'भ्रष्ट आचरण' नहीं माना जा सकता, तथापि, वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी तरह की फ्रीबीज बांटने से निः संदेह सभी लोग प्रभावित होते हैं।

18.2.2 माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि इस न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं कि वह विधायिका को यह निर्देश दे कि किसी विशेष मामले में वह कानून बनाए। तथापि, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा यह भी सुनिश्चित करने कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता में कोई कमी न आए, विगत की भांति, आदर्श संहिता के अन्तर्गत निर्देश जारी करता रहा है। शक्तिपुंज जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग इन आदेशों को जारी करता है, वह संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो निर्वाचन आयोग को निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचन कराने का जनादेश देता है।

18.2.3 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, जिसके माध्यम से निर्वाचन घोषणा पत्र की अंतर्वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किया जा सके इसलिए न्यायालय, एतदद्वारा निर्वाचन आयोग को निर्देश देता है कि ऐसा अधिनियम प्रभावी होने तक निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के सामान्य आचरण बैठकों, जुलूसों, मतदान दिवस, सत्ताधारी दल इत्यादि के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार करते समय समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से परामर्श करके इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करे। इसी तरीके से आदर्श आचार संहिता मे किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए जाने वाले निर्वाचन घोषणा पत्र संबंधी दिशानिर्देशों के लिए एक अलग शीर्ष भी शामिल किया जा सकता है ताकि राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन हो सके।

18.3 घोषणापत्र पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश

18.3.1 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के निर्वाचन घोषणापत्र के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के मुद्दे पर परामर्श करने के लिए 12 अगस्त 2013 को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। अधिकांश दलों ने अपनी नीतियां और कार्यक्रम, जो उनकी समझ के अनुसार बड़े पैमाने पर आम जन और विशेष रूप से, निर्वाचकों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों, बनाने के अपने अधिकार का अतिलंघन करना मानते हुए घोषणापत्रों के संबंध में कोई

भी दिशा-निर्देश तैयार करने के विचार का विरोध किया। निर्वाचन आयोग ने सैद्धांतिक रूप से उनकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश का उचित सम्मान करते हुए संसद या राज्य विधानसभा के किसी निर्वाचन के लिए अपने निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते समय राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

18.3.2 इन दिशानिर्देशों को आदर्श आचार संहिता के भाग VIII के रूप में शामिल किया गया था और यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त दिशा-निर्देश उस तारीख से लागू होंगे, जब कोई राजनीतिक दल अपना निर्वाचन घोषणापत्र जारी करता है चाहे यह तारीख निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा जारी करने की तारीख से पहले हो या बाद में हो। **(अनुलग्नक XVIII)**

ये दिशानिर्देश इस प्रकार हैं -

(i) निर्वाचन घोषणापत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो संविधान में अधिष्ठापित आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ हो और इसके अतिरिक्त, यह हर प्रकार से आदर्श संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होगा।.

(ii) संविधान में अधिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य को यह आदेश देते है कि वह राज्य के नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याण संबंधी उपायों को तैयार करे और इसलिए निर्वाचन घोषणापत्रों में ऐसे कल्याण संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करें या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें।

(iii) पारदर्शिता लाने, समान स्तर पर निर्वाचन लडने के अवसर उपलब्ध करानेऔर वायदों की विश्वसनीयता के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि घोषणापत्र में वादों का औचित्य भी बताया गया हो और मोटे तौर पर इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और माध्यमों का उल्लेख किया गया हो। मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए, जिन्हें पूरा किया जाना भी संभव है।

18.3.3 निर्वाचन आयोग ने सभी, राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने निर्वाचन घोषणा-पत्र को हिंदी/अंग्रेजी संस्करण (यदि मूल संस्करण क्षेत्रीय भाषा में है), के साथ निर्वाचन रिकार्ड के लिए जब कभी घोषणा-पत्र जारी किया जाए, इसके जारी होने के तीन दिनों के भीतर प्रति प्रेषित करें। राजनीतिक दलों से भी घोषणापत्र के साथ एक घोषणापत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम/नीतियां और वायदे आदर्श आचार संहिता के भाग VIII के अनुरूप हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को घोषणापत्र

जारी किए जाने के 3 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों से इसकी घोषणापत्र और घोषणा की 3 प्रतियां प्राप्त करने और इस निर्वाचन घोषणापत्र का विश्लेषण करने एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए घोषणापत्रों संबंधी दिशानिर्देशों का विश्लेषण, अपनी टिप्पणी सहित, करने के लिए कहा गया है।

18.4 निर्वाचन घोषणापत्र कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता

18.4.1 उच्चतम न्यायालय ने *मिथिलेश कुमार पांडे बनाम भारत संघ* में अपने निर्णय में कहा है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राजनीतिक दलों द्वारा अपने निर्वाचन घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए बाध्य करता हो।

18.4.2 इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने *अश्विनी के उपाध्याय बनाम राष्ट्रीय क्षेत्र, दिल्ली सरकार* में, यह समुक्ति की कि निर्वाचन घोषणापत्र का कोई वैधानिक आधार नहीं है और इसलिए इसे लागू कराना न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में नहीं है और इसीलिए, उस मामले में दिल्ली सरकार को जन लोकपाल विधेयक और स्वराज विधेयक जिसका वायदा आम आदमी दल ने अपने दल घोषणा पत्र में किया था, को पारित करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

18.4.3 हालांकि, न्यायालयों ने राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्रों में किए गए वायदों को लागू करने की मांग करने वाली शिकायतों पर विचार करने से इनकार कर दिया है, निर्वाचन आयोग ने अप्रैल-मई 2016 में आयोजित तमिलनाडु विधानसभा के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में उनके द्वारा जारी किए गए घोषणापत्रों के संबंध में कुछ शिकायतों के आधार पर, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम को नोटिस जारी किए। यह आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग के 19 फरवरी 2014 के उपरोक्त दिशानिर्देशों का काफी हद तक पालन न करके राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श संहिता का उल्लंघन किया गया था चूंकि उनके घोषणापत्रों में किए गए वायदों के लिए औचित्य और उन वायदों को पूरा करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों का मोटे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया। जबकि, निर्वाचन आयोग द्वारा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मून्नेत्र कज़गम की निंदा की गई थी क्योंकि दल के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया था, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को अधिक सावधान रहने और आदर्श संहिता के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने यह समुक्ति की कि हालांकि दल ने अपने जवाब में औचित्य और वायदों को पूरा करने के तरीकों और माध्यमों का स्पष्टीकरण दिया है, फिर भी इसे घोषणापत्र में दिया जाना चाहिए था।

****

अध्याय 19

आदर्श संहिता और सरकारी अधिकारीगण

<u>मुख्य विषय जिन पर इस अध्याय में चर्चा की गई है:-</u>

- स्थानान्तरण/तैनाती पर नीति
  - ✓ स्थानांतरण की शर्तें
  - ✓ नीति की प्रयोज्यता
  - ✓ ढील/छूट
  - ✓ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श
  - ✓ निर्वाचक नामावली की तैयारी में सम्मिलित अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती
- पुलिस के उप-निरीक्षक के स्थानांतरण पर स्पष्टीकरण
- निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरणों पर प्रतिबंध
- पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/गृहमंत्री को संक्षिप्त विवरण (ब्रीफिंग्स) देना
- मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- अधिकारियों के दौरों/अवकाशों पर प्रतिबन्ध जिनके पति या पत्नी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं

19.1 प्रस्तावना

19.1.1 निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र की सहायता से संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 324(6) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर, निर्वाचन आयोग को वो सब उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता इनको प्रदान किये गए क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए हो सकती है। इस दृष्टिकोण से निर्वाचनों के समय पर, निर्वाचन तंत्र को राज्यों के नियमित फील्ड तंत्र को; जिसमें सम्मिलित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी आदि के अतिरिक्त, बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करके सक्रिय बनाया जाता है।

19.1.2 सरकारी अधिकारी देश की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली का मेरुदंड होते हैं। हालाँकि एक सरकारी अधिकारी उस दिन सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाएँ प्रदान करता है परन्तु निर्वाचनों के दौरान, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्पक्षता और प्रतिबद्धता से अपने कर्तव्य का निष्पादन करे। इसलिए निर्वाचन विधि (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129) में उल्लेख है कि सरकारी अधिकारी मतदान को प्रभावित करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करें। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान, किसी सरकारी कर्मचारी और किसी राजनीतिक पदाधिकारी के बीच में किसी निजी बैठक के आयोजन पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है।

19.2 स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी नीति

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता की शिकायतों के लिए कोई गुंजाईस न हो, निर्वाचन आयोग एक स्थायी नीति का अनुसरण कर रहा है कि निर्वाचन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को गृह जनपदों और ऐसे स्थानों पर तैनात न किया जाए जहाँ पर उन्होंने अत्यधिक लंबे समय तक कार्य किया है। इस नीति के पीछे का उद्देश्य स्थानीय राजनेताओं की अंतरंगता के प्रभाव को निष्प्रभावी करना और सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। 2013 और 2015 में, क्रमशः छत्तीसगढ़ और बिहार के राज्य विधानसभा के सामान्य निर्वाचनों के दौरान, कुछ अधिकारियों के विरुद्ध ये शिकायतें मिली थी कि उनको उसी निर्वाचन क्षेत्र/जनपद में तैनात किया गया था, जहाँ पर उनको पिछले निर्वाचनों के दौरान तैनात किया गया था। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से वास्तविक प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। यह नोट किया गया कि उसी निर्वाचन क्षेत्र/जनपद में किसी अधिकारी को फिर से तैनात करने की ऐसी प्रथा में कुछ राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। इसलिए, निर्वाचन आयोग ने 7 सितम्बर, 2016 को जारी अपने निर्देशों में एक नए अनुबंध को इन पंक्तियों में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है कि "किसी अधिकारी के स्थानांतरण/तैनाती का निर्णय लेते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसे उसी निर्वाचन-क्षेत्र/जनपद में तैनात नहीं किया जा सकता, जहाँ पर उसे पिछले निर्वाचनों में तैनात किया गया था"। निर्वाचन आयोग ने यह भी अनुमोदित किया कि छोटे राज्य जिनके पास अधिकारियों की कमी की समस्या हो सकती है, यदि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हैं, विशिष्ट प्रकरणों में इसमें छूट देने की माँग कर सकते हैं। तदनुसार, उस तिथि से 4-5 महीने पूर्व, जिस तिथि को वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होना है, निर्वाचन आयोग सम्बंधित राज्य सरकारों को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है:

19.2.1 स्थानांतरण की शर्तें

(i) निर्वाचनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी अधिकारी को तैनाती के वर्तमान जनपद में अपना कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

(क) यदि वह अपने गृह जिले में तैनात है।

(ख) यदि उसने पिछले चार वर्षों में उस जनपद में तीन वर्ष पूरा किया है या वह तीन वर्ष पूरे कर रहा होगा (उस महीने के अंतिम दिन या उससे पूर्व जिसमें सदन की समय सीमा समाप्त होने जा रही है)।

(ii) तीन वर्ष की अवधि की गणना करते समय, जनपद के अन्दर किसी पदोन्नति

की गणना की जानी होती है।

(iii) उपरोक्त निर्देशों लागू करते समय/अधिकारियों को स्थानांतरित करते समय राज्य सरकार के संबंधित विभागों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उनके गृह जनपदों में तैनात न किया जाए। जनवरी 2019 के दौरान, लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/उप-निरीक्षक या उपरोक्त को उस विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र/जनपद में वापस तैनात नहीं किया जाये या कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाये, जहाँ पर उसे पिछले विधानसभा निर्वाचन/किसी उप-निर्वाचन में 31 मई, 2017 से पहले (अर्थात, सदन/विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि) में तैनात किया गया था।

(iv) यदि कुछेक जनपदों वाला कोई छोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में कठिनाई का सामना करता है, तो यह छूट के लिए निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारणों के साथ विशिष्ट प्रकरण को संदर्भित कर सकता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो निर्वाचन आयोग निर्देश जारी करेगा।

19.2.2 नीति की प्रयोज्यता

(i) इन निर्देशों में ना केवल विशिष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी जैसे कि जिला निर्वाचन अधिकारी, उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, किसी विशिष्ट निर्वाचन के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी, बल्कि जिला स्तर के अधिकारी जिला जैसे कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उप-संभागीय दण्डाधिकारी, उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या निर्वाचन कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से तैनात समान पद का अन्य कोई अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(ii) ये निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों जैसे कि रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट्स, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप-संभागीय पुलिस प्रमुख, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, आरक्षित निरीक्षक/सार्जेंट मेजर या समतुल्य रैंक, जो निर्वाचन के समय जनपद में सुरक्षा के प्रबंधन या पुलिस बल की तैनाती के लिए उत्तरदायी होंगे, पर भी लागू होंगे।

(iii) पुलिस उप-निरीक्षकों और उपरोक्त को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया

जाना चाहिए।

(iv) यदि किसी पुलिस उप-निरीक्षक ने एक पुलिस उप-संभाग में अंतिम तिथि पर या इससे पूर्व चार वर्षों में से 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है या कर रहा होगा, तो उसे पुलिस उप-संभाग से बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए जो उसी विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं पड़ता। यदि जिलों के छोटे आकार के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाता तो उसे जिले के बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए।

19.2.3 ढील/छूट:- निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों को ऊपर उल्लिखित स्थानांतरण नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया जाता-

(i) ऐसे पुलिस अधिकारी जो कंप्यूटर, विशेष शाखा, प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यात्मक विभागों में तैनात हैं, को इन निर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता।

(ii) किसी निर्वाचन के दौरान, बड़ी संख्या में कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के निर्वाचन कार्य के लिए भर्ती किया जाता है और निर्वाचन आयोग का बड़े स्तर पर स्थानांतरणों द्वारा राज्य शासनतंत्र के विशाल विस्थापन का कोई इरादा नहीं होता। अतः उपर्युक्त स्थानांतरण नीति सामान्यतः डॉक्टरों, अभियंताओं, शिक्षकों/प्रधानाचार्यों आदि जैसे अधिकारियों पर लागू नहीं होती जो निर्वाचनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते। फिर भी, यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध राजनीतिक पक्षपात या पूर्वाग्रह की विशिष्ट शिकायतें होती हैं जिसे पूछताछ किये जाने पर उचित पाया जाता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारतीय निर्वाचन आयोग ना केवल ऐसे अधिकारी के स्थानांतरण के लिए, बल्कि उसके विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्यवाही के लिए आदेश जारी कर सकता है।

(iii) निर्वाचन कार्यों में सम्मिलित सेक्टर ऑफिसर/मंडलीय मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को इन निर्देशों के अंतर्गत, सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर भी, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों के आचरण पर करीबी नजर रखनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कार्यों के निष्पादन में निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती हैं।

(iv) ये निर्देश संबंधित विभाग के राज्य मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होते।

(v) यह भी निर्देश दिया जाता है कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को कोई भी निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं सौंपा जायेगा। जिनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की थी जो लंबित है या जिसकी

परिणति एक अर्थदंड के रूप में हुई है या फिर उन अधिकारियों को जिनको पूर्व में किसी निर्वाचन या निर्वाचन संबंधित कार्य में किसी चूक के लिए आरोपित किया गया है, फिर भी, किसी ऐसे अधिकारी जिसे निर्वाचन आयोग के आदेश के अंतर्गत, किसी अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति के बिना किसी पूर्व निर्वाचन के दौरान स्थानांतरित किया गया था, के स्थानांतरण पर केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से ऐसा निर्देश ना दिया गया हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्रांक सं. 464/आईएनएसटी/2008-ईपीएस, दिनांक: 23 दिसंबर 2008 में सम्मिलित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। **(अनुलग्नक XIX)**

(vi) इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग चाहता है कि किसी भी अधिकारी जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित है, को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के साथ न जोड़ा जाये/ में तैनात नहीं किया जाये।

(vii) यदि कोई अधिकारी आने वाले छः महीनों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उसे निर्वाचन आयोग के उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों की सीमा में छूट प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी में आने वाले अधिकारियों (गृह जनपद/3+ मापदंड, यदि वे 6 महीनों के अन्दर सेवानिवृत्त करने वाले हों) को निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन कार्यों को संपन्न करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(viii) यह भी और स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के सभी अधिकारी (उनके अतिरिक्त, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में तैनात हैं), जो सेवाकाल के विस्तार पर या विभिन्न क्षमताओं में पुनर्नियुक्त किए गए हैं, को निर्वाचन से संबंधित किसी कार्य के साथ सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जो तद्नुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगे सूचित करेंगे। **(अनुलग्नक XX)**

19.2.4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श: निर्वाचन आयोग के उपरोक्त नीति के अनुसार स्थानांतरित किए गए वर्तमान पदाधिकारी के स्थान पर व्यक्तियों को तैनात करते समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अनिवार्य रूप से परामर्श किया जायेगा। इन निर्देशों के अंतर्गत, जारी स्थानांतरण आदेशों में प्रत्येक की एक प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बिना के दी जायेगी।

19.2.5 निर्वाचक नामावली की तैयारी में सम्मिलित अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती: किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान निर्वाचक नामावलियों के संशोधन कार्य में नियुक्त अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों से संबंधित स्थानांतरण आदेशों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श करके निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात ही लागू किया जायेगा। किसी असाधारण कारणों से स्थानांतरण की किसी आवश्यकता के प्रकरण में, निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

19.3 पुलिस उप-निरीक्षक के स्थानांतरण पर स्पष्टीकरण

19.3.1 कुछ ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिसमें कम जिलों वाले बड़े महानगरों/छोटे राज्यों में निर्वाचन आयोग के उपरोक्त उल्लिखित निर्देश में निर्धारित नीति के अनुपालन में ऐसे पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी के रुप में तैनात हैं, का स्थानांतरण करना कठिन हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में, ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए एक क्षेत्रीय अनुग्रह अपवाद के रूप में उप-मंडल हो सकता है। शेष अन्य प्रकरणों में, क्षेत्रीय निर्णय निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से जनपद हो सकता है।

19.3.2 एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह निर्देश पुलिस उप-निरीक्षक के लिए लागू होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ पर पुलिस उप-निरीक्षक थाने का प्रभारी है, वह इस निर्देश के अंतर्गत सम्मिलित है और इसलिए उसे उपरोक्त निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार, स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

19.4 निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरणों पर प्रतिबंध

19.4.1 निर्वाचन की घोषणा के साथ, निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि निर्वाचन के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूरा प्रतिबन्ध होगा। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है किन्तु यह इन तक सीमित नहीं है:

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;

(ii) संभागीय निर्वाचन आयुक्त;

(iii) निर्वाचन के संचालन से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी;

(iv) निर्वाचन के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी और डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उप-अधीक्षक और निर्वाचन कार्यों के लिए बनाए गए और अन्य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के तहत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त किए गए हैं;

(v) घोषणा की तिथि से पूर्व, अधिकारियों की उपरोक्त श्रेणियों के संबध में जारी स्थानांतरण आदेश को यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने तक कार्यान्वित नहीं किया गया तो निर्वाचन आयोग से विशिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना इसे लागू नहीं जाना चाहिए।

(vi) उन प्रकरणों में, जहाँ पर किसी अधिकारी के स्थानांतरण को प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकार पूरे अधिकार के साथ पूर्व स्वीकृत के लिए निर्वाचन आयोग से मिल सकता है।

(vii) इस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।

(viii) यह प्रतिबन्ध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभाव में रहेगा।

19.5 पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/ गृहमंत्री के लिए संक्षिप्त विवरण (ब्रीफिंग्स)

19.5.1 निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में ये निर्देश जारी किये हैं कि सरकारी पदाधिकारियों को मंत्रियों या राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा आधिकारिक बैठक के अतिरिक्त किसी भी बैठक के लिए नहीं बुलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री या गृहमंत्री के सुरक्षा संबंधी विवरणों को जब अनिवार्य समझा जाये, गृह सचिव या मुख्य सचिव द्वारा हाथ में लिया जा सकता है जिनको पुलिस द्वारा प्राधिकारियों ब्रीफ किया जाना चाहिए। निर्देशों में आगे कहा गया है कि जहाँ पर पुलिस अभिकरणों/अधिकारियों की उपस्थिति को आवश्यक समझा जाता है, वहां मुख्य सचिव/गृह सचिव को ऐसी ब्रीफ्रिंग में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।

19.5.2 इन अनुदेशों को कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों की किसी सुरक्षा संबंधी गतिविधि पर प्रतिबन्ध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए, ऐसी स्थिति में जहाँ पर ऐसा आवश्यक हो, कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों को अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने या कार्यवाही में विलंब के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का बहाना नहीं बनाना चाहिए। परिस्थितियों के अंतर्गत, जो भी आवश्यक हो, चाहे पुलिस महानिदेशक द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सूचित करना हो या उनसे निर्देश लेना हो, पुलिस अभिकरणों द्वारा अपने कर्तव्य या अपने अधिकार के प्रयोग में सद्भावपूर्वक कार्य निर्वहन किया जाना चाहिए।

19.6 मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

19.6.1 निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि आदर्श संहिता के संचालन की अवधि में मुख्यमंत्री/मंत्रियों/संघ और राज्य सरकारों के राजनीतिक पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच किसी तरह की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन नहीं किया जाएगा।

19.6.2 निर्वाचन आयोग ने प्राकृतिक आपदा की घटना के आकलन/निरीक्षण हेतु, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति के लिए कुछ अनुरोधों के दृष्टिगत इस विषय की समीक्षा की और निर्णय लिया कि गंभीर श्रेणी/जटिलता वाली किसी आपदा के तुरंत पश्चात स्थिति में यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आवश्यक समझा जाता है तो मुख्यमंत्री या सम्बंधित मंत्री निम्नलिखित शर्तों के अधीन वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकता है:-

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने से पूर्व, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए। बाद के किसी वीसी के लिए, निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जायेगी;

(ii) प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में राहत कार्य से संबंधित कलेक्टर/जिलाधिकारी और वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के लिए बुलाया जायेगा;

(iii) बचाव/राहत और आपदा से जुड़े अन्य पहलुओं को छोड़कर, किसी और मुद्दे पर वीसी में चर्चा नहीं किया जायेगा;

(iv) ना वीसी से पूर्व या ना ही वीसी के पश्चात, वीसी के लिए कोई भी प्रचार नहीं किया जायेगा।

(v) वीसी में मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(vi) संबंधित विभाग द्वारा वीसी की कार्यवाही की ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग का अनुरक्षण किया जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।

(vii) वीसी के माध्यम से किसी भी अनुदान, नकद या अन्य किसी सहायता की घोषणा या वायदा और निर्वाचकों को प्रभावित करने में सक्षम राजनीतिक प्रकृति का कोई वक्तव्य नहीं दिया जायेगा या घोषणा नहीं की जाएगी।

(viii) वीसी के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

19.6.3 उपरोक्त अपवाद केवल बड़े पैमाने/बड़ी प्रमाण वाली आपदा के तुरंत बाद की स्थिति के लिए है, अन्यथा आदर्श संहिता के संचालन की अवधि के दौरान, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रतिबन्ध एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू होना जारी रहेगा।

19.7 ऐसे अधिकारी जिनके पति/पत्नियाँ राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं के दौरों/अवकाशों पर प्रतिबन्ध

19.7.1 निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ऐसे कई दृष्टांत आए हैं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य सरकारों से सम्बद्ध अधिकारियों के पति/पत्नियाँ या तो

निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के रूप में या फिर राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्यों के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं।

19.7.2 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए में निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि ऐसे सभी प्रकरणों में, संबंधित अधिकारियों को निर्वाचनों के पूरी तरह से संपन्न हो जाने तक अवकाश के लिए या यात्रा के लिए अपने मुख्यालयों को नहीं छोड़ना चाहिए।

19.7.3 यदि किसी कारण से उनको निर्वाचन की अवधि के दौरान अपने मुख्यालयों को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको ऐसा करने से पूर्व मुख्य सचिव की विशिष्ट लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अधिकारी अपने पति या पत्नी के राजनीतिक कार्यकलापों में किसी प्रकार से सम्मिलित न हों।

****

अध्याय 20

उप-निर्वाचनों के दौरान आदर्श संहिता

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- आचार संहिता की प्रयोज्यता
- मंत्रियों के दौरे
- नई योजनाओं/ परियोजनाओं की घोषणा
- महंगाई भत्ते की घोषणा
- विज्ञापनों का प्रकाशन
- आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों के संदर्भ को हटाना
- धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर वादों/विवरणों पर प्रतिबंध
- सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती
    - ✓ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन
    - ✓ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन

20.1 प्रस्तावना

उप-निर्वाचन के प्रकरण में, आदर्श संहिता उन जनपदों में लागू की जाती है जिसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है। कुछ उप-निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने बाधा उत्पन्न करने वाले रुझानों को संज्ञान लिया है जिसमें विभिन्न सत्ताधारी दल के मंत्रियों सहित, उनके राजनीतिक पदाधिकारी; आदर्श संहिता की भावना को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। यह देखा गया है कि मंत्रीगण आधिकारिक कार्य के लिए अपने दौरों को वर्गीकृत करते हुए प्रायः ही पड़ोस के जनपदों में आधिकारिक सभाओं का आयोजन करते हैं और वहाँ पर तैनात रहने के दौरान, उप-निर्वाचनों के लिए राजनीतिक गतिविधियाँ संपन्न करते हैं। उन जनपदों जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जाता हैं, के अधिकारियों को भी ऐसी सभाओं के लिए बुलाया जाता है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि मंत्रिमंडल के आधे से अधिक सदस्य आधिकारिक कार्य पर पड़ोस के जनपदों में स्वयं तैनात रहते हैं और वहाँ पर उप-निर्वाचनों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने उप-निर्वाचनों के प्रकरण में स्थल पर अनुपालनार्थ विशिष्ट दिशानिर्देशों का निर्धारण किया है।

20.2 आदर्श संहिता की प्रयोज्यता

20.2.1 जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा किसी उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, आदर्श संहिता 3ए पूरे जनपद में लागू की जाती है, जिसमें विधानसभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित होता है। कुछ राज्य सरकारों ने निर्देश को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है क्योंकि उप-निर्वाचन के दौरान पूरे जनपद में आदर्श संहिता के लागू करने पूरे जनपद में विकास सम्बन्धी कार्य प्रभावित होता है जबकि ऐसा सकता है कि जनपद का केवल एक भाग निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो

सकता है। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया है कि यदि उप-निर्वाचन के आयोजन वाले निर्वाचन क्षेत्र में यदि राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगम सम्मिलित है तो आदर्श संहिता लागू न होकर केवल विशेष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लागू होगी। अन्य सभी प्रकरणों में, आदर्श संहिता उप-निर्वाचनों वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपदों में लागू की जायेगी।

20.2.2 लोकसभा/राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के प्रकरण में, आदर्श संहिता का प्रचालन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उप-निर्वाचन के परिणाम की औपचारिक घोषणा के तुरंत बाद बंद हो जायेगा।

20.3 मंत्रियों के दौरे

20.3.1 केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी मंत्री उप-निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात अपने आधिकारिक दौरों को किसी भी रूप में निर्वाचन कार्य के साथ संयुक्त नहीं करेंगे। वे अपने आधिकारिक दौरों की समाप्ति पर अपने मुख्यालयों में लौट जायेंगे। उन जनपद (जनपदों) में; जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है और आदर्श संहिता लागू है, सभी और किसी भी दौरे की प्रकृति पूरी तरह से निजी होनी चाहिए और ऐसे निजी दौरे मंत्रियों के मुख्यालयों से आरंभ और वहां पर ही समाप्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि समकक्ष श्रेणी/दर्जा वाला कोई मंत्री या व्यक्ति अपने आधिकारिक दौरे को आधिकारिक उद्देश्यों से किसी ऐसे स्थान की ओर अपनी यात्रा का मार्ग बनाते हुए निर्वाचन अभियान के साथ जोड़ता है जहाँ पर आदर्श संहिता लागू नहीं है और फिर उस स्थान से उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है जहाँ पर आदर्श संहिता निर्वाचन अभियान के लिए लागू है, तो सम्पूर्ण यात्रा पर होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के रूप में लिया जायेगा।

20.3.2 यदि आधिकारिक कार्य पर यात्रा करने वाला कोई मंत्री आधिकारिक दौरे पर किसी अन्य जनपद के मार्ग में पड़ने वाले उस जनपद से होकर गुजरता है, जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, तो वह ना तो उस जनपद में ठहरेगा और ना ही किसी राजनीतिक कार्य में सम्मिलित होगा, जहाँ पर आदर्श संहिता लागू है।

20.3.3 ऐसे जनपद के किसी भी रैंक के किसी अधिकारी को जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, किसी भी जनपद में किसी भी मंत्री द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा, यहाँ तक कि अन्य जनपदों में भी उसे बैठक के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

20.3.4 कोई अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है जहाँ पर निर्वाचनों का आयोजन किया जा रहा है, संगत सेवा नियमों के अंतर्गत,

कदाचार का दोषी होगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित कोई अधिकारी है तो उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी दोषी माना जायेगा और उसके अंतर्गत प्रदत्त दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा।

20.3.5 किसी भी मंत्री द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी दौरे के दौरान किसी भी रंग की बीकन लाइट लगी हुई पायलट गाड़ी या किसी भी प्रकार की सायरन लगी हुई गाड़ी का उपयोग अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, भलेही राज्य प्रशासन ने उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा हो जिसमें दौरे पर उसके साथ जाने के लिए सशस्त्र सुरक्षाबल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

20.3.6 मंत्रियों को अपने किसी आवश्यक आधिकारिक कार्य में उपस्थित होने के लिए अपने निजी दौरों के दौरान अपने साथ एक अराजपत्रित अधिकारी को ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

20.3.7 निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्धारित किया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम में राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्री द्वारा उस जनपद में किये गए प्रस्तावित दौरों के बारे में सूचित किया जायेगा जहाँ पर जनपद के निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तुरंत उसे निर्वाचन आयोग को संप्रेषित करेगा।

20.4 नई योजनाओं/परियोजनाओं की घोषणा

20.4.1 कोई भी ऐसा कार्य आरंभ नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ही आरंभ किये जा सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई कार्य वास्तव में आरंभ हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

20.4.2 ऐसी योजनाएं जिनको स्वीकृत किया जा चुका है और धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है/अवमुक्त की जा रही है और सामग्रियों का प्रापण किया जा चुका है और ये स्थल तक पहुँच गई हैं, तो इन्हें कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

20.4.3 संबंधित अधिकारियों की पूर्णतया संतुष्ट होने पर संपन्न हो चुके कार्य (कार्यों) का भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

20.4.4 एमपीएलएडी (राज्यसभा सदस्यों सहित)/ एमएलएएलएडी/ एमएलसीएलएडी के अंतर्गत संचालन में, किसी भी योजना के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक किसी नई धनराशि को अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

20.5 महंगाई भत्ते की घोषणा

उप-निर्वाचनों के दौरान, ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जो राज्य सरकारों के उन निर्णयों को लेने पर प्रतिबन्ध लगाता है जिसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता हो। इस सन्दर्भ में, निर्वाचन आयोग ने सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा महँगाई भत्ते की घोषणा एक रुटीन कार्य नियमित विषय के रूप में की जा सकती है और इसका प्रचार सरकारी उपलब्धि के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

20.6 विज्ञापनों का प्रकाशन

20.6.1 यह देखा जाता है कि तत्समयउस दिन सत्ता पर आसीन सरकार कार्यनिष्पादन और उपलब्धियों पर विज्ञापनों सहित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करती है। ऐसे विज्ञापनों को प्रायः विशेष अवसरों; जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विशिष्ट नेताओं की जयंती, सरकार की वर्षगाँठ आदि, पर जारी किये जाते हैं। ऐसे अवसरों पर, यदि उप-निर्वाचन चल रहे हो तो आदर्श संहिता के विषय पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है। तकनीकी रूप से, अन्य स्थानों पर इसे प्रकाशित करते समय विशेषकर आदर्श संहिता के अंतर्गत सम्मिलित विशिष्ट क्षेत्रों में; प्रिंट मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाना संभव नहीं होता।

20.6.2 निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्देश दिया है कि उप-निर्वाचनों में आदर्श आचार संहिता के संचालन की अवधि के दौरान राजकोष के मूल्य पर विज्ञापन जारी करने/इसका प्रकाशन करने पर निम्नानुसार नियंत्रण किया जायेगा:-

(i) विशिष्ट महत्वपूर्ण अवसरों के सम्बन्ध में सामान्य प्रकृति का कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है, हालाँकि उसके प्रकाशन को केवल उक्त अवसर के साथ पड़ने वाली तिथियों तक सीमित किया जायेगा और इसका प्रकाशन अन्य दिनों में नहीं किया जा सकेगा। विज्ञापन में किसी मंत्री या अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के छायाचित्र (फोटोग्राफ) नहीं होंगे।

(ii) कोई भी विज्ञापन जिसमें उप-निर्वाचन के आयोजन वाले निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल क्षेत्रों के संबंध में कोई विशिष्ट/स्पष्ट संदर्भ या संकेतार्थ हो तो उसे उस अवधि के दौरान किसी भी तारीख को जारी/प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि उन जनपदों में किसी नई योजनाओं का विज्ञापन नहीं किया जा सकता जहाँ पर उप-निर्वाचन आयोजित किये जा रहे हैं।

20.7 आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों के संदर्भ को हटाना

साधारण निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन आयोग के वर्तमान अनुदेशों में प्रावधान है कि उस अवधि में जब आदर्श संहिता लागू है, संबंधित राज्य/केंद्रीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों/राजनेताओं/राजनीतिक दलों के सभी सन्दर्भों को निकाल दिया जायेगा/काट-छाँट कर दिया जायेगा। उप-निर्वाचनों के दौरान, इन अनुदेशों को केवल उन राजनेताओं/मंत्रियों तक सीमित किया जा सकता है जो स्वयं ऐसे उप-निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ रहे हों।

20.8 धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर वादों/बयानों पर प्रतिबंध

20.8.1 यह निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि उप-निर्वाचनों के दौरान, सत्ताधारी दल या वर्तमान एमपी/एमएलए अपने राज्य के जनपदों/क्षेत्रों के उन भागों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, में धार्मिक/सांप्रदायिक आधारों पर वादे करने/पेशकश करने का प्रयास करते हैं, ताकि आदर्श संहिता का उल्लंघन होने से बचा जा सके। हालाँकि, इसमें, वास्तव में दूरगामी निहितार्थ हैं क्योंकि यह उन विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के राय को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा जहाँ पर उप-निर्वाचन चल रहे हैं और इस तरह से, उन निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों को दूषित करेगा।

20.8.2 निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी राज्य में किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों की घोषणा की जाती है, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को अपने मंत्रियों और वर्तमान एमपी/एमएलए को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वादे न करने/बयान ना देने का अनुरोध करने के लिए एक एडवाइजरी जारी करेगा; यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी ऐसा निदेश जारी करेगा जहाँ पर आदर्श संहिता लागू नहीं है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की विशुद्धता को बनाये रखा जा सके और जनसाधारण के बीच में गलत भावना का संचार ना हो।

20.9 सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती

20.9.1 निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने के अपने कार्य में एक सुसंगत नीति का अनुपालन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में उप-निर्वाचन के आयोजन के साथ सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों और उन विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले क्षेत्रों में तैनात न किया जाए जहां पर उन्होंने लम्बे समय तक कार्य किया है।

(i) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन:

(क) उप-निर्वाचनों के संचालन के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किसी भी अधिकारी

को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर वर्तमान तैनाती में अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए:-

अ) यदि वह अपने गृह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तैनात है;

आ) यदि उसने पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष पूरे किये हों या वह आकस्मिक रिक्ति होने की तिथि से छठे महीनों की अंतिम दिन या उससे पूर्व 3 वर्ष पूरे कर रहा होगा/रही होगी।

(ख) ऐसे अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

अ) इन अनुदेशों में उप-निर्वाचनों के आयोजन वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सम्मिलित हैं। इन अनुदेशों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थित अन्य अधिकारी, जैसे कि उप/सहायक कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि निर्वाचन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित सेक्टर अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों को उन अनुदेशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि वे फील्ड ड्यूटी में तैनात हैं, जहाँ उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उस क्षेत्र/भूभाग की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन अवधि के दौरान उन पर करीबी नजर रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से निष्पक्ष हो।

आ) जहाँ तक **पुलिस विभाग** के अधिकारियों का सम्बन्ध है, यह अनुदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर स्थल पर तैनात पुलिस के उप-विभागीय प्रमुख, पुलिस उपाधीक्षक/सर्किल अधिकारी, निरीक्षक, उप-निरीक्षक या समतुल्य पद के अधिकारियों पर लागू होंगे।

(ग) तद्नुसार, एक विस्तृत समीक्षा की जा सकती है और ऐसे सभी अधिकारियों को तत्काल उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं से बाहर तैनात किया जाये जहाँ पर उन्होंने उपर्युक्त तिथि पर पिछले चार वर्षों में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तीन वर्षों के कार्यकाल को पूरा कर लिया है है या पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, एकरूपता के लिए तीन वर्ष की अवधि की गणना छः महीने की अंतिम तिथि से पीछे की ओर की जाएगी जैसा कि आकस्मिक रिक्ति होने

की तिथि से उल्लिखित किया गया है।

(ii) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उप-निर्वाचन:

(क) उप-निर्वाचन के लिए आयोजन वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों के आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किसी भी अधिकारी को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर वर्तमान तैनाती में अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

अ) यदि वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अपने गृह जनपद में तैनात है;

आ) यदि उसने पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष पूरा किया हो या उसने आकस्मिक रिक्ति होने की तिथि से छः महीनों के अंतिम दिन या उससे पूर्व 3 वर्ष पूरे कर रहा होगा।

(ख) ऐसे अधिकारियों को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

अ) इन अनुदेशों में उप-निर्वाचन आयोजित किए जाने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सम्मिलित हैं। इन अनुदेशों में केवल उसी जिला निर्वाचन अधिकारी को शामिल किया जाएगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है। अन्य जिला निर्वाचन अधिकारियों को, चाहे उनके जनपद का कुछ भाग उप-निर्वाचन आयोजित किए जाने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता हो, को इन निर्देशों के अंतर्गत, सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हालांकि इन अनुदेशों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में स्थित अन्य अधिकारीगण, जैसे कि अपर कलेक्टर, अपर जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी सम्मिलित होंगे। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि सेक्टर अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारी यद्यपि निर्वाचन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, तथापि उनको इन निर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि वे फील्ड ड्यूटी पर तैनात होते हैं, जहाँ पर क्षेत्र/भूभाग की जानकारी उनके कार्यों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालाँकि, निर्वाचन अवधि के दौरान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पर करीबी नजर रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका

कार्यनिष्पादन पूरी तरह से निष्पक्ष हैं।

आ) जहाँ तक पुलिस विभाग के अधिकारियों का सम्बन्ध है, ये अनुदेश उस जनपद में स्थित पुलिस अधीक्षक पर लागू होंगे जिसका जिला निर्वाचन अधिकारी एक रिटर्निंग अधिकारी भी होता है। अन्य पुलिस अधीक्षक को, चाहे उसके जनपद का कुछ भाग उप-निर्वाचन आयोजित किए जाने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता हो, इन अनुदेशों के अंतर्गत, सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हालाँकि, इन अनुदेशों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर स्थल पर तैनात अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस के उप-विभागीय प्रमुख, पुलिस उपाधीक्षक/सर्किल अधिकारी, निरीक्षक, उप-निरीक्षक या समकक्ष सम्मिलित होंगे।

(ग) तदनुसार, एक विस्तृत समीक्षा की जा सकती है और ऐसे सभी अधिकारियों को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं से बाहर तैनात किया जा सकता है जहाँ पर उन्होंने उपर्युक्त तिथि को पिछले चार वर्षों में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तीन वर्षों के कार्यकाल को पूरा किया है या पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, एकरूपता के लिए तीन वर्ष की अवधि की गणना आकस्मिक रिक्ति होने की तिथि से छठे महीने की अंतिम तिथि से पीछे की ओर की जाएगी।

20.9.2 सामान्यतः उप-निर्वाचन का आयोजन रिक्ति होने की तिथि से छः महीने की अवधि के अन्दर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए किया जाता है (निर्वाचन आयोग के नियंत्रण से बाहर की स्थिति के अतिरिक्त)। अतः यह उचित होगा कि यदि राज्य सरकार किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी आकस्मिक रिक्ति होने के तुरंत बाद इन निर्देशों के क्रियान्वन के लिए कदम उठाये, ताकि अधिकारियों को अंतिम क्षणों में हटाये जाने से बचा जा सके।

20.9.3 निर्वाचन आयोग को पूर्व में ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हालाँकि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में उपरोक्त श्रेणियों के अधिकारियों का स्थानांतरण करती है, परन्तु व्यक्ति अवकाश पर जाकर इस उद्देश्य में गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से उस जनपद के बाहर जाकर, जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से इसकी समीक्षा की है और इच्छा व्यक्त की है कि ऐसे सभी अधिकारी जिनको उपरोक्त में संदर्भित निर्देशों के अनुपालन में स्थानांतरित किया गया, उस जनपद के बाहर प्रत्यक्ष रूप से जाने के लिए कहा जायेगा, जहाँ से स्थानांतरण आदेशों की प्राप्ति पर उनको तुरंत ही स्थानांतरित समझा गया।

20.9.4 कोई अधिकारी, जो अगले छः महीनों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला है, निर्वाचन आयोग

के उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों की सीमा में छूट पाने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त, श्रेणी (गृह/3+मापदंड) में पड़ने वाले अधिकारियों को निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन कार्यों को संपन्न करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वे 6 महीनों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

20.9.5 उन अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं दिया जायेगा जिनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की है या जिन्हें किसी निर्वाचन या निर्वाचन संबंधित कार्य में किसी त्रुटि के लिए आरोपित किया गया है।

20.9.6 किसी भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाचन कार्य अथवा निर्वाचन संबंधी कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित है।

20.9.7 अनुदेशों की प्रयोज्यता: उपरोक्त अनुदेशों को संबंधित विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, पड़ने वाले क्षेत्र के अन्दर लागू किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से किसी अधिकारी की तैनाती निर्वाचन आयोग की स्थानांतरण नीति के अनुरूप की जाती है।

****

अध्याय 21

द्विवार्षिक निर्वाचनों के दौरान आदर्श संहिता

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- मंत्रियों के आगमन और नई योजनाओं आदि की घोषणाओं पर प्रतिबन्ध
- वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
- मंत्री के दौरे की रिकॉर्डिंग
- सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक
- सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरणों पर प्रतिबंध
- मैदान/हेलीपैडों आदि का उपयोग
- सरकारी डाक बंगलों में आवासन
- विगत 48 घंटों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध
- शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
- एमसीएमसी की नियुक्ति
- निर्वाचन अभियान के दौरान भारी संख्या में एसएमएस वॉयस मैसेज

21.1 प्रस्तावना

21.1.1 निर्वाचन आयोग स्नातकों, शिक्षकों के विधान परिषद और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करता रहा है। यहाँ तक कि, 2010 में कर्नाटक विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन आयोग ने कॉलेज प्रबंधन से बिना अनुमति प्राप्त किये कॉलेज परिसर में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता दल के दो नेताओं की निंदा की थी। फिर भी, ऐसे निर्वाचनों में आदर्श संहिता की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में स्पष्टता का अभाव था।

21.1.2 विधान परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता की प्रवर्तनीयता के विषय की जाँच करने और सुझावों को प्रस्तुत करने हेतु, निर्वाचन आयोग ने एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह के प्रतिवेदन और इस विषय पर इसकी सम्पूर्णता में विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने दिसम्बर 2016 को निर्णय लिया था कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान स्नातकों एवं शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के उप-निर्वाचनों सहित, द्विवार्षिक निर्वाचन में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। परिणामतः, निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श संहिता के प्रावधानों के स्पष्टीकरण में समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देश ऐसे निर्वाचनों पर भी लागू होंगे (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति की तिथि तक)।

21.2 समेकित अनुदेश (अनुलग्नक XXI):-

21.2.1 मंत्रियों के आगमन और नई योजनाओं आदि की घोषणाओं पर प्रतिबन्ध - कोई जनपद जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र से किसी द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा

है, मुख्यमंत्री सहित, मंत्रियों; चाहे वे केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री, के आगमन/दौरे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:-

(i) आधिकारिक दौरे को निर्वाचन संबंधी कार्य/दौरों के साथ सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

(ii) उन स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले नए नीतिगत कार्यक्रम/नीति की घोषणा नहीं की जाएगी जो उन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक वर्ग का निर्माण करते हैं, जहाँ पर निर्वाचन होने जा रहा है।

(iii) किसी भी नीति की घोषणा या कार्यक्रम जो निर्वाचक वर्ग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, का प्रारंभ निर्वाचनों की समाप्ति तक सरकारी विभागों में नहीं किया जायेगा।

(iv) वे किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान का उद्घाटन नहीं करेंगे/ आधारशिला नहीं रखेंगे जो स्नातकों' और शिक्षकों' के निर्वाचन क्षेत्रों के घटक हैं।

(v) एमपी/एमएलए/एमएलसी की योजनाओं के आधार पर आईटी मंच का उपयोग करके किसी भी नए कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाएगी जो निर्वाचक वर्ग को प्रभावित करने के बराबर होगा।

[स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (v) और (vi) के भाग VII में सम्मिलित, विवेकाधीन कोषों में से स्वीकृति, वित्तीय अनुदान की घोषणा, परियोजनाओं की आधारशिला रखना, सड़कों/पेयजल लाइनों के निर्माण के वादे और तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित आदर्श संहिता के प्रावधान केवल स्नातकों/शिक्षकों/स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों पर ही लागू होंगे जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है]।

21.2.2 निर्वाचनों की अवधि के दौरान, निर्वाचकों को होटलों/रिसोर्ट और ऐसे ही अन्य स्थानों में ठहराने की प्रवृत्ति निर्वाचकों को रिश्वत देने के बराबर होगी।

21.2.3 वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

(i) निर्वाचन अभियान की अवधि के दौरान, वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और वाहनों के बेड़ों के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान; जैसा कि लोकसभा/विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रकरण में होता है, परिषद् के निर्वाचनों पर भी लागू किया जाएगा।

(ii) किसी भी रंग के बीकन लाइटों के साथ किसी भी पायलट गाड़ी या अन्य

गाड़ियों या किसी भी प्रकार की साईरन लगी हुई गाड़ियां जो अपनी उपस्थिति को सुस्पष्ट करती हो, का उपयोग किसी भी मंत्री द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे के दौरान नहीं किया जायेगा, चाहे राज्य प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया हो जिसमें यात्राओं के दौरान साथ चलने वाले सशस्त्र रक्षकों की उपस्थिति आवश्यक होती है।

(iii) केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के "आधिकारिक दौरों" पर प्रतिबन्ध स्थानीय प्राधिकरणों के "पदाधिकारियों"; जैसे कि नगर निगमों के महापौर, नगर परिषदों एवं जिला परिषदों के अध्यक्ष द्वारा किसी "आधिकारिक गाड़ियों" के इस्तेमाल पर भी लागू होंगे। उनके द्वारा आधिकारिक गाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति केवल घर से कार्यालय और कार्यालय से घर की यात्रा के लिए ही दी जाएगी।

21.2.4 मंत्री के दौरे की रिकॉर्डिंग

मंत्रियों और महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों द्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों में किये गए दौरों और आयोजित किये गए जनसभाओं की यथावत रिकार्डिंग की जाएगी, जहाँ पर द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित किया जा रहे हैं। उस उद्देश्य से, जनपद के निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के साथ परामर्श करके प्रत्येक तहसील के लिए आवश्यकतानुसार एक विशेष वीडियो दल का गठन करना चाहिए। प्रेक्षक उसी दिन सायंकाल को वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेंगे, ताकि वह किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रारूप में सूचित कर सके।

21.2.5 सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक

(i) निर्वाचन संबंधी कार्य को देखने वाले जनपद के किसी भी श्रेणी के किसी भी अधिकारी को किसी मंत्री द्वारा किसी भी ऐसे स्थान पर आयोजित होने वाली सभा में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता जहाँ पर द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अन्य जनपद में भी बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

(ii) कोई भी अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर किसी मंत्री से मिलता है जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, तो उसे संगत सेवा नियमों के अंतर्गत, दुराचार में लिप्त होने का दोषी समझा जायेगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (1) में उल्लिखित कोई अधिकारी है तो उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाने का दोषी समझा जायेगा और उसके अंतर्गत उपबंधित

दंडनीय कार्यवाही का वह अधिकारी होगा।

(iii) किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी सदस्य को, जो स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक मंडल का एक भाग है, किसी भी मंत्री द्वारा (मंत्री के रूप में उनकी हैसियत में) किसी भी सभा/वीडियो कांफ्रेंस के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर स्थानीय निकायों की नियमित सभाओं का आयोजन संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

21.2.6 **सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरणों पर प्रतिबंध:** निर्वाचनों की घोषणा से लेकर निर्वाचनों की समाप्ति तक, राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा। उपरोक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में घोषणा की तिथि से पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों जिसे लागू नहीं किया गया हो, को निर्वाचन आयोग की विशिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। उन प्रकरणों में, जहाँ पर किसी अधिकारी का स्थानांतरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण आवश्यक है, राज्य सरकार पूर्व स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास पूरे औचित्य के साथ जा सकता है।

21.2.7 **मैदान/हेलीपैडों आदि का उपयोग: -** निर्वाचनों के संबंध में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि निर्वाचन सभाओं के लिए मैदान में हेलोकोप्टरों/हवाई जहाजों को उतारने के लिए हेलिपैडों पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उनका उपयोग करने की अनुमति होगी।

21.2.8 **सरकारी डाक बंगलों में आवास:** आदर्श संहिता में प्रावधान है कि सर्किट हाउस/डाक-बंगला या अन्य सरकारी निवासों पर सत्ताधारी दल या इसके अभ्यर्थियों द्वारा एकाधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। *[वाक्यांश 'रेस्ट हाउसेस, डाक बंगले या अन्य सरकारी निवास' में सभी संस्थानों के अतिथि गृह भी सम्मिलित हैं जो सहायता अनुदान के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं]।*

21.2.9 **विगत 48 घंटों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध -** अभियान की अवधि समाप्ति होने के पश्चात, अर्थात निर्वाचन की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन आयोजित होने वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों के ठहरने पर प्रतिबन्ध को परिषदीय निर्वाचनों पर भी लागू किया जाएगा।

21.2.10 **शराब की बिक्री पर प्रतिबंध:-** निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 69 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अंतर्गत, विधान सभा सदस्यों द्वारा राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के सम्बन्ध में

निर्वाचन संचालित करने के लिए निर्वाचन का एक स्थान निर्धारित किया जाता है। धारा 135ग के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों में "शुष्क दिवस" घोषित करना होता है।

[*स्पष्टीकरण: 'मतदान क्षेत्र' को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 में परिभाषित किया गया है, जो लोक सभा, विधान सभा के निर्वाचनों और स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषदों के निर्वाचनों जैसे निर्वाचनों पर भी लागू होते हैं।*]

21.2.11 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने और धन बल की प्रतिकूल भूमिका; विशेषकर विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के दौरान काले धन की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए स्थैतिक निगरानी दलों की तैनाती को छोड़कर, दिनांक: 29.05.2015 को जारी मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) को लागू किया जाना चाहिए।

21.2.12 एमसीएमसी की नियुक्ति:- जैसा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी अनुदेशों के संग्रह पुस्तक में निर्धारित है, द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण के लिए राज्य एवं जिला मीडिया प्रमाणीकरण और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की नियुक्ति की जाएगी, जैसा कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनियों, सोशल मीडिया और अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के अनुवीक्षण के प्रकरण में किया जाता है।

21.2.13 निर्वाचन प्रचार के दौरान भारी मात्रा में एसएमएस/वॉयस मैसेज:- निर्वाचन अभियान में फोन पर भारी मात्रा में एसएमएस/वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण की परिधि में होगा, जैसा कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विज़ुअल प्रदर्शनियों, सोशल मीडिया और अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के अनुवीक्षण के प्रकरण में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू हैं, विधिक प्रावधान भारी मात्रा में ऐसे एसएमएस/वॉयस मैसेज पर भी लागू होंगे।

****

अध्याय 22

विविध

<u>अध्याय में मुख्य विषयों पर चर्चा:-</u>

- अतिथि गृहों का उपयोग
- महत्वपूर्ण दिनों के समारोह में राजनीतिक पदाधिकारियों की भागीदारी
- निर्वाचनों के दौरान धार्मिक अवसरों पर दावत/समारोह का आयोजन:-
- अस्थायी अभियान कार्यालय
- निर्वाचन प्रक्रिया में जानवरों का उपयोग
- प्रमुख निविदाएं और नीलामी-शराब विक्रेताओं/तेंदू पत्तों आदि से संबंधित
- रक्षा बलों से संबंधित मामलों पर आदर्श संहिता की प्रयोजनीयता
- निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बाल श्रम का नियोजन
- निर्वाचन-प्रचार के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

22.1 अतिथि गृहों का उपयोग

22.1.1 आदर्श आचार संहिता में यह प्रावधान है कि विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके अभ्यर्थियों का एकाधिकार नहीं होगा और इन आवासों के उपयोग पर अन्य दलों और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष तरीके से दी जाएगी। किसी भी दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रचार कार्यालय के तौर पर अथवा निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनों के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक का आयोजन करने के लिए इन आवासों (इससे जुडे परिसरों सहित) का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22.1.2 निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सर्किट हाउस/डाक बंगले केवल ऐसे अधिकारियों के आवागमन के दौरान अस्थायी आवास (बोर्डिंग और लॉज) के लिए हैं और उनका उपयोग केवल उसी प्रयोजन तक सीमित रखा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि:

(i) सरकारी स्वामित्व वाले अतिथिगृहों आदि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक बैठकों के आयोजन की भी अनुमति नहीं है और इसका उल्लंघन आदर्श संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा।

(ii) अतिथिगृह के परिसर के भीतर, आवास आवंटित किए गए व्यक्ति के आने-जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों के अलावा केवल दो और वाहनों, यदि व्यक्ति द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है, के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

(iii) किसी भी एक व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक कमरे उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए।

22.1.3 मतदान के समापन से 48 घंटे पहले तथा मतदान अथवा फिर से मतदान पूरा होने तक, ऐसे आवंटन पर रोक रहेगी।

22.1.4 अप्रैल 2006 में, निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों से प्राप्त अनुरोधों के परिप्रेक्ष्य में अतिथिगृहों के उपयोग के मुद्दे पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि उस राज्य (या जिले में) में जहां निर्वाचनों की घोषणाहो चुकी है या जहां निर्वाचन चल रहे हैं, सरकारी अतिथिगृहों/विश्रामगृहोंया केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अतिथिगृहों में आवास की सुविधा उन राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों को समता के आधार पर दी जा सकती है जिन्हें जेड स्केल या उससे अधिक या समकक्ष सुरक्षा प्रदान की गई है। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा आवास निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों या प्रेक्षकों को पहले आवंटित न किया गया हो अथवा उनके कब्जे में न हो। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा ऐसे सरकारी अतिथिगृह/विश्रामगृह अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिथिगृह में रहने के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाएगी।

22.2 महत्वपूर्ण दिनों के समारोह में राजनीतिक पदाधिकारियों की भागीदारी

निर्वाचन आयोग को इस बारे में संदर्भ दिए गए हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री निर्वाचन अवधि के दौरान आने वाले गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, सद्भावना दिवस, राज्य दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के दिनों को मनाए जाने के समारोहों में भाग ले सकते हैं और सम्मान प्रदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय मंत्रियों/मुख्यमंत्रियों/राज्य में मंत्रियों के समारोहों में भाग लेने और विभिन्न स्थानों पर समारोहों में सम्मान प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं हैः-

(i) अपने भाषणों में, उन्हें स्वयं को देश को स्वतंत्रता दिलाने में शहीदों की उपलब्धियों का बखान करने, भारतीय राज्यों के गौरव का गुणगान करने/अथवा उस अवसर की महत्ता का उल्लेख करने आदि तक सीमित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, इन समारोहों का राजनीतिक अभियान को मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।

(ii) कोई भी केंद्रीय मंत्री/ मंत्री या राज्य में कोई अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता/पूर्व-संसद सदस्य अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र जहां से वह निर्वाचन में अभ्यर्थी है या निर्वाचन लड़ना चाहता है/चाहती है, में या वहां किसी भी स्थान पर किसी समारोह में सम्मान प्रदान नहीं करेगा। तथापि, प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री पुरानी परंपरा के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी/राज्य की राजधानी से ऐसा कर सकते हैं।

(iii) समारोह में मंत्री/राजनीतिक पदाधिकारी की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए।

(iv) निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में कवि सम्मेलन, मुशायरों के आयोजन या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने

और केंद्रीय मंत्रियों/राज्यों में मुख्यमंत्रियों/राज्य मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा इसमें भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऐसे अवसरों पर ऐसा कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाए जिसमें सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियां बताई गईं हों।

(v) निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रतिष्ठापन समारोह और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ऐसे अन्य समारोह और स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान करना आदि मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाएगा।

22.3 निर्वाचनों के दौरान धार्मिक अवसरों पर दावत/समारोह का आयोजन:-

निर्वाचन आयोग में 1998 में बिहार राज्य से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 10,000 आमंत्रित लोगों के लिए इफ्तार दल दी जा सकती है जिसका खर्च राज्य के खजाने से किया जाएगा। यह बताया गया कि धार्मिक अवसर पर राज्य की लागत पर कोई भी मनोरंजन, विशेष रूप से निर्वाचनों के दौरान, उपयुक्त नहीं होगा, हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी हैसियत से ऐसे समारोह का आयोजन करने और निजी तौर पर इसका खर्च उठाने के लिए स्वतंत्र है।

22.4 अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रचार अभियान कार्यालय स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं:

(i) ऐसा कोई कार्यालय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से नहीं खोला जाएगा।

(ii) ऐसा कोई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थानों, अथवा ऐसे धार्मिक स्थान के परिसर में नहीं खोला जाएगा।

(iii) ऐसा कोई कार्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल के समीप नहीं खोला जाएगा।

(iv) ऐसा कोई कार्यालय मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर नहीं खोला जाएगा।

(v) ऐसे कार्यालय में दल का केवल एक झण्डे और बैनर को दल प्रतीक/तस्वीरों के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।

(vi) ऐसे कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार '4 फीट X 8 फीट' से अधिक नहीं होना चाहिए, यह इस शर्त के भी अध्यधीन होगा कि यदि

स्थानीय विधियों में बैनर/होडिंग इत्यादि के लिए अपेक्षाकृत छोटे आकार का प्रावधान किया जाएगा तो स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित आकार अभिभावी होगा।

(vii) व्यय प्रेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक निगरानी रखनी चाहिए कि इस तरह के कार्यालय पर होने वाले व्यय को अभ्यर्थी के लेखा में उचित रुप से दर्ज किया गया है।

22.5 निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं का उपयोग

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को परामर्श दिया है कि निर्वाचन प्रचार के लिए किसी भी तरीके से किसी भी पशु का उपयोग न करें। यहाँ तक कि जिस दल का ऐसा आरक्षित चुनाव चिह्न आधारित पशु दर्शाया गया हो, उसे दल/अपने किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान में उस पशु का जीवंत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।

22.6 शराब विक्रेताओं/तेंदू पत्तों आदि के संबंध में प्रमुख निविदाएं और नीलामी

22.6.1 1996 में, शराब विक्रेताओं/ तेंदू के पत्तों आदि से संबंधित नीलामी/ निविदाओं जिससे सत्तारूढ़ दल का अनुचित लाभ मिलता है, की संभावनाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों को, जहाँ कोई बड़ी नीलामी आदि आयोजित की जानी है, संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन के पूरा होने की अंतिम तिथि तक टाल दिया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो, राज्य सरकार को अंतरिम व्यवस्था करनी चाहिए।

22.6.2 2009 के साधारण निर्वाचनों के दौरान, निर्वाचन आयोग ने आदर्श संहिता लागू रहने की अवधि के दौरान शराब विक्रय केंद्रों के आवंटन के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है-

(i) जहाँ किसी राज्य के मौजूदा उत्पाद शुल्क कानून, राज्य सरकार या उसके अधीन प्राधिकरणों को व्यवस्था होने तक इसे मौजूदा वित्तीय वर्ष से परे एक अंतरिम व्यवस्था करने का अधिकार देते हैं, मौजूदा नियमों और शर्तों पर संबंधित ठेकेदार/विक्रेताओं के साथ ऐसी अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है।

(ii) जहाँ मौजूदा उत्पाद शुल्क कानूनों में ऐसा कोई समर्थकारी प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार, मौजूदा नियमों के अनुसार ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नए लाईसेंस/ठेके प्रदान करने के लिए विगत वर्ष में पालन की गई सामान्य प्रक्रिया को जारी रख सकती है।

22.7 रक्षा बलों से संबंधित मामलों पर आदर्श संहिता की प्रयोज्यता:-

मार्च 2014 में रक्षा मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ के जवाब में, जिसमें निर्वाचन अवधि के दौरान सैनिकों के लिए खाद्य तेल और राशन की वस्तुओं की खरीद की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी, निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि आदर्श संहिता सीधे रक्षा बलों से संबंधित किसी भी मामले पर लागू नहीं होती चाहे यह रक्षा बलों की भर्ती/पदोन्नति, उनसे संबंधित कोई सेवा संबंधी मामला, किसी भी प्रकार की रक्षा खरीद, रक्षा बलों के मामले से संबंधित निविदाएं हों और इसलिए ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग को कोई भी संदर्भ भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। **(अनुलग्नक XXII)**

22.8 निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बाल श्रम का नियोजन

निर्वाचन आयोग ने, न्यायालय के अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 2009 की डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 9767 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई, 2013 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रचार में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधान पर ध्यान देने और उक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की समुक्ति के विरूद्ध कुछ भी न करने का परामर्श दिया है।

22.9 निर्वाचन-प्रचार के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण के हित में, दिनाँक 16 मार्च, 2016 के पत्र के संदर्भ में राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर इत्यादि की तैयारी के लिए प्लास्टिक/पॉलिथीन और इसी तरह की गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है।

****

अध्याय 23

आदर्श आचार संहिता पर उल्लेखनीय निर्णय

23.1 प्रस्तावना

संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी के अधिदेश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए संविधियों के अनुसार शक्तियों का उपयोग करता है। न्यायपालिका द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थिति अनेक उल्लेखनीय निर्णयों के जरिए सुदृढ़ की गई है जिनमें संवैधानिक और विधिक उपबंधों की व्याख्या की गई है। ये निर्णय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन तंत्र और सभी अन्य हितधारकों सहित राजनीतिक दलों के लिए पथप्रदर्शक रहे हैं। आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों पर कुछ चयनित उल्लेखनीय निर्णयों का सार तैयार किया गया है और उन्हें इस अध्याय में एक साथ प्रस्तुत किया गया है।

(1) घासी राम बनाम डाल सिंह और अन्य (1968) (उच्चतम न्यायालय) (एआईआर 1191, 1968 एससीआर (3) 102)

सारांश

श्री घासी राम, वादी ने 19 फरवरी 1967 को हुए निर्वाचनों में हरियाणा विधान सभा में श्री डाल सिंह के निर्वाचन को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी थी कि अपने निर्वाचन से पहले श्री डाल सिंह ने राज्य सरकार में एक मंत्री के रूप में अपनी कुछ विवेकाधीन निधियों का उपयोग मतदाताओं के लिए रिश्वत देने के लिए किया था। यह आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन से पहले, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया था और ग्राम पंचायतों को विभिन्न विवेकाधीन अनुदान दिए थे जिसमें एक गांव में एक धार्मिक तालाब के निर्माण करने, जनसुविधा के उपयोग हेतु निर्माण कार्य करवाने, सामुदायिक केन्द्रों और विभिन्न गांवों में हरिजनों के कुओं की मरम्मत करने हेतु धनराशि दी गई थी। यह आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ गांवों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके कुछ ग्रामवासियों की सहायता करने के लिए अपने मंत्री पद का इस्तेमाल किया था।

उच्च न्यायालय ने इस निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था।

अपील करने पर, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज किया जाना सही था। कानून में अपेक्षित है कि घूसखोरी की भ्रष्ट प्रक्रिया को पूरी तरह सिद्ध किया जाए। साक्ष्य में यह स्पष्ट दिखाया जाना चाहिए कि

किसी मतदाता को निर्वाचन में अपना वोट देने अथवा मतदान से रोकने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई वायदा अथवा उपहार दिया गया था। एक मंत्री की स्थिति कठिन होती है। यह स्पष्ट है कि जब उसका निर्वाचन होना हो, तो वह अपने कार्य नहीं रोक सकता। उसे शिकायतों को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा वह विफल हो जाएगा। उसे जनता के समक्ष अपने प्रशासन की छवि को सुधारना चाहिए। यदि उसका हर एक अधिकारी सदाशयी रूप से इस प्रकार कार्य करता है जिससे उसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उनमें से परोक्ष अभिप्राय निकलता हो, तो प्रशासन में नि:संदेह गतिरोध आ जाएगा। वर्तमान मामले में, मतदाताओं को सीधे धनराशि वितरित नहीं की गई थी वरन यह पंचायतों और जनता के लिए दी गई थी। इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए और उन लोगों के लिए किया जाना था जो अभ्यर्थी के विरुद्ध थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें प्रतिवादी के दावों को बल मिलने की क्षमता थी किंतु यह तब भी अपरिहार्य था जब कोई भी धनराशि इस्तेमाल नहीं की गई थी किंतु अच्छे प्रशासन ने लोगों की परिस्थिति को बदल दिया। अतः यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि कोई भ्रष्ट प्रक्रिया हुई थी। यदि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य होता कि मंत्री ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से वोटों के लिए सौदेबाज़ी की थी, तो परिणाम भिन्न हो सकता था, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था।

उच्चतम न्यायालय ने यह समुक्ति भी की कि "यद्यपि हमने इस मामले में यह निर्णय दिया है कि प्रथम प्रतिवादी की कार्यवाही को नासमझी का नाम नहीं दिया जा सकता, हम यह कहने को मजबूर हैं कि सरकार का रवैया बिल्कुल सराहनीय नहीं है। निर्वाचन निष्पक्ष तरीके से आयोजित होने चाहिए। आम जनता के लिए निर्वाचन की पूर्व संध्या पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पैसा बांटने के लिए उसकी व्यवस्था अमल में लाई जाती है तो यह कुप्रथा है, चाहे यह भ्रष्ट प्रथा न हो। एक कुप्रथा और भ्रष्ट प्रथा को विभाजित करने वाली रेखा बहुत पतली होती है। यह समझना चाहिए कि जनता की भलाई के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल निर्वाचनों की पूर्व संध्या पर नहीं अपितु बहुत पहले किया जाना चाहिए और एक मामूली सा साक्ष्य इस कुप्रथा को भ्रष्ट प्रथा में बदल सकता है। निर्वाचन की पूर्व संध्या पर विवेकाधीन अनुदानों से किए जाने वाले भुगतानों से बचा जाना चाहिए।"

(2) भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल और अन्य
(1997 का विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 22724 (उच्चतम न्यायालय)

सारांश

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ने सी.डब्ल्यू.पी. सं. 270/1997 में अपने दिनांक

27.05.1997 के निर्णय में यह कहा कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू की जा सकती है। भारत संघ द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई। चूंकि एसएलपी लंबित थी, इसलिए इस मुद्दे का निपटान आयोग के परामर्श से जारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के दिनांक 16.04.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत किया गया। दिनांक 16.04.2001 के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में, एसएलपी और संबद्ध मामलों का निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 26.4.2001 के आदेशों के तहत किया गया था।

दिनांक 16.4.2001 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति और **हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य** (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 270/1997) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 27.05.1997 के निर्णय में की गई समुक्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:-

दिनांक 16.4.2001 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति

सं. एच. 11022/1/2001- विधि 11

भारत सरकार

विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एसएलपी (सी) सं. 22724/97: भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य - भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित आदर्श आचार संहिता के संबंध में।

* * * * * *

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 26.3.2001 के समसंख्यक पृष्ठांकन के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निर्देश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग अपने पत्र सं. 509/2001/जेएस-1/912 दिनांक 11.4.2001 (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत आदर्श आचार संहिता (1998) की मौजूदा संरचना में निम्नानुसार आशोधन करने के लिए सहमत हैं :

आदर्श आचार संहिता के पैराग्राफ VII(vi)(बी) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ख) (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा योजनाओं

के लिए शिलान्यास इत्यादि किया जाना; अथवा

साथ ही, पैरा VII के उप-पैरा (vi) के खंड (घ) के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :

"नोट: आयोग किसी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के लिए संभावित तिथि से साधारणतया तीन सप्ताह पूर्व से अनधिक अवधि नहीं होगी।"

2. भारत संघ और भारत के निर्वाचन आयोग के बीच सम्मत उपर्युक्त समझौतों के अनुसार भारत संघ द्वारा दायर उपर्युक्त एसएलपी को वापिस लेने के लिए एक संयुक्त शपथपत्र दायर करके आवश्यक कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं। केन्द्रीय एजेंसी के अनुभाग की फाइल सं. 2263/97-सीएएस संदर्भित हैं।

3. तदनुसार, अनुरोध है कि मामले को विद्वत माननीय अटार्नी जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एसएलपी सुनवाई के लिए पहले ही सूचीबद्ध है और आज सुनवाई की संभावना है। यदि इस संबंध में कुछ और सामग्री/जानकारी अपेक्षित हो, तो अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(एन.एल. मीणा)

संयुक्त सचिव और विधान परिषद

सेवा में,

विधायी कार्य विभाग,
(ध्यानार्थ : श्री आर. एन. पोद्दार, जेएस और एलए, प्रभारी,
केंद्रीय एजेंसी अनुभाग)
लॉयर्स चैंबर नंबर 63,
सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड, नई दिल्ली-01.

प्रतिलिपि:

सचिव (ध्यानार्थ: श्री के. जे. राव), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली को ऊपर उल्लिखित उनके दिनांक 11.4.2001 के पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

ह/-

(सुरेंद्र कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का सारांश

(वर्ष 1997 की सिविल रिट साइड सिविल रिट याचिका सं. 270)

30 दिसंबर, 1996 को निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ, आयोग ने राज्य सरकार तथा अन्य संबद्ध प्राधिकरणों को सूचित किया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख (अर्थात् 30 दिसंबर, 1996 को) से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व, राज्य में सत्ताधारी राजनीतिक दल, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 22 दिसंबर, 1996 को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में कुछ कल्याणकारी उपायों तथा स्कीमों की घोषणा की गई थी। ये कल्याणकारी उपाय और योजनाएं 1 जनवरी, 1997 से क्रियान्वित होनी थीं। 30 दिसंबर, 1996 से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद 1 जनवरी, 1997 से राज्य सरकार द्वारा उक्त कल्याणकारी स्कीमों का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ-साथ, इस आशय की एक याचिका दायर की गई कि आदर्श आचार संहिता राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की वास्तविक अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो सकती है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तारीख की घोषणा होने की तारीख से नहीं और यह कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा और राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख की अवधि के बीच सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं लगा सकता।

उच्च न्यायालय ने इस याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है, भले ही यह राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से पहले हो। ऐसा करते समय राजनैतिक दलों द्वारा पालन किए जाने हेतु अंगीकृत आदर्श आचार संहिता के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाए।

उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया कि "यह स्पष्ट है कि निर्वाचन के ठीक पूर्व होने वाली गतिविधियां भी निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचनों के अनुसार होनी चाहिए। "निर्वाचन से पूर्व" अवधि केवल निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व अवधि ही हो सकती है। अधिसूचना की तारीख तक निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यह मामला निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख के बाद का नहीं है, माननीय न्यायालय ने इसका उल्लेख “निर्वाचन की पूर्व संध्या पर” की अवधि के रूप में किया है। अतः हमारे अनुसार, निर्वाचन की पूर्व संध्या के दौरान भी निर्वाचन

आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कुछ घटित न हो, जिससे निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचन आयोजित कराने में बाधा उत्पन्न होती हो। इस आलोक में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि निर्वाचन आयोग को निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचन आयोजित कराने के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

याचिकाकर्ता के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने किसी सांविधिक प्रावधान के विरुद्ध कार्य किया है। सरकार को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश देने संबंधी उनकी कार्रवाई का अर्थ कानून के किसी प्रावधान के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश जारी करना नहीं है। जबकि यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचन कराए, जो विशुद्ध रूप में हों, और संविधान का अनुच्छेद 324 उनकी शक्ति का स्रोत है, अत: हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि उनके द्वारा जारी किए जाने वाला अनुलग्नक पी-5 कदापि गैर-कानूनी अथवा मनमाना नहीं है।

राजनीतिक दलों के अस्तित्व और निर्वाचन में उनकी भागीदारी को किसी के द्वारा नकारा नहीं जा सकता। भारत में विद्यमान वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक दलों के नेतागणों ने अपनी बुद्धि से एक आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जिनका निर्वाचन में पालन किया जाना होता है। उनके द्वारा यह संहिता निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में तैयार की गई थी। उक्त संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी अधिनियमन के प्रतिकूल हो अथवा अपमानजनक हो। जब यह देखा जाता है कि ऐसी कोई आचरण संहिता किन्हीं सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है, तो निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचनों के आयोजन, जो विशुद्ध भी हो, के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उसे निश्चित रूप से अपनाया जा सकता है।

निर्वाचन की पूर्व संध्या पर, राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी निर्वाचक मंडल का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें लुभावनी पेशकश कर सकते हैं। यदि राजनीतिक दलों अथवा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने दी जाएगी तो इससे निर्वाचनों की विशुद्धता वास्तव में कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, यदि निर्वाचन आयोग ऐसी आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाता है, जिससे किसी कानून का किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं होता हो, तो यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से पूर्व अवधि के दौरान सत्ताधारी दल की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस स्थिति को समझते हुए, निर्वाचन

आयोग ने अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के तीन सप्ताह से अधिक समय पहले निर्वाचन की घोषणा कर दी थी। इस तीन सप्ताह की अवधि में राजनीतिक दलों को आगामी निर्वाचनों के संबंध में जानकारी दी जाती है, ताकि वे निर्वाचन के लिए तैयारी कर सकें। उक्त अवधि अर्थात् निर्वाचन की घोषणा की तिथि और अधिसूचना की तिथि के बीच उक्त अवधि किसी भी तरह अनुचित नहीं है। अधिसूचना से पूर्व अल्पावधि के दौरान, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल और अभ्यर्थियों को बाध्य करता है कि उनका व्यवहार इस तरह का हो जिससे निर्बाध और न्यायसंगत निर्वाचन का आयोजन बाधित न हो।

निर्वाचन की पूर्व संध्या पर मंत्रियों के अधिकाराधीन विवेकाधीन अनुदानों में से भुगतान के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई समुक्तियों के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर कानून पारित करने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने उस सुझाव पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया कि विवेकाधीन अनुदानों से भुगतानों को विनियमित करने संबंधी नियमों में प्रावधान करने के बजाय, एक ऐसी परिपाटी अपनाई जाए कि मतदान से ठीक तीन माह की अवधि से पहले मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदानों से साधारणतया कोई धनराशि व्यय न की जाए। अतएव, भारत सरकार ने अपने दिनांक 28 अक्टूबर, 1969 के अपने पत्र में यह रूख अपनाया कि विवेकाधीन अनुदानों से भुगतानों को विनियमित करने संबंधी नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान करने के बजाय एक ऐसी परिपाटी विकसित की जानी चाहिए कि मतदान से ठीक तीन माह पहले की अवधि में किसी मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों से साधारणतया कोई राशि खर्च नहीं की जाए। सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णयों से यह प्रदर्शित होता है कि सरकार इन मुद्दों पर सांविधिक प्रावधानों को अपनाने की बजाय परंपराओं को कार्यान्वित करने के लिए तैयार थी। ऐसी स्थिति में, विभिन्न राष्ट्रीय दलों द्वारा अंगीकृत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु सरकारों को दिशानिर्देश देने में निर्वाचन आयोग की ओर से की गई कार्रवाई नितांत विधिसम्मत और उचित प्रतीत होती है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि उन्होने राज्य सरकारों के दिन-प्रतिदिन के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वे केवल इतना चाहते थे कि निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों को उनके संबद्ध कार्यस्थलों पर बनाए रखा जाए। आयोग यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि निर्वाचन निर्बाध रूप से तथा न्यायसंगत तरीके से अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना आयोजित हों। यदि राज्य के स्थायी कार्यकारी ऐसे कुछ कार्यों, जिन्हे राजनैतिक कार्यकारी कार्यान्वित करना चाहते थे, को अपने मतानुसार निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के रूप में माने, तो इसमें निर्वाचन आयोग का दोष नहीं है। ऐसे कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं जो सरकार के दिन-प्रतिदिन के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करते हों, न ही हमारे ध्यान में ऐसा लाया गया है। ऐसी हालत में, हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा की

गई किसी कार्रवाई में कोई अवैधता ढूंढें।

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि “उपर दी गई जानकारी को देखते हुए, हमारा मत स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से, अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले ही निर्वाचन के निर्बाध और न्यायसंगत आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।” ऐसा करते समय, अपनाई गई आदर्श आचार संहिता का सभी राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसमें सरकार में शामिल दल भी शामिल होगा, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपालन के निर्देश दिए जा सकते हैं। इस संबंध में आयोग की कार्रवाई को दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई उक्त आदर्श आचार संहिता किन्हीं भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है। इससे केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का आयोजन सुनिश्चित होता है, जो विशुद्ध होना चाहिए।

"याचिका विफल रही है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"

(3) भारत निर्वाचन आयोग याचिकाकर्ता बनाम राजाजी मैथ्यू थॉमस एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय)

(अपील (सिविल) सं. 8891/2011 हेतु विशेष अनुमति)

सारांश

निर्वाचन आयोग द्वारा 1 मार्च, 2011 को केरल राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों की घोषणा की गई थी। निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व, 25 फरवरी, 2011 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके राज्य में लोगों की कतिपय श्रेणियों नामत: बीपीएल/एएवाई के राशन कार्डधारकों, मछुआरों, अनु.जाति/अनु.ज.जाति के परिवार और आश्रय स्कीम तथा इकतालीस असंगठित/पारंपरिक सेक्टरों के कामगारों सहित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में कम से कम 50 दिन काम करने वाले लोगों के लिए 2/- रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से अनाज उपलब्ध कराने की विद्यमान स्कीम का कुछ शर्तों के अध्यधीन राज्य के सभी राशन कार्डधारकों तक भी विस्तार करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की थी। दिनांक 25 फरवरी, 2011 के उपर्युक्त आदेश जारी होने पर, भारत निर्वाचन आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें एक सत्ताधारी दल के सांसद, दो विधान सभा सदस्य, जिनमें से एक केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तथा अन्य शामिल थे। कोल्लम और कन्नूर के जिलाधीशों ने भी 2/- रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल के वितरण वाली स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सरकार के 25 फरवरी, 2011 के निर्णय के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 और 2 से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। इसके उपरांत सरकार ने इस मामले को निर्वाचन आयोग को अग्रेषित कर दिया था ताकि योजना

के क्रियान्वयन की अनुमति ली जा सके। इसके उत्तर में केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 7 मार्च, 2011 को निम्नलिखित टिप्पणी की :

> **"दिनांक 25 फरवरी, 2011 के जी.ओ.सं.11/2011/एफएंडसीएस के अनुसार नए लाभार्थियों के लिए इस योजना के विस्तार को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक आस्थगित रखा जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के उपर्युक्त विचारों का निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2011 के पत्र के द्वारा समर्थन किया था"।**

इससे दुखी होकर प्रतिवादी ने केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 2011 की रिट याचिका सं. 8178 (एस) दायर कर दी, जिसका निपटान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा उनके निर्णय और दिनांक 21 मार्च, 2011 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि 4 अन्य श्रेणियों के संबंध में पहले से ही विद्यमान इस योजना के लाभों का विस्तार करने के लिए 25 फरवरी, 2011 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन को आस्थगित रखने के संबंध में निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आक्षेपित निर्देश पूर्णतया मनमाना था तथा निर्वाचन लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हासिल किए जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं था। केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनौती दी गई।

निर्वाचन आयोग की ओर से, यह बताया गया कि निर्वाचन आयोग को उक्त योजना के जारी रहने से कोई आपत्ति नहीं थी, जो 25 फरवरी, 2011 के पहले से जारी थी। तथापि, जहाँ तक उसका लाभ राज्य के लोगों की नई श्रेणियों के लिए दिए जाने का प्रश्न है, उससे निर्वाचन प्रक्रिया में समस्त राजनीतिक दलों के लिए एकसमान अवसर उपलब्ध कराने का कार्य बाधित होगा। यह बताया गया था कि निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से लोगों के नए वर्गों को स्कीम के प्रस्तावित विस्तार को आस्थगित रखने का अनुरोध करने संबंधी कार्रवाई न तो मनमानी थी न ही उसका आशय लोगों के उन वर्गों को दिए जाने वाले लाभों को रोकना था अपितु यह केवल निर्वाचन की अवधि के दौरान उसको आस्थगित रखने के लिए था।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि योजना का लाभ लोगों के नए वर्गों को दिए जाने का निर्णय केरल में निर्वाचनों की घोषणा से पहले लिया गया था, अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जिसकी घोषणा बाद में की गई।

उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि आदर्श आचार संहिता का आशय यह था कि किसी भी सत्ताधारी दल को उन तारीखों, जब निर्वाचनों की घोषणा की जाती हो, के आसपास कोई ऐसी

कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिससे वह निर्वाचनों के दौरान कोई लाभ उठा सके अथवा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसरों में कोई विघ्न पैदा हो। साथ ही साथ, यद्यपि, नागरिकों के नए वर्गों को योजना का प्रस्तावित लाभ देने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्वाचनों की घोषणा से पहले, 25 फरवरी, 2011 को दे दी गई थी, तथापि, इस योजना का क्रियान्वयन निर्वाचनों की घोषणा से पहले संभव नहीं था, क्योंकि इसे क्रियान्वित किए जाने में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल थीं। वस्तुत:, उक्त स्थिति राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को दिए गए संदर्भ से स्पष्ट होगी, जिसमें योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमति मांगी गई थी और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले वकील द्वारा भी यह स्वीकारते हुए पुष्टि की गई थी कि यथाविस्तारित योजना को उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के बाद ही लागू किया गया था।

तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

(4) एस. सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय)

(2013 की सिविल अपील सं. 5130)

(वर्ष 2008 की एसएलपी (सी) सं. 21455 से उत्पन्न)

सारांश

तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2006 और 2011 में हुए साधारण निर्वाचनों से ठीक पहले, कुछ सिविल सोसाइटी संगठन और गैर-सरकारी व्यक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में गए और राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के निर्वाचन घोषणा-पत्रों में कतिपय उपहार संबंधी मदों के वायदों पर प्रश्न उठाए, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने 'मुफ्त उपहार' माना था। मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) ने 25 जून, 2007 को रिट याचिका (सं. 9013 वर्ष 2006-*एस. सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य*) खारिज कर दी थी, जो वर्ष 2006 के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में दायर की गई थी। वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, और उसने वर्ष 2011 के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में भी अपनी याचिका दायर की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, उसे उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामलों का निपटान करते हुए अपने दिनांक 5 जुलाई 2013 के आदेश के द्वारा, अपने परिणामों, निष्कर्षों और दिशानिर्देशों का निम्नानुसार सार प्रस्तुत किया:

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में निर्धारित मानदंडों की जांच करने तथा उन पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्वाचन घोषणा

पत्र में किए जाने वाले वायदों को एक भ्रष्ट आचरण के रूप में घोषित करने के लिए धारा 123 में नहीं रखा जा सकता। अतः निर्वाचन घोषणा पत्र में किए गए वायदे प्रचलित कानून के तहत भ्रष्ट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में एक संदर्भ समयोचित होगा। प्रो. रामचन्द्र जी. कापसे बनाम हरीबंश रामकबल सिंह (1996) 1 एससीसी 206 मामले में इस न्यायालय का निर्णय था "............ किसी घोषणा पत्र की पूर्व दृष्टया अंतर्वस्तु, स्वयं ही, उस दल के अभ्यर्थी द्वारा किया गया एक भ्रष्ट आचरण नहीं हो सकता है।"

(ii) इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि इस रिट याचिका में जिन योजनाओं को चुनौती दी गई, वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में आती हैं, अतः ये सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में आती हैं।

(iii) संविधान के अधिदेश में किसी भी योजना को क्रियान्वित किए जाने से पहले विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। अतः जब तक कोई योजना सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में आती है और उपयुक्त विनियोजन विधेयक पारित करते हुए योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि आहरित की जाती है, तो ऐसी योजनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है।

(iv) हमने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि न्यायिक हस्तक्षेप तभी अनुमत्य हैं जब सरकार की कार्यवाही गैर-संवैधानिक हो अथवा किसी वैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल हो और तब नहीं जब ऐसी कोई कार्यवाही विवेकपूर्ण न हो अथवा व्यय की सीमा राज्य के हित के अनुरूप न हो1

(v) यह भी जोर दिया जाता है कि इस याचिका के अंतर्गत जिन योजनाओं को चुनौती दी गई है, वे संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप हैं।

(vi) चूंकि इस वर्तमान मामले में कोई कानूनी शून्यता नहीं है विशाका सिद्धांत को लागू किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(vii) व्यय होने के बाद ही सीएजी द्वारा कार्रवाई करने की स्थिति उत्पन्न होगी।

(viii) चूंकि यह याचिका क्षेत्राधिकार के मुद्दे के बाहर होने के कारण खारिज किए जाने हेतु उपयुक्त है इसलिए क्षेत्राधिकार का मुद्दा परित्यक्त विकल्प है।

2. निर्देश:

(i) यद्यपि कानून सुस्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत निर्वाचन घोषणा पत्र में किए गए वायदे का अर्थ 'भ्रष्ट प्रक्रिया' नहीं लगाया जा सकता, तथापि, इस वास्तविकता का खंडन नहीं किया जा सकता कि किसी प्रकार के मुफ्त उपहार का वितरण, निःसंदेह सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की मूल भावना को खंडित कर देता है। निर्वाचन आयोग ने

अपने अधिवक्ता के जरिए इसी भावना को शपथपत्र और दलीलों दोनों के माध्यम से प्रकट भी किया है कि सरकारी लागत पर ऐसे मुफ्त उपहारों का वायदा करना निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत एकसमान अवसरों की उपलब्धता को बाधित करता है और खराब करता है तथा इस संबंध में आयोग ने इस न्यायालय के किन्हीं भी दिशानिर्देशों अथवा निर्णय को लागू करने की सहमति जताई।

(ii) जैसा निर्णय के पहले हिस्से में देखा गया है, इस न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं कि वह विधायिका को यह निर्देश दे कि वह किसी विशेष मामले में कानून बनाए। तथापि, निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने कि निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को एक समान अवसर उपलब्ध हो तथा साथ ही यह देखने कि निर्वाचन प्रक्रिया की विशुद्धता दूषित न हो, पूर्व की भांति आदर्श आचार संहिता के तहत निर्देश जारी करता रहा है। वह शक्तिसूत्र जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग इन आदेशों को जारी करता है, संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने का अधिदेश देता है। यह स्वीकारना भी उतना ही आवश्यक है कि यदि निर्वाचन आयोग के आदेश की विषयवस्तु किसी विधायी उपाय द्वारा कवर होती हो, तो निर्वाचन आयोग इन विषयों पर ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता।

(iii) अतः, यह विचार करते हुए कि ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, जिसके अंतर्गत सीधे निर्वाचन घोषणा पत्र आते हों, हम एतदद्वारा निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि जब कभी उसके द्वारा प्रत्याशियों, जुलूसों, मतदान दिवस, सत्ताधारी दल इत्यादि के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए जाएं तो इसके लिए वह समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से परामर्श करके इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करे। इसी प्रकार राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता में किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए जाने वाले निर्वाचन घोषणा पत्र संबंधी दिशानिर्देशों के लिए एक अलग शीर्ष भी शामिल किया जा सकता है। यह तथ्य हमे ज्ञात है कि सामान्यतया राजनीतिक दल निर्वाचन की घोषणा से पहले अपने-अपने निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते हैं, इस परिदृश्य में, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले किसी गतिविधि को विनियमित किए जाने का प्राधिकार नहीं होगा। फिर भी, इस संबंध में कोई अपवाद हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन घोषणा पत्र सीधे निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा होता है।

(iv) हम एतदद्वारा निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि इस कार्य की अत्यधिक महत्ता को देखते हुए जितनी जल्दी संभव हो इसे आरंभ किया जाए। हम अपने लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक दलों को शासित करने के लिए इस संबंध में विधायिका द्वारा एक अलग कानून पारित किए जाने की आवश्यकता को भी अभिलिखित करते हैं।

****

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(अध्याय - 2 आदर्श संहिता की स्थिति और कार्य-क्षेत्र)

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता

I. साधारण आचरण

(1) किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्‌यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।

(2) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। दल और अभ्यर्थी व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना से बचेंगे, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर आधारित हों, जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई हो।

(3) मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

(4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार-प्रसार करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

(5) सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्‌ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये।

(6) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, बैनर टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।

(7) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं आयोजित की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

II. सभाएं

(1) दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(2) दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहाँ सभा किए जाने का प्रस्ताव है, कोई निषेधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय रहते आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(4) किसी सभा के आयोजक सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता सर्वदा प्राप्त करेंगे। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।

III. जुलूस

(1) जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय तथा किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिये।

(2) आयोजक कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।

(3) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निषेधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उन प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। किसी भी यातायात नियमों या प्रतिबंधों का भी सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

(4) आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में व्यवस्थित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जाम से बचा जा सके।

(5) जुलूसों को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि जहाँ तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा।

6) यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव दिया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात बाधित न हो। संतोषजनक इंतजाम करने के लिये स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

(7) राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है।

(8) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

IV. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दल और अभ्यर्थी: -

(i) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और

मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन ड्यूटी पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र देंगे।

(iii) इस बात से सहमत होंगे कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे (सफेद) कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा;

(iv) मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

(v) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, ताकि दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पाये।

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों। उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड़ न लगाई जाये तथा

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगाना चाहिए ताकि ये साफ-साफ दिखाई दें।

V. मतदान केन्द्र

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

VI. प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

VII. सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल, चाहे वे केन्द्र में हो या संबंधित राज्य या राज्यों में हों, को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का इस्तेमाल किया है और विशेष रूप से:-

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को, निर्वाचन से संबंधित प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए सरकारी मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जायेगा;

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपेडों का इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाये, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है;

(iii) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति होगी लेकिन दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेंगे या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान सत्ताधारी दल की संभावनाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाने के उद्देश्य से राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किए जाने, सरकारी मास मीडिया का दुरूपयोग करने से सतर्कतापूर्वक बचना चाहिये।

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं; तथा

(vi) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं:-

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; अथवा

(ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए

आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे; या

(ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए कोई वायदा नहीं करेंगे; या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे, जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

टिप्पणी: आयोग किसी भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा इस प्रकार करेगा, जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

(vii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोड़कर अन्य हैसियत में किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।

VIII. निर्वाचन घोषणापत्रों से संबंधित दिशा-निर्देश

1. उच्चतम न्यायालय ने 2008 (एस. सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 21455 में दिनांक 05 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया था कि भारत निर्वाचन आयोग सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन घोषणापत्रों की विषय-वस्तु के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे। ऐसे दिशा-निर्देशों को बनाने में सहायक मार्गदर्शक सिद्धांत निर्णय में नीचे दिए गए हैं:-

(i) "यद्यपि, विधि निश्चित रूप से स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन घोषणापत्र का 'भ्रष्ट प्रथा' के रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, परंतु इस वास्तविकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण, निस्संदेह लोगों को प्रभावित करता है। काफी हद तक, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ें ही हिला देता है"।

(ii) "निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों तथा अभ्यर्थियों को एक समान अवसर सुनिश्चित कराने के प्रयोजनार्थ और यह जानने के लिए कि कहीं निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता विगत की भांति दूषित तो नहीं हो रही है, आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहता है। संविधान का अनुच्छेद 324 उन शक्तियों का ऐसा स्रोत है, जिसके अधीन आयोग इन

अनुदेशों को जारी करता है तथा जो आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को संचालित कराने का अधिदेश देता है।"

(iii) "हम इस वास्तविकता से परिचित हैं कि सामान्यतः राजनैतिक दल अपना निर्वाचन घोषणापत्र निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले जारी करते हैं। स्पष्ट कहा जाए तो, उस परिदृश्य में, भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसे किसी कार्य को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है जो निर्वाचनों की तारीख की घोषणा से पहले किया गया हो। हालांकि, निर्वाचन घोषणापत्र का सीधा संबंध निर्वाचन प्रक्रिया से होता है, अतः इस संबंध में अपवाद बनाया जा सकता है।"

2. माननीय उच्चतम न्यायालय से उपर्युक्त निदेश प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में परामर्श करने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की और इस मामले में उनके परस्पर-विरोधी विचारों को नोट कर लिया। विचार-विमर्श के दौरान, यद्यपि कुछ राजनैतिक दलों ने ऐसे दिशा-निर्देशों को जारी करने का समर्थन किया, तथापि कुछ लोगों का विचार था कि बेहतर लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में घोषणापत्रों में मतदाताओं को ऐसे प्रस्ताव देना तथा वायदे करना उनका अधिकार है। जबकि, आयोग सैद्धांतिक रूप से इस विचार से सहमत है कि घोषणापत्र तैयार करना राजनैतिक दलों का अधिकार है, परंतु स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यार्थियों को एक समान अवसर प्रदान करने की भावना को बनाए रखने में, कुछेक वायदों और प्रस्तावों के अवांछित प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

3. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद तथा राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन कराने का अधिदेश देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने के उपरान्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में, आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणापत्र जारी करते समय राजनैतिक दल और अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेंगे:-

(i) निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल हो और इसके अलावा यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी।

(ii) संविधान में अधिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के लिए यह व्यादिष्ट करते हैं कि राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय तैयार करें तथा इसलिए निर्वाचन घोषणापत्रों में ऐसे कल्याणकारी संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करें या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें।

(iii) पारदर्शिता, एक समान अवसर प्रदान करने तथा वायदों की विश्वसनीयता हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्रों में वायदों के मूलाधार भी दर्शाए जाएं और इस प्रयोजनार्थ और व्यापक रूप से इसमें इसके लिए वित्तीय अपेक्षा को पूरा करने के अर्थोपायों को निर्दिष्ट किया जाता है। मतदाताओं का विश्वास ऐसे वायदों पर ही मांगा जाना चाहिए जिन्हे पूरा करना संभव हो सके।

अनुलग्नक - II

(अध्याय - 3 आदर्श संहिता का क्रियान्वन)

मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2008-सीसीएंडबीई दिनाँक: 19 मार्च, 2009

उप: आयोगों, निगमों, समितियों आदि के लिए आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्यता।

मुझे यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि आयोग ने यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केन्द्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी संगठनों/समितियों, निगमों/आयोगों, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत विनियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, कोई अन्य विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। अपनी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए या नयू सब्सिडी, टैरिफों या योजनाओं की घोषणा करते हुए उनके द्वारा दिए गए अपने विज्ञापनों के किसी प्रकाशन सहित, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता में सम्मिलित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी प्रकार की कार्यवाही पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे और यह उसके उल्लंघन के समतुल्य होगा।

अनुलग्नक - III

(अध्याय - 3 आदर्श संहिता का प्रवर्तन)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2014-सीसीएंडबीई, दिनांक 26.04.2014

विषय: राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन संबंधी अभियान की गतिविधियों - तत्संबंधी।

विभिन्न क्षेत्रों से आयोग को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक संगठन, समितियाँ आदि धार्मिक सभाओं, योग शिविरों, सभाओं, बैठकों, शोभायात्रा आदि का आयोजन करके मतदाताओं को कुछ राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों के पक्ष या विरोध में निर्वाचन अभियान में जुड़ने का आग्रह कर रहे हैं। ये शिकायत यह भी संकेत देती हैं कि अपने अभियान में इन संगठनों/समितियों में से कुछ धर्म का उपयोग कर रहे हैं और ऐसे आग्रह किए जाने वाले निर्वाचकों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

2. आयोग इस मामले पर विचार करके आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों को निर्धारित करता है जिसका पालन राजनीतिक दलों/ अभ्यर्थियों को छोड़कर, अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियानों के विषय में उस अवधि के दौरान किया जाएगा जब किसी निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू हो;

(i) उनको अपने निर्वाचन अभियान में किसी भी प्रकार से धर्म या धार्मिक आधार पर या लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच संभावित कटु सम्बन्ध पैदा करने वाली संभावित गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। ऐसी गतिविधियों/वक्तव्यों को विधि के विभिन्न प्रावधानों, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क, 153ख, 171ग, 295क, और 505(2), धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध होने की वजह से प्रतिषिद्ध किया जाता है।

(ii) उनको ऐसी किसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के समतुल्य हो या ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण हो या शालीनता एवं नैतिकता को भंग करता हो।

(iii) जब विभिन्न व्यक्ति और संगठन सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अनुमति मांगते है तो उनको उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक घोषणा/वचन देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(i) ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों का वीडियोग्राफी द्वारा ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि कोई उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लिप्त होता है तो उचित कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए संबंधित राज्य और जिले के अधिकारियों को ऐसे सभी प्रकरणों में शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त उपचारात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि वचन पत्र का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उस निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त कार्यक्रम के आयोजन की कोई अनुमति नहीं दी जाए।

(ii) यदि कार्यक्रमों में व्यय निहित हो और ये किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने के समतुल्य हो तो व्यय करने के लिए सम्बंधित अभ्यर्थी से लिखित में पूर्व विशेष प्राधिकार प्राप्त करना होगा, जैसा कि आईपीसी की धारा 171ज के अंतर्गत अपेक्षित है और ऐसा प्राधिकार 48 घंटों के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा किया जाना चाहिए। किसी तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, संबंधित व्यक्ति को दण्डित करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

3. इन दिशानिर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन संबंधित सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। इसका सभी संबंधितों की सूचना के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

अनुलग्नक - IV

(अध्याय - 4 आदर्श आचार संहिता को प्रवर्तित करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए विशेष उपाय)

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/महासचिव, को संबोधित ईसीआई पत्र सं. 437/6/2017 (नीति) दिनांक 10 जनवरी, 2017 । प्रति सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पृष्ठांकित की गई।

विषय - विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2017 - एमसीसी - तत्संबंधी

चूँकि आप इस बात से अवगत हैं कि अन्य विषयों के साथ, एमसीसी और आईपीसी के विभिन्न उपबंधों में प्रावधान हैं कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को धर्म के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने से संबंधित बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि इनसे समाज की शांति भंग होती है, जो निर्वाचनों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ तक कि देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1992 की सिविल अपील सं. 37 (अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमाचेन) और 1995 की सिविल अपील सं. 8339 में दिनांक: 02.01.2017 के अपने निर्णय और आदेश के तहत इस मामले पर में गहरी चिंता व्यक्त की है।

यदि विधि के प्रावधान या एमसीसी का उल्लंघन किया जाता है तो आयोग एक मूक दर्शक नहीं रहेगा और कोई भी दंडमुक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयोग सभी उपलब्ध शक्तियों के तहत किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगा।

अनुलग्नक-V

(अध्याय - 4 आदर्श आचार संहिता को लागू करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए विशेष उपाय)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2007-पीएलएन-I दिनाँक: 07.01.07

विषय: आचार संहिता - क्या करें और क्या न करें

आयोग ने समय-समय पर आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विभिन्न अनुदेशों को जारी किया है। आचार संहिता के महत्वपूर्ण पहलुओं को नीचे दोहराया जाता है:

कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यों के संबंध में:

1. ऐसी किसी भी रूप में नई परियोजनाओं या कार्यक्रम या रियायतों या वित्तीय अनुदानों अथवा तत्संबंधी वायदों की घोषणा अथवा शिलान्यास करना प्रतिबंधित हैं जिससे मतदाता सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभावित हों,

2. ये प्रतिबंध नई योजनाओं और चल रही योजनाओं पर भी समान रूप से लागू हैं। लेकिन इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्यीय जनोपयोगी योजनाओं के मामले में, जो पहले ही पूर्ण होने के स्तर पर आ गई हैं, जनहित में उनके उपयोग या उन्हें कार्यात्मक बनाने से रोका या विलंबित किया जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने से ऐसी योजनाओं को चालू न करने या उन्हें निष्क्रिय रखने के बहाने के रूप में नहीं लिया जा सकता। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की योजनाओं को सिविल प्राधिकारियों द्वारा राजनैतिक पदाधिकारियों को साथ लिए बिना और किसी धूमधाम या समारोहों के बगैर, चाहे जो हो, शुरू किया जाए ताकि ऐसा कोई संकेत न जाए कि इसे मतदाताओं को सत्तारूढ दल के पक्ष में प्रभावित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। यदि संदेह हो तो भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल इस वजह से कि किसी विशेष योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया है या योजना को पहले मंजूरी दे दी गई है अथवा योजना का राज्यपाल के संबोधन या मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, इसका यह आशय नहीं है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान, निर्वाचन की घोषणा के बाद ऐसी योजनाओं की घोषणा या उद्घाटन किया जा सकता है अथवा अन्यथा उठाया

जा सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनका आशय मतदाताओं को प्रभावित करना होगा। यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

4. सरकारी योजनाओं के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। निर्वाचन पूरे होने तक राजनीतिक कार्यकारी अधिकारी (मंत्रियों आदि) द्वारा समीक्षा और लाभोन्मुखी योजनाओं पर कार्रवाई, चाहे पहले से चल रही हो, रोक दी जानी चाहिए। आयोग की पूर्वानुमति के बगैर निर्वाचनरत राज्य के किसी भी हिस्से में कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों के संबंध में कोई नई धनराशि विमुक्त नहीं की जानी चाहिए अथवा निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) के अधीन निर्माण कार्य, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि या विधायक/एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि शामिल हैं, यदि राज्य में ऐसी कोई योजना चालू है।

5. ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में कार्य आदेश भले ही आदर्श संहिता (मॉडल कोड) लागू होने से पूर्व जारी कर दिए गए हैं, यदि इस क्षेत्र में कार्य वास्तव में शुरू नहीं हुआ है। ये निर्माण कार्य निर्वाचन कार्य पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है, तो इसे जारी रखा जा सकता है।

6. संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि की शर्त पर पूर्ण कार्य (कार्यों) के लिए भुगतान देने पर कोई रोक नहीं होगी।

7. आयोग सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने में लिए चलाये जाने वाली योजनाओं जैसे कि अथवा वृद्धजनों, अशक्त लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों के लिए अनुमोदन की मनाही नहीं करता। हालांकि, इन मामलों में आयोग की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए और तड़क-भड़क वाले सभी समारोहों से सख्ती से बचना चाहिए और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा कार्यालय में ये कल्याणकारी उपाय या राहत और पुनर्वास कार्य इसीलिए किए जा रहे हैं कि मतदाताओं को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में प्रभावित किया जा सके और साथ ही इससे अन्य दलों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में:

आयोग का निर्देश है कि निर्वाचन के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानांतरण

पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;
(ii) संभागीय आयुक्त;
(iii) निर्वाचन संचालन से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी;
(iv) निर्वाचन के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे कि रेंज आईजी और डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के तहत आयोग में प्रतिनियुक्त हैं;
(v) निर्वाचन कार्यों के लिए नामनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी जैसे सेक्टर और जोनल अधिकारी, परिवहन प्रकोष्ठ, ईवीएम प्रकोष्ठ, मतदान सामग्री खरीद और वितरण प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुद्रण प्रकोष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी राज्य में निर्वाचन प्रबंधन में भूमिका होती है, भी इस दिशा-निर्देश के अधीन कवर होते हैं।
(vi) घोषणा की तारीख से पहले उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों के संबंध में जारी किए गए किंतु आदर्श संहिता के लागू होने तक लागू न किए गए स्थानांतरण आदेशों को अयोग से विशिष्ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।
(vii) यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।
(viii) उन मामलों में जहाँ प्रशासनिक तात्कालिकता के कारण किसी अधिकारी का स्थानांतरण आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ पूर्व मंजूरी के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।
(ix) आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना, इस अवधि के दौरान, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के संबंध में:

1. सरकारी वाहनों का इस्तेमाल निर्वाचन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकारी वाहनों में 'निम्नलिखित से संबंधित सभी वाहन' शामिल हैं-

- केंद्र और राज्य सरकार,
- केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम,
- केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम,
- स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका,
- विपणन बोर्ड (जिस किसी नाम से जाना जाता हो),

- सहकारी समितियाँ,
- स्वायत्त जिला परिषदें, या
- कोई भी अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि, भले ही कुल का एक छोटा भाग हो, का निवेश किया जाता है, और
- रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के अधीन केंद्रीय पुलिस संगठन।

2. केंद्रीय या राज्य मंत्री के लिए अपने निजी वाहन से निजी दौरे करने की छूट है। ऐसी निजी यात्राओं के लिए, मंत्रियों के सरकारी वैयक्तिक निजी कर्मचारी उनके साथ नहीं होंगे। हालाँकि, यदि कोई मंत्री विशुद्ध रूप से आधिकारिक कार्य पर अपने मुख्यालय से बाहर, किसी आकस्मिक स्थिति में दौरा करते हैं, <u>जिसे जनहित में टाला नहीं जा सकता है</u>, तो इस आशय को प्रमाणित करने वाला पत्र, विभाग के संबंधित सचिव से उस राज्य के मुख्य सचिव को भेजा जाना चाहिए जहाँ मंत्री दौरा करना चाहते हैं और इसकी प्रति आयोग को दी जानी चाहिए। ऐसे दौरे के दौरान, मुख्य सचिव उनके सरकारी दौरे के लिए मंत्री को सरकारी वाहन, आवास और अन्य सामान्य शिष्टाचार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे सरकारी दौरे के तुरंत पहले या इसके दौरान या इसकी निरंतरता में कोई भी मंत्री किसी भी निर्वाचन अभियान या राजनीतिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता अथवा साथ में नहीं मिला सकता। आयोग अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से इस तरह की व्यवस्था पर नजर रखेगा।

3. कोई मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो अथवा राज्य का मंत्री, निर्वाचन की घोषणा के साथ शुरू निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य के किसी भी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को किसी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुलाएगा। केवल तभी अपवाद होगा जब कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी अथवा मुख्यमंत्री की हैसियत से कानून व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र का सरकारी दौरा करते हैं, जिसके लिए समीक्षा/ निस्तारण/ राहत के विशिष्ट प्रयोजन और ऐसे किसी प्रयोजन के लिए ऐसे मंत्रियों/ मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति अपेक्षित हो।

4. मंत्री, सरकारी वाहनों का उपयोग अपने सरकारी कार्य के लिए केवल अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय में आने के लिए करने के ही पात्र हैं, बशर्ते कि इस यात्रा के साथ कोई निर्वाचन कार्य या कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं जुड़ी हो।

5. मंत्री, चाहे संघ के हों या राज्य के, किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दौरों को

निर्वाचन कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे।

6. चाहे निजी यात्रा पर हों या सरकारी यात्रा पर, कोई भी पायलट कार (कारों) या किसी भी रंग के दीपस्तंभ वाली कार (कारों) या किसी भी प्रकार के सायरन वाली कार (कारों) का उपयोग किसी राजनीतिक अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा चाहे राज्य प्रशासन ने उसे ऐसा सुरक्षा कवर दिया हो जिसके लिए ऐसे दौरे पर उसके साथ सशस्त्र सुरक्षाबलों की उपस्थिति की आवश्यकता हो। यह लागू होता है। चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व का हो या निजी स्वामित्व का, यह सभी पर लागू होता है।

7. कोई अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पर निर्वाचनों का आयोजन किया जा रहा है, में मंत्री के निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है तो संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत, कदाचार का दोषी होगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित कोई अधिकारी होता है तो उसे उस धारा के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी अतिरिक्त रूप से दोषी माना जायेगा और जिसके अंतर्गत उपबंधित दंडनीय कार्यवाही का वह उत्तरदायी होगा।

अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए अन्य 'क्या करें' और 'क्या न करें' जिनका निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया के समापन तक अनुपालन किया जाना चाहिए।

आयोग ने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के बाद से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक **'क्या करें' और 'क्या न करें'** की सूची तैयार की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इसका व्यापक प्रचार किया जाए और सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों की जानकारी के लिए राज्य की राजभाषा सहित स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाए।

अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों की जानकारी में स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए कि 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची केवल निदर्शनात्मक है, संपूर्ण नहीं है और इसका उद्देश्य उपर्युक्त विषयों पर अन्य विस्तृत दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित या संशोधित करना नहीं है, जिनका सख्ती से पालन और अनुपालन किया जाना चाहिए।

क्या करें

(1) प्रगतिशील कार्यक्रम, जो वास्तव में निर्वाचन की घोषणा से पहले क्षेत्र में शुरू हो गए थे, जारी रखे जा सकते हैं।

(2) बाढ़, सूखे, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत

और पुनर्वास के उपाय शुरू किए और जारी रखे जा सकते हैं।

(3) मरणासन्न या गंभीर रूप से रूग्ण व्यक्तियों को नकद अनुदान या चिकित्सा सुविधाएं जारी रखे जा सकते हैं।

(4) निर्वाचन बैठकें करने के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान सभी दलों/ अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसी प्रकार, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हेलिपैड का उपयोग सभी दलों/ अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(5) अन्य राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम से संबंधित होनी चाहिए।

(6) शांतिपूर्ण और बाधारहित गृह जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

(7) स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रस्तावित बैठकों के आयोजन स्थल और समय की पूरी जानकारी समय रहते होनी चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई हों।

(8) यदि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हैं, तो उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। छूट, यदि आवश्यक हो, के लिए समय रहते आवेदन अवश्य ही किया जाना चाहिए और समय रहते ली जानी चाहिए।

(9) प्रस्तावित सभाओं के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किन्ही अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए अनुमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए।

(10) सभाओं में गड़बड़ी करने वाले या अन्यथा उपद्रव पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

(11) किसी भी जुलूस के आरंभ का समय और स्थान, अनुसरण किए जाने वालों इसके रूट और समाप्ति के समय एवं स्थान की व्यवस्था अग्रिम में की जानी चाहिए और पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम में अनुमति ली जानी चाहिए।

(12) उन स्थानों जहाँ से जुलूस गुजरना है, में लागू, किन्ही प्रतिबंधात्मक आदेशों के विद्‍यमानता का पता लगाना चाहिए और उसका पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यातायात विनियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन करना चाहिए।

(13) जुलूस का मार्ग यातायात को बाधा पहुंचाए बगैर होना चाहिए।

(14) शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को हर समय सहयोग देना चाहिए।

(15) सभी कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र अवश्य ही दिखाना चाहिए।

(16) मतदाताओं को जारी गैर-आधिकारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और इसमें किसी प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(17) अभियान अवधि और मतदान दिवस के दौरान वाहनों को रोकने पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

(18) किसी भी मतदान केन्द्र में निर्वाचन आयोग से विशिष्ट वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति (मतदाताओं, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को छोड़कर), ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी (जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक आदि), चाहे कितना ही उच्च अधिकारी क्यों न हो को इस शर्त से छूट नहीं है।

(19) निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत या समस्या आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/भारतीय निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाई जाएगी।

(20) निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

(21) यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता नहीं हैं, तो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

क्या न करें

(1) सत्तारूढ़ दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खजाने से किसी या सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है।

(2) कोई मंत्री किसी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल में प्रवेश तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह एक अभ्यर्थी न हो या केवल मतदान के लिए मतदाता के रूप में प्रवेश करेगा।

(3) सरकारी काम को प्रचार अभियान/निर्वाचन के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए।

(4) कोई प्रलोभन, वित्तीय या अन्यथा, मतदाता को नहीं दिया जाएगा।

(5) निर्वाचकों की जातीय/सांप्रदायिक भावनाओं को नहीं भड़काया जाएगा।

(6) ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी, जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों अथवा उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो सकता हो।

(7) अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी ऐसे पहलू की आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ न हो।

(8) निर्वाचन संबंधी कार्यों के संबंध में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का भाषण, पोस्टर, संगीत आदि सहित निर्वाचन प्रचार के स्थानों के रूप इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(9) मतदान समाप्त होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान, ऐसे कार्यकलाप जो भ्रष्ट आचरण हैं अथवा निर्वाचन संबंधी अपराध हैं जैसे कि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव,

मतदाताओं को डराना, दूसरे का मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार करना, जनसभाएं आयोजित करना और मतदाताओं की गाडियों का मतदान केंद्रों पर आना-जाना निषिद्ध है।

(10) व्यक्तियों के मत और कार्यकलापों के विरूद्ध विरोध करने के लिए उनके घरों के समक्ष प्रदर्शन या धरने का सहारा नहीं लिया जाएगा।

(11) स्थानीय कानूनों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, मालिक से विशिष्ट अनुमति (जिला निर्वाचन अधिकारी को दिखाए एवं उनके पास जमा करने हेतु) लिए बिना किसी की भूमि, भवन, परिसर की दीवार, वाहनों आदि का उपयोग ध्वज के डंडों को लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।

(12) अन्य राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी।

(13) जिन स्थानों पर अन्य दल सभाएं कर रही हैं, वहाँ उनके साथ जुलूस/ रैली नहीं निकाले जाएंगे।

(14) जुलूस निकालने वालों को ऐसी कोई भी वस्तु साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिनका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे मिसाइल या हथियार।

(15) अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाया या बिगाड़ा नहीं जाएगा।

(16) पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री को मतदान के दिन, मतदान पहचान पर्ची वितरण स्थान के पास या मतदान केंद्रों के पास इस्तेमाल अथवा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(17) लाउडस्पीकर, चाहे स्थिर हों या चालित वाहनों पर लगे हों, का उपयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद, संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा।

(18) संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर, सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों में भी लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम तौर पर, ऐसी बैठकों/जुलूसों को रात में 10.00 बजे से बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये स्थानीय कानूनों, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय धारणाओं और मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा अवधि आदि जैसे अन्य प्रासंगिक महत्वों के अधीन होगा।

(19) निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए।

(20) मतदान के दिन, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे सुरक्षा का खतरा हो और इसलिए उसे आधिकारिक तौर पर सुरक्षा दी गई हो, अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर (100 मीटर के भीतर) के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा, मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा। यदि आधिकारिक सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति एक मतदाता भी है, तो वह सुरक्षा कर्मियों के

साथ केवल मतदान करने तक ही अपनी गतिविधि को प्रतिबंधित करेगा।

(21) कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा का खतरा हो और इसलिए उसे आधिकारिक तौर पर सुरक्षा दी गई हो, या जिसके पास स्वयं के लिए निजी सुरक्षा गार्ड हैं, को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

नोट: *उपरोक्त "क्या करें" और "क्या नहीं करें" की सूची केवल निदर्शनात्मक हैं और संपूर्ण नहीं है, तथा उपरोक्त विषयों पर किसी अन्य विस्तृत आदेश, निर्देश/निर्देशों को प्रतिस्थापित करने का इरादा नहीं रखते हैं, और जिनका कडाई से अनुपालन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए।*

संदेह के मामलों में अपने राज्य के भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

अनुलग्नक - VI

(अध्याय 5 - नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ईसीआई पत्र सं. 437/6/2009-सीसीएंडबीई दिनांक 5 मार्च, 2009

विषयः साधारण निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन - के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने के लिए निदेश हुआ है कि आयोग ने साधारण निर्वाचनों के दौरान आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन/उन्हें प्रक्रियाबद्ध किए जाने के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है:-

1. आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी निर्देश केवल आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे। मंत्रमिंडल सचिवालय या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को आयोग के निर्देशों को अनुपालन के लिए दोहराना चाहिए और उनका प्रसार करना चाहिए।
2. आरबीआई मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों पर अबाधित रूप से निर्णय लेना जारी रख सकता है।
3. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, वित्त मंत्रालय को नीतिगत घोषणाओं, राजकोषीय उपायों, कराधान से संबंधित मुद्दों और इस तरह की अन्य वित्तीय राहत पर आयोग की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, अन्य मंत्रालयों/विभागों को किसी भी राहत/लाभ की घोषणा करने से पहले आयोग की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
4. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा <u>निर्वाचन आयोग को संदर्भित किए बिना</u> निम्नलिखित प्रकार के मौजूदा कार्य जारी रखे जा सकते हैं:

क. ऐसी कार्य-परियोजनाएं जो सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेकर वास्तव में शुरू हो गई हैं;

ख. ऐसी लाभार्थी-परियोजनाएं, जो जिनकी आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले, विशिष्ट लाभार्थियों के नाम से पहचान कर ली गई है;

ग. नरेगा के पंजीकृत लाभार्थियों को मौजूदा परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है। नरेगा के तहत नई परियोजनाएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिदेशित हो सकती हैं, केवल तभी ली जा सकती हैं जब यह पहले से पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हो

और परियोजना पहले से ही अनुमोदित और स्वीकृत- सूचीबद्ध हो, जिसके लिए धन भी पहले से ही निर्धारित किया जा चुका हो।

5. निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए जाने और वित्त विभाग की सहमति की शर्त के अधीन, किसी भी ऐसे कार्य के पूर्ण भाग के लिए धन जारी करने हेतु लिए कोई रोक नहीं होगी।

6. आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, निम्नलिखित सभी नए कार्य (चाहे लाभार्थी या कार्य उन्मुख हो), निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों, <u>आयोग को सूचना देते हुए, किये जा सकते हैं</u>-

   क. पूरी धनराशि आवंटित हो गई है।

   ख. प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई

   ग. निविदा मंगाई गई है, उसका मूल्यांकन और स्वीकरण हो चुका है और

   घ. किसी निश्चित समय सीमा के भीतर काम शुरू करने और समाप्त करने के लिए संविदात्मक दायित्व तय हो चुका है और ऐसा न होने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाने का दायित्व है।

   ङ. इस तरह के मामलों में उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं होने की स्थिति में,आयोग की पूर्व स्वीकृति मांगी जाएगी और प्राप्त की जाएगी।

7. वैश्विक निविदाएं जो पहले से ही मंगाई गई हैं, और जिनमें इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा तय हो, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और अंतिम रूप दिया जा सकता है।

8. वैश्विक निविदाओं के अलावा अन्य निविदाएं, जो पहले से ही मंगाई गई हैं, का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। यदि वे पहले से ही जारी (फ्लोट) नहीं की गई हैं, तो उन्हें आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

9. आयोग द्वारा निरपवाद रूप से ऐसे कार्यों के लिए मानवीय दृष्टिकोण रखा जाता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होने तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक हो जाते हैं।

   क. किसी आपदा के पश्चात् लिए अनुग्रह-राशि, राहत राशि, जो वर्तमान दरों/सहायता के मानकों के अनुसार हो, आयोग को सूचना देते हुए प्रभावित व्यक्तियों को सीधे दी जा सकती है। भुगतानों के मौजूदा और निर्धारित मानकों में कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि, मौजूदा दरों/पैमानों पर आयोग की पूर्व अनुमति के बिना भुगतान किया जाएगा।

   ख. व्यक्तिगत रोगियों (लाभार्थियों) को सीधे नकद भुगतान के बदले सीएम/पीएम के राहतकोष से अस्पतालों को सीधे ही भुगतान आयोग के संदर्भ के बगैर अनुमत्य होगा।

ग. आपदा में प्रभावित व्यक्तियों को आकस्मिक राहत कार्य और उपाय, जो सीधे और पूरी तरह से, उनके कष्टों को कम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, आयोग को सूचना देकर किए जा सकते हैं।

घ. हालाँकि, प्राकृतिक आपदाओं के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए, निवारक उपायों के माध्यम से आवश्यक नए कार्यों जैसे तटबंधों, जल प्रवाह आदि की मरम्मत कार्यों को आयोग की पूर्व अनुमति से ही कराया जा सकता है।

ङ. साथ ही, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी क्षेत्र को सूखा/बाढ़ प्रभावित या ऐसी किसी आपदा से प्रभावित घोषित नहीं किया जाएगा। पहले से ही घोषित आपदा प्रभावित क्षेत्र की सीमा का विस्तार आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है।

च. इसी तरह, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से व्यक्तियों के समूह को किसी भी चयनात्मक सहायता के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

10. निम्न प्रकार की गतिविधियों के लिए <u>आयोग की पूर्व अनुमति</u> की आवश्यकता होगीः

क. नए कार्यों और परियोजना को किसी भी तरह के विवेकाधीन कोष से नहीं कराया जा सकता है। इस संदर्भ में, विवेकाधीन कोष, में वे निधियाँ शामिल हैं, जो कि बजट के लिए एक सामान्य तरीके से प्रदान की जाती हैं और जिसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, कोई अभिज्ञात और स्वीकृत परियोजना मौजूद न हो।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के रूगण उपक्रमों के पुनर्जीवन के लिए प्रस्ताव, उपक्रमों का सरकार द्वारा अधिग्रहण आदि (या इसी तर्ज पर कोई नीतिगत निर्णय) नहीं लिया जा सकता है।

ग. शराब के ठेकों की नई नीलामी भी आयोजित नहीं की जा सकती है, भले ही वार्षिक नीलामी का समय आदर्श आचार संहिता की अवधि के ही भीतर पड़ता हो। जहाँ आवश्यक हो, वहां सरकार को उनके संबंधित कानूनों में यथा उपबंधित अंतरिम व्यवस्था करनी चाहिए।

घ. किसी भी मौजूदा परियोजना/योजना/कार्यक्रम के संचालन का क्षेत्र बढ़ाया या विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

ङ. सरकार द्वारा किसी भी हस्ती, चाहे वह कोई व्यक्ति हो अथवा कोई उपक्रम, को कोई भूमि आवंटित नहीं की जाएगी।

च. समझौता ज्ञापन अथवा किसी करार जहाँ सरकार एक दल के रूप में होगी पर हस्ताक्षर के लिए भी आयोग की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

11. यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती/नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। गैर-सांविधिक निकायों संस्थाओं के माध्यम से भर्तियों के संबंध में आयोग से पूर्व अनुमति अपेक्षित होगा।
12. कोई भी कार्य (किसी भी राहत कार्य सहित) या विकासात्मक गतिविधि शुरू करते समय कोई भी औपचारिक समारोह में किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। स्वस्थ परम्परा के रूप में सामान्य कार्य और प्रचार को भी सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में भी न्यूनतम रखा जाना चाहिए।
13. जहाँ निर्माण कार्य या कार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए किए जाने हैं, आयोग की पूर्व सहमति ली जाएगी।
14. भारत निर्वाचन आयोग को भारत सरकार के सभी संदर्भ, अधिमानतः भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से दिए जाएंगें। जहाँ तक राज्य सरकारों के संदर्भ का संबंध है, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को संदर्भ दिया जाएगा।

इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

अनुलग्नक - VII

(अध्याय 5 - नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ईसीआई का पत्र सं. 437/6/संस्थान/2009-सीसीएंडबीई दिनांक 9 मार्च, 2009

विषयः लोकसभा - का साधारण निर्वाचन 2009 - बजट की प्रस्तुति - आदर्श आचार संहिता - तत्संबंधी।

जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009 की घोषणा आयोग द्वारा की जा चुकी है और 2 मार्च, 2009 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वर्ष 2009 - 2010 के बजट की प्रस्तुति संबंध में आयोग को विभिन्न राज्यों से कई संदर्भ मिले हैं।

2. आयोग अधिकांश राज्यों में अनुपालन किए जाने वाली इस प्रचलित परिपाटी को इंगित करना चाहेगा कि उन मामलों में जहां साधारण निर्वाचन करीब हैं अथवा जब साधारण निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है तो पूर्ण बजट प्रस्तुत करने के बजाय 3-4 माह के लिए केवल लेखानुदान लाया जाए। इससे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण होता है।

3. आयोग, राज्य विधानसभाओं के मानार्थ इस संबंध में, इस पृथा और औचित्य के संबंध में, कुछ कहना या कार्रवाई सुझाना पसंद नहीं करेगा। हालांकि, यह सलाह देगा कि उन राज्यों में जहाँ विधानसभा निर्वाचन हो रहे हैं, वहां लेखा - अनुदान पारित किया जाए, बजट नहीं।

4. उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए।

अनुलग्नक- VIII

(अध्याय 5 - नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध)

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्य सचिवों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/23/2004 पीएलएन.III, दिनांक 11 मार्च, 2004

विषय: साधारण निर्वाचन 2004 - सूखा राहत कार्य का कार्यान्वयन - तत्संबंधी।

आयोग को संबंधित राज्यों में "सूखा प्रभावित" घोषित किए गए क्षेत्रों में राहत कार्यों को लागू करने के तौर-तरीकों के बारे में राज्य सरकारों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग निम्नलिखित निर्देश देता है :-

(i) तत्काल राहत उपायों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा सूखा राहत कार्य केवल उन क्षेत्रों के लिए शुरु किए जाएंगे जिन्हें "सूखा प्रभावित" घोषित किया गया हो और जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा आपदा राहत निधि के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के तहत मापदण्ड निर्धारित किए गए हों। निर्वाचनों की घोषणा के बाद ऐसे "सूखा प्रभावित" क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई और नए क्षेत्र नहीं जोड़े जाएंगे। ऐसी निधि के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत सहायता चाहने वालों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद किसी अतिरिक्त क्षेत्र/गांव को सूखाग्रस्त क्षेत्र में जोड़े जाने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) सूखा प्रभावित घोषित क्षेत्रों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, आयोग ने अनंतिम रूप से निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी है:-

(क) पानी के टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था।

(ख) मौजूदा बोरवेल/डगवेल के सूखने के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में बोर-वेल और साथ ही डग-वेल।

(ग) निराश्रितों के बीच, जो कि आपदा राहत कोष योजना में पहले से निर्धारित तंत्र के अनुसार काम के लिए नहीं जा सकते, वितरण के लिए निर्धारित दरों पर चावल/गेहूं की व्यवस्था।

(घ) मवेशी के लिए चारे की व्यवस्था।

(ङ) मजदूरी संबंधी रोजगार के नए कार्य (काम के लिए भोजन आदि) जहाँ इस तरह

के मौजूदा कार्य पूरे हो गए हैं।

(iii) आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सरकार का कोई भी मंत्री या राजनीतिक अधिकारी पर्यवेक्षी या अन्यथा, किसी भी हैसियत में, सूखा राहत कार्यों के प्रबंधन में शामिल नहीं होंगे।

(iv) किसी भी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों और/या गैर सरकारी-अधिकारियों को शामिल किए बगैर, प्रभाग, जिला और तालुक/उप-जिला प्रशासन द्वारा पूरी राहत कार्रवाई की जाएगी।

कृपया आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और पावती दें।

अनुलग्नक- IX

(अध्याय 5 - नई योजनाओं की घोषणा - वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा मंत्रिमंडल सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/1/2014-सीसीएंडबीई दिनांक 05.03.2014

विषय: लोक सभा 2014 और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन - सांसदों/विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत धनराशि जारी करना।

मुझे आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/10/2014, **दिनांक 5 मार्च, 2014** का उल्लेख करने का निर्देश दिया है (प्रेस नोट/आयोग की वेबसाइट- **www.eci.gov.in** पर उपलब्ध) जिसके अनुसार, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों की विधानसभाओं में कुछ उप निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।

2. आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि-

क) सांसद (राज्य सभा के सदस्यों सहित) की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत देश के किसी भी हिस्से में, जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया जारी हो, नए सिरे से कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधायक/विधान परिषद सदस्य की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत, यदि कोई ऐसी स्कीम चल रही हो, तो निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक नए सिरे से कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

ख) इस पत्र के जारी होने से पहले, जारी किए कार्य आदेश पर कोई काम शुरू नहीं होगा लेकिन वास्तव में क्षेत्र में वह कार्य शुरू न हुआ हो। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही शुरु किए जाएंगे। तथापि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरु हो चुका हो, तो उसे जारी रखा जाएगा।

संबंधित अधिकारियों की पूरी संतुष्टि की शर्त पर संपन्न हो चुके कार्य (कार्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अनुलग्नक- X

(अध्याय 6 सार्वजनिक राजकोष की लागत पर विज्ञापनों का प्रकाशन)

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 509/75/2004/जेएस-I, दिनांक 15.04.2004

विषयः- उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का टीवी चैनल और केबल नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित आदेश।

मुझे एसएलपी(सी) सं. 2004 की 6679 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टीवी प्रा.लि् ओर अन्य) में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा पारित दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश की प्रति इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. गौरतलब है कि आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यालय वाले, किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल या किसी भी समूह या संगठन/संघ द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्कों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की प्री-व्यू जांच और प्रमाणित करने के लिए, निर्देश दिया है कि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली जैसा कि आदेश के पैरा 6 (i) में निर्देशित है, समिति का गठन करेंगे। इसी प्रकार, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 6 (iii) के अनुसार, अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यालय वाले राजनीतिक दलों और अन्य संघों/समूहों द्वारा आवेदनों के निपटान् के लिए समितियों का गठन करेंगे। आदेश के अनुच्छेद 6 (v) के तहत, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तिगत अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों के पूर्वावलोकन, जांच और प्रमाणित करने के लिए नामित अधिकारी घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम की विधान सभाओं और कुछ राज्यों में होने वाले उपनिर्वाचनों में वर्तमान साधारण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, जिसमें संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदनों को स्वीकार करेगा।

3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन पर समितियों के नामित अधिकारियों के निर्णय को संबंधित शिकायतों/परिवेक्षाओं के लिए एक और समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता है।

4. प्रमाणन के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित समिति या संबंधित अधिकारी के समक्ष आदेश में संलग्न अनुलग्नक 'क' में विहित प्रारूप के अनुसार एक पत्रक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी विज्ञापन के लिए टेलीकास्ट (प्रसारण) करने का प्रमाण पत्र, समिति/नामित अधिकारी द्वारा, आदेश में संलग्न अनुलग्नक-ख के में दिए गए प्रारूप में दिया जाएगा। आवेदकों को प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक अनुप्रमाणित प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
5. प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों के लिए एक रजिस्टर में उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों पर भी इंगित किया जाना चाहिए और अभिग्राही अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि पर अपने हस्ताक्षर कर देना चाहिए। प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, टेलीकास्ट के लिए प्रमाणित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, समिति/नामित अधिकारी द्वारा रखी जानी चाहिए।
6. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी टेलीविजन वीसीआर, वीसीडी, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों/बुनियादी ढांचे को किराए पर या खरीदकर, प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते है। जो समितियों और नामित अधिकारी द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञापनों के पूर्वावलोकन और जांच के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं। प्रत्येक वस्तु की खरीद राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित दरों और प्रक्रियाओं के अनुसार होनी चाहिए।
7. आयोग के इस आदेश का व्यापक प्रचार किया जाए और इसे विशेष रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/ जिलाधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारी, टीवी चैनल, केबल ऑपरेटर और राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया जाए।

8. कृपया पावती दें।

प्रतिलिपि

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं. 509/75 2004/जेएस-I दिनांक 15 अप्रैल, 2004

आदेश

1. यत:, केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से किसी भी विज्ञापन को तब तक प्रसारित या पुन: प्रसारित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा विज्ञापन निर्धारित विज्ञापन कोड के अनुरूप न हो; तथा
2. यत:, केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (3) में उपर्युक्त धारा 6 के विज्ञापन कोड के संदर्भ में यह कहा गया है, कि "ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनके उद्देश्य, पूरी तरह से या मुख्यतः धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हैं; विज्ञापनों को किसी धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होना चाहिए"; तथा
3. यत:, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीएमपी संख्या 5214/2004 (जेमिनी टीवी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य) में दिनांक 23-03-2004 के अपने आदेश द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) नियम, 1994 के नियम 7 (3); के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों को आस्थगित कर दिया; तथा
4. यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, एसएलपी (सिविल) संख्या 6679/2004 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम जेमिनी टीवी और अन्य), में दिनांक 2-4-2004 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा चुनौती के अध्यधीन आदेश के प्रतिस्थापन में, निम्नानुसार निर्देश दिए:-
   (i) कोई भी केबल ऑपरेटर या टीवी चैनल, ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो विचारों की नैतिकता, शालीनता और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाता हो या जो चौंकाने वाला, घृणित और विद्रोही प्रकृति का हो;
   (ii) प्रसारण पर भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा नजर रखी जाएगी;
   (iii) इस सवाल कि क्या इस तरह के विज्ञापनों पर अभ्यर्थी द्वारा किए गए व्यय को निर्वाचन खर्च में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, पर 5 अप्रैल, 2004 को विचार किया जाएगा; तथा

(iv) इस आशय के तौर-तरीके कि क्या इस तरह के विज्ञापन, कानून के अनुरूप हैं, भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. यत:, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी (सिविल) संख्या 6679/2004 में 13 अप्रैल, 2004 के अपने अगले आदेश में, निम्नानुसार निर्देश दिया है:

"--- इससे पहले कि हम आदेश पारित करें, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 [संक्षेप में, "अधिनियम"] के कुछ यथा संशोधित, प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों पर ध्यान देना उचित होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करना है। अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से किसी भी विज्ञापन को तब तक प्रसारित या पुन: प्रसारित नहीं करेगा,जब तक कि ऐसा विज्ञापन निर्धारित विज्ञापन कोड के अनुरूप न हो। अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के प्रावधानों का किसी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किया है या किया जा रहा है, तो वह केबल टीवी नेटवर्क के संचालन के लिए ऐसे केबल ऑपरेटर द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरणों को जब्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 12 में अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उपकरण को जब्त करने का प्रावधान है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 13 में उपकरण को जब्त करने या कब्जा करने और सजा देने का भी प्रावधान है। धारा 16 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 19 में निर्धारित किया गया है कि कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह आवश्यक या समीचीन समझता है, तो जनहित में, किसी भी केबल ऑपरेटर को किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित या पुन: प्रसारित करने से रोक सकता है, जो निर्धारित कोड और विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है और इससे धर्म, जाति, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर दुश्मनी (वैमनस्य) को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो अलग-अलग धर्म, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना फैलाता हो व जिसमें जातियों या समुदायों में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो। अधिनियम की धारा 22 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 22 द्वारा, उन शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसे "केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994" [संक्षेप में, "नियम"] के रूप में जाना जाता है। नियमों के नियम 7 में यह प्रावधान है कि जहाँ केबल सेवा का हर विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप बनाया जाएगा और ग्राहकों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उप-नियम (2), में अन्य बातों के

साथ, यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसे विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी भी नस्ल, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता की निंदा करता हो, भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के विरूद्ध हो और लोगों को अपराध के लिए उकसाता हो, अव्यवस्था का कारण बनता हो या हिंसा या कानून का उल्लंघन या किसी भी तरह से हिंसा या अश्लीलता का महिमामंडन करता हो। उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि "ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनके उद्देश्य, पूरी तरह से या मुख्यतः धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हैं; विज्ञापनों को किसी धर्म या राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए"। इस पृष्ठभूमि में, अब हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय, राजनीतिक दल और हर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन आयोग/नामित अधिकारी (निर्वाचन आयोग द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट) को इस तरह के विज्ञापन के प्रसारण प्रारंभ होने की प्रस्तावित तारीख से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसारण (टेलीकास्ट) की तारीख से सात दिन पहले आवेदन करना होगा। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियों के साथ विधिवत अनुप्रमाणित प्रतिलेख (ट्रांस्क्रिप्ट) के साथ होना चाहिए। पहले चरण के निर्वाचन के मामले में, आवेदन को उसकी प्राप्ति के दो दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और जब तक इस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक हमारा 2 अप्रैल, 2004 का आदेश लागू होगा। निर्वाचन के बाद के चरण के मामले में, आवेदन इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और जब तक इस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक हमारा 2 अप्रैल, 2004, का आदेश लागू होगा। इस तरह के आवेदनों का निपटान करते समय, निर्वाचन आयोग/नामित अधिकारी को विज्ञापन के किसी भी अंश को हटाने/संशोधित करने का अधिकार होगा।

प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे:

(क) विज्ञापन के उत्पादन की लागत;

(ख) टेलीविज़न चैनल या केबल नेटवर्क पर इस तरह के विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत, कितनी बार दिखाया जाना है और दर जो प्रत्येक बार के लिए प्रभारित की जाएगी का विवरण;

(ग) इसमें यह भी विवरण साथ होगा कि क्या सम्मिलित किया गया विज्ञापन किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं के लाभ के लिए है;

(घ) यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति

द्वारा जारी किया जाता है, तो वह व्यक्ति शपथपत्र पर यह वक्तव्य देगा कि यह किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा; तथा राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है और यह कि न ही यह विज्ञापन राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित या प्रारम्भ या भुगतान किया गया है; तथा

(ङ) एक वक्तव्य कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

हम यह पाते हैं कि अधिनियम की धारा 2(क) (क) जिला मजिस्ट्रेट; (ख) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट; या (ग) या पुलिस आयुक्त के रूप में अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर "प्राधिकृत अधिकारी", परिभाषित करती है। इसी प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-क में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और, कोई अन्य अधिकारी और निर्धारित समय के लिए नामित कोई भी पुलिस अधिकारी, किसी भी निर्वाचन के संचालन के लिए, निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, निर्वाचन शुरू होने की तारीख से और निर्वाचन के दौरान व निर्वाचन के समाप्त होने तक , ऐसा अधिकारी उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होगा।

चूंकि निर्वाचन आयोग के लिए विभिन्न केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों पर सभी विज्ञापनों की पूर्व-सेंसरशिप रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए निर्वाचन आयोग को अपनी शक्तियों को सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, के संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों, जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या राज्य प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य के पद स्तर से नीचे न हो, को सौंपने के लिए अधिकृत करना आवश्यक हो गया है। ऐसा निर्वाचन आयोग द्वारा एक सामान्य आदेश जारी करके किया जा सकता है। ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के तहत कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग, प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जैसा भी उचित हो, अपने अधिकार सौंप सकता है।

प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी विज्ञापन के प्रमाणन को मंजूरी देने/न देने के निर्णय के संबंध में आरोप/शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक समिति नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त वह समिति निर्वाचन आयोग को अपना निर्णय सूचित करेगी।

इस तरह गठित यह समिति भारत निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगी।

समिति द्वारा दिया गया निर्णय, ऊपर बताई शर्तों के अधीन, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के लिए आवेदन करने वाले पर बाध्यकारी होगा और उसका अनुपालन किया जाएगा।

नाम हटाने या संशोधन के लिए की गई/किए गए टिप्पणियां/समुक्तियां, यथास्थिति, संबंधित राजनीतिक दल/दलों या निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, इस तरह के संदेश की प्राप्ति से चौबीस घंटे के भीतर बाध्यकारी होंगी और इनका अनुपालन किया जाएगा और ऐसे संशोधित विज्ञापन को समीक्षा और प्रमाणन के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

हम स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधान इस आदेश के तहत आने वाले विज्ञापन पर लागू होंगे।

यदि कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति, समिति द्वारा या नामित अधिकारी/निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित है, तो यह उनके लिए खुला रहेगा कि वे केवल स्पष्टीकरण या उचित आदेश के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाएं और कोई अन्य अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन के विरूद्ध शिकायत के संबंध में किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करेगा। यह आदेश 16 अप्रैल, 2004 से लागू होगा और 10 मई, 2004 तक लागू रहेगा।

यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया जा रहा है और यह ऐसे सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, व्यक्तियों या ट्रस्टों के समूहों पर बाध्यकारी होगा, जो केबल नेटवर्क और/या टेलीविज़न चैनल और साथ ही केबल ऑपरेटर सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रचार की इच्छा रखते हैं।

यह निर्वाचन आयोग के विवेक पर होगा कि वह ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण की निगरानी के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग करे। जहाँ निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि इस आदेश या अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो वह उल्लंघनकर्ता को इस तरह के उल्लंघन को तत्काल रोकने के लिए एक आदेश जारी करेगा और यह उपकरणों की सीधे जब्ती के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। जिन व्यक्ति(व्यक्तियों) को ऐसा आदेश दिया जाता है, उनके द्वारा प्रत्येक आदेश का तुरंत अनुपालन किया जाएगा।

विज्ञापनों की निगरानी पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधि भारत संघ द्वारा

निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत संघ द्वारा दिया जाएगा।

यह आदेश 2 अप्रैल, 2004 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में है और 10 मई, 2004 तक एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रवृत्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश के अध्यधीन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23 मार्च 2004 के निर्णय पर रोक रहेगी। यह आदेश अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियों के अल्पीकरण में नहीं वरन उनकी वृद्धि के संबंध में पारित किया गया है।''

6. इसलिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित निदेश देता है:-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे इसके नीचे पैरा (II) में उल्लिखित राजनैतिक दलों और संगठनों के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों वाली एक समिति का गठन करें:-

(क) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष।

(ख) दिल्ली में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विशेषज्ञ अधिकारी, जो समूह-1 अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, को बुलाया जाएगा।

(ii) उपरोक्त समिति टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क में देने वाले किसी भी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित के आवेदनों पर विचार करेगी:-

(क) सभी पंजीकृत राजनीतिक दल जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है।

(ख) सभी समूहों या संगठनों या संघों या व्यक्ति जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है।

(iii) यहाँ तक कि अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नीचे दिए गए पैरा (iv) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों के आवेदनों को निपटाने के लिए निम्नलिखित समिति गठित करने का निदेश दिया गया है:-

(क) अपर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष।

(ख) राज्य की राजधानी में स्थित किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विशेषज्ञ अधिकारी, जो समूह-1

अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, इसमें बुलाया जाएगा।

(iv) उपरोक्त पैरा (iii) में गठित समिति निम्नलिखित द्वारा टेलीविजन चैनल और केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए प्रमाणन के लिए आवेदन प्राप्त करेगी:-

(क) सभी पंजीकृत राजनीतिक दल जिनका मुख्यालय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में है,

(ख) सभी संगठन या व्यक्तियों या संघों के समूह जिनका पंजीकृत कार्यालय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में है,

(v) देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को उस संसदीय निर्वाचनक्षेत्र और उसके अन्तर्गत आने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा केबल नेटवर्क या टेलीविजन चैनल पर जारी किए जाने वाले प्रस्तावितविज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु, रिटर्निंग अधिकारी, नामनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है। उक्त रिटर्निंग अधिकारी आवेदनों के प्रमाणीकरण के कार्य में उसकी सहायता के लिए किसी भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पद से कम न हो और राज्य प्रांतीय सिविल सेवा से संबंधित हो, को सह-योजित कर सकता है।

7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी विज्ञापन के प्रमाणन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के निर्णय के संबंध में आरोप/शिकायतों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करेगा:-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई भी प्रेक्षक

(iii) ऊपर दिए गए पैरा 6 (i) और 6 (iii) में उल्लिखित के अलावा समिति द्वारा एक विशेषज्ञ को सह योजित किया जाना है।

8. प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल और प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी विज्ञापन प्रमाणन के लिए उपर्युक्त पैरा 6(i) तथा 6 (iii) में वर्णित समितियों को या पैरा 6 (iv) में वर्णित नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, यथा स्थिति, ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण के प्रारम्भ होने की तारीख से 3 दिन पहले, देना होगा। निर्वाचन के प्रथम चरण के मामले में ऐसे आवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर निपटा दिए जाएंगे और जब तक इन पर निर्णय नहीं होता, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.04.2004 का आदेश लागू रहेगा।

9. जहाँ विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, तब इसे प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले दिया जाना चाहिए।

10. अनुलग्नक क में निर्धारित प्रारूप में इस तरह का प्रत्येक आवेदन, निम्नलिखित के साथ होगा:

    (i) विधिवत अनुप्रमाणित प्रतिलेख के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन दो प्रतियों के साथ,

    (ii) प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे: -

        (क) विज्ञापन को तैयार करने की लागत:

        (ख) प्रविष्टियों की संख्या तथा ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि के लिए प्रभारित किए जाने हेतु प्रस्तावित दर के ब्योरे के साथ टेलीविज़न चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत।

        (ग) इसमें एक बयान भी निहित होगा कि सम्मिलित किया गया विज्ञापन क्या किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/दल के निर्वाचन की संभावनाओं के लाभ के लिए है;

        (घ) यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो वह व्यक्ति शपथ पत्र देगा कि यह राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है और यह कि इस विज्ञापन को किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित या शुरू या इसका भुगतान नहीं किया गया है;

        (ङ) यह शपथ पत्र देना कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

11. किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय, यह ऊपर पैरा 6 (i) और 6 (iii) में गठित समितियों के लिए या ऊपर दिए गए पैरा 6 (v) में नामनिर्दिष्ट अधिकारी या ऊपर पैरा 7 में यथा गठित समीक्षा समिति को विज्ञापन के किसी भाग का प्रत्यक्ष विलोपन/संशोधन करने का अधिकार होगा। नाम हटाने और संशोधन के लिए टिप्पणियों और अवलोकन करने वाला प्रत्येक आदेश बाध्यकारी होगा और संबंधित राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के संदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर इसका पालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित किए गए विज्ञापन को समीक्षा और प्रमाणन के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

12. जहाँ ऊपर पैरा 6 (i) और 6 (ii) के अनुसार गठित समिति या ऊपर पैरा 7 में नामनिर्दिष्ट अधिकारी या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो, के रूप में, संतुष्ट है कि विज्ञापन विधि की आवश्यकताओं को पूरा करता है और तदनुसार ऊपर के पैरा 4 और 5 में वर्णित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार है, तब उसे संबंधित विज्ञापन के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए कि यह प्रसारण के लिए सही है। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'ख' पर है।

13. उच्चतम न्यायालय के 13 अप्रैल, 2004 के आदेश में निहित निर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और ये निदेश 10 मई, 2004 तक प्रभावी रहेंगे और ये सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियो, व्यक्तियों, व्यक्तियों या ट्रस्ट के समूहों या उन लोगों पर बाध्यकारी होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव देते हैं, और इसमें केबल नेटवर्क और/या टेलीविजन चैनल और साथ ही केबल ऑपरेटर शामिल हैं।

अनुलग्नक - क

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

I.

(i) आवेदक का नाम और पूरा पता

(ii) क्या विज्ञापन किसी राजनीतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संगठन/ ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है (नाम दें)

(iii) (क) राजनीतिक दल के मामले में, दल की स्थिति (क्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय/गैर मान्यता प्राप्त दल हैं)

(ख) अभ्यर्थी के मामले में, संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहाँ से निर्वाचन लड़ रहे हैं,

(iv) राजनीतिक दल/व्यक्तियों का समूह या निकाय/संघ/संगठन/ट्रस्ट के मुख्यालय का पता

(v) चैनल/केबल नेटवर्क, जिस पर विज्ञापन का प्रसारण प्रस्तावित है

(vi) (क) क्या विज्ञापन किसी अभ्यर्थियों के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए है

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थी (यों) के नाम, पूरा पता और निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम (नामों) के साथ दें

(vii) विज्ञापन जमा करने की तिथि

(viii) विज्ञापन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा (भाषाएं) (विज्ञापन को विधिवत रूप से सत्यापित प्रतिलेख के साथ दो प्रतियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है)

(ix) विज्ञापन का शीर्षक

(x) विज्ञापन तैयार करने की लागत

(xi) प्रविष्टियों की संख्या तथा ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि के लिए प्रस्तावित दर के ब्योरे के साथ प्रस्तावित प्रसारण की आसन्न लागत।

(xii) निहित कुल व्यय (रुपए में)

II.

मैं, श्री/श्रीमती ----------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ------------------, (पूरा पता) ------, यह शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि इस विज्ञापन के निर्माण तथा प्रसारण से संबंधित सभी भुगतान चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर

तिथिः

III.

(किसी राजनीतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी के अलावा किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन के लिए लागू)

मैं, श्री/श्रीमती ----------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ------------------, (पूरा पता) ------, एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि इसके साथ प्रस्तुत विज्ञापन किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के लाभार्थ नहीं है और यह कि इस विज्ञापन को किसी राजनैतिक दल अथवा किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित/प्राधिकृत अथवा इसका भुगतान नहीं किया गया है।

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर
तिथिः

अनुलग्नक - ख

प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणन

I.

(i) आवेदक/राजनैतिक दल/अभ्यर्थी 'व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संघ; संगठन/ट्रस्ट का नाम और पता

(ii) विज्ञापन का शीर्षक

(iii) विज्ञापन की अवधि

(iv) विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा (एं)

(v) विज्ञापन प्रस्तुत करने की तिथि

(vi) प्रसारण के लिए प्रमाणीकरण की तिथि

II.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रसारण करने के लिए उपयुक्त है।

हस्ताक्षर समिति के अध्यक्ष/सदस्य
नामनिर्दिष्ट अधिकारी

स्थान:___________________

तिथि: _________________

अनुलग्नक - XI

(अध्याय - 7 मंत्रियों/अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्राएं/दौरे)

मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/2007-पीएलएन-III दिनाँक: 23 नवंबर, 2007

विषय: - **<u>मंत्रियों के दौरे - साधारण निर्वाचन</u>**

संदर्भ:- 1. आयोग का पत्र सं. 437/6/96/पीएलएन-III दिनांक 17.01.1996

2. आयोग का पत्र सं. 437/6/99-पीएलएन-III दिनांक 15.07.1999

3. आयोग का पत्र सं. 437/6/4/2003-पीएलएन-III दिनांक 12.06.2003

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रीगण निर्वाचन प्रचार के संबंध में उन राज्यों की यात्राएं कर सकते हैं, जहाँ निर्वाचन हो रहे हैं या घोषित किए गए हैं, और जहाँ निर्वाचन कार्य के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हैं। आयोग ने एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के लिए एक अनिवार्य शर्त है, मंत्रियों के ऐसे दौरों को प्रशासित करने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि इस तरह के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दौरे में किसी भी निर्वाचन से संबंधित काम के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाए। इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.08.99 की रिट याचिका सं. वर्ष 1999 की 339 में नरेंद्र कुमार गौड़ बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले में बरकरार रखा है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में उल्लिखित पत्रों में निहित आयोग के अनुदेशों को सुविधा के लिए निम्नलिखित पैराग्राफों में समेकित किया गया है:-

(1) यदि कोई केन्द्रीय मंत्री अपने मुख्यालय से निर्वाचन होने वाले राज्य/जिले का पूर्णतया अधिकारिक कार्य से दौरा कर रहा हो, जिसे जनहित में टाला नहीं जा सकता, तो इस आशय को प्रमाणित करता हुआ एक पत्र भारत सरकार के संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव द्वारा, उस राज्य के मुख्य सचिव को भिजवाया जाएगा, जिस राज्य में उक्त मंत्री द्वारा दौरा किया जाना हो, उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी। सचिव से उक्त जानकारी की प्राप्ति पर कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा पूर्णतया सरकारी दौरे का प्रस्ताव है, और उक्त दौरे के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधि परिकल्पित नहीं है, मुख्य सचिव, केन्द्रीय मंत्री के लिए सरकारी वाहन और आवास की व्यवस्था करेंगे

तथा सरकारी दौरे की अन्य सामान्य व्यवस्थाएं करेंगे। ऐसा करते समय, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्हें राज्य में निर्वाचन गतिविधियों पर नज़र रखे जाने के कार्य सहित आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन का कार्य भी सौंपा जाता है, को भी सचिव द्वारा अग्रिम तौर पर अवगत कराया जाएगा। आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करके ऐसी व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए रखेगा। आशा की जाती है कि केन्द्रीय मंत्री अपने गृह राज्यों, राज्य निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर उस निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी दौरे करने से बचेंगे जहाँ से वे निर्वाचन लड़ रहे हैं, जबकि वहाँ वे अपने निजी दौरों पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। (देखें ईसीआई अनुदेश संख्या 437/6/99 - पीएलएन III दिनाँक 15.07.99)

(2) आयोग यह भी निदेश देता है कि -

(i) राज्य सरकार का कोई भी मंत्री निर्वाचनों की घोषणा की शुरुआत से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करेगा, जहाँ आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा की जा चुकी हो।

(ii) मंत्री उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा उस राज्य, जहाँ निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, के किसी संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों की घोषणा की शुरुआत से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि के दौरान किसी स्थान अथवा कार्यालय अथवा गेस्ट हाउस के भीतर अथवा पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी अधिकारिक वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे।

(iii) इन अनुदेशों में अपवाद केवल तभी रहेगा जब कोई मंत्री, किसी संबंधित विभाग के प्रभारी होने अथवा मुख्य मंत्री होने की हैसियत से किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारिक दौरे पर जाते हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित किसी अधिकारी को कानून-व्यवस्था के विफल होने अथवा किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अथवा ऐसी किसी आपात स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर बुला सकते हैं, जहां ऐसे मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति पर्यवेक्षण समीक्षा/बचाव कार्यों/राहत तथा अन्य समान उद्देश्यों के विशिष्ट प्रयोजनार्थ अपेक्षित हों। (देखें ईसीआई अनुदेश संख्या 437/6/96/पीएलएन III - दिनाँक 17.01.96)

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रीगण अपने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने मुख्यालय में अपने निवास स्थान से अपने कार्यालय तक सरकारी कार्य हेतु आने-जाने के लिए करने के पात्र हैं, बशर्ते इस प्रकार दैनिक रूप से आने-जाने

को किसी निर्वाचन कार्य अथवा राजनीतिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जाता हो, जिसमें दल (दल) कार्यालय का दौरा करना भी शामिल है, भले ही यह उनके मार्ग में पड़ता हो। किसी भी मंत्री द्वारा निर्वाचन दौरे के दौरान किसी भी रंग की बीकन लाइट लगी हुई पायलट गाड़ी या किसी भी प्रकार की सायरन लगी हुई गाड़ी का उपयोग अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, चाहे राज्य प्रशासन ने उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा हो जिसमें दौरे पर उसके साथ जाने के लिए सशस्त्र सुरक्षाबल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। (देखें ईसीआई अनुदेश संख्या 437/6/96/पीएलएन III - दिनाँक 17.01.96)

(4) किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, संसदीय या विधानसभाओं के **उप-निर्वाचनों** के दौरान, मंत्रियों के दौरे के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे, जो गंभीर आपातकालीन स्थितियों को कवर करता हुआ पैरा 2(iii) में ऊपर उल्लिखित अपवादों के अधीन होगा:-

(i) सभी मंत्री, चाहे वह केंद्रीय हों या राज्य के, उप-निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात अपने आधिकारिक दौरों को किसी भी रूप में निर्वाचन कार्य के साथ संयुक्त नहीं करेंगे। वे अपने आधिकारिक दौरों की समाप्ति पर अपने मुख्यालयों को लौट जायेंगे। उन जनपद (जनपदों) में; जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू है, सभी और किसी भी दौरे की प्रकृति पूरी तरह से निजी होनी चाहिए और ऐसे निजी दौरे मंत्रियों के मुख्यालयों से आरंभ और वहां पर ही समाप्त होने चाहिएं।

(ii) यदि आधिकारिक कार्य पर यात्रा करने वाला कोई मंत्री आधिकारिक दौरे पर किसी अन्य जनपद के मार्ग में पड़ने वाले उस जनपद से होकर गुजरता है, जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, तो वह ना तो उस जनपद में ठहरेगा और ना ही किसी राजनीतिक कार्य में सम्मिलित होगा, जहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू है।

(iii) उस जनपद जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, के किसी भी रैंक के अधिकारी को किसी भी जनपद में किसी भी मंत्री द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा, अर्थात् यहाँ तक कि अन्य जनपदों में भी, जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

(iv) कोई अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है जहाँ पर निर्वाचनों का आयोजन किया जा रहा है,

सम्बंधित सेवा नियमों के अंतर्गत, दुराचार का दोषी होगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित कोई अधिकारी है तो उसे उस धारा के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी अतिरिक्त रूप से दोषी माना जायेगा और उसके अंतर्गत उपबंधित दंडनीय कार्यवाही का वह उत्तरदायी होगा।

(v) किसी भी मंत्री द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र जहां उप-निर्वाचन चल रहा है, में अपने निजी दौरे के दौरान किसी भी रंग के बीकन लाइट लगी हुई पायलट गाड़ी या किसी भी प्रकार की सायरन लगी हुई गाड़ी का उपयोग अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, चाहे राज्य प्रशासन ने उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा हो जिसमें दौरे पर उसके साथ जाने के लिए सशस्त्र सुरक्षाबल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। (देखें ईसीआई अनुदेश संख्या 437/6/4/2003 - पीएलएन III दिनाँक 12.06.03)

(5) निर्वाचन आयोग यह भी निदेश देता है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिन्हें राज्य में निर्वाचन गतिविधियों की निगरानी का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन भी शामिल है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रिम रुप से राज्य सरकार के किसी मंत्री या किसी केन्द्रीय मंत्री द्वारा उस जनपद में किए जाने वाले किसी प्रस्तावित दौरों के बारे में सूचित किया जायेगा, जहाँ पर उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस सूचना को तुरंत निर्वाचन आयोग को संसूचित करेंगे। (देखें ईसीआई अनुदेश संख्या 437/6/4/2003 - पीएलएन III दिनाँक 12.06.03)

3. इन अनुदेशों के किसी तरह के उल्लंघन को न केवल आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन वरन्, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान, जो लोगों की वास्तविक पसंद की प्रतिछाया होती है, सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक रूप से जाने वाले ऐसे निर्देशों को प्रख्यापित करने की आयोग की शक्ति के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा और इसे विशिष्ट परिस्थितियों के गुणावगुणों के आधार पर आयोग द्वारा ऐसी कार्रवाई से दंडित किया जाएगा जो वह उपयुक्त समझे।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय ज्ञापन

विषयः लोक सभा का साधारण निर्वाचन- निर्वाचन प्रचार के संबंध में मंत्री के दौरे।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जब भी लोकसभा के निर्वाचन होते हैं, संसद में निर्वाचन प्रचार के सिलसिले में मंत्रियों द्वारा किए गए दौरों को लेकर सर्वदा सवाल उठाए जाते हैं। उत्तर में, एक सामान्य नीति के रूप में, यह हमेशा स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचन प्रचार के संबंध में यात्राओं को आधिकारिक यात्राओं के रूप में नहीं माना जाता है, और यह कि सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय समय-समय पर निर्वाचन दौरों सहित गैर-आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मंत्रियों के दौरों के संबंध में अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था और इसकी एक प्रति 31 जुलाई, 1970 को लोकसभा के पटल पर रखी गई थी। चूंकि नवंबर 1989 में लोकसभा के साधारण निर्वाचन होने हैं, इसलिए इन अनुदेशों के सारांश की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि इसकी अंतर्वस्तु मंत्रियों के संज्ञान में लाई जाए।

निर्वाचन दौरों सहित गैर-आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मंत्रियों के दौरों के बारे में अनुदेश, और समय-समय पर जारी व पुनः जारी किए गए अनुदेश कई पत्र-व्यवहारों में निहित हैं।

सामान्य अनुदेश:

(1) जब तक कोई मंत्री पद नहीं छोड़ता है, तब तक वह सरकारी कामकाज का प्रभारी होता है और तदनुसार दौरों पर भी, चाहे वह आधिकारिक या निजी उद्देश्यों के लिए हों, उसे मंत्री के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अवश्य जारी रखना चाहिए। इसलिए,

(क) वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम वैयक्तिक स्टाफ को अपने साथ ले जा सकता है, और ऐसे कर्मचारी नियमों के तहत यात्रा और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होते हैं; और

(ख) जब वे किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो जिला अधिकारियों को सामान्य शिष्टाचार और सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

(2) कोई मंत्री केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किए गए दौरों के संबंध में यात्रा और दैनिक भत्ते का दावा कर सकता है, अर्थात्, वैसे दौरे जो वास्तव में उन कर्तव्यों के लिए जरूरी हों जिन्हें वह मुख्यालय में पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि एक आधिकारिक दौरे को मंत्री के निजी कार्य के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें दल का काम भी शामिल है, और उसे इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त यात्रा करनी है, तो वह उस अतिरिक्त यात्रा के लिए किसी भी यात्रा भत्ते का हकदार नहीं है। यदि कोई मंत्री आधिकारिक दौरे पर रहता है,

और अपने पड़ाव के किसी भी दिन को विशेष रूप से निजी कार्य के लिए समर्पित करता है, वह उस दिन के लिए दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

निर्वाचन दौरों के बारे में विशेष अनुदेश:

(3) जब भी कोई मंत्री यह तय करता है कि कोई सभा, जिसे उसके द्वारा निर्वाचन सभा के रूप में संबोधित किया जाना है, तो उसे अपनी ओर से गैर-आधिकारिक तौर पर किए जाने वाले इंतजामों के बारे में पूछना चाहिए, न कि सरकारी सेवकों के माध्यम से। निर्वाचन दौरों के दौरान सरकार की सभाएं दुर्लभ होंगी और आम तौर पर सार्वजनिक सभाओं को निर्वाचन सभाएं माना जाना चाहिए, और कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय को निजी तौर पर वहन किया जाएगा।

(4) निर्वाचन सभाओं में अधिकारियों की भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मंत्रियों को सामान्य सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित होनी चाहिए।

(5) यात्राओं के लिए मंत्रियों द्वारा कोई ऐसा यात्रा व्यय या दैनिक भत्ता नहीं लिया जाना चाहिए, जो कि उनके निर्वाचन प्रचार के मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया है। यह माना जाएगा कि मतदान से पहले कुछ हफ्तों के लिए, दौरे पर मंत्रियों की गतिविधियां उनके आधिकारिक कर्तव्यों की तुलना में निर्वाचनों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं।

(6) किसी मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने और बाद के दौरे के लिए की गई यात्रा को निर्वाचन उद्देश्यों के लिए किया गया माना जाना चाहिए।

(7) यदि कोई मंत्री जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने स्वयं के व्यय से निर्वाचन उद्देश्यों के लिए यात्रा करता है, और उसे किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी पर जाना है, तो वह अपने मुख्यालय से दूसरी जगह पर जाने और वापस मुख्यालय में आने तक स्वीकार्य राशि का सीमित यात्रा भत्ता ले सकता है। यदि उन्हें अपने निर्वाचन कार्य में बाधा डालकर, जनहित में अपने निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यालय लौटना पड़ा, तो वे केवल वापसी हवाई या रेलवे किराया का दावा कर सकते हैं। सार्वजनिक हित में स्वाभाविक रूप से सभी कैबिनेट उप-समिति की बैठकों में उपस्थिति शामिल होगी। मुख्यालय पर होने वाली अन्य बैठकों या सम्मेलनों को यथासंभव टालना चाहिए।

(8) जहाँ एक मंत्री को विशेष रूप से राज्य के व्यय पर कार प्रदान की गई है, तो ऐसी कार का उपयोग निर्वाचन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ कार राज्य द्वारा प्रदान की जाती है और मंत्री को वाहन के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता हो, तो भी निर्वाचन उद्देश्यों से ऐसे वाहन का उपयोग करना वांछनीय नहीं है।

अनुलग्नक - XII

(अध्याय - 9 सरकारी वेबसाइट/सरकारी भवनों/विज्ञापनों पर फोटो/संदेश का प्रदर्शन)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रिमंडल सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित ईसीआई पत्र संख्या 437/6/संस्थान/2014/ सीसीएंडबीई, दिनांक 20.03.2014

विषयः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साधारण/उप-निर्वाचनों की निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी वेबसाइट पर नेताओं/मंत्रियों के सभी संदर्भों को हटाने से संबंधित निर्देश- तत्संबंधी।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने अपने पत्र सं. 437/6/2007 (आईएनएसटी)-पीएलएन-III, दिनांक 21 नवंबर, 2007 के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचन की अवधि के दौरान आधिकारिक वेबसाइट पर राजनेताओं/मंत्रियों के सभी संदर्भों को हटाने का अनुदेश जारी किया है।

आयोग के संज्ञान में आया है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोग के पूर्वोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के खंड VII(iv) में इसका स्पष्ट उल्लेख है:-

"VII. सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल को, चाहे वे केन्द्र में हो या संबंधित राज्य या राज्यों में हों, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का इस्तेमाल किया है और विशेष रूप से:-

(iv) समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सार्वजनिक कोष की लागत पर विज्ञापन जारी करना, और राजनीतिक समाचार और उपलब्धियों के बारे में प्रचार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधिकारिक जन-संचार के दुरुपयोग से सावधानीपूर्वक बचा जाना चाहिए।"

आयोग ने विभिन्न संदर्भों के मामलों पर भी विचार किया है, जो वर्तमान में मंत्रियों की आधिकारिक वेबसाइट और राज्य सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, जो कई विभागों और

सरकारी संगठनों से संबंधित हैं, और इनमें उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और नेताओं/मंत्रियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

आयोग ने निर्णय लिया है कि उस समय जब किसी लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू हो, मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भ जिन्हें केंद्र/राज्य सरकारों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया हो, उन्हें हटा दिया जाएगा।

आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को कृपया सूचित किया जाए।

परिशिष्ट- XIII

(अध्याय-10 वाहनों का उपयोग/अधिग्रहण)

पत्र सं. 464/अनुदेश/2014/ईपीएस दिनांक 10 अप्रैल, 2014

2.1 'वाहन' का तात्पर्य

अभिव्यक्ति 'वाहन' का तात्पर्य और इसकी परिभाषा में परिवहन के उद्देश्य से किसी भी वाहन का उपयोग या उपयोग करने में सक्षम होने वाले वाहन से है जो यांत्रिक शक्ति अथवा अन्यथा द्वारा संचालित होता हो, शामिल होंगे और इसमें ट्रक, लॉरी, टेम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बस, नाव और हेलीकॉप्टर, आदि शामिल होगें लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। शब्द 'कार्यालय वाहन' से अभिप्राय ऐसे सभी वाहनों से है, जिसमें (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (iii) केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (iv) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, (v) स्थानीय निकाय, (vi) नगर निगम, (vii) नगर पालिका, (viii) विपणन बोर्ड (जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो), (ix) सहकारी समितियाँ, (x) स्वायत्त जिला परिषद अथवा कोई अन्य निकाय, जिसमें सार्वजनिक निधि, चाहे कुल में से कोई कितना भी लघु हिस्सा निवेश किया गया हो, और इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के तहत रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों से संबंधित वाहन भी शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश

2.2 **यहां उल्लिखत छूट की शर्त के अधीन, निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर कुल और पूर्ण प्रतिबंध होगा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आरंभ होगा, और निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के साथ समाप्त माना जाएगा।** निर्वाचन से संबंधित किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति (निर्वाचन संबंधी आधिकारिक ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को छोड़कर), द्वारा किसी आधिकारिक वाहनों (इस विषय पर आयोग के आदेश संख्या 464/आईएनएसटी/2014/ईपीएस दिनाँक 10 अप्रैल, 2014 द्वारा विनियमित को छोड़कर- परिशिष्ट I देखें) के उपयोग पर, पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा

2.3 जिला प्रशासन यह देखने के लिए कड़ी निगरानी रखेगा कि पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी का कोई आधिकारिक वाहन कहीं निर्वाचन कार्यों के उद्देश्यों के लिए उपयोग में तो नहीं लाया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट औपचारिक प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

की धारा 160 के तहत, निर्वाचन कार्य के लिए ऐसे वाहनों को अधिग्रहित करेगा अथवा अधिग्रहित कराएगा और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे अधिग्रहित किए गए वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा।

स्पष्टीकरण

2.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध समान रूप से ऐसे किसी भी राज्य में या उन राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा जिनमें निर्वाचन नहीं है, लेकिन उनके वाहनों को निर्वाचन के लिए किसी भी निर्वाचनरतअन्य राज्य में खुले तौर पर या गुप्त रूप से अभियान के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/संबंधित विभाग में भारत सरकार के सचिव को, जैसा भी मामला हो, मंत्रालय/विभाग अथवा किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र से संबन्धित मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संलग्न कार्यालय के अंतर्गत ऐसे किसी वाहनों के किसी भी दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। जिन कार्यालयों के प्रभार में ऐसे वाहन सौंपे गए हैं, उन्हें भी किसी भी उल्लंघन के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे वाहनों का उपयोग, किसी के भी द्वारा यहां तक कि भुगतान आधार पर भी, जिनमें राज्य सरकार अथवा केंद्र के मंत्री भी शामिल हैं, अथवा मंत्रियों के रूप में उनकी क्षमता में आधिकारिक निर्वाचन प्रचार से जुड़े या कथित और बनावटी तौर पर प्रमाणित उद्देश्य के साथ निर्वाचनों के लिए उपयोग पूरी तरह से निषिद्ध है।

अपवाद

2.5 उपरोक्त ऐसे प्रतिबंध का एकमात्र अपवाद प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व होंगे, जो चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों के चलते उनके जीवन के लिए खतरा है, और जिन्हें उच्च सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, और जिनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को इस संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त प्रतिबंध भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति और ऐसे अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जो अन्य राज्यों से राज्य का दौरा कर रहे हैं, के मामले में भी लागू नहीं होंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट

किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के मामले में ये प्रतिबंध लोकसभा के साधारण निर्वाचन के समय लागू होंगे, जैसा कि संघ के अथवा राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या किसी अन्य के संबंध में है।

(क) आयोग को यदि उसे संदेह होता है तो यह स्पष्ट करना चाहेगा कि कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988, अथवा सरकार के किसी अन्य विशेष अधिनियम/निर्देश के तहत प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन, किसी विशेष दल या अभ्यर्थी के निर्वाचन हितों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के इरादे से प्रकट या विस्तारित किया गया है या नहीं। आयोग इस मामले को इस संबंध में तत्काल और उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए संबंधित सरकार के संज्ञान में लाएगा।

(ख) इस प्रयोजन के लिए, आयोग ऐसे किसी भी व्यक्तित्व के संबंध में प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है। इस तरह की जानकारी संबंधित सरकार द्वारा आयोग को जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) यदि किसी व्यक्ति की सुरक्षा आवश्यकता, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलन किया जाता है, और उसे बुलेट प्रूफ वाहन में यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहन के उपयोग की लागत के भुगतान पर सरकार द्वारा केवल एक वाहन प्रदान किया जा सकता है। ऐसे बुलेट प्रूफ वाहन में किसी भी राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता (सिवाय उसके वैयक्तिक/चिकित्सा सहायक के) को यात्रा करने की अनुमति नही होगी।

वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध

2.6 वाहनों को किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, दस से अधिक वाहनों के काफिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस वाहनों से अधिक के काफिले को विभाजित कर दिया जाएगा और उनमें 100 मीटर की दूरी बनाई रखी जाएगी। चाहे उसमें केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री या अन्य व्यक्ति को ले जाया जा रहा हो को ले जाने वाले हालांकि, यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा अनुदेशों के अधीन होगा।

यदि कोई भी वाहन ऊपर बताई गई सीमा से अधिक वाहनों के काफिले में चलता है, तो काफिला विभाजित हो जाने के बावजूद, स्थानीय प्रशासन का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे वाहनों को आयोग के निदेशों की अवहेलना का पालन

करने की अनुमति न हो, जब तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

नामांकन दाखिले करने के दौरान वाहनों का उपयोग:

2.7 वाहनों के जुलूस या काफिले के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में **अनुमति प्राप्त वाहनों की अधिकतम संख्या, तीन तक सीमित होगी।** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए। यह भी निदेशित किया जाता है कि अभ्यर्थी और उसके साथ चार अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिए कार्यालय का केवल एक दरवाजा खुला रखा जाएगा, और अन्य सभी दरवाजे बंद रखे जाने चाहिए। प्रवेश के वास्तविक समय को दर्ज करने के लिए, प्रवेश द्वार पर एक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए।

निर्वाचन कार्य उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग:

2.8 अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

2.9 लेकिन अभियान शुरू होने से पहले, अभ्यर्थी को ऐसे सभी वाहनों के विवरण और उन क्षेत्रों का जिसमें वे निर्वाचन उद्देश्यों के लिए इन वाहनों का उपयोग करेंगे, विवरण प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, इस संबंध में आवश्यक जांच के बाद, जो ऐसे प्रत्येक वाहन के संबंध में अभ्यर्थी को परमिट जारी करेगा। परमिट की मूल प्रति (फोटो कॉपी नहीं), वाहन की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परमिट इतने आयाम का होना चाहिए, कि इसे आसानी से दूर से देखा जा सके। परमिट में वाहन की संख्या, परमिट जारी करने की तारीख, अभ्यर्थी का नाम और क्षेत्र (जहाँ यह प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा) शामिल होना चाहिए।

2.10 किसी भी अतिरिक्त वाहन का आगे उपयोग केवल अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा सूचना देने के बाद ही हो सकता है और वाहनों के वास्तविक उपयोग से पहले उसी के लिए परमिट प्राप्त किए जाएंगे।

2.11 अभ्यर्थी से प्राप्त विवरण को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय प्रेक्षक(कों) को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे जांच कर सकें कि क्या इस संबंध में व्यय अभ्यर्थी के व्यय खाते में सही ढंग से शामिल है या नहीं।

2.12 यदि कोई वाहन, जिसके लिए किसी विशेष अभ्यर्थी को अनुमति दी जाती है, का उपयोग किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान के उद्देश्य से या किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए किया जा रहा है, तो अनुमति को वापस लेना होगा और वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा/के अधिकार के तहत जब्त करना होगा।

2.13 यदि कोई अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद, प्रचार वाहन(नों) का दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है, तो वह इस तरह के वाहन(नों) के लिए अनुमति वापस लेने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगा। यदि अभ्यर्थी, अनुमति प्राप्त करने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित नहीं करेगा, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने प्रचार के उद्देश्य हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों का उपयोग किया है, और इस तरह के वाहनों के उपयोग पर अधिसूचित दरों के अनुसार व्यय को उसके निर्वाचन खर्चों के खाते में जोड़ा जाएगा।

2.14 उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्राधिकार/परमिट के अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को अभ्यर्थी के लिए अनधिकृत रूप से प्रचार किया गया माना जाएगा, और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX-ए के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन इस पर कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए तुरंत <u>प्रचार अभियान प्रक्रिया से बाहर</u> कर दिया जाएगा।

2.15 अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार निर्वाचन अभियान के लिए नियोजित वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।

2.16 राजनीतिक दलों के नेताओं अर्थात् स्टार प्रचारकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण (1) के खंड (ए) का लाभ उठाने के लिए, सड़क परिवहन की अनुमति होगी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से जारी की जाएगी और इसके बावजूद कि पूरे राज्य में एक ही वाहन का उपयोग निर्वाचन अभियान के लिए किसी भी नेता द्वारा किया जाना है अथवा विभिन्न वाहनों का उपयोग ऐसे दल के नेताओं द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाना है। स्टार प्रचारक के नाम पर ऐसे मामलों में परमिट जारी किया जाएगा, और इसे किसी क्षेत्र में उसके द्वारा उपयोग किया जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए अभ्यर्थियों के अन्य प्रचारअभियान वाहनों के परमिट से अलग रंग के होंगे।

2.17 किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अनुरोध पर, जिला निर्वाचन अधिकारी <u>एक</u> वाहन के लिए परमिट जारी करेगा, जिसका उपयोग मान्यता प्राप्त दल के जिला स्तर

के पदाधिकारी (स्टार प्रचारक के अलावा) अपने निर्वाचन कार्य उद्देश्य के लिए, जिले के भीतर कई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए में दौरे करेंगे। परमिट में वाहन की संख्या, राजनेता का नाम, और जिस अवधि के लिए जारी किया गया है, का विवरण होना चाहिए, और अलग रंग का होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। परमिट की एक सत्यापित प्रति विंड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी, और मूल प्रति को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए चालक के पास रखा जाएगा। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के। यदि इस तरह के वाहनों का उपयोग किसी विशेष/अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार के लिए किया जाता है, तो व्यय को उचित रूप से उस अभ्यर्थी(यों) के खाते में जोड़ा जाना चाहिए।

2.18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकता है जो पूरे राज्य में परिचालित हो सकते हैं। 100 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकतम <u>पाँच</u> वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकते हैं, और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम <u>तीन</u> वाहनों की अनुमति एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दी जा सकती है। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के। यदि इस तरह के वाहनों का उपयोग किसी विशेष अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार के लिए किया जाता है, तो व्यय को उचित रूप से उस अभ्यर्थी(यों) के खाते में प्रविष्ट करना चाहिए।

2.19 यदि कोई राजनीतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राज्य में उनके विभिन्न दल कार्यालयों को प्रचार सामग्री के वितरण के लिए वाहन(नों) की अनुमति के लिए अनुरोध करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस तरह की अनुमति दे सकते हैं जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य) को एक वाहन की अनुमति होगी। हालांकि, संबंधित राजनीतिक दल (आवेदक) को जिलों के नाम, रूट मैप और उन तारीखों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके लिए वाहन उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक होगा।ऐसे वाहनों के लिए, सीईओ अनुमति जारी कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ऐसे वाहनों को भी सामान्य जांच के अधीन रखा जाएगा और उनका उपयोग निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के वाहनों के खर्च का वहन राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा, न कि अभ्यर्थी द्वारा।

स्पष्टीकरण

2.20 एक साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए

किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो एक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के अपने खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन अभियान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा की पहचान के लिए कोई नगरपालिका कोई पंजीकरण/परमिट नहीं दिया गया है, तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिक्शा चालक को उसके नाम पर एक परमिट जारी किया जा सकता है, जिसे उसे प्रचार के प्रयोजनों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय व्यक्तिगत रूप से अपने साथ रखना चाहिए हालांकि सामान्य वाणिज्यिक दिनचर्या आदि में यात्रियों को साधारण उद्देश्य के लिए लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिक्शों को इससे छूट प्रदान की जा सकती है, यदि वे किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का चिन्ह दिखाते हुए केवल एक पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं।

2.21 निर्वाचन प्रचार की अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं और दल के नेताओं और/अथवा दल के समर्थकों द्वारा असामाजिक तत्वों की आवाजाही के लिए निजी वाहनों के दुरुपयोग की जांच करने की दृष्टि से, ताकि निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी पैदा न हो और निर्वाचकों के मन में भय की भावना पैदा न हो सके और/अथवा अवैध हथियार और गोला बारूद आदि की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, आयोग आगे निदेश देता है कि जिला प्रशासन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके दल के नेताओं के साथ आने वाले वाहनों पर और व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेगा जिससे कि आपराधिक गतिविधियों सहित संभावित शरारतों जैसे अवैध हथियार और शस्त्र ले जाने आदि पर रोक लगाई जा सके। यदि इनमें से कोई भी वाहन, जो किसी दल अथवा निजी मालिक का है और यह ऐसे किसी भी असामाजिक तत्वों संबंधी कार्य में शामिल पाया जाता है जो कि निर्वाचकों को भयभीत करने या आतंक पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है तो स्थानीय प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे वाहनों को जब्त करें और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें अवमुक्त न करें। इसके अलावा, उस वाहन के मालिक व उसके रखने वाले (लों) या जो उसमें बैठे हों और अभ्यर्थी/राजनीतिक दल के विरूद्ध भी विधि के अनुसार आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। (कृपया पत्र संख्या 464/अनुदेश/2014-ईपीएस दिनाँक10.4.2014 - परिशिष्ट-I में ईसीआई के निदेश देखें)

2.22 **मतदान के दिन वाहनों का उपयोग**

मतदान के दिन वाहनों का उपयोग आयोग के पत्र क्रमांक 464/अनुदेश/2014-ईपीएस दिनांक 10.4.2014 (परिशिष्ट I) के पैरा 26 से 31 तक विनियमित किया जाता है।

उक्त पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2014-ईपीएस, दिनांक 10 अप्रैल, 2014, में भारत निर्वाचन आयोग के निदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से मतदान के दिन वाहनों के गैरकानूनी उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। उक्त अनुदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहन का तात्पर्य सभी वाहनों से होगा, जो यांत्रिक शक्ति अथवा अन्यथा से संचालित होते हैं।

2.23 वीडियो वैन (परिशिष्ट 2 देखें)

सम्पूर्ण राज्य में अभियान के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वीडियो-वैन आदि के मामले में, वीडियो- वैन के लिए अभियान की अनुमति देने से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का ऐसा उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो। इस संदर्भ में 23 जून 2006 और 14 फरवरी 2007 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 3648 (एमबी) में दिए गए निर्णयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ साथ सड़कों पर चलने होने वाले वाहनों के मामलों की देखरेख हेतु तब तक राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देता है, जब तक कि राज्य विधायिका/ संसद इसके उल्लंघन करने वालों हेतु कुछ गंभीर दंड देने के लिए कानून नहीं बना लेती। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों पर किए गए व्यय को आनुपातिक रूप से दल के उन क्षेत्रों/निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के खर्चों के बीच वितरित किया जाए, जहाँ इन वैन/वाहनों का उपयोग किया गया है।

आगे यह और स्पष्ट किया जाता है कि-

(i) ***प्रचार के उद्देश्य के लिए वीडियो-वैन का उपयोग करने की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर ही दी जा सकती है। परिवहन नोडल अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वीडियो-वैन मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप है।***

(ii) ***वीडियो-वैन पर निर्वाचन प्रचार की सामग्री की विषय-वस्तु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों से पूर्व प्रमाणित होनी चाहिए। राजनीतिक दल के वीडियो-वैन का उपयोग वोट प्राप्त करने के लिए केवल दल के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट या समर्थन का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसका उपयोग किसी विशेष अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लिए वोट/समर्थन मांगने के लिए किया जाता है, तो***

वीडियो-वैन का खर्च ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में उचित रूप से डाला जाना चाहिए। व्यय प्रेक्षक इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

(iii) *जो भी दल/अभ्यर्थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से वीडियो-वैन का उपयोग करने की अनुमति चाहते हैं, उन्हें पहले मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। इस प्रमाण पत्र को सड़क पर वीडियो-वैन को चलाने के लिए इस विषय के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम/कानून के प्रासंगिक प्रावधान, और न्यायालय के आदेश, यदि कोई हो, के अनुरूप सुनिश्चित होना आवश्यक है।*

(iv) *हालांकि वीडियो-वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका उपयोग किसी निर्वाचन प्रचार में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए व्यय विधिवत दल के निर्वाचन व्यय खाते में शामिल किया जाएगा, जो कि निर्वाचन के बाद, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाना है और उपर्युक्त उप-पैरा (ii) में प्रदान किए गए अनुसार खर्च को संबंधित अभ्यर्थियों के बीच उचित रूप से विभाजित किया जाएगा।*

(v) *प्रचार-प्रसार/निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वीडियो-वैन का मार्ग अग्रिम रुप में, स्थानीय प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। इसमें उल्लंघन के मामले में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित नोटिस के बाद, वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है।*

परिशिष्ट- XIV

(अध्याय - 13 राष्ट्रीय ध्वज/दल के ध्वज/दल के बैनर का उपयोग)

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/ चेयरपर्सन को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 509/35/2014-आरसीसी, दिनांक 04.03.2014 और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पृष्ठांकित प्रतिलिपि।

विषय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में वर्ष 2014 की रिट याचिका (जनहित याचिका) (ख) सं. 603- प्रताप चंद्र बनाम भारत संघ एवं अन्य।

मुझे, राजनीतिक दलों की रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा पारित दिनांक 30/01/2014 के आदेश की एक प्रति एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। याचिका में राहत मांगी गई थी कि प्रतिवादियों (केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग) को निदेश दिया जाए कि राजनीतिक दलों को उनकी रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने याचिका का निपटान इस अवप्रेक्षण के साथ किया कि रैलियों में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग की कोई मनाही नहीं है और यह संबंधित अधिकारियों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि ध्वज संहिता और संप्रतीक और नामों से संबंधित प्रावधान (अनुचित प्रयोग निवारण), अधिनियम, 1950 और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का कड़ाई से अनुपालन और अवलोकन सुनिश्चित किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को नोट किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दल के हर स्तर के कैडर के ध्यान में इसे लाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्वज संहिता संबंधी प्रावधानों और आदेश में उल्लिखित अधिनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हो।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

प्रतिलिपि

लीगालिक्स - इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय सूचना प्रणाली *(निर्णय/आदेश-मूल पाठ प्रपत्र में)*
यह जानकारी/संदर्भ के लिए एक अप्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रामाणिक प्रति के लिए केवल प्रमाणित

प्रति का संदर्भ लें। किसी भी त्रुटि के मामले में, कृपया इसे डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रतिलिपि) के संज्ञान में लाएं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच कोर्ट नंबर 2

केस:- 2014 की विविध बेंच सं. 603
याचिकाकर्ता:- प्रताप चंद्र (पी.आई.एल.)
प्रतिवादी: - सचिव, गृह मंत्रालय और अन्य के माध्यम से भारत संघ
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:- विजय कुमार पांडे
प्रतिवादी के परामर्शदाता:- सी.एस.सी., ए.एस.जी., अपराजिता बंसल, मनीष माथुर

माननीय इम्तियाज मुर्तजा, जे.
माननीय देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, जे.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री विजय कुमार पांडे प्रतिवादी संख्या 1 के लिए, श्री केसी कौशिक, सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रतिवादी संख्या 2 के लिए श्री मनीष माथुर, प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के लिए मुख्य स्थायी परामर्शी और प्रतिवादी संख्या 5 के लिए सुश्री अपराजिता बंसल।

मौजूदा जनहित याचिका के माध्यम से, प्रतिवादियों को किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी विशेष रैली में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं देने के लिए एक निदेश दिए जाने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग के लिए, भारत सरकार द्वारा ध्वज संहिता को अधिसूचित किया गया है, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उक्त संहिता के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार, , सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 आम जनता और निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, या उक्त प्रयोजन के लिए अधिनियमित किसी अन्य विधि में प्रदान की गई सीमा तक।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 का उल्लंघन करते हुए ध्वज संहिता विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि ध्वज किसी भी व्यक्ति या वस्तु को

सलामी देने के लिए झुकाया और यह भी कि ध्वज को आधे मस्तूल पर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन अवसरों को छोड़कर जिन पर सार्वजनिक भवनों पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार आधे मस्तूल पर ध्वज फहराया जाता है। ध्वज संहिता में कुछ अन्य अनुदेश भी हैं।

ध्वज संहिता और ऊपर उल्लिखित अन्य अधिनियमों को उनके सख्त अनुपालन के लिए प्रख्यापित किया गया है। हम इसका भी संदर्भ ले सकते हैं कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करता है।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता से पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, कि राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग के लिए कोई क्या निषेध है, वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर सका। हालाँकि, उन्होंने कहा कि यह राज्य के अधिकारियों का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि, यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग केवल उचित तरीके से और भारतीय झंडा संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाए, जैसा कि अधिनियमन है, अर्थात् संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950, और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधान में भी उल्लिखित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, भारतीय ध्वज संहिता और विधानों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों का यह बाध्यकारी कर्तव्य है, जैसा कि यहाँ दिए गए विवरण के अनुसार स्पष्ट है। हम आशा करते हैं कि सभी संबंधितों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रेक्षण के साथ इस याचिका का अंतिम रूप से निपटान किया जाता है।

आदेश दिनांक:- 30.1.2014
एमएफए/-

परिशिष्ट- XV

(अध्याय - 14 लाउडस्पीकरों का उपयोग)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 3/8//2000 जे.एस.II दिनांक 26.12.2000

विषय: **निर्वाचन प्रचार अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग- समेकित अनुदेश**

सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक और सहानुभूति रखने वाले अपने निर्वाचन प्रचारों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे हैं। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग न केवल नियत स्थानों से किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग ट्रकों, टेम्पों, कारों, टैक्सियों, वैन, थ्री व्हीलर स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि जैसे वाहनों पर टांग कर/लगा कर भी किया जाता है। ये वाहन सभी सड़कों, और गलियों में घूमते हैं और गाँवों, बस्तियों, मोहल्लों, कॉलोनियों और इलाकों के आसपास भी जाते हैं जहाँ लाउडस्पीकर बहुत अधिक तेज शोर प्रसारित करते हैं। इससे गंभीर 'ध्वनि प्रदूषण' होता है, और इससे आम जनता की चैन और शांति भंग होती है। विशेष रूप से छात्र समुदाय गंभीर रूप से परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से बाधित होती है, क्योंकि लाउडस्पीकर सुबह से तेज शोर पर बजने लगते हैं तथा दिन भर और रात में बहुत देर तक ऐसा होते रहता है। वृद्ध, दुर्बल और बीमार, चाहे वह संस्थानों, अस्पतालों आदि में या चाहे घर पर हों, उन्हें भी इससे भयंकर असुविधा होती है।

2. आयोग इस बात से अवगत है कि लाउडस्पीकर का उपयोग निर्वाचन अवधि के दौरान पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार का एक साधन है, और जनता को जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम भी। लेकिन साथ ही, विषम अवधि और बहुत अधिक तेज आवाज़ में विषम स्थानों पर लाउडस्पीकर के अंधाधुंध और अनुपयुक्त प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो आम जनता की चैन और शांति भंग करता हो, विशेष रूप से जब यह बीमार और छात्र समुदाय पर बुरा प्रभाव डालता हो। इन पर कुछ उचित प्रतिबंध आवश्यक हैं।

3. इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य शक्तियों द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसके पहले के अनुदेशों के अधिक्रमण में, एतद्द्वारा निदेश देता है कि भविष्य के सभी निर्वाचनों में लाउडस्पीकर के उपयोग को निम्नानुसार सख्ती से विनियमित किया जाएगा:-

(i) लाउडस्पीकरों के उपयोग हेतु, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया

गया हो, या निर्वाचन उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक बैठकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्थिर स्थिति में हो, निर्वाचन की घोषणा की तारीख से आरंभ होकर और परिणामों की घोषणा की तारीख तक, पूरे निर्वाचन अवधि के दौरान, केवल इन अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी: (क) ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात् निगम या नगर निगम सीमा के बाहर के क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच; और (ख) सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच अन्य क्षेत्रों में, अर्थात् निगम या नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। ***(यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 3/8/2005/जेएस-II, दिनाँक 26 सितंबर, 2005 को मद संख्या 184 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है: -***

“3(i) निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनों के लिए जन सभा के लिए प्रयुक्त किसी जन संबोधन साधन (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) अथवा लाउडस्पीकर या साउंड एंप्लीफायर का उपयोग, रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच नहीं किया जाएगा।”

(ii) सभी लाउडस्पीकर का उपयोग, चाहे वह सामान्य प्रचार के लिए हो या सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों के लिए, और चाहे चलते वाहनों पर लगे हों या अन्यथा उपयोग किया जाता हो, केवल ऊपर वर्णित खंड (ii) में समयावधि के दौरान ही सीमित होंगे और उससे परे इनका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iii) ऊपर वर्णित समयावधि से परे उपयोग किए जा रहे सभी लाउडस्पीकरों को, उनसे संबंधित सभी उपकरणों सहित इन लाउडस्पीकरों के उपयोग के साथ जब्त कर लिया जाएगा।

(iv) सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, और अन्य व्यक्तियों द्वारा, जो चलते वाहनों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ट्रकों, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तीन पहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि शामिल हैं, किंतु यह दायरा इन्हीं तक ही सीमित नहीं है, की पंजीकरण संख्या की सूचना, लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति देने वाले प्राधिकरणों को दी जाएगी और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परमिट देने पर वाहनों की इस पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(v) कोई भी वाहन, जिस पर उक्त लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर और उसके साथ उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा।

(vi) सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा, चाहे वह इसका उपयोग चलती गाड़ी में करें या किसी निश्चित स्थान पर, निम्नलिखित को सूचना देनी होगी-

(1) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को, और

(2) लाउडस्पीकरों का उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को, उनके द्वारा प्राप्त परमिट की लिखित में पूरी जानकारी सहित। मोबाइल लाउडस्पीकरों के मामले में, वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या भी उनके द्वारा रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास भी दर्ज करायी जाएगी।

(vii) लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए परमिट प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार के प्राधिकारियों का होगा और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सख्ती से लागू करना चाहिए कि किसी के द्वारा भी लाउडस्पीकरों का उपयोग करने में उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन न किया जाए।

4. किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए या किसी अन्य तरीके से लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के बाद भी, परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन पूरा होने तक उचित कानून- व्यवस्था बनाए रखना अपेक्षित है। लाउडस्पीकर का उपयोग आम तौर पर आम लोगों के लिए परेशानी का स्रोत माना जाता है और इससे अक्सर राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए, जिला प्रशासन को, प्रत्येक आवेदन की मेरिट के आधार पर, 48 घंटे के पूर्व निषेध की अवधि के बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर और निर्वाचन पूरा होने तक उचित कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए।

5. आयोग के उपरोक्त निदेशों को, जो ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक शांति और शांति की गड़बड़ी की जांच करेंगे, सभी संबन्धित राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाना और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा, और यह दोषी अधिकारियों के विरूद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करेगा।

6. इस आदेश की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की स्थानीय इकाइयों को अंग्रेजी/हिंदी में और स्थानीय आधिकारिक भाषाओं में, और को नाम-निर्देशन के समय, प्रत्येक अभ्यर्थी को पावती लेकर तहत 10 प्रतियांउपलब्ध कराई जाएंगी।

7. इस पत्र की प्राप्ति की तुरंत सूचना दें।

परिशिष्ट- XVI

(अध्याय - 16 सार्वजनिक/निजी संपत्ति का विरूपण)

गुजरात के कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/ 2017 दिनांक 25.10.2017

विषयः **गुजरात राज्य के विधानसभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू करने हेतु तत्काल कार्रवाई किए जाने के संबंध में।**

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने गुजरात के विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही 'आदर्श आचार संहिता' प्रभावी तौर पर लागू हो जाती है। गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन के मद्देनजर 'आदर्श आचार संहिता' के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

1. **संपत्ति का विरूपण -** भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2015-सीसीएस दिनांक 29 दिसंबर, 2015, सं. 437/6/अनुदेश/2012-सीसीएंडबीई दिनांक 18 जनवरी, 2012, और सं. 3/7/2008 जेएस-II दिनांक 7 अक्टूबर 2008 में निहित निदेश, संपत्ति के विरुपण को रोकने का प्रावधान करते हैं। आयोग ने अपने निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और नीचे दिए गए अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया है-

    (क) **सरकारी संपत्ति का विरूपण-** इस प्रयोजन के लिए, सरकारी परिसर में कोई सरकारी कार्यालय और परिसर शामिल होगा जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागजों यासरकारी संपत्ति पर किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज आदि को निर्वाचन की घोषणा से **<u>24 घंटे के भीतर</u>** हटा दिया जाएगा।

    (ख) **सरकारी संपत्ति का विरूपण और सरकारी स्थान का दुरुपयोग-** आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से **<u>48 घंटे के भीतर</u>** सरकारी संपत्ति और रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों आदि की दीवारों पर लेखन/पोस्टर/पेपरों या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर/ध्वज आदि को हटा दिया जाएगा।

    (ग) **निजी संपत्ति का विरूपण-** किसी निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत

राजनीतिक विज्ञापन, स्थानीय कानून और न्यायालय के निदेश के अध्यधीन, यदि कोई हो, तो आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के **72 घंटों के भीतर** हटा दिए जाएंगे।

2. **आधिकारिक वाहन का दुरुपयोग-** भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 464/अनुदेश/2014/ईपीएस, दिनांक 10 अप्रैल, 2014 में निहित समेकित निदेशों में, अन्य बातों के अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि **किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन से जुड़ा हो (निर्वाचन संबंधी आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने वाले अधिकारियों को छोड़कर) के द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए (इसमें उल्लेखित कुछ अपवादों के अधीन), आधिकारिक वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अभिव्यक्ति** 'आधिकारिक वाहन' का तात्पर्य है और इसमें शामिल होगा, परिवहन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जा सकने वाले कोई भी वाहन, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित हो या अन्यथा, इसमें ट्रक, लॉरी, टेम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बसें शामिल होंगे, और साथ ही इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र/राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगमों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों या किसी भी अन्य निकाय से संबंधित वाहन भी शामिल हैं जिनमें कुल सार्वजनिक निधियों का भले ही कम अंश का निवेश किया गया हो। **निर्वाचनों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।**

3. **सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापन** - भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/2014-सीसीएंडबीई दिनांक 5 मार्च, 2014 में निहित अनुदेशों में उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सार्वजनिक राजकोष की लागत पर, और राजनीतिक समाचार और उपलब्धियों के बारे में प्रचार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधिकारिक जन-संचार के दुरुपयोग से सावधानीपूर्वक बचा जाना चाहिए। सरकारी राजकोष पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि प्रिंट मीडिया में टेलीकास्ट/प्रसारण या प्रकाशन के लिए कोई विज्ञापन पहले ही जारी किया गया है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह के विज्ञापनों का टेलीकास्ट/प्रसारण रोक दिया जाए, और ऐसा कोई भी विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित नहीं किया जाए, अर्थात् प्रिंट मीडिया में, और घोषणा की तारीख से इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। **निर्वाचनों की**

घोषणा के तुरंत बाद, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऐसे किसी भी विज्ञापन को हटाने/रोकने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

4. **आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक पदाधिकारी की तस्वीर -** भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2014-सीसीएंडबीई दिनांक 20 मार्च, 2014 में निहित अनुदेशों में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय/राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भ हटा दिए जाएंगे। राज्य विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों से किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी की तस्वीरों को हटाने/छिपाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को **तत्काल कार्रवाई** करनी होगी।
5. **विकास/निर्माण संबंधी गतिविधियाँ -** आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी भी शिकायत को वैद्ध करने के मामले में, निर्वाचन की घोषणा के **72 घंटों के भीतर**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संदर्भ के लिए कार्यों की निम्नलिखित सूची प्राप्त करेंगे:
   (i) ऐसे कार्यों की सूची जो पहले से ही जमीनी स्तर पर आरंभ किए जा चुके हैं।
   (ii) नए कार्यों की सूची जो जमीनी स्तर पर आरंभ नहीं हुए हैं।
6. **व्यय अनुवीक्षण और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए गतिविधियाँ -** घोषणा के बाद ड्रग्स/ नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी की जाँच करने के लिए फ्लाइंग-स्क्वाड, एफएसटी, वीडियो टीम, शराब/नकदी प्रतिबंधित दवाओं की सघन जाँच, उत्पाद शुल्क के उड़न दस्ते द्वारा **त्वरित रुप से सक्रिय** की कर दिए जाने चाहिए।
7. **शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली-** मतदान होने वाले राज्यों के पास वेबसाइट और कॉल सेंटर के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र होगा। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1950 है। टोल फ्री कॉल सेंटर नंबरों पर कॉल करके या वेब साइट पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस और कॉल सेंटर द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया जाएगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण भी देख सकते हैं। यह प्रणाली घोषणा के **24 घंटे के भीतर कार्यशील** होनी चाहिए। सभी शिकायतों को तुरंत और उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया जाना चाहिए और विशेष रूप से जनशक्ति और अन्य वांछित सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, चौबीसों घंटे कर्मियों को नियंत्रण कक्ष में तैनात किया जाना चाहिए और किसी भी बहाने या भ्रम से बचने के लिए उनका ड्यूटी रोस्टर जारी किया जाना चाहिए।
8. **आईटी एप -** आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप **घोषणा के साथ ही कार्यशील** हो जाएंगे।
9. **मतदाताओं और राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार-** मुख्य

निर्वाचन गतिविधि का प्रचार-प्रसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सभी आवश्यक जानकारी रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। सरकारी चैनल मतदाता शिक्षा सामग्री प्रदर्शित करेंगे।

10. **शैक्षिक संस्थान और सिविल सोसाइटियों से सक्रिय सहयोग -** आम जनता और अन्य हितधारकों को निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए शैक्षिक संस्थान और सिविल सोसाइटियों से सहयोग मांगा जा सकता है।

11. **मीडिया सेंटर-** ईवीएम/वीवीपीएटी के उपयोग सहित निर्वाचन प्रणाली के बारे में मीडिया सेंटर के माध्यम से मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

12. **एमसीएमसी/डीईएमसी-** भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 491/एमसीएमसी/2014/कम्यूनिकेशन दिनांक 24 मार्च, 2014 में निहित अनुदेशों में यह उल्लेख किया गया है कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दल जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) से अपने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए संपर्क करेंगे, जैसा भी मामला हो, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने का प्रस्ताव है। आयोग ने उक्त पत्र में निहित अपने अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

13. **नियंत्रण कक्ष - जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनशक्ति और अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में शिकायत निगरानी केंद्र के साथ एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।**

संलग्नक-I

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कैबिनेट सचिवालय, मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2012-सीसीएंडबीई दिनांक 18 जनवरी, 2012

विषय- संपत्ति के विरूपण को रोकने और अन्य प्रचार संबंधी मदों हेतु संशोधित अनूदेश-तत्संबंधी।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की विधानसभाओं के आम निर्वाचनों की घोषणा पर, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान दिनांक 24 दिसंबर, 2011 से लागू हो गए हैं। आयोग ने अपने पत्र सं 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से जारी किए गए अनुदेशों को पुनः जारी करने का निर्णय लिया है, जो पैरा 5 में शामिल शीर्षक 'निजी स्थानों का विरूपण' के तहत, उल्लेख निम्नानुसार है:-

<u>उप-पैरा (घ)</u> "किसी स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अध्यधीन, राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक, अपनी संपत्ति पर बैनर, बंटिंग, ध्वज, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से और किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें, और इसके अतिरिक्त, बशर्तें कि इससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यदि बैनर, ध्वज आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी को नोट दिलाने के लिए है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के प्रावधान लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज में यह विहित है कि जो कोई, चाहे आम आदमी हो अथवा उसे किसी अभ्यर्थी का लिखित प्राधिकार प्राप्तहो, ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन के प्रचार-प्रसार या प्रापण के लिए किसी भी तरह से विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन के लिए किसी भी आम सभा के आयोजन के लिए अथवा खर्चा करता है अथवा खर्चा करने के लिए प्राधिकार देता है, उस पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकता हैः बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति, जिसने दस रुपए से अनधिक की राशि खर्च की है, उस तारीख से दस दिनों के भीतर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है, जब ऐसा खर्च किया गया था, ऐसा माना जाएगा कि उसने यह खर्च अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया है।"

संलग्नक-II

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के सचिव को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्टूबर, 2008।

विषय: **संपत्ति और अन्य प्रचारअभियान से संबंधित मदों के विरूपण की रोकथाम के लिए संशोधित अनुदेश - तत्संबंधी।**

मुझे, निर्वाचन अभियान से जुड़े संपत्ति के विरूपण को रोकने के क्रम में आयोग के पत्र क्रमांक 3/7/2007/जेएस-II, दिनांक 16 अक्टूबर 2007 के संदर्भ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।

2. पूर्व में, आयोग ने संपत्तियों के विरूपण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष विधियों के अधिनियमन का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों ने संपत्ति के विरूपण को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए विशेष कानून बनाए हैं, जबकि अन्य राज्यों ने कानून में या तो केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को कवर किया है जैसे नगरपालिका आदि, अथवा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं है। इस संबंध में राज्यों से प्राप्त होने वाली संबंधित स्थिति पर एक सारणीबद्ध विवरण, आयोग में उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस परिपत्र की अनुसूची में संलग्न किया गया है (परिशिष्ट-I के रूप में)। चूंकि पूरे देश में एक समान कानून उपलब्ध नहीं है, और लागू करने योग्य कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। वर्ष 2009 में होने वाले आगामी लोकसभा आम निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के विरूपण के संबंध में दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट तैयार करना आवश्यक हो गया है, ताकि निर्वाचन के दौरान प्रचार का सुचारू संचालन हो और इसके बारे में उन सभी प्राधिकारियों के बीच एक स्पष्ट समझ पैदा की जा सके, जिनके पास क्षेत्र स्तर पर इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, और उन पर्यवेक्षकों के लिए भी जो विभिन्न राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

3. इस मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद, आयोग ने इस संबंध में **पूर्व में जारी अनुदेशों के अधिक्रमण में** राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों और संगठनों आदि द्वारा निर्वाचन के दौरान अनुपालन हेतु निम्नलिखित निदेशों को निर्धारित किया है:

सार्वजनिक स्थानों का विरूपण

4 (क) दीवार लेखन, पोस्टरों/कागजों को चिपकाने या किसी अन्य रूप में खराबी, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर ध्वज आदि का प्रदर्शन किसी भी सरकारी परिसर पर (सिविल संरचनाओं सहित) करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए एक सरकारी परिसर में कोई सरकारी कार्यालय और कार्यालय भवन स्थित परिसर शामिल होगा।

(ख) यदि स्थानीय कानून स्पष्ट रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर, भुगतान के आधार पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, स्लोगन, पोस्टर प्रदर्शित करना, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर, राजनैतिक विज्ञापन इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है या प्रावधान करता है या अन्यथा, तो इसे कानून के संबंधित प्रावधानों और न्यायालय के आदेशों के अधीन, यदि कोई इस विषय से संबंधित हो अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी विशेष दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसी किसी भी जगह पर कोई वर्चस्व/एकाधिकार नहीं है। सभी दलों और अभ्यर्थियों को इस संबंध में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) यदि किसी विशेष स्थान पर किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए स्थान दिया गया है, उदाहरण के लिए बिल बोर्ड, होर्डिंग्स आदि और यदि इस तरह की जगह पहले से ही किसी भी एजेंसी को अलग-अलग ग्राहकों (क्लाइंट्स) को आवंटित करने के लिए दी गई है, तो संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि कोई हो, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान तक पहुँचने का समान अवसर मिलना चाहिए।

निजी स्थानों का विरूपण

5. (क) उन राज्यों में जहाँ इस विषय पर कोई स्थानीय विधि नहीं है, और जहाँ कानून है, वहां कानून के तहत प्रतिबंधों के अधीन है ध्वज जैसे अस्थायी और आसानी से हटाने जाने योग्य विज्ञापन सामग्री, रहने वालों की स्वैच्छिक अनुमति के साथ बैनर निजी परिसर में लगाए जा सकते हैं। अनुमति एक स्वतंत्र इच्छा का कार्य होना चाहिए और किसी दबाव या धमकी से नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बैनर या ध्वज से दूसरों को कोई परेशानी पैदा नहीं होनी करना चाहिए। इस संबंध में लिखित में स्वैच्छिक अनुमति की फोटो-कॉपी नीचे दिए गए उप-पैरा (ग) में निर्धारित तरीके से ऐसे मामलों में ध्वज और बैनर लगाने के 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) यदि स्थानीय विधि स्पष्ट रूप से दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाने, और इसी तरह के अन्य स्थायी/अर्ध-स्थायी दोषों को हटाने की अनुमति नहीं देती है, जो आसानी से हटाने योग्य नहीं है, तो सहमति प्राप्त करने के बहाने किसी भी परिस्थिति में इसका अवलम्ब नहीं लिया जाएगा। यह उन राज्यों में भी लागू होगा, जहाँ संपत्ति के विरूपण को रोकने के विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है।

(ग) जहां स्थानीय कानून स्पष्ट रूप से निजी परिसरों पर दीवार लेखन और पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने की अनुमति मालिक की अनुमति के साथ देता है, संबंधित अभ्यर्थी या संबंधित राजनीतिक दल इस संबंध में संपत्ति के मालिक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे, और उसकी छायाप्रतियां संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-2 के रूप में चिह्नित) में एक बयान के साथ 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में और उप-पैरा (क) में उल्लिखित मामलों में, संपत्ति के मालिक के नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, जिनसे ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है, और इसमें इनका व्यय भी शामिल होना चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए किया गया हो अथवा किए जाने की संभावना हो। ऐसे लेखन/प्रदर्शन में कुछ भी भड़काऊ अथवा समुदायों के बीच असहमति पैदा करने वाला कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के विशिष्ट अभियान के इन तरीकों पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। किसी दल के लिए विशेष प्रचार अभियान पर किए गए व्यय को जिसमें किसी अभ्यर्थी का उल्लेख न हो उसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी अथवा निर्वाचन प्रेक्षक, अथवा निर्वाचन के संचालन के साथ संलग्न किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा आसान जांच के लिए, अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना गांव/इलाके/शहर-वार प्रस्तुत करेगा।

(घ) स्थानीय कानून या न्यायालय के आदेशों के तहत किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन, राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक, अपनी संपत्ति पर बैनर, बंटिंग, ध्वज, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से करते हैं और किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें, और इसके अतिरिक्त, बशर्तें कि इससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यदि बैनर, ध्वज आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी को नोट दिलाने के लिए है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के

प्रावधान लागू होंगे और इनका पालन करना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच में यह विहित है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी की सामान्य या लिखित में विशेष प्राधिकार के बिना उसके निर्वाचन प्रचार या उसकी जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन के लिए या किसी भी आम सभा के आयोजन के लिए खर्चा करता है अथवा खर्चा करने के लिए प्राधिकार देता है तो उस पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकता हैः बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति, जिसने दस रुपए से अनधिक की राशि खर्च की है, उस तारीख से दस दिनों के भीतर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है, जब ऐसा खर्च किया गया था, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने यह खर्च अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया है।

हॉल/ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण

6. सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/सार्वजनिक उपक्रमों/सहकारी समितियों के स्वामित्व वाले/नियंत्रित हॉल/ऑडिटोरियम/सभा स्थलों के मामले में, यदि कानून/दिशा-निर्देश उनके उपयोग को राजनीतिक बैठकों के लिए नहीं रोकते हैं तो उनका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटन समान आधार पर किया जाए, और यह कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों का इसमें एकाधिकार न हो। ऐसे स्थानों में, बैनर, बंटिंग, ध्वज, कट-आउट प्रदर्शित करने के लिए केवल बैठकों की अवधि के दौरान अनुमति दी जा सकती है, जो कानून के तहत किसी भी प्रतिबंध/दिशा-निर्देश के अधीन लागू हों। ऐसे बैनर, ध्वज, आदि को संबन्धित दल/व्यक्ति द्वारा बैठक के समापन के तुरंत बाद हटा दिया जाएगा, और किसी भी मामले में जो बैठक समाप्त होने के बाद एक उचित अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। स्थायी/अर्ध-स्थायी विरूपण जैसे कि दीवार लेखन/पोस्टर चिपकाना आदि की ऐसे परिसर में अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. स्थानीय विधि, यदि कोई हो, या उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए यदि कोई भी राजनीतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति किसी संपत्ति के विरूपण में लिप्त पाया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को ऐसे विरूपण को तुरंत हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि राजनीतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/ व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो जिला प्राधिकारी ऐसे विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में होने वाले व्यय को संबन्धित राजनीतिक दल/ संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जो ऐसे विरूपण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में भी यह राशि जोड़ी जाएगी, और संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अभियोजन की भी

कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए (विरूपण की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत, यदि कोई हो, अथवा दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सामान्य कानून के प्रावधानों के अधीन)।

वाहनों का विरूपण

8. (क) निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन, और अदालत द्वारा लागू आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन, ध्वज और स्टिकर वाहनों के मालिक द्वारा वाहन पर अपनी इच्छा से लगाए जा सकते हैं, जो इस तरह से लगे हों कि वे सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी असुविधा या परेशानी का कारण नहीं बनते हों। यदि ध्वज और स्टिकर के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी हेतु वोट मांगना है, तो यह आईपीसी की धारा 171-ज के प्रावधानों को आकृष्ट करेगा और इसका पालन करना होगा।

(ख) वाणिज्यिक वाहनों पर, किसी भी ध्वज, स्टीकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा वाहन निर्वाचन अभियान के लिए वैध रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन न हो और जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त न हो और उसका प्रर्दशनविंड स्क्रीन पर न किया गया हो।

(ग) लाउडस्पीकर की फिटिंग सहित वाहनों का बाहरी तौर पर रूप-परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और वहाँ प्रचलित किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियम के अधीन होगा। रूप परिवर्तित (मोडिफाइड) और विशेष प्रचार अभियान वाले वाहन, जैसे वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है।

अन्य प्रचार अभियान संबंधी मदें

9. व्यय के लिए लेखांकन के अध्यधीन, निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है: -

(क) जुलूस और रैलियों आदि में, ध्वज, बैनर, कटआउट आदि के उपयोग, स्थानीय कानूनों और लागू निषेधात्मक आदेशों के अधीन होंगे;

(ख) इस तरह के जुलूस में, दल/अभ्यर्थी के पहनने के लिए विशेष चीजें जैसे टोपी, मुखौटा, दुपट्टा आदि की आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि, दल/अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, शर्ट इत्यादि जैसे मुख्य परिधानों की आपूर्ति की अनुमति नहीं है।

(ग) शैक्षिक संस्थान उनके मैदानों सहित {चाहे सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सरकारी हों) का उपयोग राजनीतिक प्रचार अभियानों और रैलियों के लिए नहीं

किया जाएगा।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आयोग के निर्देशों को जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और निर्वाचन संबंधी अन्य सभी संबंधित अधिकारियों, राज्य के सभी राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की राज्य इकाइयों, और राज्य में पंजीकृत सभी गैर-मान्यता प्राप्त दलों, और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (निर्वाचन के समय) के संज्ञान में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ लाएं।

11. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृपया पुष्टि करें कि उपरोक्त पर अपेक्षित कार्रवाई कर दी गई है।

अनुलग्नक-1

संपत्तियों का विरूपण - विधि

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अधिनियम/नियम का नाम**	**प्रयोज्यता की सीमा**
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सार्वजनिक स्थल विरूपण निवारण और अश्लील एवं आपत्तिजनक पोस्टर और विज्ञापन निषेध अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
3.	बिहार	बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985	यह पूरे राज्य में लागू है।
4.	छत्तीसगढ़	राज्य द्वारा कोई अलग विधि/अधिनियम नहीं बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
5.	गोवा	**गोवा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1988, अधिनियम 1992 और 2001 के द्वारा यथा संशोधित।**	यह पूरे राज्य में लागू है।
6.	हरियाणा	**हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989, अधिनियम 1996 के द्वारा यथासंशोधित।**	यह पूरे राज्य में लागू है।

7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक स्थल (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985	यह पूरे राज्य में और शिमला के नगर निगम में शामिल क्षेत्रों में तुरन्त लागू हुआ है और राज्य के शेष भाग में ऐसी तिथि से लागू होगा, जिस तिथि से राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करे।
8.	झारखंड	कोई अलग विधि/अधिनियम नहीं है, लेकिन बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
9.	जम्मू-कश्मीर	1985 का जम्मू-कश्मीर संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम संख्या-XIX	यह पूरे राज्य में लागू है।
10.	कर्नाटक	कर्नाटक सार्वजनिक स्थल (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1981, अधिनियम 1983 के माध्यम से यथा संशोधित।	यह बेंगलूरु, मैसूर, हुबली, धारवाड़, मैंगलोर और बेलगांव में लागू है जो कर्नाटक नगर निगम अधिनियम - 1976 अथवा 05.05.81 को किसी अन्य कानून के तहत गठित या बना हुआ था और कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम - 1964 या किसी अन्य कानून के तहत, अथवा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तिथि को किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में गठित या बने हुए, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र, स्वच्छता बोर्डों में लागू हैं।
11.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनयम, 1994	यह पूरे राज्य में लागू है।
12.	महाराष्ट्र	वर्ष 1995 के महाराष्ट्र अधिनियम सं. VIII - संपत्ति विरूपण निवारण के संबंध में।	प्रयोज्यता की सीमा के बारे में कुछ भी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

13.	मिजोरम	**मिजोरम संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995**	यह पूरे राज्य में लागू है।
14.	नागालैंड	**नागालैंड संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1958**	वह असम आदिवासी क्षेत्रों (टोल समिति का प्रशासन) विनियमन 1950 के तहत गठित अधिसूचित क्षेत्रों में लागू है और असम स्थानीय या अन्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रवृत्त होगा जब से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
15.	पंजाब	**पंजाब संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1998**	यह पूरे राज्य में लागू है।
16.	सिक्किम	**सिक्किम संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1988**	यह पूरे राज्य तक फैला हुआ है।
17.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सार्वजनिक स्थल (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1959, अधिनियम 1992 के द्वारा यथा संशोधित।	यह पूरे राज्य तक फैला हुआ है।
18.	त्रिपुरा	**त्रिपुरा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 त्रिपुरा (संपत्ति विरूपण निवारण) संशोधन विधेयक, 1998 के साथ संयोजन के साथ अब राज्य में लागू है।**	यह पूरे राज्य में लागू है और अगरतला शहर की नगरपालिका सीमा में तुरन्त लागू होगा, लेकिन राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों या क्षेत्रों पर लागू कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।
19.	उत्तराखंड	**उत्तरांचल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003**	यह पूरे राज्य में लागू है।
20.	अंडमान और निकोबार	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987**	यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में लागू है।

21.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
22.	**दिल्ली**	पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 को दिल्ली में लागू किया गया था। (एक अलग अधिनियम विचाराधीन है)।	यह पूरे राज्य में लागू है।
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी सार्वजनिक स्थल (विरूपण निवारण) अधिनियम, 2000	यह पूरे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में लागू है।

राज्य जिनमें संपत्ति के विरूपण निवारण के विषय पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	
1.	असम	कोई कानून/अधिनियम नहीं
2.	गुजरात	कोई कानून/अधिनियम नहीं
3.	केरल	कोई कानून/अधिनियम नहीं
4.	मणिपुर	कोई कानून/अधिनियम नहीं
5.	मेघालय	कोई कानून/अधिनियम नहीं
6.	ओडिशा	कोई कानून/अधिनियम नहीं
7.	राजस्थान	इस विषय पर कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 198 में प्रावधान है कि बिना मालिक या कब्जाधारी की सहमति के बिना और नगरपालिका संपत्ति के मामले में, बोर्ड की लिखित में अनुमति के बिना, किसी भी पोस्टर, बिल, प्लेकार्ड या अन्य कागज या विज्ञापन को चिपकाना जुर्माने के साथ दंडनीय है जो बीस रुपये तक हो सकता है।
8.	उत्तर प्रदेश	कोई कानून/अधिनियम नहीं
9.	पश्चिम बंगाल	**पहले वहां पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1976, (पश्चिम बंगाल अधिनियम 1976 का XXI)। तभी से यह अधिनियम निरस्त है।**
10.	दादरा और नगर हवेली	कोई कानून/अधिनियम नहीं
11.	दमन और दीव	कोई कानून/अधिनियम नहीं
12.	लक्षद्वीप	कोई कानून/अधिनियम नहीं

परिशिष्ट-2

.......................................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव/कस्बे/ इलाके का नाम .... में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी....................................... श्री/श्रीमती/सुश्री .... द्वारा प्रदर्शित दीवार-लेखन/पोस्टर/होर्डिंग्स/बैनर इत्यादि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निजी संपत्ति के मालिक का नाम और पता जिनसे लिखित अनुमति प्राप्त की गई है	दीवार-लेखन या होर्डिंग्स या बैनर या पोस्टर का विवरण (दीवार लेखन/होर्डिंग/बैनर/पोस्टर का आकार इंगित किया जाएगा)	दीवार लेखन/होर्डिंग्स/बैनर/पोस्टर, आदि पर किए गए व्यय या होने वाले व्यय (रु.)
			कुल

संलग्नक-III

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक: 10 अप्रैल, 2014 का पत्र संख्या 464/अनुदेश/2014/ईपीएस ।

विषय: लोकसभा साधारण निर्वाचन 2014 - निर्वाचन के दौरान वाहनों के उपयोग पर समेकित निर्देश - के संबंध में।

सभी अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों हेतु एक समान अवसर प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, और धन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की नुकसानदेह भूमिका की जाँच करने के लिए, आयोग ने पूर्व में उपर्युक्त विषय पर कई अनुदेश जारी किए हैं, स्पष्टता और सुलभ संदर्भ के लिए इन्हें समेकित किया गया है और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सभी साधारण/उप-निर्वाचनों तथा विधान परिषदों के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के सभी द्विवार्षिक/उपनिर्वाचनों में अनुपालन और मार्गदर्शन के लिए पुनः जारी किया जा रहा है।

प्रयोजनीयता की अवधि -

2. ये अनुदेश निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से लेकर निर्वाचन पूरा होने तक लागू रहेंगे।

'आधिकारिक वाहन' का तात्पर्य

3. अभिव्यक्ति 'आधिकारिक वाहन', और परिवहन के उद्देश्य से प्रयुक्त या प्रयुक्त होने में सक्षम वाहन का तात्पर्य है ऐसे वाहन से है जो यांत्रिक शक्ति अथवा अन्यथा द्वारा संचालित होता हो, इसमें (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (iii) केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (iv) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, (v) स्थानीय निकाय, (vi) नगर निगम, (vii) नगर पालिका, (viii) विपणन बोर्ड (चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो), (ix) सहकारी समितियाँ, (x) स्वायत्त जिला परिषद अथवा कोई अन्य निकाय जिसमें कुल सार्वजनिक निधि में से भले ही छोटा हिस्सा निवेश किया गया हो, से संबंधित ट्रक, लॉरी, टेम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बस, शामिल होंगे और इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के तहत रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों से संबंधित वाहन भी शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश

4. **आयोग ने निदेश दिया कि, यहां उल्लेखित छूट की शर्त के अधीन, निर्वाचन के दौरान प्रचार अभियान, निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर कुल और पूर्ण प्रतिबंध होगा।**

(i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (iii) केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (iv) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, (v) स्थानीय निकाय, (vi) विपणन बोर्ड (चाहे जिस नाम से जाना जाता हो) (vii) सहकारी समितियाँ, (viii) स्वायत्त जिला परिषदों या किसी अन्य निकाय, जिसमें निर्वाचन से जुड़े किसर अन्य व्यक्ति द्वारा (निर्वाचन संबंधी कोई आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे अधिकारी को छोड़कर) कुल सार्वजनिक निधि का भले ही छोटा हिस्सा निवेश किया गया हो, से संबंधित कोई भी वाहन जैसे कि हेलीकॉप्टर, विमान, (इस विषय पर आयोग के आदेश द्वारा विनियमित को छोड़कर) कारों, जीपों, ऑटोमोबाइल, नौकाओं, होवरक्राफ्ट आदि के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा।

5. आयोग आगे निदेश देता है कि जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगा कि क्या पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी के आधिकारिक वाहन का उपयोग निर्वाचन कार्यों के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट औपचारिक प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद ऐसे वाहनों को अधिग्रहीत करेगा अथवा अधिग्रहीत करवाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत निर्वाचन कार्य के लिए और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे अधिग्रहीत किए गए वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा।

स्पष्टीकरण

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध समान रूप से उन राज्यों के वाहनों या उनसे आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा जिन राज्यों में निर्वाचन आयोजित नहीं हो रहे हैं लेकिन जिनके वाहनों को निर्वाचनाधीन किसी भी अन्य राज्य में खुले तौर पर या गुप्त रूप से प्रचारअभियान के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/संबंधित विभाग में भारत सरकार के सचिव को, जैसा भी मामला हो, मंत्रालय/विभाग अथवा किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र से संबन्धित मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संलग्न कार्यालय के अंतर्गत ऐसे किसी वाहनों के <u>किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार</u> माना जाएगा। जिन कार्यालयों के प्रभार में ऐसे वाहन सौंपे गए हैं, उन्हें भी किसी भी उल्लंघन के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रचार अभियान या मंत्री के रूप में अपने अधिकार में आधिकारिक कार्य के लिए कथित और बनावटी तौर पर प्रमाणित उद्देश्य के साथ निर्वाचनों से संबंद्ध दौरों के लिए इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे वाहनों का राज्य सरकार या केंद्र के मंत्री सहित किसी के भी द्वारा <u>यहां तक कि भुगतान आधार पर</u>, भी

उपयोग पूरी तरह निषिद्ध है।

अपवाद

8. उपरोक्त ऐसे प्रतिबंध का एकमात्र अपवाद <u>प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक व्यक्ति</u> होंगे, जिनको चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों और उनके जीवन को जोखिम के परिप्रेक्ष्य में उच्च सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, और जिनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को इस संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

9. उपरोक्त प्रतिबंध भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति और ऐसे अन्य गणमान्य व्यक्तियों के मामले में भी लागू नहीं होंगे, जो अन्य राज्यों से राज्य का दौरा कर रहे हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के मामले में ये प्रतिबंध लोकसभा के साधारण निर्वाचन के समय लागू होंगे, जैसा कि संघ के अथवा राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या किसी अन्य के संबंध में हैं।

10.(क) आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि यदि उसे संदेह होता है कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988, अथवा सरकार के किसी अन्य विशेष अधिनियम/अनुदेश के तहत प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन, किसी विशेष दल या अभ्यर्थी के निर्वाचन हितों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के इरादे से प्रकट या विस्तारित किया गया है तो आयोग इस मामले को संबंधित सरकार को इस संबंध में तत्काल और उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए संज्ञान में लाएगा।

10.(ख) इस प्रयोजन के लिए, आयोग ऐसे किसी भी व्यक्तित्व के संबंध में प्रदान की गई सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है। इस तरह की जानकारी संबंधित सरकार द्वारा आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध

11. आयोग आगे निदेश देता है कि कारों/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में <u>सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस</u> से अधिक वाहनों के काफिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 (दस) वाहनों से अधिक के सभी बड़े काफिले को विभाजित कर दिया जाएगा, भले ही वे केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति को ले जा रहे हों। हालांकि, यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा अनुदेशों के अधीन होगा।

12. काफिले के विभाजन के बावजूद, यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों के काफिले में चलता है, तो यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक आयोग के निदेशों का उल्लंघन करने वाले के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करने की अनुमति न दी जाए।

<u>नाम-निर्देशन भरने के दौरानः</u>

13. रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या <u>तीन</u> होगी।

<u>निर्वाचन प्रचार अभियान उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग</u>

14. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

15. लेकिन <u>प्रचार अभियान शुरू होने से पहले</u>, अभ्यर्थी को जिला निर्वाचन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, को ऐसे सभी वाहनों और उन क्षेत्रों, जिसमें वे निर्वाचन उद्देश्यों के लिए इन वाहनों का उपयोग करेंगे का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसकी आवश्यक जांच के बाद, उक्त अधिकारी ऐसे प्रत्येक वाहन के संबंध में परमिट जारी करेंगे। परमिट की मूल प्रति (फोटो कॉपी नहीं), वाहन की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परमिट इतने आयाम का होना चाहिए, कि इसे आसानी से दूर से देखा जा सके। परमिट में वाहन की संख्या, परमिट जारी करने की तारीख, अभ्यर्थी का नाम और क्षेत्र (जहाँ यह प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा) शामिल होना चाहिए।

16. किसी भी अतिरिक्त वाहन का उपयोग केवल अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा सूचना देने के बाद ही हो सकता है और वाहनों के वास्तविक उपयोग से पहले केवल उसी के लिए परमिट प्राप्त किए जाएंगे।

17. अभ्यर्थी से प्राप्त विवरण को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों (कों) को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे जांच कर सकें कि इस संबंध में व्यय को अभ्यर्थी के व्यय खाते में सही ढंग से शामिल किया गया है या नहीं।

18. उपर्युक्त अधिकारियों से बिना किसी प्राधिकार/परमिट प्राप्त किए, प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को अभ्यर्थी के लिए अनधिकृत रूप से प्रचार किया माना जाएगा, और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX-ए के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन इस पर कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए तुरंत प्रचार अभियान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

19. अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार निर्वाचन अभियान के लिए नियोजित वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।

20. राजनीतिक दलों के नेताओं अर्थात् स्टार प्रचारकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण (1) के खंड (ए) का लाभ उठाने के लिए, सड़क परिवहन की अनुमति होगी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से जारी की जाएगी और इसके बावजूद कि पूरे राज्य में एक ही वाहन का उपयोग निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए किसी भी नेता द्वारा किया जाना है अथवा विभिन्न वाहनों का उपयोग ऐसे दल के नेताओं द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। स्टार प्रचारक के नाम पर परमिट जारी किया जाएगा, और इसे किसी क्षेत्र में उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट, जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को जारी किए गए वाहनों के परमिट से अलग रंग के होंगे।

21. किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अनुरोध पर, जिला निर्वाचन अधिकारी एक वाहन के लिए परमिट जारी करेगा, जिसका उपयोग मान्यता प्राप्त दल के जिला स्तर के पदाधिकारी (स्टार प्रचारक के अलावा) अपने निर्वाचन कार्य उद्देश्य के लिए, जिले के भीतर कई विधान सभा क्षेत्रों में दौरे करने के लिए करेंगे। परमिट में वाहन की संख्या, राजनेता का नाम, और उस अवधि के लिए विवरण होना चाहिए, जिसके लिए परमिट जारी किया गया है और अलग रंग का होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। परमिट की एक सत्यापित प्रति विंड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी, और मूल प्रति को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए चालक के पास रखा जाएगा। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के।

22. केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकता है जो पूरे राज्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 100 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकतम <u>पाँच</u> वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकते हैं, और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम <u>तीन</u> वाहनों की अनुमति एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दी जा सकती है। इस संबंध में खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों के।

23. यदि कोई राजनीतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राज्य में उनके विभिन्न दल कार्यालयों को प्रचार सामग्री के वितरण के लिए वाहन(नों) की अनुमति के लिए अनुरोध करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस तरह की अनुमति दे सकते हैं जिसमें मान्यता

प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य) को एक वाहन की अनुमति होगी। हालांकि, संबंधित राजनीतिक दल (आवेदक) को जिलों के नाम, रूट मैप और उन तारीखों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके लिए वाहन उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक होगा।ऐसे वाहनों के लिए, सीईओ अनुमति जारी कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ऐसे वाहनों को भी सामान्य जांच के अधीन रखा जाएगा और उनका उपयोग निर्वाचन अभियान के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के वाहनों के खर्च का वहन राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा, न कि अभ्यर्थी द्वारा।

24. राज्यों में प्रचारअभियान के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वीडियो-वैन आदि के मामले में, वीडियो- वैन के लिए अभियान की अनुमति देने से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का ऐसा उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो। इस संदर्भ में 23 जून 2006 और 14 फरवरी 2007 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 3648 (एमबी) में दिए गए निर्णयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

स्पष्टीकरण

25. साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग निर्वाचन अभियान के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के अपने खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन अभियान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा की पहचान के लिए कोई नगरपालिका पंजीकरण/परमिट नहीं दिया गया है, तो उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिक्शा चालक को उसके नाम पर एक परमिट जारी किया जा सकता है, जिसे उसे प्रचार के प्रयोजनों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय व्यक्तिगत रूप से अपने पास रखना चाहिए। हालांकि, सामान्य दिनचर्या आदि में यात्रियों को साधारण उद्देश्य के लिए लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिक्शों को, यदि वे किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का चिह्न प्रदर्शित करते हुए केवल एक पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह मानते हुए कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, उन्हें छूट दी जा सकती है।

<u>मतदान दिवस पर वाहनों का उपयोग</u>

26. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) में यह प्रावधान है कि मतदान केंद्र से मतदाताओं को निःशुल्क रूप से लाने या ले जाने हेतु अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की

सहमति से वाहनों को किराए पर लेना या खरीदना या इस्तेमाल करना एक 'भ्रष्ट आचरण' होगा। यह धारा 133 के तहत निर्वाचन अपराध तथा दंडनीय अपराध भी है, इसके लिए पांच सौ रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।

27. इस भ्रष्ट व्यवहार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि से, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:

(क) लोक सभा के किसी निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के दिन निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निम्नलिखित के हकदार होंगे:

- (क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;
- (ख) इसके अलावा, संसदीय क्षेत्र में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन;
- (ग) इसके अलावा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता या दल कार्यकर्ता, जैसा भी मामला हो, के उपयोग के लिए एक वाहन।

(ख) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि पर, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित का हकदार होगा;

- (क) अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन;
- (ख) अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन;
- (ग) इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।

<u>स्पष्टीकरण</u>

28. अतएव, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता को केवल चार/तीन/दो पहिया वाहनों, अर्थात् कार (सभी प्रकार की), टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दो पहिया वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहन में चालक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को मतदान के दिन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन, अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ड्राइवर सहित कुल 5 व्यक्तियों की सीमा के अधीन अन्य व्यक्तियों के साथ सवार हो सकता है।

29. ऊपर बताए गए वाहनों के परमिट जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मतदान के दिन प्रयोग किए जाने वाले अपने वाहन के विवरणों को संबंधित डीईओ/आरओ को प्रस्तुत करना होगा और जारी किए गए परमिट को वाहनों की विंड-स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा। मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं और किसी भी अभ्यर्थी के समर्थकों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किसी अन्य वाहन का

उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी पद पर आसीन हो उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

वाहनों का अर्थ

30. पूर्वकथित प्रतिबंध उन सभी वाहनों पर लागू होगा, जो यांत्रिक शक्ति या अन्यथा द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें कार, निजी कार, ट्रक, ट्रेलर के साथ या इसके बिना ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, मिनी बस, स्टेशन वैगन आदि भी शामिल हैं किन्तु इन तक ही सीमित नहीं हैं और जो कि मतदान आरंभ होने और मतदान पूरा होने तक निर्धारित समय से 24 घंटे पहले की अवधि तक के लिए लागू किया जाएगा।

31. मोटर वाहन अधिनियम के अतिरिक्त, उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX-क के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों को जब्त किया जाएगा।

अपवाद

32. आयोग का इरादा मतदान के दिन वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है, जिससे आम जनता के लिए समस्या पैदा हो या लोगों को परेशानी हो। निर्वाचन के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु वास्तविक लाभार्थी के उपयोग के लिए, निम्न प्रकार के वाहनों को मतदान के दिन संचालित करने की अनुमति होगी, और इसमें कोई अपवाद नहीं होगा:

(क) निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा उनके निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है, जो निर्वाचन से जुड़े नहीं हैं;

(ख) निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदान केंद्र पर जाने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ये मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में उपयोग नहीं किए जा रहे हों;

(ग) आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दुग्ध वैन, पानी के टैंकर, बिजली, आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर पुलिस कर्मी, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी आदि;

(घ) सार्वजनिक परिवहन गाड़ियां जैसे कि निर्धारित रूटों पर निर्धारित टर्मिनलों के बीच चलने वाली बसें;

(ङ) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, तीन पहिया स्कूटर, रिक्शा आदि को रोका नहीं जा सकता;

(च) निजी वाहन जिनका उपयोग बीमार या दिव्यांग व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए करते हैं;

(छ) सरकार के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन।

33. निर्वाचन प्रचार की अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं और दल के नेताओं और/अथवा दल के समर्थकों द्वारा असामाजिक तत्वों की कार्टिंग के लिए निजी वाहनों के दुरुपयोग की जांच करने की दृष्टि से, ताकि निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की दृष्टि से निर्वाचकों के मन में भय की भावना पैदा हो सके और/अथवा अवैध हथियार और गोला बारूद आदि की तस्करी करने के लिए, निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की दृष्टि से, आयोग आगे निदेश देता है कि जिला प्रशासन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके दल के नेताओं के साथ आने वाले वाहनों पर और व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेगा जिससे कि आपराधिक गतिविधियों सहित संभावित शरारतों जैसे अवैध हथियार और शस्त्र ले जाने आदि पर रोक लगाई जा सके। यदि इनमें से कोई भी वाहन, जो किसी दल अथवा निजी मालिक का है और यह किसी भी ऐसे असामाजिक तत्वों संबंधी कार्य में शामिल पाया जाता है जो कि निर्वाचकों को भयभीत करने या आतंक पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है तो स्थानीय प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे वाहनों को जब्त करे और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें न छोडे। इसके अलावा, उस वाहन के मालिक व उसके रखने वाले(लों) और अभ्यर्थी/राजनीतिक दल के विरूद्ध भी विधि के अनुसार आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल है।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक-IV

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 491/एमसीएमसी/2014/संचार, दिनांक 24 मार्च, 2014।

विषयः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के प्रमाणन - के संबंध में।

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.04.2004 (प्रतिलिपि संलग्न) को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2004 के परिणामस्वरुप जारी किया गया था। आयोग के उक्त आदेश के पैरा 5 में यह निदेश दिया गया था कि प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दल और हर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को टेलीविजन चैनल और/अथवा केबल नेटवर्क पर प्रस्तावित विज्ञापन जारी करने का आवेदन निर्वाचन आयोग द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी/अधिकारी को करना होगा, जो इस तरह के विज्ञापन के प्रसारण के शुरू होने की तारीख से कम-से-कम तीन दिन पूर्व करना होगा, और इस तरह के आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियों को विधिवत अनुप्रमाणितट्रांसिक्रप्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आयोग ने तदनुसार मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का जिला स्तर और राज्य स्तर पर गठन किया, और सभी पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से उनके राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए इन एमसीएमसी से संपर्क करने के लिए कहा गया, जैसा भी मामला हो, जिन्हें उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आयोग के आदेश के अनुपालन के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जिसमें टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों और इंटरनेट पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले आदि शामिल हैं) पर प्रसारित/जारी किया जाना था।

अब, राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने उक्त आदेश के पैरा 10(i) में छूट दी है, और निर्णय लिया है कि मौजूदा प्रक्रिया को अपनाने के अलावा, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी, यदि वे चाहें तो वैकल्पिक प्रक्रिया के तौर पर पहले प्रमाणन के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत करके, और एक बार ट्रांसक्रिप्ट को समिति द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित कर दिए जाने के बाद, संबंधित पक्ष/अभ्यर्थी अंतिम प्रमाणीकरण के लिए दूसरी बार इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतिम सामग्री को प्रस्तुत कर सकेंगे।

2. ऐसे मामले में प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा मौजूदा आदेश के अनुसार होगी।

3. यह जिलों और राज्यों के सभी एमसीएमसी के संज्ञान में लाया जा सकता है। यह देखते हुए कि एमसीएमसी का कार्य बढ़ने की संभावना है, आनुपातिक रूप से अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों को उक्त समिति के साथ उपयुक्त रूप से तैनात किया जा सकता है।

परिशिष्ट- XVII

(अध्याय - 18 निर्वाचन घोषणा-पत्र)

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/सभापति को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/ घोषणा-पत्र/2013 दिनांक 19.02.2014 ।

विषयः एस. सुब्रमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में वर्ष 2008 के एसएलपी (सी) संख्या 21455 और वर्ष 2011 की टीसी संख्या 112 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5.7.2013 -- निर्वाचन घोषणापत्र के लिए दिशानिर्देश तैयार करना - अंतिम दिशानिर्देश के संबंध में।

मुझे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31 जनवरी 2014 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसके साथ निर्वाचन घोषणापत्र पर मसौदा दिशानिर्देश का एक संग्रह आदर्श आचार संहिता में शामिल करने के लिए अग्रेषित किया गया है, और जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल 07 फरवरी 2014 तक, उक्त मसौदा दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणी प्रदान कर दें। राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने और ऊपर वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के संबंध में, आयोग ने निर्वाचन घोषणापत्र पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है, जिन्हें राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए अब आदर्श आचार संहिता में भाग- VIII के रूप में जोड़ दिया गया है। अब से ये दिशानिर्देश भविष्य के सभी निर्वाचनों के लिए आदर्श आचार संहिता के एक भाग के रूप में कार्यान्वित और लागू किए जाएंगे। **राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता** की एक पूर्ण प्रति, जिसमें निर्वाचन घोषणापत्र पर भाग- VIII भी शामिल है, सूचनार्थ संलग्न की गई है। आपसे अनुरोध है कि इसे सूचना और अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के नोटिस में लाएं।

परिशिष्ट- XVIII

(अध्याय - 19 आदर्श संहिता और सरकारी अधिकारीगण)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 464/अनुदेश/2008/ईपीएस, दिनांक: 23 दिसंबर, 2008.

विषयः- भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से स्थानांतरित अधिकारियों के नामों पर निगरानी रखना, जिन पर कर्तव्य की अवहेलना करने आदि के आरोप लगाए गए हैं।

संदर्भः सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित संख्या 437/6/2006-पीएलएन.III दिनाँक 6 नवंबर, 2006 एवं ईसीआई संदेश संख्या 100/1994-पीएलएन.I दिनाँक 28.3.1994

भारत निर्वाचन आयोग ने उपरोक्त निदेशों के माध्यम से आदेशित किया था कि सभी जिलों में हर निर्वाचन से पहले एक विस्तृत समीक्षा की जाएगी, और ऐसे सभी अधिकारियों को उनके गृह जिलों, या उस जिले से बाहर तैनात किया जाना चाहिए जहाँ उन्होंने 4 वर्ष में से 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, और आयोग ने आगे निदेश दिया था कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरूद्ध आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, अथवा जिन पर निर्वाचन या निर्वाचन से संबंधित कार्य में कोई चूक हुई है, अथवा जिन्हें आयोग के आदेशों के तहत स्थानांतरित किए जाने का मामला रहा हो, उन्हें किसी भी निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों को नहीं सौंपा जा सकता है।

हालांकि, हाल के निर्वाचनों के दौरान यह देखा गया कि आयोग के उपरोक्त निदेशों का पालन करने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, ऐसे अधिकारियों के कुछ उदाहरण थे, जो उपरोक्त मानदंडों के तहत आते हैं और स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, और वे जिले में एक गैर-निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए वापस रहने में कामयाब रहे, और आयोग को इनके बारे में बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों और जनता द्वारा की जा रही शिकायतों के माध्यम से पता चला। ये घटनाएँ, हालांकि कुछेक संख्या में थीं, किन्तु जमीनी स्तर पर एक नकारात्मक संकेत भेजती हैं, और उपरोक्त मानदंडों पर स्थानांतरित किए जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के बारे में उचित जानकारी के गैर-रखरखाव को गैर-अनुपालन की कुछ अव्यवस्थित घटनाओं के कारण के रूप में जानी जाती हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना को दूर करने के लिए, आयोग ने मौजूदा निदेशों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:-

I. राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसा एक रजिस्टर बनाएगा, जिसमें आईएएस/आईपीएस अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और ईआरओ की जानकारी शामिल होगी जिन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश से स्थानांतरित किया गया हो, और जिनके विरूद्ध आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, अथवा जो किसी निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी कार्यों में चूक के लिए अभिरोपित किए गए हों, अनुरक्षित किया जाएगा।

II. इसी प्रकार, जिला निर्वाचन अधिकारी अन्य कनिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी रखने वाला ऐसा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

III. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर, सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयोग में जोनल सचिव को एक अनुपालन पत्र भेजेंगे, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि उपरोक्त मानदंड के तहत आने वाले सभी अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसी प्रकार, वह सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी एक समान अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि उपरोक्त मानदंडों के तहत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को गैर-निर्वाचन संबंधी कार्यों हेतु जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है।

IV. '4 में से 3 वर्ष पूर्ण किए' और गृह जिला मानदंडों के तहत आने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में, डीईओ आरओ, ईआरओ, एआरओ और एईआरओ तथा अन्य निर्वाचन संबंधी अधिकारियों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, और इस हेतु निर्धारित अवधि के भीतर और यदि नहीं, तो निर्वाचनों की घोषणा करने संबंधी प्रेस नोट जारी किए जाने के 7 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भेजेंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग या सीईओ द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया हो। इसी प्रकार, निर्वाचन कार्य से जुड़े डीईओ, एसएसपी और एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संबंधित जानकारी, सीईओ द्वारा बनाए रखी जाएगी, और राज्य सरकार द्वारा इसका अनुपालन अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा, एवं इन अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में अनुपालन किया जाएगा, तथा निर्वाचन की घोषणा के 7 दिनों के भीतर डीईओ और राज्य के सीईओ इसके अनुपालन की एक समेकित रिपोर्ट संबंधी पत्र जोनल सचिव को भेजेंगे।

V. निर्वाचन की घोषणा के 7 दिनों के भीतर इस अनुपालन पत्र को प्रस्तुत करने को सुकर बनाने के लिए, सीईओ और डीईओ सूचना एकत्र करेंगे, और ऐसे एक रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ताकि कोई समय की बर्बादी नहीं हो।

VI. राज्य सरकार में कई ऐसे विभाग हैं, जो अधिकारियों के स्थानांतरण में शामिल हैं और इस प्रकार आयोग के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन के लिए जवाबदेह हैं। निर्वाचन के

दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में आयोग के निदेश को, मुख्य सचिव को एक प्रति के साथ संबंधित विभागों के सचिवों के संज्ञान में लाया जाएगा। सचिव द्वारा सीईओ से अनुरोध किया जा सकता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी विभाग यथा समय आयोग के निदेशों का पालन करें।

VII. उप-निर्वाचनों के संबंध में, उपरोक्त पैरा (I) के रूप में चिह्नित श्रेणी के तहत आने वाले अधिकारियों को, उप-निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के भीतर और निश्चित रूप से नाम-निर्देशन की प्राप्ति के पहले दिन के पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो, जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे,

VIII. बिना किसी विचलन के उपरोक्त अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट- XIX

(अध्याय - 19 आदर्श संहिता और सरकारी अधिकारीगण)

घोषणापत्र

(नाम-निर्देशन पत्रों की अंतिम तिथि के बाद 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए)

मैं, ... (नाम), वर्तमान में दिनांक.................. से .... तक .... (दिनांक) .... में पदस्थ, वर्तमान में लोक सभा के लिए साधारण/उप-निर्वाचन/.................. (विधान सभा) के मामले में, एतदद्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ....

(क) मैं वर्तमान निर्वाचन/उप निर्वाचन में राज्य/जिले के प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों में से किसी भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का करीबी रिश्तेदार नहीं हूँ।

(ख) मेरे विरूद्ध किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

ध्यान दें- यदि ऊपर (क) या (ख) का उत्तर 'हाँ' है, तो एक अलग शीट में पूर्ण विवरण दें।

दिनाँक................ (नाम)
पदनाम

दिनाँक................ (नाम)
पदनाम

ध्यान दें- किसी भी अधिकारी द्वारा दी गई कोई भी झूठी घोषणा उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को आकृष्ट करेगी।

परिशिष्ट- XX

(अध्याय - 21 द्विवार्षिक निर्वाचनों के दौरान आदर्श संहिता)

संख्या 322/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/द्विर्षिक-विप/2016 दिनांक: दिसम्बर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. महाराष्ट्र, मुंबई,
2. उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. बिहार, पटना,
4. कर्नाटक, बैंगलोर,
5. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद,
6. तेलंगाना, हैदराबाद।

विषयः विधान परिषदों हेतु द्विवार्षिक/उपनिर्वाचन- स्नातकों और शिक्षकों तथा स्थानीय प्राधिकरणों निर्वाचन क्षेत्रों से आदर्श आचार संहिता के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान परिषदों के निर्वाचनों के दौरान अनुभव से पता चलता है कि इस तरह के निर्वाचनों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की प्रयोजनीयता के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। आयोग ने मामले की जाँच के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। कार्यकारी समूह के प्रतिवेदन और इसकी सम्पूर्णता में विचार करने के पश्चात, आयोग ने निदेश दिया था कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान स्नातक एवं शिक्षक और स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के उप-निर्वाचनों सहित, द्विवार्षिक निर्वाचन में ***आवश्यक परिवर्तनों*** के साथ लागू होंगे। परिणामतः, आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के स्पष्टीकरण में समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेश ऐसे निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

2. मुझे आगे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के निम्नलिखित निदेश, जो समय-समय पर जारी किए गए हैं ताकि समान स्तर की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया जा सके, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सत्ताधारी दल निर्वाचन लाभ के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करे, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन के लिए द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन के संबंध में भी यह लागू होगा (निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन पूरा होने की तारीख तक)।

I. मंत्री, चाहे वे केंद्रीय या राज्य मंत्री हो (मुख्यमंत्री सहित) किसी भी जिले (लों) में आधिकारिक यात्रा कर सकते हैं, जिसमें किसी परिषद निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखा जा सकता है: -

   क. वे किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान का उद्घाटन नहीं करेंगे/ आधारशिला नहीं स्थापित करेंगे जो स्नातकों' और शिक्षकों' के निर्वाचन क्षेत्रों के घटक हैं।

   ख. आधिकारिक दौरे को निर्वाचन सम्बंधित कार्य/दौरों के साथ सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

   ग. उन स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों को कदाचित प्रभावित करने वाली नई नीति कार्यक्रम/नीति की घोषणा नहीं होगी जो उन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक वर्ग का निर्माण करते हैं, जहाँ पर निर्वाचन होने जा रहा है।

II. निर्वाचन सम्बंधित कार्य को देखने वाले जनपद के किसी भी श्रेणी के किसी भी अधिकारी को किसी मंत्री द्वारा किसी भी ऐसे स्थान पर आयोजित होने वाले सभा में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता जहाँ पर द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अन्य जिलों में भी जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर किसी मंत्री से मिलता है जहाँ पर निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, सम्बंधित सेवा नियमों के अंतर्गत, कदाचार में लिप्त होने का दोषी समझा जायेगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (1) में उल्लेखित कोई अधिकारी होता है तो उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने का दोषी समझा जायेगा और उसके अंतर्गत प्रदत्त दंडनीय कार्यवाही का वह भागी होगा।

III. किसी स्थानीय प्राधिकरण; जो स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक वर्ग के एक भाग का गठन करता है, के किसी भी सदस्य को किसी भी मंत्री द्वारा (एक मंत्री की क्षमता रूप में) किसी भी सभा/विडियो कांफ्रेंस के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर स्थानीय निकायों की नियमित सभाओं का आयोजन सम्बंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व सहमति से किया जा सकता है।

IV. किसी भी मंत्री द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे के दौरान किसी भी रंग के बीकन लाइट लगी हुई पायलट गाड़ी या किसी भी प्रकार की सायरन लगी हुई गाड़ी का उपयोग अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, चाहे राज्य प्रशासन ने उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा हो जिसमें दौरे पर उसके साथ जाने के लिए सशस्त्र सुरक्षाबल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

V. किसी भी नीति की घोषणा या कार्यक्रम जो निर्वाचक वर्ग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, का प्रारंभ निर्वाचनों की समाप्ति तक सरकारी विभागों में नहीं किया जायेगा।

VI. जरूरत के आधार पर और राज्य के सीईओ/ईसीआई प्रेक्षक के परामर्श से, डीईओ/आरओ को हर तहसील में एक विशेष वीडियो टीम स्थापित करनी चाहिए, जो सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक सभाओं की वीडियोग्राफी, और मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की यात्राओं को रिकॉर्ड कर सके। भारत निर्वाचन आयेग के प्रेक्षक उसी दिन सायंकाल को विडियो अभिलेखन का अवलोकन करेंगे, ताकि वह किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर आयोग को निर्धारित प्रारूप में सूचित कर सके।

VII. स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों के मामले में, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की "आधिकारिक यात्राओं" पर प्रतिबन्ध स्थानीय प्राधिकरणों के "पदाधिकारियों"; जैसे कि नगर निगमों के महापौर, नगर परिषदों एवं जिला परिषदों के अध्यक्ष द्वारा किसी "आधिकारिक गाड़ियो" के उपयोग पर भी लागू होंगे। उनके द्वारा आधिकारिक गाड़ियों के उपयोग की अनुमति केवल घर से कार्यालय और कार्यालय से घर की यात्रा के लिए ही दी जाएगी।

VIII. निर्वाचन सभाओं के लिए मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों और निर्वाचनों के सम्बन्ध में हवाई-उड़ानों के लिए हेलीपैड के उपयोग पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी पहले-आओ-पहले पाओ के आधार पर उनका उपयोग करने की अनुमति होगी।

IX. एमपी/एमएलए/एमएलसी योजनाओं पर निर्भर करते हुए उपयोग किए जाने वाले आईटी मंच का उपयोग करके किसी भी नए कार्य जो निर्वाचक वर्ग को प्रभावित करने के लिए हो को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

X. निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचनों की समाप्ति तक, राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा और यह प्रतिबंध निर्वाचन पूरा होने तक लागू रहेगा। उपरोक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में घोषणा की तिथि से पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों जिसे लागू नहीं किया गया हो, को आयोग की विशिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभाव में नहीं लाया जा सकता। उन प्रकरणों में, जहाँ पर किसी अधिकारी का स्थानांतरण प्रशासनिक संकट के कारण आवश्यक है, राज्य सरकार पूर्व स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास पूरी प्रमाणिकता के साथ जा सकती है।

XI. स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने और धन शक्ति की प्रतिकूल भूमिका और विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के दौरान काले धन की गतिविधि पर रोक लगाने की जांच के लिए स्थैतिक निगरानी दलों की तैनाती को छोड़कर, दिनांक: 29.05.2015 को जारी मानक संचालन पद्धति (एसओपी) को लागू किया जाना चाहिए।

XII. राज्य एवं जिला मीडिया प्रमाणीकरण और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की नियुक्ति,

जैसा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर निदेशों के संग्रह पुस्तक में निर्धारित है, द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत बाद, निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण के लिए की जाएगी, जैसा कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनों, सोशल मीडिया और अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के निरीक्षण के प्रकरण में किया जाता है।

XIII. निर्वाचन अभियान में फोन पर भारी मात्रा में एसएमएस/वाणी संदेश (वॉयस मेसेज) भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण की सीमा में होंगे, जैसा कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनों, सोशल मीडिया और अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के निरीक्षण के प्रकरण में लागू हैं। विधिक प्रावधान, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू है, ऐसे भारी मात्रा में एसएमएस/वाणी संदेशों पर भी लागू होंगे।

XIV. निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 69 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अंतर्गत, विधायकों द्वारा राज्य परिषद् और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोजित करने के लिए निर्वाचन का एक स्थान निर्धारित किया जाता है। धारा 135ग के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों में "शुष्क दिवस" घोषित करना होता है तथा 'मतदान क्षेत्र' को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 में परिभाषित किया गया है, जो लोक सभा, विधान सभा के निर्वाचनों और स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषदों के निर्वाचनों जैसे निर्वाचनों पर भी लागू होते हैं।

XV. निर्वाचन अभियान की अवधि के दौरान, वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और वाहनों के काफिलों के नियंत्रण से सम्बंधित प्रावधान; जैसा कि लोकसभा/विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रकरण में, परिषद् के निर्वाचनों पर भी लागू किया जाएगा।

XVI. अभियान की अवधि समाप्ति होने के पश्चात, अर्थात निर्वाचन की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व किसी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध जैसा कि लोक सभा/विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामलों में, परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद के निर्वाचनों के लिए भी लागू किया जाएगा। ।

3. इस संबंध में उठाए गए कुछ प्रश्नों के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(क) निर्वाचन की अवधि के दौरान, निर्वाचकों को होटलों/रीसॉर्टों और ऐसे अन्य स्थानों में ठहराने की प्रवृत्ति निर्वाचकों को रिश्वत देने के बराबर होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के आचरण को आईपीसी की धारा 171 ख का उल्लंघन होने के साथ आदर्श आचार संहिता के पैरा I-सामान्य आचरण के

उप पैरा (4) के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

(ख) वाक्यांश 'रेस्ट हाउसेस, डाकबंगले या अन्य सरकारी निवास' आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद (VII- (iii)) में सभी संस्थानों के *अतिथि गृह* भी सम्मिलित हैं जो अनुदान आदि के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद (VII- (v) और (vi)) के संबंध में- यह स्पष्ट किया जाता है कि ये केवल स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के उन निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू किए जाएंगे जहाँ निर्वाचन हो रहे हैं।

कृपया अपने राज्य में स्थित सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दलों सहित सभी संबंधितों को सूचित करें।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

परिशिष्ट- XXI

(अध्याय - 22 विविध)

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/सीजी/2014/सीसीएंडबीई, दिनांक 27.03.2014 सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को संबोधित।

विषयः 1. सैनिकों के लिए 6400 मीट्रिक टन खाद्य तेल की नियमित खरीद हेतु रु.65.77 करोड़ की अनुमति, जिसके लिए निविदा दिनांक 31 जनवरी, 2014 को जारी की गई थी।

2. सैनिकों हेतु पहले से ही स्वीकृत राशन वस्तुओं की नियमित खरीद के लिए संबंधित सीएफए द्वारा यथा अनुमोदित इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए नियमित खरीद की अनुमति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत मुझे आपके पत्र संख्या 1/एसीडीपी/2013-पीएओ दिनांक 26 मार्च 2014 का संदर्भ प्राप्त करने और यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि आदर्श आचार संहिता सीधे तौर पर रक्षा बलों से संबंधित किसी भी मामले पर लागू नहीं होती है, चाहे वह रक्षा बलों के लिए भर्ती/पदोन्नति हो, और उनके लिए सभी सेवा संबंधी मामले, सभी प्रकार की रक्षा खरीद, रक्षा बलों के मामले से संबंधित निविदाएं, और परिणामस्वरूप आयोग को आदर्श संहिता से संबंधित ऐसे मामलों में कोई संदर्भ भेजने की भी आवश्यकता नहीं है।

इन निर्देशों को आयोग के स्थायी अनुदेशों के रूप में माना जाएगा, और भविष्य में यह सभी निर्वाचनों के लिए लागू होगा। इसे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

तदनुसार, उद्धृत दो संदर्भ इन निर्देशों के अंतर्गत आते हैं, और आप तदनुकूल कार्रवाई कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)

प्रश्न. 1. **आदर्श आचार संहिता क्या है?**

उत्तरः राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता, उन मानदंडों का एक समूह है जो राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किए गए हैं, जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है, और यह उन्हें इसका सम्मान करने और इसका अक्षरत: अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है।

प्रश्न. 2. **इस विषय में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है?**

उत्तरः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों सहित सत्ता में राजनीतिक दल (लों) द्वारा एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में इसके अनुपालन को सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, दुर्भावना और भ्रष्ट आचरण जैसे प्रतिरूपण, मतदाताओं को रिश्वत देना और प्रेरित करना, मतदाताओं को भयभीत करना और धमकाना आदि को हरसंभव तौर पर रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाते हैं।

प्रश्न. 3. **किस तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू होती है और किस तारीख तक जारी रहती है?**

उत्तरः निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक क्रियाशील रहती है।

प्रश्न. 4. **साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचन के दौरान संहिता की प्रयोज्यता क्या है?**

उत्तरः क. लोकसभा (हाउस ऑफ पीपुल) के साधारण निर्वाचनों के दौरान, संहिता पूरे देश में लागू होती है।

ख. विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, संहिता पूरे राज्य में लागू होती है।

ग. उपनिर्वाचनों के दौरान, यदि निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/ महानगर/नगर निगम शामिल हैं, तो यह संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होगा। अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता को पूरे जिले में लागू किया जाएगा, जिसमें उपनिर्वाचन (नों) के लिए निर्वाचन क्षेत्र आते हों।

प्रश्न. 5. **आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?**

उत्तरः आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं यह है कि राजनीतिक दल, निर्वाचन में अभ्यर्थी और सत्तारूढ़ दल (पार्टियां) निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कैसे आचरण करना है, यह सिखाती है, अर्थात निर्वाचन के दौरान बैठकों और जुलूस का आयोजन,

मतदान दिवस की गतिविधियाँ, और सत्ता में दल का कामकाज आदि में उनके सामान्य आचरण पर आदर्श आचार संहिता का निर्धारण।

सरकारी तंत्र के संबंध में

प्रश्न. 6. **क्या कोई मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को निर्वाचन कार्य के साथ जोड़ सकता है?**

उत्तरः नहीं

मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को निर्वाचन कार्यों से जोड़ नहीं सकते हैं, और निर्वाचन कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे, हालांकि आयोग ने प्रधानमंत्री को निर्वाचन कार्यों संबंधी यात्रा के साथ आधिकारिक यात्रा का संयोजन करने में आदर्श आचार संहिता के संचालन से छूट दी है।

प्रश्न. 7. **क्या निर्वाचन कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है?**

उत्तरः किसी भी दल या अभ्यर्थी के हित में प्रोत्साहन/सहायता के लिए आधिकारिक हवाई-क्राफ्ट, वाहन आदि सहित परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्रश्न. 8. **क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग कर सकती है?**

उत्तरः निर्वाचन के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **संबंधित** सभी अधिकारी/अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन आवश्यक समझा जाता है, तो आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

प्रश्न. 9. **आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यदि निर्वाचन कार्य से संबंधित किसी अधिकारी को सरकार द्वारा स्थानांतरित किया गया है और उन्होंने नये स्थान पर कार्यभार नहीं संभाला है। क्या ऐसे अधिकारी संहिता की घोषणा के बाद नई जगह पर पदभार संभाल सकते हैं?**

उत्तरः नहीं

यथा पूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी।

प्रश्न 10. **क्या संघ या राज्य मंत्री निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी निर्वाचन से संबंधित अधिकारी को तलब कर सकते हैं?**

उत्तरः मंत्री, चाहे वह संघ या राज्य का हो, संविधान या राज्य के किसी भी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए कहीं भी नहीं बुला सकते हैं।

केवल तभी अपवाद होगा जब कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी अथवा मुख्यमंत्री की हैसियत से कानून व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र का सरकारी दौरा करते हैं, जिसके लिए समीक्षा/ निस्तारण/ राहत के विशिष्ट प्रयोजन और ऐसे किसी प्रयोजन के लिए ऐसे मंत्रियों/ मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति अपेक्षित हो।

यदि कोई केन्द्रीय मंत्री दिल्ली से बाहर पूर्णतया अधिकारिक कार्य से दौरा कर रहा हो, जिसे जनहित में टाला नहीं जा सकता, तो इस आशय को प्रमाणित करते हुए एक पत्र संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव द्वारा उस राज्य के मुख्य सचिव को भिजवाया जाएगा, उसकी एक प्रति निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी।

प्रश्न. 11. **क्या कोई अधिकारी, जहाँ पर निर्वाचनों का आयोजन किया जा रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात कर सकता है?**

उत्तरः नहीं

कोई अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने निजी दौरे पर मंत्री से मुलाकात करता है सम्बंधित सेवा नियमों के अंतर्गत, कदाचार का दोषी होगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1) में उल्लेखित कोई अधिकारी होता है तो उसे उस धारा के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी अतिरिक्त रूप से दोषी माना जायेगा और जिसके अंतर्गत प्रदान किये गए दंडनीय कार्यवाही का वह उत्तरदायी होगा।

प्रश्न. 12. **क्या मंत्री निर्वाचन के दौरान आधिकारिक वाहन का प्रयोग करने के अधिकारी हैं?**

उत्तरः मंत्री, सरकारी वाहनों का उपयोग अपने सरकारी कार्य के लिए केवल अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय में आने-जाने के ही पात्र हैं, बशर्ते इस यात्रा के साथ कोई निर्वाचन कार्य या कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं जुड़ी हो।

प्रश्न. 13. **क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी बीकन लाइट लगी हुई सायरन वाली पायलट कार का उपयोग कर सकते हैं?**

उत्तरः मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी को निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी रंग की बीकन लाइट लगी हुई गाड़ी या पायलट कार अथवा किसी भी प्रकार की सायरन लगी हुई गाड़ी को उनके निजी या आधिकारिक दौरे में उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है, चाहे राज्य प्रशासन ने उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा हो जिसमें दौरे पर उसके साथ जाने के लिए सशस्त्र सुरक्षाबल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह निषेध चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व का हो या निजी स्वामित्व का, लागू है।

प्रश्न. 14. **मान लीजिए कि मंत्री को राज्य द्वारा एक वाहन प्रदान किया गया है और मंत्री को उस वाहन के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता है। क्या मंत्री द्वारा इसका उपयोग निर्वाचन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है**

उत्तरः जहाँ राज्य द्वारा वाहन प्रदान किया जाता है या मंत्री को वाहन के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, वह निर्वाचन के लिए ऐसे वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है

प्रश्न.15. **क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा अन्य समान राष्ट्रीय/राज्य आयोग के सदस्यों के दौरों पर कोई प्रतिबंध हैं?**

उत्तरः यह सलाह दी जाती है कि ऐसे आयोगों के सदस्यों की सभी आधिकारिक यात्राओं को किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए निर्वाचन कार्यों के पूरा होने तक ऐसे दौरों को टाल दिया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे दौरे किसी आकस्मिक स्थिति में अपरिहार्य न हों।

प्रश्न.16. **मुख्यमंत्री/मंत्री/अध्यक्ष किसी राज्य के "राज्य दिवस" समारोह में भाग ले सकते हैं या नहीं?**

उत्तरः इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वह इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं देते हैं और समारोह केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री/मंत्री/अध्यक्ष की तस्वीर दिखाने वाला कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.17. **क्या विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल/मुख्यमंत्री/मंत्री भाग ले सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं?**

उत्तरः राज्यपाल भाग ले सकते हैं और दीक्षांत समारोह को संबोधित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्रियों को दीक्षांत समारोह में भाग लेने और संबोधित न करने की सलाह दी जा सकती है।

प्रश्न.18. **क्या "इफ्तार दल" या इस प्रकार की किसी अन्य दल को राजनीतिक पदाधिकारियों के निवास पर आयोजित किया जा सकता है, जिसका खर्च राज्य के खजाने से वहन किया जाएगा?**

उत्तरः नहीं

हालाँकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता और अपने निजी खर्च पर ऐसी किसी भी दल का आयोजन करने के लिए स्वतंत्र है।

कल्याण योजनाएं, सरकारी कार्य आदि

प्रश्न.19. **क्या सत्तारूढ़ दल द्वारा निर्वाचन संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों के बारे में सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध है?**

उत्तरः हाँ

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने की लागत पर दल की उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन, और निर्वाचन की अवधि के दौरान आधिकारिक जन संचार का दुरुपयोग प्रतिबंधित है।

प्रश्न.20. **क्या केंद्र/राज्य सरकारों में सत्ताधारी दलों की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग्स/विज्ञापन आदि का खर्च सरकारी खजाने (राजकोष) से जारी रखे जा सकते हैं**

उत्तरः नहीं

प्रदर्शन पर ऐसे सभी होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि को संबंधित अधिकारियों द्वारा हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी खजाने की कीमत पर समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्न.21. **क्या कोई मंत्री या कोई अन्य प्राधिकरण विवेकाधीन कोष से अनुदान/भुगतान की मंजूरी दे सकता है?**

उत्तरः नहीं

मंत्रीगण तथा अन्य प्राधिकारी निर्वाचन की घोषणा के समय से अपने विवेकाधीन कोष से अनुदान/भुगतान की स्वीकृति नहीं देंगे।

प्रश्न.22. **अगर किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है तो क्या निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद इसे शुरू किया जा सकता है?**

उत्तरः निर्वाचन की घोषणा से पहले जिन कार्यों के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, और ऐसे कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, तो उन कार्यों को आरंभ नहीं किया जाएगा। यदि कोई कार्य वास्तव में उस क्षेत्र में आरंभ हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

प्रश्न.23. **क्या किसी योजना हेतु सांसद/विधायक/एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत धनराशि जारी की जा सकती है?**

उत्तरः नहीं

निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक, जहां निर्वाचन प्रगति पर है उस क्षेत्र में किसी भी योजना के तहत सांसदों/विधायकों/एमएलसी, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत धनराशि की नई रिलीज किसी भी क्षेत्र में नहीं की जाएगी।

प्रश्न.24. **इंदिरा आवास योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम/योजनाएं हैं। क्या इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश हैं?**

उत्तरः हाँ

निम्नलिखित प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :-

(क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

उन लाभार्थियों को, जिन्हें इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास योजना स्वीकृत की गई है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, मानदंडों के अनुसार सहायता की जाएगी। निर्वाचन समाप्त होने तक, कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाएगा, या नए लाभार्थियों को सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

प्रगति पर लगातार कार्य जारी रखा जा सकता है, और ऐसे कार्यों के लिए निर्धारित निधियों को जारी किया जा सकता है। किसी भी पंचायत के मामले में जहां सभी चल रहे कार्य पूरे हो चुके हैं, और नए मजदूरी आधारित रोजगार कार्यों को लेने की आवश्यकता है, और जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय से सीधे पंचायतों को जारी की गई निधि उपलब्ध हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व सहमति से चालू वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना से नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं। अन्य निधियों से, कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा।

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

केवल वे सहायता समूह जिन्हें उनकी सब्सिडी/अनुदान का हिस्सा प्राप्त हुआ है, शेष किश्त प्रदान की जाएगी। निर्वाचन समाप्त होने तक किसी भी नए व्यक्तिगत हितग्राही अथवा एसएचजी को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम (एनएफडब्ल्यूपी)

उन जिलों में पुराने कार्यों को जारी रखने और नए कार्यों को मंजूरी देने में कोई आपत्ति नहीं है, जहां निर्वाचन की घोषणा नहीं की गई है। उन जिलों में जहां निर्वाचनों की घोषणा की गई है और निर्वाचन कार्य प्रगति पर हैं, केवल उन कार्यों को किया जा सकता है जो पहले से ही भौतिक रूप से जमीनी स्तर पर शुरू हो गए हैं, बशर्ते कि एक निश्चित समय में इस तरह के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए दी गई अग्रिम राशि, कार्य हेतु राशि 45 दिन के बराबर से अधिक नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम (नरेगा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे जिलों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, जिसमें निर्वाचन की घोषणा के बाद इसे लागू किया जा रहा है। निर्वाचन की घोषणा के बाद कार्य की मांग करने पर जॉब कार्ड धारकों को जारी कार्यों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि जारी कार्यों में कोई रोजगार नहीं दिया जा सकता है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित परियोजनाओं के संग्रह से नए कार्य आरंभ कर सकता है, और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा, जब तक कि जारी कार्यों में रोजगार दिया जा सकता है। यदि परियोजना का कोई संग्रह उपलब्ध नहीं है, या अनुमोदित संग्रह पर उपलब्ध सभी कार्य समाप्त हो गए हैं, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी संबंधित डीईओ के माध्यम से अनुमोदन के लिए आयोग को एक संदर्भ प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी डीईओ को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि नया कार्य स्वीकृत किया गया है, क्योंकि जारी कार्य में जॉब कार्ड धारक को कोई रोजगार नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न.25. क्या कोई मंत्री या कोई अन्य अधिकारी किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा कर सकता है या परियोजनाओं या किसी भी प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास या वादा आदि कर सकता है?

उत्तरः नहीं

मंत्री और अन्य अधिकारी किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे या उसके वादे नहीं करेंगे; अथवा (सिविल सेवकों को छोड़कर) किसी भी प्रकार की परियोजनाओं अथवा योजनाओं की आधारशिला नहीं रखेंगे; अथवा सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि या सरकार, जनकल्याणकारी योजनाओं आदि में कोई तदर्थ नियुक्ति करने का कोई वादा नहीं करेंगे। ऐसे मामले में, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल किए, आधारशिला आदि रख सकते हैं।

प्रश्न.26. किसी विशेष योजना के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया है या योजना को पहले मंजूरी दी गई है। क्या ऐसी योजना की घोषणा की जा सकती है या इसका उद्घाटन किया जा सकता है?

उत्तरः नहीं

ऐसी योजना का उद्घाटन/घोषणा निर्वाचन अवधि के दौरान निषिद्ध है।

प्रश्न.27. क्या चल रही लाभार्थी योजना को जारी रखा जा सकता है?

उत्तरः आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्वाचन आयोग को संदर्भित किए बिना निम्नलिखित प्रकार के विद्यमान कार्य जारी रखे जा सकते हैं:

क. ऐसी कार्य-परियोजनाएं जो सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेकर वास्तव में शुरू हो गई हैं;

ख. ऐसी लाभार्थी-परियोजनाएं, जो आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले, विशिष्ट लाभार्थियों की नाम से पहचान कर ली गई है;

ग. मनरेगा के पंजीकृत लाभार्थियों को मौजूदा परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है। मनरेगा के तहत नई परियोजनाएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य हो सकती हैं, केवल तभी प्रारंभ की जा सकती हैं जब ये पहले से पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हो और परियोजना पहले से ही अनुमोदित और स्वीकृत- सूचीबद्ध हो, जिसके लिए धन भी पहले से ही निर्धारित किया जा चुका हो।

आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, निम्नलिखित सभी नए कार्य (चाहे लाभार्थी हो या कार्य उन्मुख), निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों, आयोग को सूचना देते हुए कार्यान्वित किये जा सकते हैं-

क. पूरी धनराशि आवंटित हो गई हो

ख. प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हों

ग. निविदा मंगाई गई है, मूल्यांकन और स्वीकरण हो चुका हो

घ. किसी निश्चित समय सीमा के भीतर काम शुरू करने और समाप्त करने के लिए संविदात्मक दायित्व तय हो चुका हो और यह काम पूरा होने में विफल रहने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाने का दायित्व है; और

ङ. इस तरह के मामलों में उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होने की स्थिति में, आयोग की पूर्व स्वीकृति मांगी जाएगी और प्राप्त की जाएगी।

प्रश्न 28. क्या संपन्न हो चुके कार्य के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध है?

उत्तरः सम्बंधित अधिकारियों की पूरी संतुष्टि के शर्त पर संपन्न हो चुके कार्य का भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

प्रश्न.29. जब कल्याणकारी उपायों की घोषणा करने के लिए प्रतिबंध हो तो सरकार कैसे आपातकालीन स्थितियों या अप्रत्याशित आपदाओं को पूरा कर सकती है?

उत्तरः आपात स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए, जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना, या वृद्धों व दुर्बल वर्ग के लिए कल्याणकारी उपाय आदि, आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने

के बाद सरकार ऐसा कर सकती है, और सभी दिखावे के कार्यों व प्रदर्शनों से बचा जाना चाहिए तथा ऐसी कोई धारणा सृजित नहीं की जाएगी या बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि इस तरह के कल्याणकारी उपाय या राहत और पुनर्वास कार्य, किसी भी पूर्ववर्ती मकसद के साथ पदासीन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

प्रश्न.30. क्या सरकारों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित, वित्तीय संस्थान किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म इत्यादि के लिए अग्रिम ऋण को बट्टे-खाते में डाल सकते हैं?

उत्तरः नहीं

आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सरकारों द्वारा वित्त पोषित वित्तीय संस्थान, किसी व्यक्ति, कंपनी या फर्म इत्यादि के पक्ष में प्रदान किए गए ऋण अग्रिम को बट्टे-खाते में नहीं डालेंगे। इसके अलावा, ऐसे संस्थानों की वित्तीय सीमा को उन्हें ऋण प्रदान करते या बढ़ाते समय, लाभार्थियों को अंधाधुंध ऋण जारी करके बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

प्रश्न.31. क्या शराब के मामले, तेंदू पत्ते और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित निविदाओं, नीलामी आदि पर कार्रवाई की जा सकती है?

उत्तरः नहीं

ऐसे मामलों की प्रक्रिया को संबंधित क्षेत्रों और सरकार में निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक स्थगित किया जाना चाहिए। जहाँ अपरिहार्य रूप से ऐसा करना आवश्यक है, वहां अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं।

प्रश्न.32. क्या राजस्व संग्रह की समीक्षा करने और वार्षिक बजट का मसौदा तैयार करने आदि के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र समिति आदि की बैठक बुलाई जा सकती है?

उत्तरः हाँ

बशर्ते कि इस तरह की बैठकों में केवल दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित नियमित प्रकृति के मामलों को उठाया जाए, न कि इसकी नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को।

प्रश्न.33. क्या राजनीतिक पदाधिकारी "सद्भावना दिवस" समारोह में भाग ले सकते हैं जो पूरे देश में मनाया जाता है?

उत्तरः केंद्रीय मंत्री/मुख्यमंत्री/राज्यों में मंत्री और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी "सद्भावना दिवस" के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं कि उनके भाषणों का "विषय" केवल लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने तक ही सीमित रहना चाहिए, और कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। किसी मंत्री के नाम पर जारी किया जाने वाला संदेश, यदि कोई हो, तो इसे केवल राष्ट्रीय

एकीकरण के विषय तक ही सीमित होना चाहिए और इसमें संबंधित मंत्री की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न.34. **क्या शहीदों की शहादत मनाने के लिए राज्य-स्तर पर समारोह का आयोजन किया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता/मुख्यमंत्री/मंत्री कर सकते हैं?**

उत्तरः हाँ

बशर्ते कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के भाषण शहीदों की शहादत और उनकी प्रशंसा करने तक सीमित रहें। सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार की उपलब्धियों के बारे में कोई राजनीतिक भाषण या उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्न.35. **क्या स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में कवि सम्मेलन, मुशायरा या अन्य सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए जा सकते हैं और क्या राजनीतिक पदाधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं?**

उत्तरः हाँ

राज्यों में केंद्रीय मंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों को उजागर करने वाला कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाए।

प्रश्न.36. **क्या सरकारी स्वामित्व वाली बसों के टिकट के पीछे सरकारी विज्ञापन मुद्रित किए जा सकते हैं ?**

उत्तरः नहीं

प्रश्न.37. **क्या गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है?**

उत्तरः निर्वाचन आयोग को इस मामले में संदर्भ दिया जाएगा।

प्रश्न 38. **क्या राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से सीधे किसी प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त कर सकती है?**

उत्तरः नहीं

निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्पष्टीकरण/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो इस मामले में अपनी सिफारिश कर सकता है और नहीं भी कर सकता है।

निर्वाचन प्रचार अभियान

प्रश्न.39. निर्वाचन प्रचार करते समय राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के लिए मुख्य दिशानिर्देश क्या हैं?

उत्तरः निर्वाचन प्रचार के दौरान, कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है, या आपसी घृणा पैदा कर सकती है, या विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच धार्मिक या भाषाई तनाव पैदा कर सकती है। इसके अलावा, जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।

प्रश्न.40. क्या निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा के स्थानों जैसे धार्मिक स्थानों को निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं संबंधी कोई अपील नहीं की जाएगी।

प्रश्न.41. क्या कोई अभ्यर्थी जुलूस के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जा सकता है?

उत्तरः नहीं

रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 3 तक सीमित कर दी गई है, और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित कर दी गई है (अभ्यर्थी सहित)।

प्रश्न.42. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन की जांच करते समय कितने व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है?

उत्तरः अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और एक अन्य व्यक्ति (जो एक वकील हो सकता है) अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन की जांच के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (1))

प्रश्न 43. **क्या मंत्रियों/राजनीतिक पदाधिकारियों/अभ्यर्थियों द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में कोई दिशा निर्देश हैं, जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है?**

उत्तरः हाँ

सुरक्षा प्रदान किए गए व्यक्तियों के संबंध में, विशेष व्यक्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहन का उपयोग करने की अनुमति उन सभी मामलों में दी जाएगी, जहां खुफिया अधिकारियों सहित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस तरह के उपयोग के लिए निर्धारित किया है। जब तक विशेष रूप से सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसा निर्धारित नहीं किया गया हो, तब तक स्टैंड-बाय के नाम पर कई कारों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे बुलेट प्रूफ वाहनों के उपयोग की लागत, जहां बुलेट प्रूफ वाहनों का उपयोग निर्दिष्ट किया गया है, उस विशेष व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा। पायलट, एस्कॉर्ट्स सहित काफिले के साथ वाहनों की संख्या सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही होगी, और किसी भी परिस्थिति में उनसे अधिक नहीं होगी। ऐसे सभी वाहनों के उपयोग की लागत, चाहे वे सरकारी हों या किराए के वाहन हों, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध लागू नहीं होते जिनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को सरकार की ब्लू बुक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

प्रश्न.44. **क्या निर्वाचन कार्य के उद्देश्य से वाहनों को चलाने के लिए कोई प्रतिबंध है?**

उत्तरः निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से अभ्यर्थी किसी भी संख्या में वाहनों (दो-पहिया वाहनों सहित सभी मशीनीकृत/मोटर चालित वाहन) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे वाहनों को चलाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी, और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट को मूल में (फोटोकॉपी नहीं) वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। परमिट में वाहन की संख्या और अभ्यर्थी के नाम को उल्लिखित करना होगा, जिसके पक्ष में यह जारी किया गया है।

प्रश्न.45. **क्या एक वाहन जिसके लिए एक अभ्यर्थी के नाम पर निर्वाचन प्रचार के लिए अनुमति ली गई है, क्या किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?**

उत्तरः नहीं

किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभियान के लिए इस तरह के वाहन का उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न.46. **क्या किसी वाहन का उपयोग जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्वाचन कार्य के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?**

उत्तरः नहीं

इस तरह के वाहन को अभ्यर्थी द्वारा प्रचार करने के लिए अनधिकृत माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के अध्याय-IX क के अनुसार यह दंडात्मक प्रावधानों को आकृष्ट कर सकता है, और इसलिए इसे तुरंत प्रचार से बाहर रखा जाएगा, और आगे के प्रचार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 47. क्या राजनीतिक अभियानों और रैलियों के लिए शिक्षण संस्थानों और उनके मैदानों (चाहे सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सरकारी) के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः आयोग ने स्कूल और कॉलेज के मैदान को (पंजाब और हरियाणा के राज्यों को छोड़कर जहाँ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से प्रतिबंध निषेध है) राजनीतिक उपयोग के लिए अनुमति दी है बशर्ते किः

स्कूल और कॉलेज की शैक्षणिक कार्यानुसूची किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो।

स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को इस उद्देश्य के लिए कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह के अभियान के लिए स्कूल/कॉलेज प्रबंधन के साथ-साथ उप मंडल अधिकारी से भी पूर्व अनुमति प्राप्त की जाती है।

इस तरह की अनुमति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाती है और किसी भी राजनीतिक दल को उन मैदानों के इस्तेमाल पर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं है।

इस तरह के किसी भी परिसर/मैदान के उपयोग को प्रतिबंधित करने का न्यायालय का कोई भी आदेश/निर्देश नहीं है।

आयोग द्वारा राजनीतिक बैठकों के लिए स्कूल/कॉलेज के मैदान के आवंटन में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा। इस संबंध में जवाबदेही उप-मंडल अधिकारी के पास है, और

राजनीतिक दल और अभ्यर्थी और प्रचारक यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखेंगे कि उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन न हो।

यदि इस तरह के मैदानों/स्थानों का उपयोग प्रचार के उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसे बिना किसी क्षति के या क्षति के लिए अपेक्षित क्षतिपूर्ति के साथ, यदि कोई हो, संबंधित प्राधिकरण को वापस किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल संबंधित स्कूल/कॉलेज प्राधिकरण को प्रचार का मैदान वापस देते समय, इसके उपयोग हेतु ऐसे किसी मुआवजे यदि कोई हो के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

प्रश्न. 48. क्या अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में बाहरी फिटिंग/संशोधन की अनुमति है?

उत्तरः लाउडस्पीकर की फिटिंग सहित वाहनों का बाहरी तौर पर रूप-परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और वहाँ प्रचलित किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियम के अधीन होगा। संशोधन किए गए और विशेष अभियान वाले

वाहन, जैसे वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है।

प्रश्न. 49. क्या रेस्ट हाउस, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवास का कार्यालय के लिए उपयोग पर कोई प्रतिबंध है या निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करना?

उत्तरः हाँ

विश्रामगृह, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवासों को सत्तारूढ़ दल या इसके अभ्यर्थियों द्वारा एकाधिकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आवास को अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी भी दल या अभ्यर्थी को इसे प्रचार कार्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि -

(i) कोई भी अधिकारी सर्किट हाउस, डाक बंगले का उपयोग प्रचार कार्यालय स्थापित करने के लिए नहीं कर सकता है क्योंकि सर्किट हाउस/डाक बंगले केवल ऐसे पदाधिकारियों के पारगमन के दौरान अस्थायी ठहराव (बोर्डिंग और ठहरने) के लिए हैं,

(ii) यहां तक कि सरकारी स्वामित्व वाले अतिथि गृह आदि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा आकस्मिक बैठक की अनुमति नहीं है, और इसके किसी भी उल्लंघन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा,

(iii) केवल उस व्यक्ति के वाहन को, जिसे अतिथि गृह में आवास आवंटित किया गया है, और जो दो अन्य वाहनों से अधिक नहीं है, यदि उस व्यक्ति द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, तो उन्हें अतिथि गृह के परिसर के अंदर अनुमति दी जाएगी।

(iv) किसी भी एक व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक कमरे उपलब्ध नहीं होने चाहिए, और

(v) किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के आरंभ होने से 48 घंटे पहले तथा मतदान अथवा फिर से मतदान पूरा होने तक, ऐसे आवंटन पर रोक रहेगी।

प्रश्न. 50. क्या राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी विमान/हेलीकॉप्टर (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) प्राप्त करने के लिए कोई शर्तें हैं?

उत्तरः हाँ

राजनीतिक दलों/**अभ्यर्थियों** अथवा निजी कंपनियों आदि को सरकारी विमानों/हेलीकॉप्टरों के चार्टर की अनुमति देते समय, निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:-

i एक ओर सत्ताधारी दल और दूसरे अन्य दल और दूसरी ओर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

ii राजनीतिक दलों या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाएगा और उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

iii दरें और नियम और शर्तें सभी के लिए समान होनी चाहिए।

iv वास्तविक आबंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय को अधिकृत प्राप्त प्राधिकारी द्वारा नीचे नोट किया जाना चाहिए।

v असाधारण स्थिति में जब दो या दो से अधिक आवेदकों की तारीख और समय समान होता है, तो आवंटन ड्रा द्वारा तय किया जाएगा।

vi किसी भी व्यक्ति, फर्म, दल या अभ्यर्थी को एक बार में तीन दिनों से अधिक समय तक विमान/हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न. 51. क्या संबंधित दल या अभ्यर्थी के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, ध्वज आदि को किसी सार्वजनिक संपत्ति पर प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः सार्वजनिक संपत्ति पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित दल के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, ध्वज आदि प्रदर्शित कर सकते हैं जो स्थानीय कानून के प्रावधान और वहाँ लागू निषेधात्मक आदेश के अधीन हो सकते हैं। विवरण के लिए आयोग के अनुदेश संख्या 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7.10.2008 तथा संख्या 437/6/कैम्पेन/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्य/एमसीसी-2016 दिनांक 04.01.2017 का संदर्भ लें।

प्रश्न. 52. यदि स्थानीय कानून/उप-नियम, दीवार लेखन और पोस्टर चिपकाने, निजी परिसरों/संपत्तियों पर होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने की अनुमति देते हैं, क्या परिसर/संपत्ति के मालिक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तरः हाँ

अभ्यर्थी को संपत्ति/परिसर के स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और इस तरह की अनुमति की फोटोकॉपी (यां) 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर या उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रश्न.53. क्या जुलूस के दौरान वाहन पर संबंधित दल या अभ्यर्थी के पोस्टर/प्लेकार्ड/बैनर/ध्वज को प्रदर्शित करने/ले जाने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः जुलूस के दौरान किसी वाहन पर किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा झंडों/बैनरों की अधिकतम अनुमन्य संख्या और आकार इस प्रकार है-

दुपहिया वाहन - अधिकतम आकार का एक ध्वज 1 X 1/2 फीट। किसी भी बैनर की अनुमति नहीं है। उपयुक्त आकार के एक या दो स्टिकर की अनुमति है।

तीन पहिया, चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा - किसी भी बैनर की अनुमति नहीं है। केवल अधिकतम आकार का एक ध्वज 3X2 फीट। उपयुक्त आकार के एक या दो स्टिकर की अनुमति है।

यदि किसी राजनीतिक दल के पास किसी अन्य दल के साथ निर्वाचन पूर्व गठबंधन/सीट बंटवारे की व्यवस्था है, तो अभ्यर्थी/राजनीतिक दल का वाहन ऐसे दलों में से प्रत्येक का एक-एक झण्डा प्रदर्शित कर सकता है।

प्रश्न. 54. निर्वाचन प्रचार के दौरान पोस्टर/बैनर के लिए प्लास्टिक शीट के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है या नहीं?

उत्तरः पर्यावरण संरक्षण के हित में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक/पॉलिथीन के उपयोग से बचना चाहिए।

प्रश्न.55. क्या पर्चे, पोस्टर आदि की छपाई पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

अभ्यर्थी किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं कर सकता अथवा उसके मुद्रण अथवा प्रकाशन का कारण नहीं बन सकता, जिस पर उसका चेहरा, नाम अथवा पते मुद्रित अथवा प्रकाशित नहीं होते हों।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क)

प्रश्न 56. क्या निर्वाचन प्रचार के दौरान अभ्यर्थी को विशेष सहायक सामग्री जैसे टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि पहनने की अनुमति है?

उत्तरः हां, बशर्ते कि वे संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के हिसाब में हो। हालांकि, दल/अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, शर्ट इत्यादि जैसे मुख्य परिधानों की आपूर्ति और वितरण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह मतदाताओं को रिश्वत देने में जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 57. क्या सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से जनता को किसी भी निर्वाचन सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

अभ्यर्थी निर्वाचन के समापन के लिए तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान, सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य इसी तरह के

उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी निर्वाचन मामले अथवा प्रचार को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126)

प्रश्न 58. क्या मुद्रित "स्टेपनी कवर" या इसी प्रकार की अन्य सामग्री जिसमें दल/अभ्यर्थी का प्रतीक हो या इसका चित्रण किए बिना इसका वितरण, उल्लंघन है?

उत्तरः हाँ

ऐसे मामलों के होने पर जहां ऐसी सामग्री वितरित की गई है, जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष आईपीसी की धारा 171-ख के तहत उक्त सामग्री के वितरण के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रश्न 59. क्या दल या अभ्यर्थी द्वारा अस्थायी कार्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए शर्तें/दिशानिर्देश हैं?

उत्तरः हाँ

ऐसे कार्यालय किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक या निजी संपत्ति/किसी भी धार्मिक स्थानों पर, अथवा ऐसे धार्मिक स्थानों के परिसर/किसी भी शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल के समीप और किसी मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं खोले जा सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे कार्यालय दल का केवक एक झण्डा और बैनर को दल चिन्ह/तस्वीरों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, और ऐसे कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 फीट X 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, और यह स्थानीय कानूनों के अधीन होगा, जो यदि किसी ऐसे बैनर/होर्डिंग आदि के लिए निम्न आकार को निर्दिष्ट करते हैं तो फिर स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित निम्न आकार का पालन किया जाएगा।

प्रश्न 60. क्या अभियान अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

प्रचार की अवधि (मतदान बंद होने से पहले 48 घंटे से आरंभ) के बंद होने के बाद, राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा, भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हों।

प्रश्न 61. क्या जनसभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर बैठक आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए।

प्रश्न 62. **क्या पुलिस अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकरों का उपयोग सार्वजनिक बैठकों के लिए या जुलूसों के लिए या सामान्य प्रचार के लिए किया जा सकता है?**

उत्तर नहीं।

लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए

प्रश्न.63. **क्या लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा है?**

उत्तरः हाँ

रात 10.00 बजे से सायं 6.00 के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 64. **वह कौन सी समय-सीमा है जिसके बाद कोई जनसभा और जुलूस नहीं निकाला जा सकता है?**

उत्तरः सार्वजनिक सभाएं सुबह 6.00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थी मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए, मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5.00 बजे तक है, तो सार्वजनिक सभा और जुलूस 13 जुलाई को शाम 5.00 बजे से बंद हो जाएंगे।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126)

प्रश्न 65. **क्या मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के लिए कोई दिशानिर्देश हैं?**

उत्तरः हाँ

सफेद कागज पर अनौपचारिक पहचान पर्ची में केवल मतदाता का नाम, मतदाता की क्रम संख्या, मतदाता सूची में भाग संख्या, मतदान केंद्र संख्या व नाम, और मतदान की तिथि शामिल होगी। इसमें अभ्यर्थी का नाम, उसकी तस्वीर और निर्वाचन चिह्न नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 66. **क्या कोई मंत्री/सांसद/विधायक/एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है, की नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता/पोलिंग अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता के रूप में करने पर कोई प्रतिबंध है?**

उत्तरः हाँ

कोई अभ्यर्थी किसी मंत्री/सांसद/विधायक/एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति, जो सुरक्षा कवर के तहत है, को निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को इस तरह की नियुक्ति से खतरा होगा, और उसके सुरक्षाकर्मी को किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिधि में मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र के परिसर के भीतर और मतगणना केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है, जिसे "मतदान केंद्र पड़ोस" के रूप में वर्णित किया गया है। सुरक्षा कवर प्राप्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे अभ्यर्थी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा कवर को आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न. 67. आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के तहत लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों (नेताओं) को परमिट जारी करने का अधिकार किसे है?

उत्तरः यदि सड़क परिवहन का उपयोग राजनीतिक स्टार प्रचारकों (नेताओं) द्वारा किया जाना है, तो इस हेतु परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय रूप से जारी किया जाएगा। यदि दल ऐसे वाहन के लिए परमिट जारी करने के लिए आवेदन करती है जो किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन के लिए अनुमति केंद्रीय रूप से जारी किया जा सकता है, जिसे इस तरह के वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे संबंधित नेता द्वारा उपयोग किया जाना है। यदि अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे दल नेताओं द्वारा विभिन्न वाहनों का उपयोग किया जाना है, तो संबंधित व्यक्ति के नाम के सापेक्ष परमिट जारी किया जा सकता है, जो ऐसे नेता द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन की विंडस्क्रीन पर इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

प्रश्न. 68. क्या ओपिनियन पोल या एक्जिट पोल किसी भी समय आयोजित, प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित किए जा सकते हैं?

उत्तरः नहीं

किसी भी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, जो निम्नलिखित अवधि के लिए मान्य होंगे:

(क) एक ही चरण में आयोजित निर्वाचन में मतदान समापन के निर्धारित घंटे के अनुसार समाप्त हो रहे 48 घंटों की अवधि के दौरान; तथा

(ख) एक बहु स्तरीय निर्वाचन में, और विभिन्न राज्यों में एक साथ निर्वाचनों की घोषणा के मामले में, निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए

निर्धारित अवधि के आरंभ होने से 48 घंटे आरंभ होने की अवधि के दौरान और सभी राज्यों में सभी चरणों के मतदान समाप्त हो जाने तक।

मतदान दिवस

प्रश्न 69. क्या निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तरः हाँ

ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। पुलिस/निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर लिखित अनुमति बूथ से संबंधित व्यक्तियों अथवा वहाँ उपस्थित कर्मचारियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रश्न 70. क्या मतदान केंद्र में या उसके आस-पास प्रचार पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

मतदान के दिन मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130)

प्रश्न. 71. क्या मतदान केंद्र या उसके पास सशस्त्र जाने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ

मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के आस-पास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियारों से लैस होकर जाने की अनुमति नहीं है।

(देखें: 1951 के प्रतिनिधित्व की धारा 134ख)

प्रश्न 72. मतदान के दिन एक अभ्यर्थी कितने वाहनों के लिए हकदार है?

उत्तरः

(i) लोक सभा के निर्वाचन के लिए, अभ्यर्थी हकदार होगा:

(क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी को स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन। पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन।

(ख) इसके अतिरिक्त, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा खंड में अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं अथवा दल के कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए, जैसा भी मामला हो, एक वाहन।

(ii) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए, अभ्यर्थी हकदार होगा:

(क) अभ्यर्थी के स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन

(ख) अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन

(ग) इसके अलावा, अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं या दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।

प्रश्न 73. यदि मतदान के दिन अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित रहता है, तो क्या उसके नाम पर आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है?

उत्तरः **नहीं**

अभ्यर्थी के उपयोग के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 74. क्या मतदान के दिन किसी भी प्रकार के अधिकारिक वाहन का उपयोग किया जा सकता है?

उत्तरः नहीं

अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता को केवल चार/तीन/दो पहिया वाहनों, अर्थात कार (सभी प्रकार के), टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दोपहिया वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। मतदान के दिन इन वाहनों में चालक सहित पाँच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रश्न 75. क्या राजनीतिक दल/अभ्यर्थी मतदान केंद्र से मतदाताओं को लाने और ले-जाने के लिए परिवहन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं?

उत्तरः नहीं।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने - ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था, एक आपराधिक अपराध है।

(देखें: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133)

प्रश्न 76. क्या राजनीतिक दल का कोई नेता मतदान के दिन मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर सकता है?

उत्तरः नहीं

किसी राजनीतिक दल के नेता को मतदान और मतगणना के दिन मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी और निगरानी के उद्देश्य से, निजी फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

"कोई भी मतदाता न छूटे"

"No voter to be left behind"

मार्च, 2019

दस्तावेज 21 - संस्करण 1

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
www.eci.gov.in https://www.facebook.com/ECI/
http://www.youtube.com/c/ECIVoterEducation
यह दस्तावेज़ भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/9375-manual-on-model-code-of-conduct/ पर भी उपलब्ध है